सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2002-2003

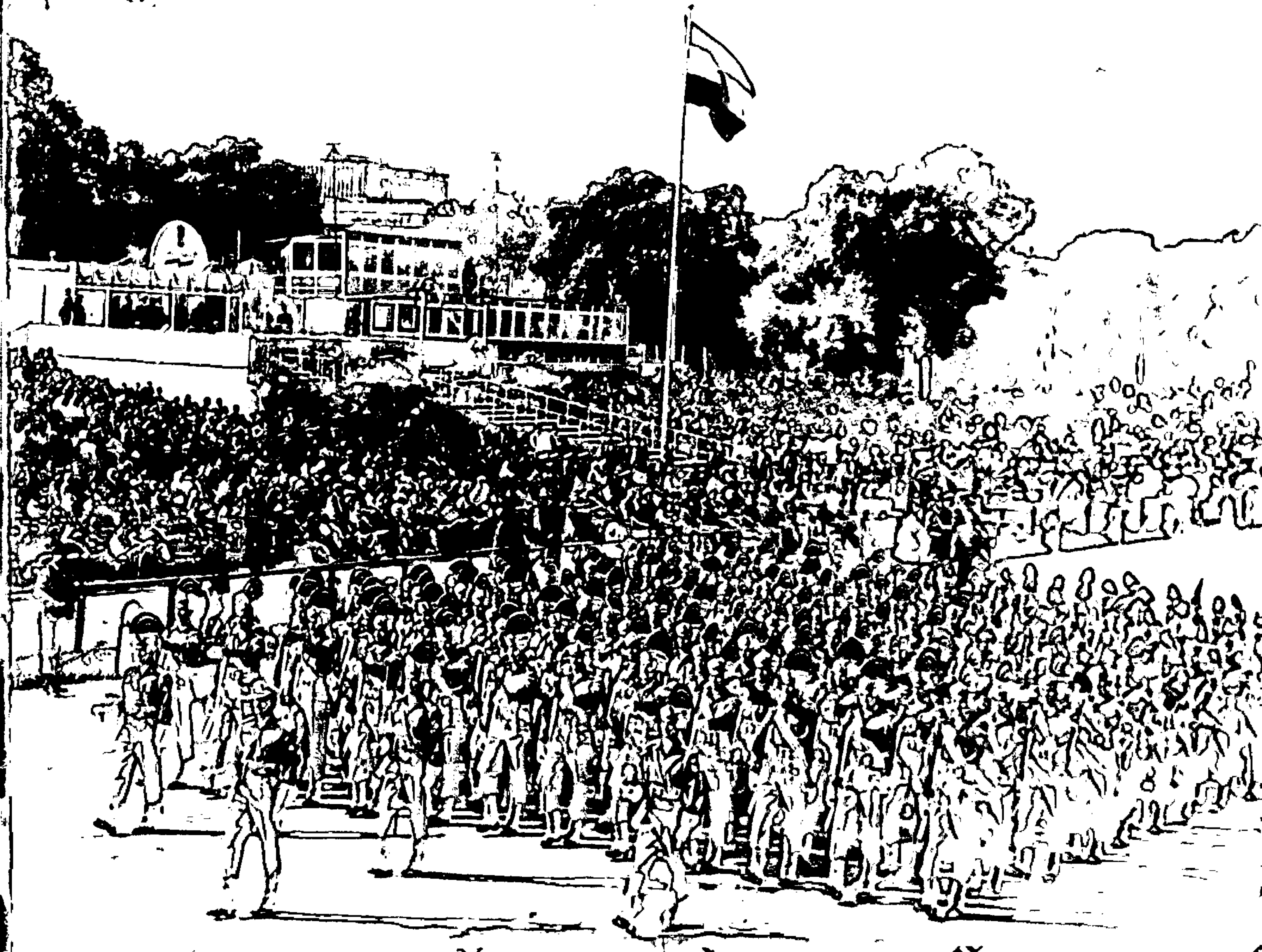

भारत सरकार

गृह मन्त्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृहमंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2002-2003

आन्तरिक सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर,
राज्य और गृह विभाग,
नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय I

सिंहावलोकन 1-7

अध्याय II

गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा 8-10

अध्याय III

आन्तरिक सुरक्षा 11-42

अध्याय IV

नई चुनौतियां और पहलें 43-55

अध्याय V

केन्द्र राज्य संबंध 56-75

अध्याय VI

पुलिस बल 76-90

अध्याय VII

अन्य विषय 91-105

अध्याय VIII

विविध 106-110

अनुलग्नक 111-122

अध्याय

I

सिंहावलोकन

विद्यमान आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य

1.1 वर्ष के दौरान आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य चिन्ता का विषय बना रहा। आन्तरिक सुरक्षा की बढ़ रही चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक सुविचारित प्रतिक्रिया और रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पड़ी, इसमें शामिल है - आसूचना और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेन्सियों के बीच अच्छा ताल-मेल स्थापित करना, जनशक्ति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, तकनोलोजी को आधुनिक बनाना, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना, सीमा और तटीय क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन करना और सबसे ऊपर प्रशासन को कुशल बनाना। सुरक्षा की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा के बीच का भेद मिटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है - पाकिस्तान द्वारा छद्मयुद्ध के जरिए शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जारी रखना तथा देश में जहां कहीं भी उसे कोई कमी दिखाई देती है उसका फायदा उठाना। देश की आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाला एक अन्य पहलू है आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा कुछ पड़ोसी देशों को शरणगाह के रुप में इस्तेमाल करना और वहां से भारत के खिलाफ जासूसी और विघटनकारी गतिविधियों का संचालन करना।

1.2 देश में आंतरिक सुरक्षा की चिंता के मुख्य विषय हैं - जम्मू और कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठनों की परस्पर सांठ-गांठ और बाहर से समर्थित विध्वंसकारी गतिविधियां और कुछ राज्यों में वाम-पंथी संगठनों द्वारा की गई हिंसात्मक गतिविधियां । जातियों एवं समुदायों के आपसी संबंध भी कभी-कभी आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं।

1.3 आतंकवादी हमलों के कारण पड़ोसी देश में उत्पन्न स्थिति से पता चलता है कि आज आतंकवाद की क्षमता और उसकी पहुंच कितनी अधिक है। आतंकवाद के रुख से पता चलता है कि आत्मघाती बमों का अधिक प्रयोग हुआ है तथा सिविलियनों के बजाय संवदेनशील सैनिक लक्ष्यों, पूजा स्थलों और राष्ट्रीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में रघुनाथ मंदिर, कालूचक और कई अन्य स्थानों पर हुए हमलों से इस वीभत्स रणनीति का परिचय मिलता है। विश्व के विभिन्न भागों में जल्दी-जल्दी हुए आत्मघाती हमलों से पता चलता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संचालित गुटों के बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध हैं। जैव आतंकवाद का भय पहले से ही विश्व में व्याप्त है। सामूहिक विनाश के हथियार यदि गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथों में आ जाएं तो इनका प्रयोग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रों पर हमला होने से अर्थव्यवस्था पंगु हो सकती है।

1.4 उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। हवाई अड्डों, हवाई जहाजों, पूजा स्थलों आदि की सुरक्षा को मजबूत बनाया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तोड़-फोड़, विध्वंसात्मक गतिविधियों तथा साम्प्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के प्रयासों के बारे में गुप्तचर सूचना एकत्र करने के काम में तेजी लाएं। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी घटना से निपटने के लिए आकस्मिक योजना तैयार रखें।

जम्मू और कश्मीर

1.5 जम्मू और कश्मीर लगभग 15 सालों से उग्रवाद की गिरफ्त में है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ने, 1990 से, 32,500

से अधिक व्यक्तियों की जानें ली हैं जिनमें 11000 सिविलियन शामिल हैं। इससे कश्मीरी लोगों और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

1.6 जम्मू और कश्मीर में 15 वर्ष के आतंकवाद को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण (1988-90) में आजादी समर्थक गुटों का उत्थान हुआ, दूसरे चरण (1991-95) में पाक समर्थक गुट हावी रहे और वर्तमान चरण में (1996-97 से आगे) भाड़े के विदेशी सैनिकों ने आतंकवाद की लगाम धीरे-धीरे अपने हाथ में ले ली है। स्थानीय उग्रवादियों को या तो हाशिये पर ला खड़ा कर दिया गया था या उन्हें पाक आई.एस. आई. के नियंत्रण वाले विदेशी तत्वों, जिनका वहां दबदबा है, की सहायता में लगाया गया है। अनुमान है कि राज्य में इस समय लगभग 60-70% विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। स्थानीय लोग उनके लिए मुख्यत: कुलियों और मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। स्थानीय सहायता में काफी कमी आ जाने से आतंकवादी मुख्य रुप से सीमा पार की सहायता पर निर्भर हैं। भाड़े के विदेशी सैनिक निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या करने में अधिक निष्ठुर हैं। अफगानिस्तान के तालीबानीकरण से भी उग्रवादी गुटों के बीच कट्टर रुढ़िवादी तत्वों को प्रोत्साहन मिला।

1.7 वर्तमान चरण की दूसरी विशेषता है - कश्मीर में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ना और राज्य से बाहर, भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद का विस्तार होना। तीसरी विशेषता है - मुख्य पाक समर्थक उग्रवादियों के बीच बेहतर ताल-मेल होना जो अपने-अपने क्षेत्रों में आपरेशन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वे गैर-परम्परागत हथियारों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं - जैसे ग्रेनेड, आर.डी.एक्स. और अत्याधुनिक शस्त्र (विशेष रुप से संचार उपकरण) ताकि अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। निचले स्तर के राजनैतिक कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों, ग्राम रक्षा समितियों के स्वंयसेवकों, सुरक्षा कर्मियों और राजनैतिक नेताओं को मुख्य रुप से निशाना बनाया गया है। सीमा पार से घुसपैठ के बार-बार प्रयास जारी हैं। पाक सेना की सतत गोलीबारी के दौरान उग्रवादियों की घुसपैठ कराने में सुविधा होती है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा हथियारों की बरामदगी से पता चलता है कि सीमा पार/नियंत्रण रेखा से हथियार, गोलाबारुद इत्यादि लगातार आ रहा है।

1.8 जम्मू और कश्मीर के लोग शांति के इच्छुक हैं। इसके बावजूद, पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवाद का संचालन जारी रखा हुआ है और वर्ष 2002 के दौरान आतंकवाद की गतिविधियों की तेजी बरकरार रखी है। आतंकवादियों के गिरते हुए मनोबल को बनाए रखने तथा सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पाक आई.एस. आई. समर्थित जेहादी गुटों, जिसमें मुख्यत: एल.ई.टी. और जे.ई.एम. के भाड़े के विदेशी सैनिक हैं, ने आत्मघाती हमले किए। इस्लामिक कथाओं में अपना स्थान बनाने की इच्छा से, धार्मिक शिक्षाप्राप्त आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार के कृत्यों को गुरिल्ला युद्ध रणनीति हथियार के रुप में प्रयोग किया गया है।

1.9 धार्मिक स्थानों में शरण लेना आतंकवादियों की एक और रणनीति है। इसका उद्देश्य है - सुरक्षा बलों को कठिन परिस्थिति में डालना तथा धार्मिक स्थानों को हुए किसी नुकसान से प्रतिकूल प्रचार मिलना ताकि सुरक्षा बलों से लोगों का अलगाव हो। हजरत बल और चरार-ए-शरीफ से लेकर बाद की घटनाओं तक, इस प्रकार के आतंकवादी कार्य इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए ताकि पान-इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को सुदृढ़ किया जा सके। सुरक्षा बलों को इतनी छूट है कि वे प्रत्येक मामले की तात्कालिकता के आधार पर परिस्थितियों के अनुसार कार्य करें तथा अपनी कार्यवाही इस प्रकार करें कि धार्मिक स्थलों को कम से कम क्षति पहुंचे और अपने उद्देश्यों के साथ समझौता न करना पड़े।

1.10 हाल ही में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों के बाद जम्मू व कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली की आशा बंधी है। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो जाने के बाद लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा लोकतंत्र की संस्था में विश्वास दृढ़ हुआ है। बड़ी संख्या में मतदाताओं का खुलकर आगे आना यह बताता है कि जम्मू और कश्मीर की जनता हिंसा से थक चुकी है। वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और शांति, सामाजिक-आर्थिक विकास तथा एकता चाहते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद

को समर्थन देने में कोई ढील नहीं देना चाहता बल्कि समस्या को ज्वलंत बनाए रखना चाहता है। कुछ समय से पाकिस्तान से ऐसे संकेत मिले जिससे विश्व में चिन्ता व्याप्त हुई है। वहां पर रुढ़िवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है (जैसा कि हाल ही के चुनाव से स्पष्ट है)। रुढ़िवादी दर्शन से प्रभावित पैन-इस्लामिक गुट तथा पृथकतावादी तत्व राज्य के भीतर अपना जाल बिछाते हुए जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नया आयाम दे रहे हैं। इस प्रकार कई विपरीत धाराएं बह रही हैं जो इस समय जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के स्वरुप को प्रभावित कर रही हैं।

1.11 अत: सुरक्षा बल लगातार पूरी चौकसी बरत रहे हैं और उग्रवादियों से निपटने के लिए तैयार हैं। इसी बीच केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति बनाई है जिसका सतत रुप से पालन किया जा रहा है। रणनीति इस प्रकार है :

- सुरक्षा बलों की रणनीति और तैनाती में जमीनी वास्तविकताओं के अनुरुप परिवर्तन करना ताकि सीमापार आतंकवाद से प्रभावी तौर पर निपटा जा सके।
- आर्थिक विकास में तेजी लाने के उपाय करना तथा
- उन लोगों तथा गुटों से बातचीत करना जो हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहते हैं।

1.12 राज्य में आंतकवाद का मुकाबला करने तथा उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सरकार की सुरक्षा रणनीति के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं :

- घुसपैठ रोकना ;
- भीतरी क्षेत्र में उग्रवाद को रोकना ;
- अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना ;
- सीमा क्षेत्र में रह रहे लोगों में अलगाव की भावना को रोकना ;
- गुप्त सूचना प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाना ;
- आतंकवादियों का समर्थन आधार समाप्त करना ;
- यूनीफाइड हैड क्वार्टर तथा फील्ड स्तर पर आपरेशनों और गुप्तचर दलों के संस्थागत ढांचों के जरिए संचालन कार्य को एकीकृत करना ;
- सुरक्षा बलों के लिए उन्नत तकनोलोजी, हथियार और उपकरण उपलब्ध कराना ;
- जम्मू और कश्मीर पुलिस का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण ;
- अधिक संख्या में लक्षित आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना ।

1.13 जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनाए गए समेकित दृष्टिकोण के अंग के रुप में केन्द्र सरकार जम्मू व कश्मीर में आम जनता पर आतंकवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में वास्तविक तथा सामाजिक ढांचे का निर्माण करने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य में केन्द्रीय मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिव/गृह सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस स्थायी समिति के अधीन छ: सब-ग्रुप्स कार्य कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री ने दिनांक 23 मई, 2002 को जम्मू और कश्मीर का दौरा करते समय एक व्यापक पैकेज की घोषणा की जिसमें विकास और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें जम्मू और कश्मीर के युवकों के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न करने तथा सीमापार गोलाबारी से प्रभावित प्रवासियों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया था। इस पैकेज में सड़कों और रेलमार्गों के निर्माण, ऊन, पशमीना, हैंडीक्राफ्ट आदि जैसे कुटीर उद्योगों का विकास, सेबों और अखरोटों के लिए कृषि निर्यात जोन का विकास, चेनाब, झेलम और शिवालिक के डूब क्षेत्रों के पर्यावरण का विकास बागवानी के विकास के लिए तकनीकी मिशन, सीमा क्षेत्र का विकास, पुलिस कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

1.14 जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ उग्रवादियों और सीमापार गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए केन्द्र सरकार राहत और पुनर्वास पर भी जोर दे रही है। आतंकवाद के कारण घाटी छोड़ने वाले लोगों तथा सीमा क्षेत्रों में पाक गोलाबारी के कारण प्रवासित लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार को राहत कार्यों पर किए गए समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार जम्मू व कश्मीर पुलिस कार्मिकों को, जो आंतकवादी घटनाओं में मारे जाते हैं, के निकटतम संबंधी को 3 लाख रु0 का सीधा भुगतान बतौर अनुग्रहपूर्ण राहत के बतौर करती है। अन्य राहतों में विधवाओं और अनाथ बच्चों को पुनर्वास, जम्मू व कश्मीर में उधारकर्ताओं को ऋण में राहत, क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं का पुनर्निमाण किसानों को राहत आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर

1.15 पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्य शामिल है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भारत के कुल भू-भाग का 8.06 है और इसकी आबादी 385 लाख है जो देश की कुल आबादी का 3.75% है (2001 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार)।

1.16 पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद बहुत अधिक पुराना है और यह वर्ष 1947 स्वतंत्रता के समय से ही उभरकर सामने आया है। यह समस्या आज भी अलग-अलग मात्रा में असम, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा में बनी हुई है। मेघालय में उग्रवाद कम है। भौगोलिक दृष्टि से असम और नगालैण्ड के साथ जुड़े होने के कारण अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी अशान्त बने हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक उग्रवादी गुटों की मांगें अलग-अलग हैं। जहां कुछ गुट भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कुछ गुट भारत से अलग होना चाहते हैं। यह क्षेत्र भौगोलिक-राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और इसका सिलीगुड़ी के रास्ते भारत से सम्पर्क है। सशस्त्र उग्रवाद को लंबी तथा सुभेद्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार से लगातार सहायता प्राप्त होती रहती है। अवैध प्रवासियों विशेष रुप से बंगलादेशियों की घुसपैठ, जनजातीय समुदायों का अपने ही क्षेत्रों में जनसंख्या विरुपण, 1947 के विभाजन के बाद प्राकृतिक व्यापार मार्गों के अवरुद्ध होने, बुनियादी सामाजिक एवं भौतिक ढाँचे की अपर्याप्ता , सापेक्ष आर्थिक पिछड़ेपन और भारतीय मुख्यधारा के साथ कमजोर भावनात्मक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कों के कारण उग्रवाद पनप रहा है।

1.17 पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या काफी विकट है। जनजातीय समुदायों में नए सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के कारण असंतोष की भावना बढ़ रही है। पाक समर्थित आई.एस. आई. भी लोगों को गुमराह कर के और इस क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों को प्रशिक्षण व शस्त्र मुहैया करवाकर अपने नापाक इरादे पूरे कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के पिछड़ेपन के कारण बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। निराश और बेरोजगार युवक राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रहे उग्रवादी गुटों के चंगुल में फंस जाते हैं।

1.18 सरकार ने मतभेदों का समाधान करने के लिए हिंसा का सहारा लेने के मार्ग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है।हिंसा का मार्ग शान्ति, समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अतः, सरकार ने उन सभी लोगों से जो शान्ति और भाईचारे के मार्ग से भटक गए हैं, अपील की है कि वे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत बातचीत करने के लिए आगे आएं और हिंसा का रास्ता छोड़ दें। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ उग्रवादी संगठन हिंसा का मार्ग छोड़ कर शान्ति वार्ता के लिए आगे आए हैं।

1.19 सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शान्ति बहाल करने और विकास की गति तेज करने के लिए सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के शान्ति प्रिय लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरे उत्साह के साथ फिर से अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आवधिक चुनावों में मतदताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में गहरी आस्था की झलक मिलती है।

पंजाब

1.20 पंजाब के उग्रवादियों के लगभग 50 अलग-अलग ग्रुप अभी भी राज्य में सक्रिय हैं। इनमें सबसे ज्यादा बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमाण्डो फोर्स, के.सी.एफ. (पी), खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, रंजीत सिंह नीता की खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (आर एस एन) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आई एस वाई एफ) (रोडे) सक्रिय हैं।

1.21 प्राप्त सूचनाओं से विदेशों में रह रहे आतंकवादियों द्वारा राज्य में उग्रवाद को फिर से जीवित करने की योजनाओं का पता चलता है। अमेरिका और कनाडा स्थित आतंकवादी तत्व एक या दो बड़ी वारदातें करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और वे राजनीतिक पदाधिकारियों पर हमलों की फिराक में हैं। ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि पाकिस्तान पंजाब में बड़े पैमाने पर सिख उग्रवाद को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है और आई एस आई अधिकारियों ने अप्रैल, 2002 में बैशाखी उत्सव के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा पर आए विदेशों में रह रहे खालिस्तान समर्थक नेताओं को खालिस्तान आन्दोलन को फिर से जीवित करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। हाल ही में प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि आई एस आई ने पंजाब में उग्रवाद को फिर से जीवित करने के लिए सिख युवकों के लिए मस्कट, दुबई, थाईलैंड और ईरान में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है।

1.22 उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार ने एक सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाना, उन्नत/अत्याधुनिक हथियार तथा संचार प्रणाली, प्रशिक्षण आदि दे कर पुलिस तथा सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना, सुरक्षा बलों के लिए सीमा चौकियों की स्थापना करना, आसूचना आधारित कार्रवाईयों के माध्यम से उग्रवादियों की योजनाओं को निष्प्रभावी बनाना शामिल है। आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब के कुछ उग्रवादी संगठनों नामत: बब्बर खालसा इन्टरनेशल (बी के आई), इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आई एस वाई एफ), खालिस्तान कमाण्डो फोर्स (पी) और खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। बी के आई और आई एस वाई एफ पर यू.के. आतंकवाद अधिनियम, 2000 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इन्हें यूरोपियन संघ की आतंकवादी संगठनों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। पंजाब के कुछ उग्रवादियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किये गये हैं। जब कभी विदेश में किसी वांछित पंजाब के उग्रवादी का पता चलता है, तो उसे भारत को प्रत्यर्पित/निर्वासित करने के लिए विधिक उपाय किए जाते हैं।

वामपंथी अतिवाद

1.23 चालू वर्ष (31 अक्टूबर, 2002 तक) के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश भर में नक्सलवादी हिंसा में वृद्धि के कारण वामपंथी अतिवाद आन्दोलन चिन्ता का विषय बना रहा। पुनरीक्षा अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नक्सली हिंसा में 30.4 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद देशभर में नक्सलवादी हिंसा में लगभग 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विगत 5 वर्षों के दौरान देशभर में नक्सलवादी हिंसा का औसतन लगभग 47.5 प्रतिशत बैठती है। वामपंथी अतिवादियों की हिंसक लूटमार के कारण मौतों की संख्या में 21.4 प्रतिशत की कमी हुई जिसका मुख्य कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश में मौतों की संख्या में 58.2 प्रतिशत और झारखंड में 30.4 प्रतिशत कमी हुई है। इस समस्या से पीड़ित राज्यों में बिहार और झारखंड में नक्सलवादी हिंसा में वृद्धि हुई है।

1.24 पुनरीक्षा अवधि के दौरान देश में वामपंथी अतिवादी ग्रुपों की गतिविधियों के ग्रुप-वार विश्लेषण से यह पता चलता है कि सभी मुख्य ग्रुपों की हिसंक गतिविधियों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पुनरीक्षा अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। एम.सी.सी. और सी.पी.एम.एल. - पी. डब्ल्यू. पोटा, 2002 की धारा 18 में आतंकवादी संगठनों की सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नक्सली आंदोलन जारी रखे हैं और देश भर में लगभग 85.9 प्रतिशत नक्सली हिंसा और उसके कारण होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।

1.25 नक्सली संगठनों के बीच संबंध बनना, व्यापक सैन्यीकरण, विशेषतया सी.पी.एम.एल. - पी.डब्ल्यू. द्वारा, सी.पी.एम.एल. - पी.डब्ल्यू. द्वारा मिलिट्री तथा संगठनात्मक कार्यों के लिए नया संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, भारत और विदेश में अन्य आतंकवादी संगठनों और नक्सलवादी संगठनों के बीच सहयोग की सम्भावनाएं आदि ऐसे मामले हैं जो चिन्ता के विषय हैं। वामपंथी अतिवादी संगठनों द्वारा तेलंगाना और दण्डकारण्य में सी.पी.एम.एल. - पी.डब्ल्यू. और बिहार तथा झारखण्ड में एम.सी.सी. के गढ़ों को नेपाल में सी.पी.एन. (माओवादी) के गढ़ के साथ जोड़ने के लिए एम.सी.सी., सी.पी.एम.एल. - पी.डब्ल्यू. और नेपाल की सी.पी.एन. द्वारा परिकल्पित "काम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन" की धारणा को मूर्तरुप देने के प्रयास किए गए थे।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

1.26 देश में साम्प्रदायिक स्थिति कुछेक छुट-पुट घटनाओं और गोधरा रेल नरसंहार को छोड़कर, कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी थी।

1.27 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में नरसंहार होने के बाद 28 फरवरी और 1 मार्च, 2002 को गुजरात में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई जिसमें 59 व्यक्ति जिंदा जला दिए गए। अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा, भावनगर, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट इत्यादि सहित गुजरात में कई शहरों में हिंसा फैल गई। हिंसा से निपटने तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राज्य रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया। सेना और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को भी तैनात किया गया। गुजरात में 763 व्यक्ति मारे गए (पुलिस गोलीबारी में मारे गए 200 लोगों सहित) और लगभग 2400 व्यक्ति घायल हुए। उप प्रधानमंत्री ने कुछेक हिंसा प्रभावित शहरों का दौरा किया और अधिकारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ विचार-विमर्श किया तथा उन्हें स्पष्ट रुप से बता दिया कि हिंसा किसी भी कीमत पर रोकी जानी चाहिए और लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया

1.28 अलगाववादियों, आतंकवादियों और उग्रवादी ग्रुपों, गैर कानूनी संगठनों, संगठित अपराध सिन्डिकेटों, फूट डालने वाली और साम्प्रदायिक ताकतों, समाज विरोधी तत्वों आदि द्वारा आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, शांति, अमन चैन तथा सौहार्द बनाए रखने की दिशा में पेश की जाने वाली चुनौतियां काफी विकट होती हैं। केन्द्र और राज्यों को इन चुनौतियों से सख्ती से निपटना चाहिए। संविधान के अंतर्गत, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के विषय हैं, जबकि आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना केन्द्र का दायित्व है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ तालमेल करके इन चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए बहुत से उपाय/प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी उत्पत्ति, सिद्धान्त, शक्ति समर्थन आधार, विदेशी संपर्क आदि को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र और समस्या विशेष रणनीतियां तैयार की हैं और निरंतर उनमें सुधार करता रहता है। मंत्रालय राज्य सरकारों को अर्द्ध सैनिक बलों की सेवाएं उपलब्ध कराके बड़े पैमाने पर जनशक्ति उपलब्ध करा रहा है। अर्द्ध सैनिक बलों की संख्या को बढ़ाने और उन्हें आधुनिक हथियार, संचार प्रणाली इत्यादि प्रदान करने के अलावा, वह पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्यों की सहायता भी कर रहा है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु वार्षिक आबंटन की राशि को दस वर्षों के लिए 200 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 1000 करोड़ रु0 कर दिया गया है। उग्रवाद/आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद आदि से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके केन्द्र उग्रवाद और हिंसा के खतरों से कारगर रुप से निपटने के लिए राज्यों की मदद करके दूसरे ढंग से भी उनकी सहायता करता है। आतंकवाद/उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु पड़ोसी देशों की सहायता लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास, विधायी समर्थन और कानूनी कार्रवाई जैसे आतंकवाद निवारण अधिनियम को पारित करने

और विधिविरुद्ध संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए समन्वय केन्द्र (इसमें और ज्यादा राज्यों को शामिल करने के लिए जिसका विस्तार किया गया है) का गठन करना, आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान करना, अपराध की वैज्ञानिक जांच करने के कार्य में राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण और सहायता देना आदि कुछेक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो केन्द्र द्वारा किए जाते हैं।

1.29 आंतरिक सुरक्षा पर मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा आसूचना तंत्र, सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में व्यापक सुधार किया गया है। मंत्रालय में एक नया प्रभाग, अर्थात सीमा प्रबंधन प्रभाग बनाया गया है जिसका शीघ्र ही सीमा प्रबंधन विभाग के रुप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

1.30 भारत सरकार आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या को जड़ से उखाड़ने और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए सदैव ही कृतसंकल्प रही है। आतंकवादियों और हमारे पड़ोस में उनके आश्रयदाताओं को कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि उनके नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जमीनी स्तर पर प्रतिकारी और जवाबी दोनों तरह की कार्रवाई की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सरकार के इस रुख का समर्थन किया है। आतंकवादी ताकतों के विरुद्ध अकेले ही लड़ने की भारत की घोषणा को पहले ही विश्वव्यापी समर्थन मिला हुआ है।

❑

अध्याय

II

गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

2.1 गृह मंत्रालय कतिपय अत्यन्त महत्व के उन दायित्वों का निर्वहन करता है जो दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं और जटिल होते जा रहे हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची-सूची-।। की प्रविष्टि सं. 1 और 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का उत्तरदायित्व है । साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जा रहा है । इन दायित्वों के अनुसरण में, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा के बिना, सुरक्षा, शांति और सदभावना को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को जनशक्ति, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा विशेषज्ञता प्रदान करता है ।

2.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग है:

(क) आंतरिक सुरक्षा विभाग, पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास संबंधी कार्य देखता है;

(ख) राज्य विभाग, केन्द्र राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले देखता है;

(ग) राजभाषा विभाग, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है ;

(घ) गृह विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना आदि का कार्य देखता है; और,

(ङ) जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग, जम्मू व कश्मीर राज्य से संबंधित सभी संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है, सिवाय उन मामलों के जो विदेश मंत्रालय से संबंधित होते हैं ;

2.3 सीमाओं के प्रबन्धन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय में एक सीमा प्रबन्धन विभाग के गठन का काम चल रहा है ।

2.4 राजभाषा विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है और इसका अलग से एक सचिव है । अतः गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इस विभाग के कार्यकलाप नहीं दिए गए हैं । आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग तथा गृह विभाग पृथक रूप में कार्य नहीं करते हैं । ये सभी विभाग गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर जुड़े हुए हैं ।

2.5 गृह मंत्रालय का प्रमुख कार्य है देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखना जिसके कई आयाम हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्वों में व्यापक विषय शामिल हैं जैसे केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, केन्द्र राज्य संबंध, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन तथा उनके कल्याण के लिए अन्य योजनाएं, विस्थापितों का पुनर्वास, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इत्यादि ।

2.6 किसी भी संस्था के संगठनात्मक ढांचे को उसकी अपेक्षाओं के अनुरुप सक्रिय रहना पड़ता है। ये अपेक्षायें बदलती रहती है । इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछेक प्रभागों का विलय किया गया और कुछ नए प्रभागों का गठन किया गया ताकि नए विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। जिन नए प्रभागों का गठन किया गया उनके नाम हैं - सीमा प्रबन्धन प्रभाग, आपदा प्रबन्धन प्रभाग और नीति नियोजन प्रभाग। शीघ्र ही मीडिया प्रबन्धन प्रभाग गठित किए जाने का प्रस्ताव है ।

2.7 गृह मंत्रालय के वर्तमान प्रभागों की सूची उनके प्रमुख कार्य-क्षेत्रों के साथ, नीचे दी गई है:

सी0 एस0 प्रभाग:

यह प्रभाग, केन्द्र राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध स्थिति पर निगरानी रखना, इत्यादि शामिल हैं ।

आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग:

यह प्रभाग, विभिन्न गुटों/उग्रवादी संगठनों की विघटनकारी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है।

पुलिस प्रभाग:

यह प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के काडर नियंत्रण का कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त अर्ध सैनिक बलों की तैनाती और उनसे संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

यू.टी. प्रभाग:

यह प्रभाग, दिल्ली सहित संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भा.पु. सेवा/भा.प्र. सेवा के ए.जी.एम.यू. संवर्ग और दानिक्स/दानिप्स के कार्डर नियंत्रण का कार्य देखता है। संघ शासित क्षेत्रों में अपराध स्थिति पर नजर रखने के लिए भी यह उत्तरदायी है।

एन.ई.प्रभाग:

यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें विद्रोह से संबंधित मामले और उस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत करना शामिल है।

जम्मू और कश्मीर प्रभाग:

यह प्रभाग, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 सहित संवैधानिक मामलों जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेवार है।

विदेशी प्रभाग:

यह प्रभाग, विदेशी विषयक अधिनियम और पारपत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग आप्रवासन ब्यूरो को भी नियंत्रित करता है।

स्वतंत्रता सैनानी और पुनर्वास प्रभाग:

यह प्रभाग, स्वतंत्रता सैनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंका शरणार्थियों और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

मानवाधिकार प्रभाग :

यह प्रभाग, मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण और राष्ट्रीय एकता और अयोध्या कार्य से संबंधित मामले को भी देखता है ।

आपदा प्रबन्धन प्रभाग:

अब से यह नव गठित प्रभाग प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा (सुरक्षा और महामारियों को छोड़कर) घटनाओं में राहत उपायो को समन्वित करने के लिए जिम्मेवार होगा ।

सीमा प्रबन्धन प्रभाग:

इस प्रभाग को हाल ही में स्थापित किया गया है । यह भू-सीमा और तटीय रेखा के प्रबन्धन से संबंधित मामलों को देखता है ।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग:

यह प्रभाग, राज्य पुलिस के आधुनिकीरण, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस सुधार, पुलिस प्रशिक्षण और विशिष्ट व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था करने/प्रापण से संबंधित सभी मुद्दो को देखता है ।

नीति नियोजन प्रभाग:

यह एक नव गठित प्रभाग है जो आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंधों, द्विपक्षीय सहायता सन्धियों और इनसे सम्बन्धित कार्य मदों के बारे में नीति निर्धारण से सम्बन्धित मामलों को देखता है ।

वित्त प्रभाग:

यह प्रभाग, एकीकृत वित्त स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालय के बजट को तैयार करने, संचालित करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है ।

न्यायिक प्रभाग:

यह प्रभाग, भा.दं.सं./दं.प्र.सं. और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से सम्बन्धित सभी मामलों को देखता है, यह राज्य विधायनों, संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति से सम्बन्धित मामलों को भी देखता है ।

प्रशासनिक प्रभाग:

यह प्रभाग गृह मंत्रालय के सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेवार है और पद्म पुरस्कार, झंडा संहिता, राष्ट्र गौरव अवमानना अधिनियम और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को भी देखता है।

2.8 गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट संलग्न है (अनुलग्नक-I)।

2.9 गृह मंत्रालय में (राजभाषा विभाग को छोड़कर) कार्य कर रहे मंत्रियों, सचिव, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

अनुलग्नक

गृह मंत्रालय में मंत्रियों , सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों एवं संयुक्त सचिवों की सूची

श्री एल0 के0 आडवाणी	**उप प्रधान मंत्री**
श्री सीएच0 विद्यासागर राव	**राज्य मंत्री**
श्री आई. डी. स्वामी	**राज्य मंत्री**
श्री एन. गोपालास्वामी	**गृह सचिव**
श्री आर.सी.ए. जैन	**सचिव, (सीमा प्रबन्धन विभाग)**
श्री ए0 के0 भंडारी	**विशेष सचिव**
श्री आर0 के0 शर्मा	**विशेष सचिव**
श्री देव स्वरूप	**अपर सचिव**
श्री कंवर प्रसाद सिंह	**अपर सचिव**
श्री ए0 के0 जैन श्री अखिल कुमार जैन श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव श्री दुर्गादास गुप्ता श्री हरमिन्दर राज सिंह श्री एल.सी. गोयल श्री के.एस. रामासुब्बन श्री एन0 ए0 विश्वनाथन श्री पी0के0 जलाली श्री प्रवीण श्रीवास्तव श्री राजीव अग्रवाल श्री आर0 के0 सिंह श्री राकेश हूजा श्री एस0 के0 चट्टोपाध्याय श्री शारदा प्रसाद श्री यशवन्त राज	**संयुक्त सचिव**

अध्याय

III

आन्तरिक सुरक्षा

3.1 पिछले कुछेक वर्षों से आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यधिक नाजुक अंग बन कर उभरी है। वर्ष 2002 के दौरान देश में राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारणों में, जम्मू और कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह संबंधी हिंसा, 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद और देश के विभिन्न भागों में पाक आई.एस.आई. द्वारा समर्थित विघटनकारी और जासूसी की घटनाएं शामिल हैं। आन्तरिक सुरक्षा को बहुविध खतरों में से, आतंकवाद ने सभ्य समाज और प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को शायद सबसे अधिक गंभीर खतरा उत्पन्न किया है। आन्तरिक सुरक्षा के लिए वर्तमान और उभरती हुई चुनौतियों और सामरिक महत्व के खतरों, जिनका अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय विस्तारण तो है ही साथ ही वे बदलते रहते हैं और बाहर से समर्थित हैं, से निपटने में स्थानीय कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई परम्परागत प्रणाली कारगर सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान और उभरती हुई आन्तरिक सुरक्षा स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, सहित नया तंत्र बनाने और पहलें करने की लगातार कोशिश की जाती है। इस अध्याय में, देश में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति के इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है :

जम्मू और कश्मीर में स्थिति

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

3.2 भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ भी विलय के लिए ब्रिटिश भारत के सभी रजवाड़ों के लिए निर्धारित कानूनी ढांचे के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्तूबर, 1947 को विलय सहमति दस्तावेज पर बिना शर्त हस्ताक्षर करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर भारत संघ का अभिन्न अंग बन गया था। विलय दस्तावेज, जम्मू और कश्मीर सहित ब्रिटिश भारत के सभी रजवाड़ों के लिए समान था। हालांकि, कानूनी ढांचे में, भारत या पाकिस्तान में विलय के संबंध में रजवाड़ों द्वारा लिए गए विलय-निर्णय पर इसकी जनता से स्वीकृति लेने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जम्मू और कश्मीर के भारत में अंतिम और कानूनी रुप से परिपूर्ण विलय को, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व के माध्यम से राज्य के लोगों का भरपूर समर्थन मिला। हालांकि विलय के लिए यह पूर्व शर्त नहीं थी, फिर भी बाद में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने इसका पुन: समर्थन किया।

3.3 पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के भारत में विलय को मानने से इन्कार करने के कारण, उसने 1947 में एक सशस्त्र हमला किया जिसके परिणामस्वरुप राज्य के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया जो आज तक उसके अवैध कब्जे में है। वास्तविकता को स्वीकार न करने और जम्मू और कश्मीर को बलपूर्वक भारत से छीनने की पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा के कारण 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए और पाकिस्तान को अपने पूर्वी-इलाके, जो एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना, को गंवाने के कलंक सहित दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि जम्मू और कश्मीर को बलपूर्वक छीनना सम्भव नहीं है। तद्नुसार उसने अपनी रणनीति बदली और राज्य में आतंकवाद को प्रायोजित करके अघोषित युद्ध का कार्यक्रम चलाया, प्रारम्भ में, असन्तुष्ट स्थानीय युवकों को गुमराह और संगठित करके और बाद में सुप्रशिक्षित और धार्मिक कट्टरपंथी भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा।

3.4 पाकिस्तान ने 1989 में, स्थानीय जनता को विद्रोह के लिए उकसाया। अफगान अनुभव, जिसने स्वनिर्मित प्रशिक्षित जनशक्ति आधार उपलब्ध कराया और पश्चिमी और चीनी, दोनों स्त्रोतों से, शस्त्रों की सुगम आपूर्ति ने पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को

प्रायोजित करना और आसान बना दिया। उग्रवादी संगठनों जिन्होंने सोवियत सेना के विरुद्ध अफगान संग्राम में भाग लिया था, की मदद से पाकिस्तानी स्थापना ने आतंकवाद का एक नया रुप तैयार किया जिसे जम्मू और कश्मीर में प्रयोग किया गया। 1990 से लेकर 10,500 से अधिक निर्दोष सिविलियन मारे गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपना अघोषित युद्ध जारी रखा है। जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा 1996 और 1998 में संसदीय चुनावों और 1996 और 2002 में राज्य विधान सभा चुनावों में और 2000 में पंचायती चुनावों में, लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने हेतु मजबूर करने के लिए आतंकवादियों के प्रयासों के बावजूद, जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा प्रजातंत्र के पक्ष में मतदान करने के बावजूद और आतंकवादी हिंसा के प्रति उनका मोहभंग हो जाने का संकेत मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर की राज्य शासन प्रणाली में व्यवधान डालने के प्रयास करने की अपनी नीति नहीं बदली। पाकिस्तान जिस उग्रवादी इस्लामी ढांचे को जम्मू और कश्मीर पर थोपना चाहता है, वह कश्मीरी विशिष्ट स्वभाव, जो इस्लाम के सूफी मत से उत्पन्न सहनशीलता और आपसी भाई-चारे का रहा है और जिसे कश्मीरियत के नाम से भी जाना जाता है, के बिल्कुल विरुद्ध है, यही कश्मीर की विरासत है।

3.5 लोगों की इच्छा को जानने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प अब व्यवहारिक नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान ने, हमले द्वारा अधिकृत भू-क्षेत्र से वापस हटने की पूर्व-शर्त को पूरा नहीं किया। वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प में, युद्धविराम करने, जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व रजवाड़े के भू-भाग से सभी पाकिस्तानी रेगुलर और इरेगुलरों को वापस हटाना (जिसका अनुसरण अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तरी क्षेत्र पर अवैध कब्जा बनाए हुए है) और उसके बाद यू.एन.सी. आई.पी. को पाकिस्तान द्वारा पूर्ण रुप से पीछे हटने को प्रमाणित करना, भारतीय सेना में, कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त स्तर तक कमी करने की मांग की गई थी। उपर्युक्त बातों को पूरी तरह कार्यान्वित करने की दशा में ही लोगों की इच्छाओं के संदर्भ पर विचार किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारम्भिक शर्तों को मानने में पाकिस्तान की असफलता और 1965 और 1971 में थोपे गए युद्धों द्वारा यथास्थिति को बदलने के दो प्रयासों और बाद में 1972 के शिमला समझौते, जिसमें भारत और पाकिस्तान इस पर सहमत हुए थे कि जम्मू और कश्मीर के मामलों (अन्य मुद्दों के साथ) को द्विपक्षीय बातचीत से निपटाया जाएगा, के बाद भी पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को लागू करने की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कश्मीर कोई इस्लामी मुद्दा नहीं है और द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त अप्रासंगिक हो गया है।

जम्मू और कश्मीर पर सरकारी नीति

3.6 सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ मिलकर बहु-आयामी रणनीति का अनुसरण कर रही है :

(i) सीमा पार से आतंकवाद से प्रतिकारी रुप से निपटना ;

(ii) आर्थिक विकास को तेज करना और लोगों की शिकायतों को दूर करना और

(iii) जम्मू और कश्मीर में सभी ग्रुपों, जो हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं और ऐसी बातचीत के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, के साथ बातचीत करने के रास्ते खुले रखना

3.7 भारत हमेशा यह कहता और दोहराता आया है कि सभी समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण उपायों से ही हो सकता है और उसी के अनुरुप सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विभिन्न संगठनों/लोगों के वर्गों से बातचीत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद की स्थिति

3.8 अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा पाकिस्तान को सीमा-पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और 12 जनवरी, 2002 और 27 मई 2002 को मुशर्रफ द्वारा तदनुसार की गई घोषणा के बावजूद 2002 में पाक समर्थित उग्रवाद बढ़ा है और राज्य विधान सभा के चुनावों के दौरान इसे विशेष रुप से देखा गया।

3.9 पाक आई.एस. आई. समर्थित उग्रवादियों ने कश्मीरी लोगों और राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत क्षति पहुंचाई है। उग्रवादियों ने सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को भी नहीं छोड़ा है। जिसका ब्यौरा आगे दिया गया है :

उग्रवादियों द्वारा नष्ट की गई सम्पत्ति

वर्ष	कुल घटनाएं	सरकारी इमारतें	शैक्षिक इमारतें	निजी मकान	पूल	दुकानें	अस्पताल
1990	646	501	129	1242	172	202	0
1991	391	45	24	819	24	83	0
1992	564	65	57	2312	28	200	0
1993	662	98	46	1110	34	400	0
1994	606	172	119	666	46	162	4
1995	688	127	133	1814	16	402	2
1996	482	52	68	602	2	161	3
1997	259	13	11	437	5	67	1
1998	177	13	15	273	1	66	0
1999	136	7	9	284	2	6	0
2000	129	14	6	330	1	107	0
2001	274	30	16	419	2	77	1
2002	255	14	10	421	4	20	0
कुल	**5268**	**1151**	**643**	**10729**	**337**	**1953**	**11**

3.10 आतंकवादियों और सीमा पार के उनके आकाओं द्वारा इस आशय के प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंसा तेज की जाए ताकि राज्य में राजनीतिक और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने की कोशिश को समाप्त किया जा सके। इसे नीचे दी गई घटनाओं के ब्यौरे से देखा जा सकता है :

3.11 नीचे दी गई सारणी में 1990 से 2002 और 2003 के प्रथम एक और दो महीनों के दौरान हुई घटनाओं, मारे गए सिविलियनों, सुरक्षा बल कार्मिकों और आतंकवादियों की संख्या का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है।

हिंसा की घटनाएं

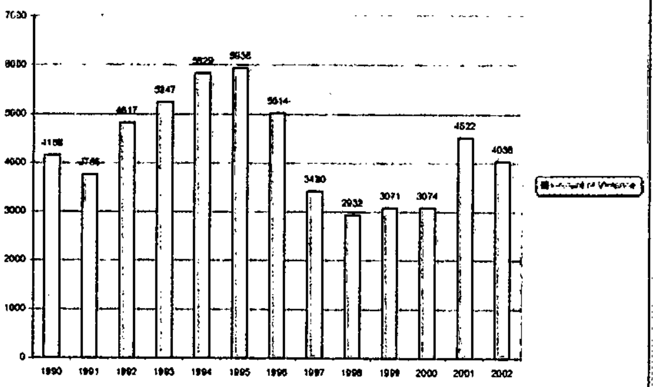

1990 से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003[ख]	1990 से 2003 तक[ख]
घटनाओं की संख्या	4158	3765	4817	5247	5829	5938	5014	3420	2932	3071	3074	4522	4038	434	56259
मारे गए सिविलियन[क]	461	382	634	747	820	1031	1341	971	889	873	847	996	1008	92	11092
मारे गए सुरक्षाकर्मी	155	173	189	198	200	237	184	193	236	355	397	536	453	31	3537
मारे गए उग्रवादी	550	844	819	1310	1596	1332	1209	1075	999	1082	1520	2020	1707	173	16236
मारे गए विदेशी उग्रवादी	14	12	14	90	122	85	139	197	319	305	436	625	508	44[ग]	2910[ग]

[क]विशेष पुलिस अधिकारी और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य सम्मिलित हैं। [ख]फरवरी, 2003 तक। [ग]जनवरी, 2003 तक

3.12 जैसाकि पहले बताया गया है 1996 में राज्य में विधान सभा चुनाव के बाद पाकिस्तान ने राज्य में भाड़े के विदेशी उग्रवादियों को भेजने की बेतहाशा कोशिश की ताकि जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके । इसी प्रकार से, राज्य विधान सभा चुनाव 2002 (अगस्त से 8 अक्तूबर तक की अवधि) के दौरान, हिंसा में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई, विशेष रुप से राजनैतिक व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसे अधिकतर विदेशी आतंकवादियों ने अंजाम दिया । जम्मू और कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों में उल्लेखनीय संख्या भाड़े के विदेशी सैनिकों की है, जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ से देखा जा सकता है ।

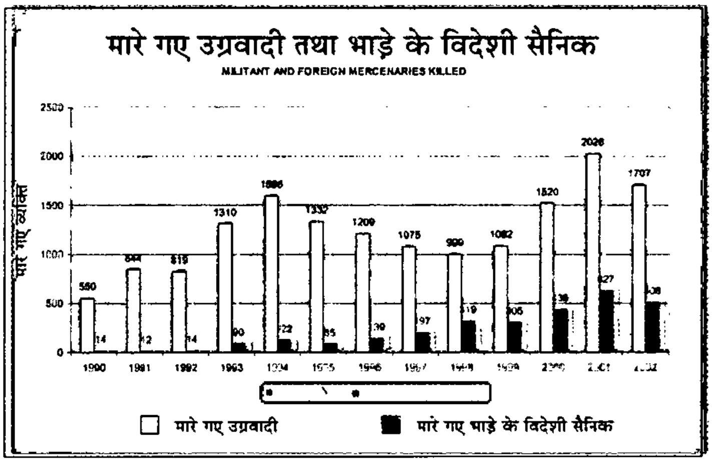

3.13 कश्मीर में पाकिस्तान की आई.एस. आई. द्वारा चलाए जा रहे सीमा पार से आतंकवाद का शमन करने के लिए सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करना, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारात्मक कार्रवाई करना, आसूचना प्रणाली को अधिक सक्षम बनाना, यू.एच.क्यू. के आसूचना समूहों और प्रचालन समूहों के संस्थागत ढांचे के जरिए विभिन्न स्तरों पर अधिकाधिक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए विकसित तकनीक हथियार और उपकरण तथा देश में आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शामिल है ।

3.14 तदनुसार, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं आंतकवाद विरोधी ग्रिड को सुदृढ़ करना, जम्मू-कश्मीर पुलिस को आधुनिक बनाना तथा उसे सुदृढ़ करना, ग्राम रक्षा समितियों को सशक्त बनाना, कार्रवाई करने योग्य आसूचना पर आधारित सटीक आतंकवाद विरोधी आपरेशन चलाना, उन क्षेत्रों के सुरक्षा कवर को सुदृढ़ करना जहां सिक्खों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, कुशल प्रचालन के लिए आतंकवाद विरोधी ग्रिड को सैक्टरों में विभाजित करना तथा बेहतर सीमा प्रबंधन के जरिए घुसपैठ पर नियंत्रण लगाना । राज्य पुलिस ने अन्य सुरक्षा बल कार्मिकों के साथ परामर्श करके फिदायीन हमलों से उपयुक्त और कारगर ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की फील्ड यूनिटों के लिए कुछेक मानक कार्य तैयार किए हैं ।

3.15 आतंकवादियों की हमेशा नई-नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीति, युद्ध कौशल और सचल बलों की तैनाती की संयुक्त मुख्यालय तथा राज्य में प्रचालन समूहों के विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा, परिष्करण और मॉनिटरिंग की जाती है । घुसपैठ रोकने, दूर-दराज के क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यकों की आबादी वाले और बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों एवं धार्मिक स्थानों की रक्षा करने तथा आतंकवाद कार्रवाइयों के लिए उपयुक्त रणनीतियां बनाई जाती हैं तथा उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

जम्मू और कश्मीर में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य

3.16 वर्ष 2002 का अन्त होने जा रहा है, हाल ही में सम्पन्न सफल विधान सभा चुनावों से जम्मू और कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने की दिशा में काफी उम्मीदें जगीं हैं । राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों के बाद प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और इसके संस्थानों में लोगों का विश्वास बहाल हुआ है । केन्द्र सरकार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु भारत के निर्वाचन आयोग को सभी प्रकार की मदद उपलब्ध कराई और इस चुनाव को पाकिस्तान को छोड़कर सभी ने मान्यता दी है । बड़ी संख्या में हुए मतदान से स्पष्टत: यह पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर के लोग हिंसा से तंग आ चुके हैं और वे शांति और सामाजिक आर्थिक विकास चाहते हैं ताकि राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ सकें । दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद में कोई ढिलाई देने का इच्छुक नहीं है और इस निरर्थक उम्मीद में कि अन्तत: इससे उसे फायदा होगा, आतंकवाद को चलाए रखना चाहता है । हाल

ही में, पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा अपनी जड़ें जमाने जैसा कि हाल के चुनावों में दिखाई दिया और कश्मीर पर अपनाए जा रहे कट्टर रुख की हिमायत करने जैसे विक्षुब्ध करने वाले संकेत पूरी दुनिया के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। कट्टरपंथी मत शिक्षण से प्रोत्साहित पेन इस्लामिक ग्रुप और अलगाववाद समर्थक तत्वों द्वारा राज्य में एक-दूसरे की सहायता करने से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को एक नया आयाम मिला है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं जो इस समय जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के स्वरुप को प्रभावित करती है।

3.17 वर्ष 2002, जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी हिंसा उसी उच्चतम रफ्तार के साथ शुरु हुई। राज्य में हुई 4038 हिंसा की घटनाओं में 1008 सिविलियन और 453 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए। हालांकि आतंकवादी हिंसा, में वर्ष 2001 की समकालीन अवधि की तुलना में जनवरी-फरवरी 2002 में थोड़ी कमी आयी है लेकिन यह मार्च 2002 के बाद से पुन: बढ़ गई। राज्य विधान सभा चुनाव के दौरान, जम्मू और कश्मीर राज्य में आम जनता को आतंकित करने और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, जिसके प्रति लोगों ने अत्यधिक उत्साह दिखाया, में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से अगस्त-अक्तूबर, 2002 की अवधि के तीन महीनों के दौरान आतंकवादी गुटों ने हिंसा में पर्याप्त वृद्धि की।

3.18 पाकिस्तान में हुए घटनाक्रम से यह भी पता चलता है कि आतंकवाद के समर्थन में लाँचिंग स्टेशन, संचार केन्द्र, प्रशिक्षण शिविर और अन्य मूलभूत संरचना उपलब्ध कराने के खिलाफ कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं की गई।

3.19 राज्य में आतंकवादियों द्वारा की गई प्रमुख हत्याओं, अर्थात कालूचक (14 मई, 2002, 30 मारे गए, 49 जख्मी हुए), राजीव नगर, जम्मू (13 जुलाई, 2002, 28 मारे गए, 27 जख्मी हुए), और अनन्तनाग में नुनवान (अमरनाथ यात्री) (6 अगस्त, 2002, 9 मारे गए, 3 जख्मी हुए) की इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार सभी उग्रवादी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी, जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर भी आतंकवादी कार्रवाईयों में संलिप्त थे, जैसे जम्मू और कश्मीर विधान सभा (अक्तूबर, 2001) पर हमले के अलावा कोलकाता में अमेरिकी कन्सुलेट और संसद पर हमला (13 दिसम्बर, 2001)।

3.20 जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा सीमा पार से आतंकवाद मुद्दे पर दिया गया आश्वासन (12 जनवरी और 27 मई, 2002) निभाया नहीं गया। घुसपैठ के संबंध में तथा शस्त्रों और गोलाबारुद की आपूर्ति के बारे में पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुपों की अवसंरचना ज्यों की त्यों बनी रही, हालांकि घुसपैठ में हल्की सी कमी आई। संचार केन्द्र प्रचालनात्मक बने रहे और प्रशिक्षण शिविरों को छलपूर्वक बदल दिया गया है। आतंकवादी ग्रुपों को धन देने का कार्य भी जारी है।

(i) घुसपैठ

3.21 राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ द्वारा दिए गए आश्वासन (27 मई, 2002) के बाद घुसपैठ में जून 2002 और जुलाई 2002 में प्रत्यक्ष कमी आने के बाद अगस्त 2002 में इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे यह सिद्ध होता है कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था जबकि वास्तव में, जेहादी ग्रुपों के लिए इसका समर्थन अबाध रुप से जारी रहा।

3.22 घुसपैठ में बढ़ोत्तरी, जम्मू और कश्मीर में चुनावों में विघ्न डालने के लिए आतंकवादी काडर की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से हुई

(ii) संचार तंत्र

3.23 आतंकवादी संचार तंत्र को उखाड़ने के मुशर्रफ के आश्वासन के बावजूद, पाक अधिकृत कश्मीर में मूलभूत ढांचा बना रहा। हाल में प्राप्त आसूचना से पता चला है कि आतंकवादी काडरों द्वारा संचार की एक सुरक्षित विधि विकल्प के रुप में सेटेलाईट फोन का प्रयोग किया जा रहा है।

3.24 पकड़े गए सिग्नलों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर स्थित कम्यूनीकेशन कंट्रोल, आतंकवादियों को रणनीतिक और सामरिक दिशा निर्देश भेजता है, संभारिकी का समन्वय, आपरेशन योजना का निष्पादन करता है तथा अपने धार्मिक नेताओं के उत्तेजनात्मक भाषणों का प्रसारण करता है।

(iii) आतंकवादी संगठनों को धन उपलब्ध कराना

3.25 पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को हवाला (गैर-बैंकिग माध्यम) सहित विभिन्न माध्यमों से धन

देता रहा है। पिछले कुछ महीनों में अनेक मामले पकड़े गए और उनकी जांच-पड़ताल की गई, जिनसे आतंकवादी संगठनों को धन देने में पाकिस्तान की संलिप्तता का संकेत मिलता है।

(iv) विधान सभा चुनावों में विघ्न डालने वाले तत्वों को पाकिस्तान का समर्थन

3.26 राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की भावी रणनीति का संकेत उस समय दे दिया था जब उन्होंने आल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस (22 जून) की पाक अधिकृत कश्मीर स्थित यूनिट और यूनाईटेड जेहाद काऊन्सिल (25 जून) के सदस्यों को जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों को भंग करने के निदेश दिए थे। इस बात पर जोर देते हुए कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कश्मीर के लोग चुनाव का बहिष्कार करें ताकि भारत द्वारा प्रायोजित चुनावों में उनका अविश्वास प्रदर्शित हो, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने आल पार्टी हूर्रियत कान्फ्रेन्स के नेताओं से, अपने एजेंडे के लिए लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियां तेज करने का आग्रह किया। पाक/पाक अधिकृत कश्मीर स्थित अलगाववादी नेता, जम्मू और कश्मीर में अपने ही जैसे तत्वों के साथ बातचीत के दौरान यही संदेश देते रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में अशान्त क्षेत्र

3.27 राज्य सरकार (राज्यपाल) ने दिनांक 6 जुलाई, 1990 की पूर्व अधिसूचना के तहत जम्मू डिविजन के राजौरी और पूंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ केवल 20 कि.मी. पट्टी श्रीनगर, बड़गांव, अनन्तनाग, पुलवामा, बारामूला और कुपवाड़ा नामक 6 जिलों को सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया था। मामले की समग्र रुप से पुनरीक्षा करने के बाद राज्य सरकार (राज्यपाल) ने दिनांक 10.8.2001 की अधिसूचना के जरिए कश्मीर डिवीजन के 6 जिलों के अलावा सम्पूर्ण जम्मू डिवीजन को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया है। तदनुसार अब सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत अब निम्नलिखित क्षेत्र अशान्त क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किए गए हैं :-

"जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, पुंछ, राजौरी एवं डोडा तथा श्रीनगर, बडगांव, अनन्तनाग, पुलवामा, बारामूला एवं कुपवाड़ा जिले"

एकीकृत मुख्यालय, प्रचालन और आसूचना समूह प्रणाली

3.28 जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में शामिल विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सुरक्षा संबंधी प्रचालन को सहक्रियात्मक बनाने के उद्देश्य से 1996 में श्रीनगर और जम्मू में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत मुख्यालय यू.एच.क्यू. स्थापित किए गए हैं। ये एकीकृत मुख्यालय जम्मू और कश्मीर में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। एकीकृत मुख्यालय मूल रुप से आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए राज्य स्तर की समन्वय समितियां हैं और इसमें मुख्यसचिव, जम्मू एवं कश्मीर, सुरक्षा सलाहकार जो सेना के कोर कमांडर हैं, जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्य सचिव(गृह) जम्मू और कश्मीर सरकार और राज्य सरकार के उच्च स्तर के अधिकारी, जम्मू और कश्मीर में तैनात केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और आसूचना एजेंसियों के उच्च अधिकारी शामिल हैं।

3.29 एकीकृत मुख्यालयों द्वारा यथा निर्धारित आपरेशनल मामलों में समन्वित निर्णय लेने के लिए संबंधित कोर कमांडर (राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार) की अध्यक्षता में प्रत्येक एकीकृत मुख्यालय का एक आपरेशन ग्रुप या कोर ग्रुप भी गठित है। राज्य में निचले स्तरों पर भी ऐसे ही आपरेशन ग्रुप और आसूचना ग्रुप हैं।

3.30 गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (जे.के.ए.) की अध्यक्षता में एक आपरेशन ग्रुप भी है जो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की सावधिक पुनरीक्षा, वहां केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और आंतरिक सुरक्षा संबंधी आपरेशनों का समन्वय करता है। इस ग्रुप में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, अर्ध सैनिक बलों, सेना, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और आसूचना एजेन्सियों आदि के अधिकारी शामिल हैं। इसी प्रकार गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (जेकेए) के अधीन एक आसूचना ग्रुप भी है। ये दोनों ग्रुप 1998 में गठित किये गये थे।

गुटों को प्रतिबंधित करना

3.31 6 गुटों नामत: जेश-ए-मोहम्मद (जे.ई.एम.), लश्कर-

ए-तैयबा (एल.ई.टी.), हिजबुल मुज्जाहिद्दीन (एच.एम.), हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एच.यू.एम.), अल-उमर-मुज्जाहिद्दीन(ए.यू.एम.) तथा जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जे.के. आई.एफ.) को आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 की सं. 9) की धारा 18 के अन्तर्गत 24 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना के तहत पहले ही "आतंकवादी संगठन" घोषित कर दिया गया था। इन गुटों को, आतंकवाद निवारण (द्वितीय) अध्यादेश, 2001 (2001 की सं0 12) की धारा 12 के अन्तर्गत 30.12.2001 की अधिसूचना के तहत पुन: "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया। बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर संसद के अधिनियम द्वारा, आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2000 (2002 की सं0 15) लाया गया जो 28 मार्च, 2002 से प्रभावी हुआ। इन सभी गुटों को इस अधिनियम के अन्तर्गत भी "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया। बाद में अल-बदर और जमायते उल-मुज्जाहिद्दीन (जे.यू.एम.) को दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना के तहत तथा दुख्तरान-ए-मिल्लत (डी.ई.एम.) को 24 जून, 2002 की अधिसूचना के तहत "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया। इस प्रकार आज की तारीख तक जम्मू और कश्मीर में सक्रिय 9 गुटों को "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है।

विधान सभा चुनाव 2002

3.32 जम्मू और कश्मीर की नई विधान सभा गठित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने 2 अगस्त, 2002 को चुनावों की घोषणा की तथा जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनाव 2002 के लिए चुनाव चार चरणों में किए गए। निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग, भारत सरकार तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यापक कदमों और सुनियोजित और प्रभावी सुरक्षा बंदोबस्त के कारण, मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। चुनाव हर प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं था और न ही लोगों को मतदान करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा जोर-जबरदस्ती करने का आरोप।

आतंकवादी खतरे की तुलना में प्रजातांत्रिक अधिकारों का दावा: सिंहावलोकन

3.33 चुनाव, आतंकवादी ग्रुपों से खतरे और अलगाववादी ग्रुपों द्वारा किए गए बहिष्कार के आह्वान की छाया में हुए। स्थानीय आतंकवादियों और अलगाववादियों में उदारवादियों ने चुनावों में भागीदारी का पक्ष लिया। तथापि, उन पर चुनाव प्रक्रिया का समर्थन न करने के लिए हमेशा दबाव बना रहा, और यहां तक कि उनके जीवन को भी खतरा था। उन पर ऐसा करने के लिए इसलिए दबाव डाला गया कि पाकिस्तान को यह डर था कि यदि लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे तो सभी को प्रत्यक्षत: यह दिखायी देगा कि कश्मीरियों की अपनी सरकार है और यदि कोई आन्तरिक समस्याएं हैं तो उन्हें दूर कर उन पर विचार कर लिया गया है। जम्मू और कश्मीर में व्याप्त सुरक्षा स्थिति ने आम जनता की प्रजातांत्रिक उम्मीदों और इच्छाओं को दबाने के लिए पाक आई.एस. आई. समर्थित आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों की चुनौतियों को सभ्य समाज के समक्ष उजागर किया है। इस बार भी राज्य के लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में भाग लेकर आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों को विफल किया है ताकि भविष्य में हिंसा की कोई गुंजाइश न रहे।

3.34 हाल ही में सम्पन्न चुनाव प्रक्रिया से अत्यधिक आवश्यक राजनैतिक प्रवाह को बनाने में मदद मिली और जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। लोगों का उत्साह अलगाववादी कुप्रचार ओर बंदूकों के डर पर भारी पड़ा। स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के हमारे प्रयासों को विश्व समुदाय सहित सभी ने व्यापक रुप से स्वीकार किया है। सामान्य हालात बहाल करने के लिए लोगों की चिर-आकांक्षा को छिन्न-भिन्न करने के पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों के बावजूद सरकार तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपने न्यायोचित प्रजातांत्रिक साधनों के जरिए नए युग में प्रवेश करने की सफलतापूर्वक कोशिश की जो जम्मू और कश्मीर के लिए एक मोड़ सिद्ध हो सकता है। स्थिति एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ लेने के तरफ बढ़ रही है, जहां से सभी संबंधितों द्वारा राजनैतिक निष्ठा के माध्यम से राज्य का भविष्य तय होगा।

3.35 अगस्त 2002, जब से जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई थी, राज्य में आतंकवादी हिंसा में बढ़ोत्तरी हुई। तब से और चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगभग 261 सिविलियनों और 150 सुरक्षा बल कार्मिकों की जानें गई। इसके

अलावा, इस अवधि के दौरान आतंकवाद संबंधी घटनाओं में 48 राजनैतिक नेता/कार्यकर्ता भी मारे गए। शेख अब्दुल रहमान, स्वतंत्र उम्मीदवार और उनके तीन कार्यकर्ता पहले शिकार बने उसके बाद 11 सितम्बर, 2002 को लोलाब में श्री मुश्ताक अहमद लोन, भूतपूर्व कानून मंत्री की हत्या की गई। लगभग 707 उम्मीदवारों ने 87 विधान सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा।

3.36 चुनाव बाद के परिदृश्य में, निर्वाचित उम्मीदवारों की सुरक्षा मुख्य विषय बन गया है। लगभग 67 नए उम्मीदवार राज्य विधान सभा के लिए चुने गए। इनमें से 52 सदस्य आतंकवाद से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों से हैं और इसलिए उन्हें उच्च स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध करानी है।

3.37 सभी चारों चरणों के लिए लगभग 44.62 प्रतिशत मतदान हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि सभी पाक स्थित गुटों ने धमकियां दी थी और अगलाववादी गुटों ने चुनाव के बहिष्कार के लिए खुलेआम प्रचार किया था, मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। लोगों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में जम्मू और कश्मीर में विधान सभा चुनाव 2002 में भाग लेने से स्थानीय स्वायत्त शासन में भागीदारी और विकास प्रक्रिया में उनकी अत्यधिक इच्छा प्रकट होती है। यह शांति की चाहत को भी दिखाती है, जिन्होंने आतंकवादी/अलगाववादी गुटों के आह्वान को सीधे-सीधे नकार दिया।

जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना

3.38 जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डा. फारुख अबदुल्ला ने, 11 अक्तूबर, 2002 को मुख्यमंत्री के पद से अपना त्यागपत्र दिया जिसे जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया लेकिन वैकल्पिक सरकार बनने तक उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए कहा गया। तथापि, डा. अबदुल्ला ने 17 अक्तूबर, 2002 अर्थात पुरानी विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख की मध्यरात्रि के बाद से सरकार में बने रहने से मना कर दिया। तद्नुसार जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92(5) की शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा, जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92(1) के तहत एक उद्घोषणा जारी करके 17 अक्तूबर, 2002 की मध्य रात्रि से राज्य सरकार की बागडोर स्वयं सम्भाल ली।

जम्मू और कश्मीर में नई राज्य सरकार का गठन

3.39 9 नवम्बर, 2002 को राज्य में, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुख्य मंत्रित्व में एक लोकप्रिय सरकार ने कार्यभार सम्भाला। नई राज्य सरकार एक गठबंधन सरकार है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल पेंथर पार्टी और आजाद उम्मीदवार शामिल हैं।

चुनाव के बाद हिंसा

3.40 विधान सभा चुनावों के बाद, 9 अक्तूबर, 2002 से 11 नवम्बर, 2002 तक, 33 दिनों की अवधि के दौरान हिंसा में कमी आयी, चुनाव अवधि के दौरान हुई हिंसा की तुलना में आतंकवादी संबंधी हिंसा में लगभग 30% - 40% की कमी आई ।

क्रम सं.	1.8.2002 से 8.10.2002 तक (69 दिनों) चुनावों के दौरान प्रतिदिन का औसत	9.10.2002 से 11.11.2002 (33 दिन) तक चुनावों के बाद प्रतिदिन का औसत
1. घटनाएं	14.81	10.76
2. मारे गए सिविलियन	03.81	02.4
3. मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	02.15	02.1
4. मारे गए आतंकवादी	05.3	05.15

3.41 चुनाव के बाद हुई हिंसा के विश्लेषण से पता चलता है कि चुनाव के दौरान हुई हिंसा की तुलना में आतंकवादी हिंसा में कमी आयी है। पाकिस्तान में अस्थिर राजनैतिक स्थिति, मौसम में बदलाव और सर्दी के कारण मौसम के तेवरों में अपेक्षाकृत बदलाव, नई सरकार के गठन से जनता में उत्पन्न अनुकूल धारणा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित कुछेक उपायों की घोषणा जैसे कई कारणों से कुछ समय तक इस स्थिति के बने रहने की सम्भावना है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति इस समय नाजुक बनी हुई है और इस बात के संकेत हैं कि पाकिस्तानी आका और आतंकवादी ग्रुप जम्मू और कश्मीर में हिंसा जारी रखेंगे।

2002 में (अक्तूबर 2002 तक) प्रमुख आतंकवादी हिंसा की घटनाएं

I. जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हमला

3.42 30 मार्च, 2002 को लगभग 10.20 बजे पूर्वाह्न को रघुनाथ बाजार में दो फिदायीन हमले हुए। एक आतंकवादी ने हथगोला फैंका और अंधाधुंध गोलियां चलायीं। क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिक ने जबावी कार्रवाई की और इस आतंकवादी को मार गिराया, जिससे नुकसान को रोका गया। दूसरा आतंकवादी, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खड़े एस.एस.बी. के जवानों और परिसर में यात्रियों पर गोलियां बरसाता हुआ मंदिर के अन्दर घुसने में कामयाब हो गया। परिणामस्वरुप, एस.एस.बी. के दो जवान, जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक जवान, एक दुकानदार और दो अन्य सिविलियन घटनास्थल पर ही मारे गए। आतंकवादी, रघुनाथ मंदिर के अन्दर स्थित गुरु दित्ता मंदिर में घुस गया और उसने अपने आपको विस्फोटक पदार्थों से उड़ा दिया। आक्रमणकारियों की शिनाख्त नहीं हुई लेकिन उनके, भाड़े के विदेशी सैनिक होने की सम्भावना है। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 9 व्यक्ति मारे गए और 18 व्यक्ति जख्मी हुए, जिनमें से एक की बाद में रात को अस्पताल में मृत्यु हो गई।

II. जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालुचक के नजदीक आतंकवादी हमला

3.43 14 अप्रैल, 2002 को लगभग 0630 बजे सेना की वर्दी में तीन आतंकवादी, जम्मू शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक छोटे शहर बाड़ी ब्रहामना से जम्मू जा रही हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन की बस (एच.पी.-34 ए-1032) में चढ़े। जब बस कालूचक, जम्मू शहर के बाहरी हिस्से में, पहुंची तो उन्होंने बस को रोका और यात्रियों से पिछली सीटों की तरफ जाने को कहा। एक आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे उनमें अनेक मारे गए। जाने से पहले उन्होंने एक हथगोला फेंका जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई। बस से बाहर आने के बाद आतंकवादी, अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए और हथगोले फैंकते हुए, कालूचक के सेना परिसर में स्थित 196 फील्ड रेजीमेन्ट के फैमली क्वाटरों की तरफ भागे। उसके बाद हुई मुठभेड़ में सभी तीनों आतंकवादी मारे गए।

3.44 घटना में, 30 व्यक्ति (3 आतंकवादियों को छोड़कर) मारे गए। बीच में पकड़े गए संदेशों सहित उपलबध सभी संकेतों से घटनाओं में एल.ई.टी. की संलिप्तता का पता चलता है।

III. राजीव नगर, जम्मू में आतंकवादी हमला

3.45 13 जुलाई, 2002 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न को राष्ट्रीय राजमार्ग-1, के नरवाल बाई पास के नजदीक स्थित जम्मू की राजीव नगर बस्ती में आतंकवादियों के एक ग्रुप ने एक पैशाचिक घटना को अंजाम दिया। वे 3 से 5 की संख्या में थे और बताया गया है कि उनमें से तीन को कई व्यक्तियों ने सिविल कपड़े पहने और अपने स्लिगं बेगों में शस्त्र और गोलाबारुद ले जाते हुए देखा था। आतंकवादियों ने पहले हथगोले फैंके और उसके बाद 8-10 मिनट तक स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियाँ चलायी। कुल मिलाकर 28 व्यक्ति मारे गए और 28 अन्य घायल हो गए।

IV अमरनाथ यात्रियों के नुनवान शिविर पर हमला

3.46 6 अगस्त, 2002 को आतंकवादियों ने, अनन्तनाग, पहलगाम के बाहरी इलाके में अमरनाथ यात्रियों के नुनवान शिविर पर

अमरनाथ यात्रा

अंधाधुंध गोलियां चलायी/हथगोले फैंके। इसके परिणामस्वरुप 9 यात्री मारे गए और 27 जख्मी हुए।

राज्य को शक्तियां सौंपना

3.47 जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने, जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता बहाल करने हेतु सुझाव देने के लिए 26 नवम्बर, 1996 में एक समिति गठित की थी। एस.ए.सी. की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने क लिए 19 जून, 2000 से 26 जून, 2000 तक जम्मू और कश्मीर विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया। 26 जून, 2000 को विधान सभा ने यह कहते हुए एक "संकल्प" पारित किया कि :-

"इस माननीय सदन के पटल पर रखी गई राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया और वह उस पर अपनी सहमति प्रदान करती है तथा उसमें दी गई सिफारिशों को स्वीकार करती है और आगे मांग करती है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार सकारात्मक कदम उठाए।"

3.48 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जुलाई, 2000 को आयोजित बैठक में, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पारित संकल्प को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसे स्वीकार करना समय की गति को पीछे मोड़ना होगा और शेष राष्ट्र के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को एक सुर करने की स्वभाविक प्रक्रिया पलट जाएगी तथा जम्मू और कश्मीर पर लागू कुछेक सांविधिक सुरक्षोपाय और प्रावधन भी उलट जाएंगें। इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया गया और यह कि यद्यपि जम्मू कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित संकल्प स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी यदि राज्य सरकार यह महसूस करती है कि राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए और इन अधिक शक्तियों से राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर की जनता की बेहतर सेवा कर सकेगी, तो भारत सरकार इस संबंध में उनके प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

शक्तियों के हस्तांतरण पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रुप में श्री अरुण जेटली की नियुक्ति

3.49 इस मुद्दे पर लिए गए निर्णय के अनुसरण में, जम्मू और कश्मीर को शक्तियों के हस्तांतरण के मामले और कश्मीर सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों और अन्य संबंधित ग्रुपों/व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 22 जुलाई, 2002 के आदेश के तहत श्री अरुण जेटली, संसद सदस्य और भूतपूर्व कानून मंत्री को भारत सरकार के प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त किया गया है।

बातचीत को आगे चलाने के लिए श्री एन.एन. वोहरा की भारत सरकार के प्रतिनिधि के रुप में नियुक्ति

3.50 जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और संबंधित व्यक्तियों के साथ आगे बातचीत करने के लिए, भूतपूर्व केन्द्रीय सचिव और भारत के प्रधानमंत्री के भूतपूर्व प्रधान सचिव श्री एन.एन. वोहरा को भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

जम्मू और कश्मीर को उपलब्ध स्वायत्तता

3.51 अन्य राज्यों में, जिनका भारत में विलय हुआ है, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है। तथापि, जम्मू और कश्मीर के मामले में, जम्मू ओर कश्मीर के लिए पृथक संविधान सभा बनाए रखने की मूल भावना को बदला नहीं गया है। भारतीय संविधान के प्रारम्भ के समय, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा गठित नहीं की गई थी। इसके गठन किए जाने तक, भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया था, जिसमें यह परिभाषित किया गया था कि किस प्रकार से संसद की विधायी क्षमता जम्मू और कश्मीर पर लागू होगी, ताकि भारत के संविधान और राज्य संविधान के बीच सम्पर्क स्थापित हो सके। इसलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल किया गया। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद 370 के अधीन "संविधान (जम्मू और कश्मीर पर यथा लागू) आदेश, 1950 जारी किया गया। बाद में, राज्य सरकार की सहमति से, जैसा कि अनुच्छेद 370 में प्रावधान किया गया है," 1954 में संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 नाम से एक व्यापक आदेश जारी किया गया जिसमें संसद को और शक्तियां दी गई। राज्य सरकार की सहमति से, समय-समय पर 1954 के आदेश में संशोधन किया गया। इस आदेश को, समय-समय पर यथा संशोधित रुप में, भारत के संविधान (सरकार द्वारा प्रकाशित), परिशिष्ट-I के रुप में शामिल किया गया। इस आदेश को "जम्मू और कश्मीर में यथा लागू भारत का संविधान" कहा जा सकता है।

3.52 कई वर्षों से, भारत के संविधान के अनेक उपबंधों को

अनुच्छेद 370 के माध्यम से संशोधनों के साथ और उसके बिना कुछ अपवादों के साथ जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन विधायी सूचियां, राज्यसूची (सूची-II) जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होती है। संघ सूची (सूची-I) और समवर्ती सूची (सूची-III) को भी कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया गया है। केन्द्रीय सूची में एक महत्वपूर्ण अपवाद अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो इस संशोधन के साथ लागू की गई कि संसद को केवल आतंकवादी/अलगाववादी मामलों के संबंध में विधायन बनाने की शक्तियां प्राप्त है और अन्य सभी अवशिष्ट मामलों में शक्तियां राज्य विधान मंडल के पास होगी।

3.53 भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार, जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को उपलब्ध है। इसके अलावा, भविष्य में कानून बनाने या स्थायी निवासियों से संबंधित लागू वर्तमान कानूनों (संविधान निर्माण से पहले के कानूनों सहित) में संशोधन करने की शक्तियां राज्य विधान मंडल को प्राप्त है और जम्मू और कश्मीर में यथा लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 35(क) के अन्तर्गत उनके अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। इस प्रकार का संरक्षण अन्य राज्यों को उपलब्ध नहीं है।

3.54 भारत के संविधान के उपबंधों को जम्मू और कश्मीर पर लागू करने का आम प्रभाव यह है कि देश के शेष भागों को उपलब्ध कुछेक संस्थागत सुरक्षोपाय या लाभ, जैसे उच्चतम न्यायालय और भारत के निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य, अखिल भारतीय सेवाएं, श्रम कल्याण उपाय इत्यादि इस राज्य पर भी लागू होते हैं। केन्द्रीय विभाग, जैसे डाक एव्म तार, नागर विमानन इत्यादि भी इस राज्य में अपना काम करते हैं। तथापि, राज्य विधान सभा के लिए चुनाव, जम्मू और कश्मीर के संविधान के उपबंधों के तहत किए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नौकरी से हटाना, वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तों को भारत के अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समकक्ष लाया गया है हालांकि तकनीकी रुप से राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने संबंधी शक्तियां, जम्मू और कश्मीर के संविधान के उपबंधों से ली गई है।

3.55 शाब्दिक अर्थ में स्वायत्तता को काम करने की आजादी/विधायन बनाने की स्वतंत्रता के रुप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि इस परिभाषा को सांविधिक शब्द के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न विषयों पर विधायन बनाने की स्वतंत्र शक्तियां। जम्मू और कश्मीर राज्य को पहले ही यह स्वायत्तता प्राप्त है, जैसा कि उपर्युक्त बातों और निम्नलिखित विवरण से पता चलता है :-

(क) जम्मू और कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है।

(ख) जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 के माध्यम से राष्ट्र से जुड़ा हुआ है जिससे राज्य यह निर्धारित करता है कि भारत के संविधान के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर किस हद तक लागू किया जाए।

(ग) राज्य सूची (सूची-II) जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होती है।

(घ) संघ सूची (सूची-I) और समवर्ती सूची (सूची-III) में, अनेक प्रविष्टियों को जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं किया गया है और कुछ को संशोधन के साथ लागू किया गया है।

(ङ) अवशिष्ट मामलों के संबंध में विधायन की शक्तियां, जम्मू और कश्मीर के संबंध में, राज्य को प्राप्त है, जबकि शेष राज्यों के संबंध में ये शक्तियां संसद के पास हैं।

(च) जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के लिए चुनाव, जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुसार किए जाते हैं जबकि शेष राज्यों के लिए चुनाव भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे हैं।

(छ) जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले शक्तियां, जम्मू और कश्मीर के संविधान से ली गई हैं।

(ज) राज्य विधान मंडलों को स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के बारे में जम्मू और कश्मीर में यथा लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 35(क) के अनुसार बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं।

सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति (एस.आर.ई.)

3.56 केन्द्र सरकार, आतंकवाद के खतरे से निपटने पर राज्य सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति 1989 से करती आ रही है। वर्ष 1989-2002 के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार को 2357.85 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की गई है, जिसके ब्योरे निम्नप्रकार से हैं :-

1.	कश्मीरी प्रवासियों और संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता	=	530.45	करोड़ रु0
2.	कल्याण कार्य	=	362.79	करोड़ रु0
3.	सुरक्षा कार्य और संबंधित गतिविधियां	=	233.23	करोड़ रु0
4.	चुनाव संबंधी अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यय	=	192.00	करोड़ रु0
5.	पुलिस पर अतिरिक्त व्यय	=	872.73	करोड़ रु0
6.	कार्य योजना एस.आर.ई.	=	166.65	करोड़ रु0
	कुल:	=	2357.85	करोड़ रु0

3.57 इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2003-04 में 265.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

3.58 जम्मू और कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों के हिमाचल प्रदेश में फैलने से रोकने के प्रयासों पर हुए सुरक्षा संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष 1999-2002 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को भी 10.69 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान 2.50 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की गई।

आर्थिक विकास और राहत पुनर्वास उपाय

3.59 केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य में आम जनता पर आतंकवाद के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए अनेक उपाय करती रही है। इन उपायों में आर्थिक विकास और राहत/पुनर्वास शामिल हैं। ये उपाय संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :-

I. जम्मू और कश्मीर का आर्थिक विकास

जम्मू और कश्मीर के लिए केन्द्रीय सहायता

3.60 केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के आर्थिक विकास और लोगों को फायदेमंद रोजगार उपलब्ध करवाने के तरीके निकालने में लगातार सहायता करती रही है। राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध और समान क्षेत्रीय विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

3.61 केन्द्र, राज्य सरकार को सामान्य केन्द्रीय आयोजन सहायता के अलावा पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता रहा है। विशेष संवितरण के रुप में, जम्मू एवं कश्मीर को केन्द्रीय सहायता न केवल राज्य आयोजना को वित्तपोषित करने के लिए बल्कि उसके गैर-आयोजनागत अंतर को भी पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई है। वर्ष 2002-03 की राज्य की वार्षिक आयोजना को पिछले वर्ष की अपेक्षा 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने करगिल में क्षतिग्रस्त आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2001-02 के तहत 34.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में विकास योजनाओं की निगरानी

3.62 जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न विकास पैकेजों के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रभावी तालमेल एवं गतिशीलता लाने के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकार एवं योजना आयोग के प्रतिनिधियों सहित जम्मू एवं कश्मीर के विकास कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए केबिनेट सचिव/गृह सचिव की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। विशेष सचिव, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप का भी गठन किया गया जो स्टैडिंग कमेटी को सहयोग करेगा। विशेष सचिव जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का भी गठन किया गया था। प्रारंभ में, जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं

के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली समन्वय संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने और उन्हें दूर करने के लिए विशेष सचिव, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग की अध्यक्षता में चार सब ग्रुप गठित किए गए थे। इन्हें अब 6 उप ग्रुपों में पुर्नगठित किया गया है ताकि समन्वय संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान दिया जा सके और उनका गहन अध्ययन किया जा सके। हालांकि, किसी विशेष केन्द्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार का ही है तथापि गृह मंत्रालय का जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग, जम्मू और कश्मीर राज्य में विकास योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुकर बनाने और उनका समन्वय करने का प्रयास करता है।

II. आधारभूत सुविधाएं

3.63 केन्द्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कुछ योजनाएं निम्न प्रकार हैं :-

रेलवे

(i) जम्मू-ऊधमपुर रेल लिंक

3.64 445.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जम्मू से ऊधमपुर तक 53.6 कि.मी. की रेल लाईन का निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है। मार्च, 31,2002 तक का खर्च 386.76 करोड़ रुपये है और चालू वर्ष 2002-03 की आवंटन राशि 36 करोड़ रुपये है। इस रेल लिंक के मार्च, 2004 तक पूरी किये जाने की संभावना है।

(ii) ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक

3.65 ऊधमपुर से बारामूला तक की 287 कि.मी. रेल लाईन का निर्माण कार्य राष्ट्रीय योजना के रुप में, मौजूदा दामों पर 3600 करोड़ रुपये की लागत से शुरु कर दिया गया है। 30 जून, 2002 तक 392.87 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है और चालू वर्ष के लिए 36 करोड़ रुपये का आवंटन है। इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री द्वारा 23 मई, 2002 को घोषित जम्मू और कश्मीर पैकेज में इस रेल लाईन को शामिल किया गया है। इन्हें अब 6 उप ग्रुपों में पुर्नगठित किया गया है ताकि समन्वय मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके ओर उनका गहन अध्ययन किया जा सके।

विद्युत

(i) दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना

3.66 यह डोडा जिले के किस्तवार तहसील में चिनाब नदी पर स्थित 390 मेगा वाट की परियोजना है। मई, 2001 के मूल्य स्तर पर इसकी अनुमानित लागत 4279 करोड़ रुपये है ' 30 जून, 2002 तक खर्च की गई धनराशि 3335.76 करोड़ रुपय है और चालू वर्ष में 430.24 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस परियोजना को दिसम्बर, 2003 तक पूरा किया जाना है।

(ii) सेवा-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (120 मेगा वाट)

3.67 यह परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ जिले में बसौली तहसील स्थित सेवा नदी पर जारी है। एन.एच.पी.सी. ने जम्मू और कश्मीर पी.डी.सी. से परियोजना की अविवादित साईट एवं साधन सामग्री को हस्तगत कर लिया है। मार्च, 2001 तक परियोजना पर कुल 1.66 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और चालू वर्ष के दौरान आबंटन 10 करोड़ रुपये है। यह परियोजना फरवरी 2007 में कमीशन की जाएगी।

(iii)बगलीहार एच.ई. परियोजना (3X150 मेगावाट) तथा सवालकोट परियोजना (3X200 मेगावाट)

3.68 ये दोनों परियोजनाएं डोडा जिले में हैं। इनकी शुरुआत एनएचपीसी द्वारा की गई थी परन्तु राज्य सरकार के अनुरोध पर इन्हें राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया है।

(iv) अन्य परियोजनाएं

3.69 कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित छः परियेजनाओं अर्थात (क) किशनगंज (330 मे0वा0), (ख) उरी-II (280मे0वा0) (ग) बरसर (1020 मे0वा0) (घ) पकाल डुल (1000 मे0वा0) (ङ.) निम्नो वजगो (30मे0वा0) (च) छूतक (18 मे0वा0) को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु एनएचपीसी को सौंप दिया गया है।

सड़कें

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग-1क- पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर-बारामुल्ला-उड़ी (505 कि.मी)

3.70 पठानकोट से श्रीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) के अन्तर्गत उत्तर-दक्षिणी कैरीडोर का हिस्सा घोषित किया गया है और इसे भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के सुपुर्द कर दिया गया है। इस कार्य को

2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है और यह जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 23.5.2002 को घोषित पैकेज का एक हिस्सा है।

(ii) **राष्ट्रीय राजमार्ग-1क के लिए वैकल्पिक मार्ग**

3.71 बटोटे-किश्तवाड़-सिनथान दर्रा-अनन्तनाग सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग I-ख घोषित किया गया है और इसे विकास के लिए सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। अनन्तनाग से खाननबल तक के अंतिम 5 किलोमीटर टुकड़े को राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-I ख की कुल लंबाई 270 किलोमीटर है। यह, प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए 23.5.2002 को घोषित पैकेज का एक हिस्सा है।

(iii)**रोहतांग सुरंग के निर्माण सहित, मनाली होते हुए लेह के लिए हर मौसम में चालू रहने योग्य मार्ग का निर्माण**

3.72 बहुत समय से लेह जिले के लोगों की यह मांग रही है कि लेह-मनाली मार्ग, जो वर्ष में केवल 3 महीने ही यातायात के लिए खुला रहता है, को वैकल्पिक रास्ते के रुप में हर मौसम में चालू रहने योग्य मार्ग में बदला जाय। अत: सेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय, वर्तमान सड़क सेक्टर मानली-सारचू को जोड़ने वाले दारचा-पदम-जंगल-निमू के साथ नये मार्ग के विकास की व्यवहारिकता का अध्ययन कर रहा है। टनल क्रास रोहतांग दर्रे के साथ यह नई सड़क जब बन जाएगी, तो लेह और कारगिल के लिए हर मौसम में चालू रहने योग्य मार्ग के रुप में कार्य करेगी। यह 23 मई, 2002 को जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज का एक हिस्सा है।

III. जम्मू और कश्मीर के लिए रोजगार, रेल, सड़क, विकास,राहत और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 23 मई, 2002 को घोषित पैकेज

3.73 प्रधानमंत्री ने, जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान 23 मई, 2002 को 6000.00 करोड़ रु0 के व्यापक पैकेज की घोषणा की, जिसमें जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसरों का सृजन और आंतकवाद और सीमा-पार से हुई गोलीबारी से प्रभावित प्रवासियों को राहत देने पर मुख्य जोर देते हुए विकास और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इस पैकेज में निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं हैं जिन्हें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

(क)रेल मंत्रालय

(i) 287 किलोमीटर उधमपुर-श्रीनगर-बारामूल्ला रेल लाईन को पांच वर्षों में पूरा किया जाना है।

(ii) जम्मू तवी-जालन्धर रेल लाईन को अगले 5 वर्षों में डबल बनाया जाना है।

(ख)सीमा सड़क संगठन (रक्षा मंत्रालय और सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्रालय)

(i) मनाली सारचू सड़क को जोड़ने वाली निमू जंगल-पदम-दारचा सड़क को अगले चार वर्षों में पूरा किया जाना है।

(ii) रोहतांग दर्रे (8.90 कि.मी. लम्बे) का निर्माण कार्य 8 वर्षों में पूरा करना है।

(iii) रोहताग दर्रा सुरंग के सदरन पोर्टल के लिए सम्पर्क सड़क (24.82 किलोमीटर) का निर्माण कार्य का प्रारम्भ।

(iv) बटोटे-किश्तवाड़-सिनथान दर्रा-खाननबाल राष्ट्रीय राजमार्ग-I ख का निर्माण कार्य पहले 31 दिसम्बर, 2007 तक करना (जबकि इसको पूरा करने की पहले की निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर, 2013 थी)।

(ग) वस्त्र मंत्रालय

ऊन, पश्मीना, दस्तकारी, रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग, कानी जामावार शाल इत्यादि जैसे पारम्परिक कुटीर उद्योगों का विकास

(घ) वाणिज्य मंत्रालय

सेबों और अखरोटों के लिए कृषि निर्यात जोन का विकास

(ङ) कृषि मंत्रालय

(i) अगले 5 वर्षों में भागीदारी वाटरशेड दृष्टिकोण का प्रयोग करके चेनाब, झेलम शिवालिक के डिग्रेडड केचमेन्ट का परिस्थितिकी पुनरुत्यान।

(ii) जम्मू और कश्मीर के लिए बागवानी पर प्रौद्योगिकी मिशन का, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे सेब और अखरोटों के लिए कृषि निर्यात जोन के साथ समन्वय करना।

(च) योजना आयोग

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रु0 दिए जाएंगे। इस राशि का आधा हिस्सा सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को दिया जाएगा, जिसमें सीमा/नियंत्रण रेखा क्षेत्रों में आर्थिक और मूलभूत संरचना विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा और 15% राशि सीमा सड़क संगठन को सीमा/नियंत्रण रेखा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए आबंटित की जाएगी।

(छ) गृह मंत्रालय

इंडिया रिजर्व बटालियनें: अगले दो वर्षों में, 26 करोड़ रु0 की लागत से दो इंडिया रिजर्व बटालिएनें खड़ी की जाएगी - एक 2002-2003 में और दूसरी 2003-2004 में। जम्मू और कश्मीर के संबंध में इंडिया रिजर्व बटालियन की एक बटालियन स्वीकृत कर दी गई है और एक बटालियन 2003-04 में स्वीकृत की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर स्वंयसेवक बल की स्थापना: जम्मू और कश्मीर स्वंयसेवक बल (एस.पी. ओ. का विशिष्ट वर्ग) के बेहतर प्रशिक्षण और शस्त्रों के लिए 5 वर्षों में 5 करोड़ रु0 उपलब्ध कराए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर स्वंयसेवी बल वर्तमान एस.पी. ओ.से लिए गए एस.पी. ओ. का विशिष्ट ग्रुप होगा जो जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और अभिप्रेरित है और जो उपुयक्त रुप से प्रशिक्षित, हथियारों से लैस है और जिसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य पुलिस/सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अधिक सक्रिय डयूटियों पर लगाया जा सकता है।

एस.पी. ओ. के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान की राशि में वृद्धि: आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मारे गए एस.पी.ओ. के नजदीकी रिश्तेदारों को दी जाने वाली अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि को 1.25 लाख रु0 से बढ़ाकर 2 लाख रु0 प्रति व्यक्ति करने की घोषणा की गई है।

ग्राम सुरक्षा समितियों के हथियारों का उन्नयन: आतंकवाद विरोधी और घुसपैठ विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की सहायता करने में ग्राम सुरक्षा समितियां अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है। ग्रम सुरक्षा समिति को बेहतर शस्त्र दिए जाएंगे। असम राइफल को, जम्मू और कश्मीर पुलिस के लिए 2500 राईफलों की आपूर्ति करने, जिनका प्रयोग ग्राम सुरक्षा समितियों द्वारा किया जाएगा, के लिए 1,25,00,000रु0 की राशि दी गई है।

जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों की विधवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना: यह घोषणा की गई है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के मारे गए कार्मिकों की विधवाओं के कल्याण के लिए श्रीनगर और जम्मू में दो प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 1.00 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की जाएगी। यह राशि एक बारगी सहायता के रुप में रिलीज की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों के अनाथ बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना: यह घोषणा की गई कि आतंकवाद से लड़ते हुए मारे गए जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों के अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए, दो स्कूल, श्रीनगर और जम्मू में, स्थापित करने के लिए 5.00 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की जाएगी और यह धनराशि, एक बार दी जाने वाली राशि के रुप में रिलीज की जाएगी।

पुलिस अस्पतालों का उन्नयन: यह घोषणा की गई कि श्रीनगर और जम्मू में दो पुलिस अस्पतालों के उन्नयन के लिए 2.00 करोड़ रु0 की राशि एक बारगी रिलीज की जाएगी।

(ज) प्रधानमंत्री कार्यालय

जम्मू और कश्मीर में सीमा प्रवासियों के लिए नए टेन्टों और संयुक्त नागरिक सुविधाओं के लिए राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराना।

IV बागवानी

3.74 बागवानी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ताजे फलों का उत्पादन लगभग 9.31 लाख मी. टन तथा मेवों का उत्पादन लगभग 11.06 लाख मि. टन है विभिन्न फलों की गुणवत्ता तथा पैदावर में वृद्धि के लिए राज्य तथा केन्द्र सैक्टर कार्यक्रम के तहत बागवानी विकास की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर के बागवानी उत्पाद की निर्यात क्षमता तथा निर्यात में आने वाली मुख्य

बाधाओं का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए ए.पी.ई.डी.ए. ने एक सलाहकार नियुक्त किया है। इन बाधाओं में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर से बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। आशा है कि यह रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में बागवानी विकास के लिए संपूर्ण परिचालन योजना का कार्य करेगी जिसमें फल कटाई से पहले, फसल कटाई के बाद परिवहन तथा मार्केटिंग रणनीति शामिल होंगी।

V. जम्मू और कश्मीर राज्य में, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

3.75 उपर्युक्त विकास कार्यक्रमों के अलावा, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जम्मू और कश्मीर में अपनी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, मूलभूत संरचनाओं के लिए और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने/विस्तार करने के लिए सहायता देता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, इंदिरा आवास योजना, सुखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसी स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय), उत्पादनोमुख स्कीमों, क्षेत्र विकास स्कीमों इत्यादि को कार्यान्वित कर रहा है। महिला और बाल विकास विभाग, समग्र बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.), इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, रोजगार एव्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता, (एस.टी.ई.एफ.), आय सृजन और उत्पादन यूनिट (एन.ओ.आर.ए.डी.) जैसी स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है और गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, सोलर लेनटर्न, घरेलू रोशनी प्रणाली/सोलर होम सिस्टम, स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम और पावर प्लांट और अन्य सिस्टमों को सहायता प्रदान करने के लिए अपने सोलर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सोलर फोटोवोलटिक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

VI. जम्मू और कश्मीर में पर्यटन

3.76 जम्मू और कश्मीर में अशांति की स्थिति के दौरान, बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से पर्यटन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से था और पर्यटन संबंधी मूलभूत ढांचा बहुत हद तक चरमरा हो गया था। यहां तक कि घाटी में जाने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या, जोकि वर्ष 1989 में 4,90,215 पहुंच गई थी, वर्ष 1995 में घटकर अब तक की सबसे कम 322 रह गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 1989 में 67,762 से घटकर वर्ष 1995 में, 8,198 तक नीचे आ गई थी। 1990 से 1997 तक अमरनाथ जाने वाले तीथयात्रियों की संख्या में भी काफी कमी आ गई थी। जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा करने वाले पर्यटकों की संख्या घटती-बढ़ती रही है जोकि नीचे दिए विवरण में दर्शाई गई है :-

वर्ष	कश्मीर घाटी			लद्दाख क्षेत्र			वैष्णो देवी	अमरनाथजी
	घरेलू	विदेशी	कुल	घरेलू	विदेशी	कुल		
1997	7027	9111	16138	3991	12810	16801	4434233	79035
1998	99636	10247	109883	6792	15238	22030	4622097	149920
1999	200162	17130	217292	1905	9669	11574	4668340	114366
2000	104337	7575	111912	6217	11825	18042	5109575	173334
2001	66732	5859	72591	4260	15439	19699	5056919	119037
2002*	17561	1698	19259	2376	4203	6579	2868946	110793

*अगस्त, 2002 तक

VII. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई विशेष रियायतें/प्रोत्साहन

3.77 कश्मीर घाटी में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को विशेष रियायतें दी गई हैं। मार्च 1990 से लागू इन रियायतों को मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन से, समय-समय पर बढ़ाया गया है। रियायतों/सुविधाओं में, अपने इच्छा के स्थान पर परिवार को ले जाना, क-श्रेणी के शहर के समान मकान किराया भत्ता, चाहे चुने गए शहर की श्रेणी कोई भी हो, ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात, प्रत्येक दिन की हाजिरी के लिए 10 रु0 की दर से खुराक भत्ता, प्रतिदिन के लिए 15 रु0 की दर से एक समान भोजनालय भत्ता/विभागीय भोजनालय व्यवस्था, दिल्ली में और इसके ईर्द गिर्द, मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध रिक्तियों पर प्रवासी कर्मचारियों का अस्थायी समायोजन, घाटी के बाहर पेंशन भुगतान इत्यादि शामिल हैं। इस समय इन रियायतों को, 1 जुलाई, 2001 से दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुर्नवास उपाय

I. उग्रवाद/सीमा पार से गोलीबारी के पीड़ितों को अनुग्रहपर्वूक राहत/मुआवजा

3.78 जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित और भड़काए गए आतंकवाद के साथ-साथ पाक सैनिकों द्वारा सीमा पार से गोलीबारी के कारण सिविलियनों और सुरक्षा बलों में कई लोग हताहत हुए। जम्मू और कश्मीर सरकार, आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को, मृत्यु, जख्मी होने पर, वर्तमान नियमों के अनुसार अनुग्रहपूर्वक राहत देती रही है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आतंकवादी घटनाओं में मृत्यु के मामले में नजदीकी रिश्तेदार को 1 लाख रु0 तथा स्थायी रुप से अपंग हुए, गंभीर रुप से जख्मी हुए और कम जख्मी हुए व्यक्तियों के क्रमश: 75000रु0, 5000रु0 और 1000रु0 दिए जाते हैं।

3.79 राज्य सरकार की नीति के अनुसार, आतंकवाद से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिए, अचल सम्पत्ति को हुए नुंकसान का 50% मुआवजा दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रु0 है।

3.80 जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार आतंकवाद में मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 2 लाख रु0 और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मारे गए स्वंय सेवक विशेष पुलिस अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार को 2 लाख रु0 का भुगतान करती है। राज्य सरकार के उपर्युक्त सभी खर्च की, केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदार को केन्द्र सरकार द्वारा विशेष मामले के रुप में सीधे 3 लाख रु0 अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रुप में दिए जाते हैं।

II. कश्मीरी प्रवासियों को राहत और उनका पुनर्वास

3.81 जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के प्रारंभिक चरणों में सिविलियनों पर उग्रवादियों के लक्षित हमलों से ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिनके कारण 1990 में और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और बहुत से सिखों और अन्य हिन्दू तथा कुछ मुसलमानों को भी, घाटी से पलायन करना पड़ा। कुल 56246 प्रवासी परिवारों में से 34305 परिवार जम्मू में, (30306 हिन्दू (पंडितों) सहित), दिल्ली में 19338 परिवार और 2603 परिवार अन्य राज्यों में हैं। इनमें से 21824 परिवार सरकारी कर्मचारियों/पेशनरों के हैं। 238 प्रवासी परिवार, दिल्ली में 14 शिविरों में और 4778 परिवार जम्मू में 12 शिविरों में रह रहे हैं।

3.82 जम्मू और कश्मीर सरकार प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 600/-रुपये की नकद राहत राशि परन्तु प्रत्येक परिवार को अधिकतम प्रति मास 2400/-रु0 (जिसे 23 मई, 2002 को प्रधानमंत्री द्वारा पैकेज की घोषणा करने के बाद 1 जून, 2002 से बढ़ाकर प्रति परिवार प्रति माह 3000रु0 कर दिया गया) के अतिरिक्त जरुरतमंद प्रवासियों को 9 किलोग्राम चावल तथा 2 किलो आटा प्रति व्यक्ति तथा प्रतिमाह प्रत्येक परिवार को 1 किलो चीनी दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रति व्यक्ति को प्रति माह 600रु0

की नगद राहत दे रही है जिसकी अधिकतम सीमा 2400रु0 प्रति माह प्रति परिवार और बुनियादी कच्चा राशन दे रही है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को भी वहां की सरकारें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार राहत प्रदान कर रही है। सरकारी कर्मचारी/पैंशनर राहत के पात्र नहीं है।

3.83 जम्मू में, जहां काफी संख्या में प्रवासी, राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं, प्रवासी परिवारों को एक कमरे वाला आवास दिया गया है। आवश्यक मौलिक सुविधाएं जैसे जल, विद्युत, सफाई इत्यादि मुफ्त दी गई है। चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए जम्मू के अंदर 12 डिस्पेंसरियां हैं। इन शिविरों में प्रवासियों के रहने-सहने की स्थितियों को जम्मू और कश्मीर सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा निकट से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि उनमें सुधार लाया जा सकें। दिल्ली में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आवास, पानी, बिजली सफाई इत्यादि उपलबध कराए गए हैं।

3.84 1996 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जम्मू के शिविरों में सुविधाओं में सुधार करने के लिए 6.6 करोड़ रु0 के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इस राशि का इस्तेमाल, एक कमरे वाले घर, सुलभ शौचालय परिसरों, निकासी स्कीम और स्कूल भवनों के निर्माण पर किया गया। जम्मू में शिविरों में जीवन-यापन की हालात में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने और 4.70 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की।

3.85 प्रवासियों की घाटी में अपने मूल स्थानों को सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए, राज्य सरकार ने, राजस्व, राहत और पुर्नवास मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय समिति का गठन किया है जो इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करेगी और इन्हें हल करने के सुझाव देगी। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुर्नवास के लिए कुल 2589.73 करोड़ रु0 के लागत से एक कार्य योजना को अंतिम रुप दिया है ताकि जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस समय रह रहे कश्मीरी प्रवासी लगभग 1.25 लाख लोग घाटी में वापस लौट सकें। कार्य योजना में प्रत्येक परिवार के 1.50 लाख रु0 की दर से पुर्नवास अनुदान अक्षत मकान की मरम्मत के लिए 1 लाख रु0 और क्षतिग्रस्त मकान के लिए 3 लाख रु0, घरेलू वस्तुओं के लिए 0.50 लाख रु0 और फर्निचर के लिए 0.50 लाख रु0, प्रति व्यक्ति 1-2 लाख रु0 का ब्याज मुक्त ऋृण, कृषि आय के नुकसान के लिए 1.50 लाख रु0 प्रति परिवार तक का मुआवजा, कृषि कार्यो में निवेश के लिए प्रति परिवार 1.50 लाख रु0 का ब्याज-मुक्त ऋृण और एक वर्ष के लिए 2,000 रु0 प्रति माह तक का आहार भत्ता, देने की व्यवस्था है।

3.86 कार्य-योजना को चरणों में कार्यान्वित किया जाना है, जिसमें प्रवासी परिवारों की वापसी और उन्हें ऐसे स्थानों, जहां पर प्रवासी मकानों के समूह उपलब्ध हो और कश्मीर घाटी जिलों के ऐसे गांवों और मुहल्लों, जहां पर कश्मीरी पंडित पर्याप्त संख्या में है और जहां पहले से ही सुरक्षा उपलब्ध हो, पर पुन: बसाने की व्यवस्था है। शुरुआत करने के लिए श्रीनगर और बडगाम जिलों में 166 मकानों वाले 15 समूहों की पहचान की गई है जिन्हें इन मकानों के मालिकों की वापसी के लिए सुरक्षित माना जाता है। इन समूहों की सूची समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई थी और परिवारों की शिनाख्त के लिए और अपने मकानों में वापस जाने की उनकी इच्छा जानने के लिए कदम उठाए गए थे। राहत संगठन, जम्मू के पास दर्ज लगभग 50 परिवारों से व्यक्तिगत रुप से सम्पर्क किया गया था ताकि सरकार द्वारा घोषित पैकेज के आधार पर अपने घर वापस लौटने के लिए उनकी सहमति प्राप्त की जा सके। इनमें से कुछ परिवारों के साथ बातचीत भी की गई थी लेकिन कोई भी परिवार अभी तक घाटी में लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ है।

III. विधवाओं और अनाथों के लिए पुनर्वास परिषद्

3.87 जम्मू और कश्मीर में, आतंकवाद ने सामाजिक ढांचे पर भी अपनी छाप छोड़ी, अनेक महिलाएं विधवा हो गई और बच्चे अनाथ। आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के मानसिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जम्मू और कश्मीर सरकार ने उग्रवाद से प्रतिकूल रुप से प्रभावित विधवाओं, अनाथों, अपंगों और वृद्धों के पुनर्वास के लिए 1995 में एक परिषद

की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य लाभभोगियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण और विकास स्कीमों के तहत बेहतर ढंग से कवर करने का भी है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत निकाय के रुप में, यह गैर-सरकारी संगठन के रुप में कार्य करता है। इस समय, परिषद की संग्रह निधि में 13.66 करोड़ रु0 की राशि उपलब्ध है।

3.88 परिषद द्वारा प्रारम्भ की गई कुल कल्याणकारी स्कीमें:-

(i) **विधवाएं/छात्राएं:** विवाह, कौशलता उन्नयन ओर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता और बैंको के साथ मिलकर स्वरोजगार चलाने के लिए ॠण। छात्राओं के लिए छात्रावासों की स्थापना, इत्यादि।

(ii) **अनाथ:** राज्य में और राज्य के बाहर, दोनों जगह में, रिहायशी स्कूलों, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे फोस्टर होम में भेजना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विशेष शिक्षण कक्षाएं और छात्रवृत्ति और शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, इत्यादि।

(iii) **अपंग व्यक्ति:** पुनर्वास/चिकित्सा शिविरों का आयोजन, विशेष उपचार के लिए यात्रा खर्च, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण ।

IV जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

3.89 मई/जून, 1999 में कारगिल में भारत-पाक संघर्ष और कारगिल, लेह, जम्मू एवं कठुआ में सीमा पार से हो रही गोलीबारी के कारण बहुत से परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। कारगिल, लेह और जम्मू से ऐसे व्यक्तियों (परिवारों), जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया था, की संख्या लगभग क्रमशः 24,630 (3574 परिवार), 3245 (540 परिवार) और 1,00,000 (20,000 परिवार) हैं। इन विस्थापित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय ने एक राहत पैकेज का अनुमोदन किया है और राज्य सरकार द्वारा उसकी घोषणा की गई है। इस राहत पैकेज में शामिल हैं :-

- प्रति मास प्रति व्यक्ति 9 कि.ग्रा. मुफ्त राशन ;
- प्रति मास प्रति परिवार 10 लि. मिट्टी का तेल ;
- चारे के लिए प्रति मास बड़े पशुओं के लिए 150 रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 30 रुपये की नगद सहायता;
- प्रति मास प्रति व्यक्ति को 200 रुपये की दर से नगद सहायता;
- द्रास, कारगिल तथा बटालिक सैक्टर के 16 सुभेद्य गांवों में लगातार गोलाबारी के कारण विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को 200/-रुपये प्रति माह की दर से घर का किराया ;
- मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 1 लाख रुपये की दर से अनुग्रह राहत ;
- अचल संपति के नुकसान का 50% तक मुआवजा लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है और
- दवाई के खर्च सहित मुफ्त इलाज ;
- पशुओं का मुफ्त इलाज ।

3.90 कारगिल संघर्ष के बाद स्थिति में सुधार आने के साथ, कई परिवार अपने गांवों को लौट गए थे। तथापि, 18 गांवों, जो जम्मू क्षेत्र में सीमा के बहुत नजदीक स्थित हैं, के लगभग 6040 परिवार वापस नहीं लौट सके हैं क्योंकि उनकी भूमि पाक गोलीबारी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है और उनकी भूमि पाक के परम्परागत घुसपैठ के रास्ते में पड़ती है। इन परिवारों में से 2577 परिवार तहसील अखनूर में शिविरों में रह रहे हैं ओर शेष परिवार अपनी व्यवस्था करके अन्यत्र रह रहे हैं।

3.91 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हुए हमले के पश्चात और इसके फलस्वरुप नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य बल तैनात करने और सीमा पार से गोलीबारी में तेजी आने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग फिर से पलायन करने लगे। राजौरी, पुंछ, जम्मू तथा कठुआ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों/नियंत्रण रेखा से 153131 लगभग 30771 व्यक्ति, परिवारों ने पलायन किया। इन आंकड़ों में 1999 के 6040 परिवार (22,000 व्यक्ति) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ने इन सीमावर्ती प्रवासियों के लिए निम्न प्रकार से एक नया पैकेज तैयार

किया जिसे 23.5.2002 को की गई प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद बढ़ा दिया गया, निम्न प्रकार है :-

- 11 किलो मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह ;
- 10 लिटर मुफ्त मिट्टी का तेल प्रति परिवार प्रति माह ;
- 400 रु0 की नकद राशि प्रति व्यक्ति प्रति माह, अधिकतम 1600रु0 प्रति परिवार प्रति माह ;
- सभी विस्थापित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता;
- उन क्षेत्रों में, चारे के लिए 300 रु0 प्रति परिवार प्रति माह, जहां सुरंगें बिछाई गई है और जिनकी पहचान संबंधित उपायुक्त द्वारा की गई है ;
- यदि कोई प्रवासी व्यक्ति वापस जाना चाहता है तो ऐसे मामले में उसके रहने के स्थान पर स्वीकृत स्तर पर मुफ्त राशन ।

3.92 संशोधित राहत पैकेज 1 जून, 2002 से लागू हुआ ।

3.93 इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा निधि से टेंटों की खरीद के लिए और विभिन्न स्थानों पर सीमावर्ती प्रवासियों के लिए स्थापित कैंपों में जन सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई है।

V. जम्मू एवं कश्मीर में कर्जदारों को ऋण राहत

3.94 जम्मू और कश्मीर में पिछले 12-13 वर्षों से जारी उग्रवाद के कारण पर्यटन, परिवहन, व्यापार एवं लघु उद्योग क्षेत्रों पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त, 1996 को आर्थिक पैकेज के रुप में संसद के दोनों सदनों में, ऋण राहत स्कीम की घोषणा की जिसमें जम्मू और कश्मीर में व्यापार, पर्यटन, यातायात और छोटे उद्योग के क्षेत्र में लगे कर्जदारों के बकाया कर्ज और ब्याज को माफ करने की व्यवस्था है, जिन्होंने 50,000रु0 तक का कर्ज लिया है। इससे छोटे कर्जदार अपना कारोबार फिर से शुरु करने के लिए बैंक सेक्टर से नये सिरे से ऋण ले सकेंगे।

3.95 वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने "जम्मू और कश्मीर राज्य में कर्जदारों के लिए ऋण राहत स्कीम" परिचालित की थी, जिसमें यह व्यवस्था है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन, परिवहन, लघु लद्योग और व्यापार क्षेत्र में लगे सभी कर्जदारों, जिन पर मूल ऋण प्रत्येक मामले में 50,000रु0 तक या इससे कम है, के बकाया ऋण और ब्याज को बैंक/वित्तीय संस्थान बट्टे खाते में डाल सकते हैं। बैंकों द्वारा प्रस्तुत दावों को औपचारिक रुप से राज्यस्तरीय समिति, जिसके प्रमुख अपर मुख्य सचिव (वित्त) है, द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों को सीधे ही संवितरण के लिए राज्य वित्त विभाग के मार्फत जम्मू और कश्मीर विभाग को अग्रेषित किया जाता है।

3.96 राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय शीर्ष समिति के अनुमोदन के बाद 33 बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संबंध में 301 करोड़ रु0 से अधिक के दावे अग्रेषित किए हैं। स्कीमों को कार्यान्वित करने और जम्मू और कश्मीर के संबंधित कर्जदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए कुल 301 करोड़ रु0 के कुल दावों में से, अभी तक बैंकों/वित्तीय संस्थानों को 297.17 करोड़ रु0 (लगभग) रिलीज किए जा चुके हैं।

पूर्वोत्तर में सुरक्षा परिदृश्य

प्रस्तावना

3.97 पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्य हैं । इस क्षेत्र में भारत की कुल भूमि का 8.06% भाग है और इसकी जनसंख्या 316

राज्य	जिलों की संख्या	राज्य की राजधानी	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (1991 जनगणना)	जनसंख्या (अनन्तिम 2001)
अरुणाचल प्रदेश	13	इटानगर	83743	864558	1,091,117
असम	23	गुवाहाटी	78438	22414322	26,638,407
मणिपुर	9	इम्फाल	22327	1837149	2,388,634
मेघालय	7	शिलौंग	22429	1774778	2,306,069
मिजोरम	8	आईजौल	21081	689756	891,058
नागालैण्ड	8	कोहिमा	16579	1209546	1,988,636
त्रिपुरा	4	अगरतला	10486	2757205	3,191,168
सिक्किम	4	गंगटोक	7096	406457	5,39,000

लाख है जो देश की कुल जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार का 3.73% है । इन पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त गृह मंत्रालय का पूर्वोत्तर प्रभाग सिक्किम राज्य के मामलों को भी देखता है । पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में कुछ बुनियादी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

पूर्वोत्तर में सुरक्षा का ढांचा

3.98 पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य पुलिस बलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

राज्य	पुलिस स्टेशन	सिविल पुलिस	सशस्त्र पुलिस	कुल	इंडिया रिजर्व बटालियन
अरुणाचल प्रदेश	66	2987	2913	5900	2
असम	240	22977	30946	53923	6
मणिपुर	57	4743	9241	13984	4
मेघालय	26	5955	2626	8581	2
मिजोरम	31	2948	3852	6800	2
नागालैण्ड	45	7367	9020	16387	2
त्रिपुरा	44	7786	4596	12382	5
सिक्किम	26	2500	1500	4000	1
कुल	535	57263	64694	121957	24

पूर्वोत्तर में मुख्य विद्रोही ग्रुप :

3.99 पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य विद्रोही ग्रुपों के राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(i) **असम :**

1. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए)/ (उल्फा)
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंण्ड (एन डी एफ बी)

(ii) **मणिपुर :**

1. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
2. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
3. पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के)/ (प्रीपाक)
4. कांग्लीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)
5. कांग्लीयाओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.)
6. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
7. रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर.पी.एफ.)

(iii) **नागालैण्ड :**

1. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन.एस.सी.एन.) जिसमें इसके सभी गुट, विंग तथा फ्रंट संगठन शामिल हैं ।

(iv) **त्रिपुरा :**

1. ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.)
2. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)

(v) **मेघालय :**

1. आचिक नेशनल वॉलेन्टियर काउंसिल (ए एन वी सी)
2. हिन्यूट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच एन एल सी)

3.100 एन.एस.सी.एन. को छोड़कर उपर्युक्त सभी संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के ठतहत विधिविरुद्ध संगमोंड के रूप में घोषित किया गया है ।

3.101 इसके अतिरिक्त, बोडो लिबरेशन टाईगर (बी एल टी), पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय, (पी एल एफ एम), दीमासा हाम दाओगाह (डी एच डी), ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (बी एन एल एफ), यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यू पी डी एस) आदि जैसे बहुत से अन्य उग्रवादी ग्रुप पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं।

3.102 असम में बहुत से मुस्लिम संगठन उभर आए हैं, जैसे कि मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (एम एल एफ ए), मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (एम यू एल एफ ए), मुस्लिम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम (एम एल टी ए), मुस्लिम वॉलेन्टियर फोर्स (एम वी एफ), इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ असम (आई एल ए ए) आदि । इन संगठनों का घोषित उद्देश्य असम में मुसलमानों के समग्र हितों की रक्षा करना है । तथापि रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी तत्व भी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद की वर्तमान स्थिति

3.103 पूर्वोत्तर राज्यों में (30 नवम्बर, 2002 तक)

शीर्ष	असम		त्रिपुरा		नागालैण्ड		मणिपुर	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
घटनाएं	458	412	370	292	128	208	265	268
मारे गए उग्रवादी	282	308	30	22	65	71	170	125
गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	173	143	547	285	80	94	577	406
मारे गए सुरक्षा कर्मी	80	26	36	46	01	03	26	54
शस्त्र लूट	42	5	23	30	1	16	16	30
बरामद शस्त्र	285	252	95	66	96	133	74	84
आत्म समर्पित उग्रवादी	304	81	373	118	59	116	07	06
मारे गए नागरिक	248	193	237	150	16	16	65	60
अपहृत व्यक्तियों की संख्या	82	97	192	176	24	34	35	67

शीर्ष	मेघालय		अरूणाचल प्रदेश		मिजोरम	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
घटनाएं	70	84	46	54	01	01
मारे गए उग्रवादी	07	24	20	21	-	-
गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	47	104	31	38	01	-
मारे गए सुरक्षा कर्मी	15	14	18	04	-	-
शस्त्र लूट	17	06	13	-	-	-
बरामद शस्त्र	18	51	22	24	-	-
आत्म समर्पित उग्रवादी	48	14	06	13	-	02
मारे गए नागरिक	29	28	05	07	-	-
अपहृत व्यक्तियों की संख्या	30	26	29	13	07	-

उग्रवादियों से संबंधित हिंसा की घटनाओं के ब्यौरे से पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति निम्नानुसार समझी जा सकती है :-

केन्द्रीय सरकार द्वारा उग्रवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम : *"विक्षुब्ध क्षेत्र"* के रुप में घोषित करना :

3.104 उग्रवाद से गंभीर रुप से प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों अर्थात् संपूर्ण मणिपुर, नागालैंड और असम तथा अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांग्लांग जिलों और उन राज्यों के 20 किलोमीटर क्षेत्र, जिनकी सीमा असम के साथ लगती है, को 1972 में यथासंशोधित शस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने भी, 22 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र और 5 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के हिस्से को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया है।

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती:

3.105 उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की यूनिटें और सेना को तैनात किया गया है। असम से केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का तैनाती प्रभार, सामान्य प्रभार के 10% की दर से लिया जाता है जबकि अन्य 6 पूर्वोत्तर राज्यों को, उनके संसाधनों की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस प्रभार से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है।

इंडिया रिजर्व बटालियनें :

3.106 केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को प्राधिकृत सीमा से कहीं अधिक संख्या में तैनात करने के बावजूद, राज्यों की मांगों को पूरी करना संभव नहीं है । देश में कानून और व्यवस्था की बढ़ती समस्या और उभरते आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, जिससे केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों पर काफी दबाव पड़ता है, गृह मंत्रालय ने इंडिया रिजर्व बटालियनों की संकल्पना प्रस्तुत की थी।

3.107 इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्कीम के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सशस्त्र पुलिस बटालियनें खड़ी करने की अनुमति दी गई है । इन बटालियनों को खड़ा करने और इनका रख-रखाव करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रति बटालियन व्यय की अधिकतम प्रतिपूर्ति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक बटालियन गठित करने के लिए अनुमत प्रचलित दर की सीमा में होगी (इसमें भूमि और भवन से संबंधित व्यय शामिल नहीं है जिसे राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा)। राज्य सरकारें, इंडिया रिजर्व पुलिस बटालियन के मानदंडों के अनुरूप इंडिया रिजर्व बटालियन गठित करने के लिए ऋण के सिवाय अन्य राशि अग्रिम रूप में जारी करा सकती हैं । इस प्रकार से जारी की गई समस्त राशि सहायता अनुदान के रूप में होगी । बटालियन गठित करने के समस्त प्रारंभिक व्यय की प्रतिपूर्ति सुरक्षा संबंधी व्यय प्रतिपूर्ति स्कीम के अधीन की जाएगी ।

3.108 भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए अभी तक, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 24 इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की है :-

राज्य	इंडिया रिजर्व बटालियनें
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	6
मणिपुर	4
मेघालय	2
मिझोरम	2
नागालैंड	2
त्रिपुरा	5
सिक्किम	1
कुल	24

शान्ति वार्ताएं

3.109 भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें तथा बिना शर्त वार्ता के लिए आगे आएं। एन.एस.सी.एन. (आई/एम), एन.एस.सी.एन.(के), वी.एल.टी..यू.पी.डी.एस. तथा डी.एच.डी. अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार से शांति वार्ता के लिए आगे आए हैं।

एन.एस.सी.एन.(आई/एम) के साथ संघर्ष विराम

3.110 भारत सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के इसाक मुइवाह ग्रुप से दिनांक 1.8.97 से औपचारिक संघर्ष विराम किया हुआ है। भारत सरकार तथा एन.एस.सी.एन. आई/एम के साथ संघर्ष विराम 31.7.2003 तक बढ़ा दिया गया है। केन्द्र सरकार ने एन.एस.सी.एन. तथा इसके धड़ों पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंध को आगे नहीं बढ़ाया है और भारत में शान्ति वार्ता सुकर बनाने के लिए प्रतिबंध को 26.11.2002 को समाप्त होने दिया गया। फिलहाल भारत सरकार तथा एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के बीच राजनीतिक वार्ता चल रही है। एन.एस.सी.एन.(आई/एम) के नेताओं के साथ वार्ता का पिछला दौर नई दिल्ली में दिनांक 21-23 जनवरी, 2003 को हुआ। एन.एस.सी.एन. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में दिए गए मूल मुद्दों के व्यापक क्षेत्र पर चर्चा की गई। एन.एस.सी.एन. ने नागाओं की विशिष्ट पहचान के संबंध में तथा नागा क्षेत्रों में एकीकरण के संबंध में अपने रुख से संबंधित मामले उठाए। चूंकि विचार विमर्श अधूरा रहा अतः सहमति यह हुई कि स्थायी समाधान पर पहुंचने तक शान्ति वार्ता जारी रखी जाए। दोनों पक्षों ने शान्ति-पूर्ण तथा हिंसा-मुक्त वातावरण की आवश्यकता की पुष्टि की।

एन.एस.सी.एन.(के) के साथ संघर्ष विराम

3.111 भारत सरकार ने एन.एस.सी.एन.(के) के साथ भी संघर्ष विराम किया है जिसे 28.4.2003 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा इस आशा के साथ किया गया है कि इससे नागालैंड में शान्ति का क्षेत्र बढ़ जाएगा तथा इस ग्रुप के साथ संघर्ष विराम किए जाने की नागालैंड की जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो जाएगी।

यू.डी.पी.एस. के साथ शांति वार्ता

3.112 श्री होरेन सिंग बे, महासचिव के नेतृत्व में यूनाईटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलीडेरिटी का एक धड़ा आगे आया है उसने हिंसा छोड़ने तथा भारत के संविधान के दायरे के भीतर अपनी समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान करने का इरादा जाहिर किया है। इस ग्रुप के साथ 1 अगस्त, 2002 से युद्ध विराम लागू हे। यू.पी.डी.एस. का अन्य धड़ा (शान्ति वार्ता विरोधी) अभी शान्ति वार्ता के लिए आगे नहीं आया है।

डी.एच.डी. के साथ शान्ति वार्ता

3.113 असम राज्य में सक्रिय (डी.एच.डी.) उग्रवादी गुट भी शांति वार्ता के लिए आगे आया है तथा उन्होंने हिंसा छोड़ने तथा भारत के संविधान के दायरे के भीतर अपनी समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान ढूढने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है। इस ग्रुप के साथ 1 जनवरी, 2003 से संघर्ष विराम लागू हे।

3.114 पूर्वोत्तर में अन्य विद्रोही ग्रुपों ने बताए गए पैरामीटरों के भीतर केन्द्र सरकार के शान्ति प्रयासों का अभी जबाव नहीं दिया है।

बी.एल.टी. के साथ केन्द्र सरकार और असम सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3.115 शान्ति समझौते के लिए भारत सरकार की नीति के परिणामस्वरुप बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी.एल.टी.) ने एकतरफा तौर पर अपना अभियान दिनांक 14.7.99 से स्थापित कर दिया। बोडो मामले के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी.एल.टी.) के बीच दिनांक 10 फरवरी, 2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता के मुख्य प्रावधान असम राज्य में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बी.टी.सी.) नाम से एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन करना, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत उक्त स्वायत्तशासी निकाय को संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था, बोडो की आर्थिक, शैक्षिक व भाषाई सामाजिक-संस्कृतिक और जातीय पहचान बनाए रखने की आकांक्षाओं की पूर्ति और बी.टी.सी. क्षेत्र में ढांचागत विकास कार्य में तेजी लाने से संबंधित है। समझौता ज्ञापन की मुख्य बातें निम्नप्रकार से हैं :-

(i) असम राज्य के भीतर बोडोलैंड टेरीटोरियल काउन्सिल (बी.टी.सी.) के नाम से एक स्वायत्त स्वशासी निकाय का सृजन और इस स्वायत्तशासी निकाय के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था। समझौते में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं कि बी.टी.सी. क्षेत्रों में गैर-आदिवासी, बी.टी.सी. के प्रारम्भ होने के समय उन्हें प्राप्त भूमि-अधिकारों सहित किसी अधिकारी और सुविधाओं के संबंध में नुकसान में न रहे।

(ii) परिषद को उन्हें सौंपे गए विषयों के संबंध में विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ होंगी।

(iii) बी.टी.सी. क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के विकास के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (असम राज्य को सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त) अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

(iv) भारत सरकार बोड़ो भाषा को देवनागरी लिपि में संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में अनुकूल दृष्टि से विचार करने पर सहमति हुई।

(v) इस शर्त के साथ कि असमी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता रहेगा, बोड़ो भाषा बी.टी.सी. की राजभाषा होगी।

(vi) विभिन्न प्रौद्योगिकियों/व्यवसायिक विधाओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्योग, व्यापार प्रबंधन आदि में शिक्षा देने के लिए एक केन्द्रीय रुप से वित्त पोषित केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आई.टी.) स्थापित किया जाएगा। बाद में सी. आई.टी. का बी.टी.सी. द्वारा संचालित एक केन्द्रीय वित्त पोषित तकनीकी और गैर तकनीकी विधाओं वाली राज्य विश्वविद्यालय के रुपा में उन्नयन किया जाएगा।

(vii) भारत सरकार असम राज्य की अनुसूचित जनजाति (हिल) सूची में कारबी आंगलोंग तथा एन.सी. हिल्स स्वायत

परिषद क्षेत्रों में रह रहे बोडो कछारी लोगों को शामिल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर भी सहमत हैं।

(viii) बोड़ो युवकों का पुलिस, सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इन बलों में इन युवकों की भर्ती करने पर विचार किया जाएगा।

(ix) असम में जातीय उपद्रवों से प्रभावित लोगों, जो वर्तमान में कोकराझार, बोंगाईगांव आदि में राहत शिविरों में रह रहे हैं, के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम (एस.आर.पी.) का कार्यान्वयन बी.टी.सी. के सक्रिय सहयोग से असम सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक निधियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा ऐसे पुनर्वास के लिए सभी विल्लंगमों से मुक्त अपेक्षित भूमि बी.टी.सी. द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(x) असम सरकार मौजूद बोड़ोलैंड स्वायत परिषद (बी.ए.सी.) को भंग करेगी तथा बी.ए.सी. अधिनियम, 1993 को निरस्त करेगी।

सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति:

3.116 तदनुसार, केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अधीन कतिपय पहचान-शुदा मदों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इनमें, राज्य सरकारों द्वारा (परिवहन सहित) नए वाहनों की खरीद, नये/वर्तमान वाहनों को बुलेट प्रुफ करने, गोला-बारूद सहित आटोमैटिक /सेमी-आटोमैटिक हथियारों, बुलेट प्रुफ जैकेटों और अन्य सुरक्षा कवचों की खरीद, तथा चल व अचल दोनों प्रकार के नवीनतम संचार उपकरणों, बम डिटेक्टर्स, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स कम्प्यूटर्स इत्यादि की प्राप्ति पर किया गया व्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त, पुलिस थानों से जुड़ी जेलों और निरूद्ध केन्द्रों पर किए गए पूंजीगत निर्माण कार्यों, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस और जेल प्रशासन के कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देने पर हुआ व्यय, इंडिया रिजर्व बटालियनों को गठित करने पर आया व्यय, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों/सेना की तैनाती हेतु अनिवार्य प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय, अनुग्रह अनुदान पर किया गया व्यय और उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों को दिए गए अनुग्रह अनुदान और निःशुल्क राहत पर किया गया व्यय तथा पकड़े गए उग्रवादियों को राज्य के बाहर जेलों में ले जाने पर अथवा राज्य के बाहर गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों को विशेष उड़ानों द्वारा राज्य में लाने पर हुआ व्यय, इत्यादि की भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

3.117 प्रधान मंत्री जी ने 22 जनवरी, 2000 को अपनी शिलांग यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार व्यय की प्रतिपूर्ति के योग्य मदों की सूची का और विस्तार करेगी। मदों की विस्तारित सूची में पुलिस द्वारा पीओएल (पेट्रोल, तेल तथा लुब्रीकेंट) पर किए गए व्यय, ग्रामीण गार्डों, ग्राम रक्षा समितियों और होम गार्डों (मार्ग निर्देश के अध्यधीन) पर किये गए व्यय की 50% राशि शामिल की जाएगी। सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा को मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित किया जाएगा। इस संबंध में कुल अतिरिक्त प्रतिपूर्ति 40 करोड़ पए वार्षिक होगी। सी.सी.एस. ने प्रस्ताव को 31 अक्तूबर, 2000 को मंजूरी दे दी है।

3.118 15 मार्च, 2003 को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों को जारी/अनुमोदित राशि निम्न प्रकार से है:-

सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के अधीन जारी की गई राशि

(करोड़ रु0 में)

राज्य	1997-98 में जारी	98-99 में जारी	1999-2000 में जारी	2000-01 में जारी	2001-02 में जारी	2002-03 में जारी (15.3.2003 तक)	कुल
असम	131.91	78.86	52.17	63.97	92.86	68.01	487.78
नागालैंड	0	35.61	17.88	7.50	12.71	16.92	90.62
मणिपुर	0	19.43	3.44	14.18	4.00	7.64	48.69
त्रिपुरा	0	28.55	17.53	15.00	27.70	29.85	118.63
अरुणाचल प्रदेश	।	।	।	1.00	1.90	8.35	11.25
मेघालय	।	।	।	3.21	00.60	0.95	4.76
जोड़	131.91	162.45	91.02	104.86	139.77	131.72	761.73

पूर्वोत्तर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (माल के रूप में)

3.119 मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 100% केन्द्रीय वित्त पोषित विशेष योजना जिसे विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (माल के रूप में) कहा जाता है, शुरू की है जिसमें (i) शस्त्र और गोला-बारूद (ii) वाहनों (iii) संचार उपकरणों और (iv) अन्य अनिवार्य उपकरणों की आपूर्ति करने पर बल दिया गया है। सम्पूर्ण स्कीम 1997-98 से 2001-2002 तक के पांच वर्षों के लिए 285 करोड़ रुपए की राशि सहित सुरक्षा पर मंत्री मंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी जिसे 2002-2003 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सिक्किम को भी लाभ भोगी राज्यों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत 15 मार्च, 2003तक किया गया व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :-

(रु0 लाख में)

राज्य	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल
असम	1710	664	2272	2245	1821	1561	10273
नागालैण्ड	616	108	452	651	593	1588	4008
मणिपुर	626	98	554	651	362	1149	3440
त्रिपुरा	611	133	606	1381	832	1036	4599
मेघालय		122	474	635	325	488	2044
मिजोरम		67	346	436	365	791	2005
अरूणाचल प्रदेश		56	386	538	76	541	1597
सिक्किम				206	89	174	469
कुल	**3563**	**1248**	**5090**	**6743**	**4463**	**7328**	**28435**

3.120 इस योजना को वर्ष 2002-2003 से आगे पांच वर्षों, 2003-04 से 2007-08 तक बढ़ाने के लिए 60 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की दर से कुल 300 करोड़ रू0 के अतिरिक्त परिव्यय का प्रस्ताव भी वित्त मंत्रालय के विचारार्थ/मंजूरी हेतु भेजा गया है।

समर्पण और पुनर्वास नीति:

3.121 केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी केन्द्र द्वारा 100% वित्त पोषित, समर्पण और पुनर्वास योजना तैयार की है जिससे उन गुमराह युवकों और कट्टर उग्रवादियों को उग्रवाद के रास्ते से विमुख किया जा सके जो भटक कर उग्रवाद के शिकंजे में फंस गए थे और अब स्वयं को उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है वे अब पुनः उग्रवाद की राह पकड़ने के लिए आकर्षित न हों। इस योजना के अधीन, हथियार सहित समर्पण करने वाले उग्रवादियों को प्रारंभ में (एक वर्ष की अवधि के लिए) पुनर्वास कैंपों में रखा जाएगा। ये पुनर्वास कैंप वरीयतः गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सुरक्षा बलों की सहायता से चलाए जाएंगें तथा इन कैंपों में उन्हें उनकी पसंद के रोजगार पर कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्हें 12 माह तक मासिक वृत्तिका प्रदान की जाएगी जो अधिकतम 2000 रुपये मासिक तक होगी और इस अवधि में समर्पणकर्ताओं को बसाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। सफलतापूर्वक पुनर्वासित समर्पण कर्त्ताओं के खिलाफ लगे छोटे-मोटे अपराधों के आरोपों को वापिस ले लिया जाएगा। हथियार / गोला-बारूद सहित समर्पण करने वालों के लिए स्कीम में मौद्रिक प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है।

ए टी टी एफ ग्रुप के तीन उग्रवादी 11 जुलाई, 2002 को 11 असम राइफल्स के कमांडेन्ट कर्नल अमित शर्मा के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए।

पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं

3.122 दिसम्बर, 1992 में सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने पूर्वोत्तर में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ करने हेतु अपनी मंजूरी दी थी। यह मैसर्स पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के 75% के बराबर इमदाद के जरिए संचालित की जानी थी । इमदाद गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान की जानी थी। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर अरूणाचल प्रदेश में दिसंबर 1995 से, सिक्किम में अक्तूबर 1998 से और मेघालय में जनवरी 1999 से हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई थी । सरकार ने मई, 2002 में अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में हेलीकॉप्टर सेवाएं जारी रखने तथा त्रिपुरा राज्य को हैलीकॉप्टर्स सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है ।

पड़ोसी देशों से कूटनीतिक पहलें:

बांग्लादेश

3.123 बांग्लादेश में भारतीय आतंकवादी संगठनों के प्रचुरोद्भवन के बारे में विभिन्न आसूचना एजेन्सियों तथा मीडिया से बड़ी संख्या में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। बांग्लादेश में स्थित अपने अड्डों से कार्य संचालन करने वाले भारतीय विद्रोही ग्रुपों को बांग्लादेश राइफल्स का संरक्षण प्राप्त है जो न केवल उन्हें कैम्प स्थापित करने और आवश्यक संभारिकी सहायता प्राप्त करने में मदद करते हैं वरन् उन्हें समय-समय पर सुरक्षा कवर भी प्रदान करते हैं।

3.124 भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बैठकों में बांग्लादेश के क्षेत्र से भारत के आतंकवादी ग्रुपों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों पर समय-समय पर चिन्ता व्यक्त की है बांग्लादेश से आग्रह किया गया है कि वह बांग्लादेश में छिपे उग्रवादियों के विरूद्ध दृढ तथा प्रदर्शन योग्य कार्रवाई करें । तथापि, बांग्लादेश ने यह कहते हुए कि वह भारत सहित किसी भी देश के विरुद्ध प्रतिकूल गतिविधियों करने के लिए अपने भू-भाग का प्रयोग आवंछनीय तत्वों को करने की अनुमति नहीं देगा, बांग्लादेश में भारतीय उग्रवादी ग्रुपों के मौजूद होने से इंकार किया है।

3.125 गृह मंत्रालय का बांग्लादेश सरकार से परस्पर बात-चीत के लिए व्यापक तंत्र है । राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों देशों के गृह सचिवों को वर्ष में एक बार तथा संयुक्त सचिव के स्तर पर संयुक्त कार्य ग्रुप को छः माह में एक बार मिलना होता है ।

3.126 भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्य ग्रुप की पिछली बैठक जनवरी, 2003 में ढाका में हुई, जिसमें सुरक्षा संबंधी मामलों और सीमा पार से अवैध आप्रवासन पर विचार-विमर्श हुआ। उक्त बैठक में भारतीय पक्ष ने भारतीय विद्रोही ग्रुप द्वारा भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध बांग्लादेश के क्षेत्र का प्रयोग करने के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने 99 कैम्पों का संदर्भ दिया जिनकी सूची पहले ही बांग्लादेश को सौंपी जा चुकी है। भारतीय पक्ष ने उन 88 विद्रोहियों की सूची जिन्हें 1997 से अब तक बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है जिनके निर्वासन/प्रत्यर्पण के लिए पहले ही निवेदन किया गया है, की सूची पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश में मौजूद विभिन्न एजेंसियों तथा रुढ़िवादी ग्रुपों के भारत विरोधी अभियान पर भी चिन्ता व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश सरकार से भारतीय हितों के विपरीत कार्यरत तत्वों के विरुद्व सख्त कार्रवाई करने पर बल दिया।

म्यांमार:

3.127 इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए 29.1.94 को नई दिल्ली में म्यांमार सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे । तब से राष्ट्र स्तरीय बैठकें और अनेक सेक्टरल स्तर की बैठकें आयोजित की गई है । म्यांमार प्राधिकारी ने कुछ सुरक्षा संबंधी मामलों में सहयोग प्रदान किया है जिससे पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिली है । भारत और म्यांमार के बीच 8वीं राष्ट्र

स्तरीय बैठक नई दिल्ली में 10-11 जुलाई, 2002 को आयोजित की गई थी । इससे दोनों देशों को सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के मुद्दों विशेष रुप से आतंकवाद नियंत्रण और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के अलावा विभिन्न प्रकार की सीमा पार विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा।

भूटान:

3.128 ऐसी रिपोर्टें है कि उल्फा बोडो तथा के.एल. ओ. उग्रवादियों के भूटान में कैम्प/छिपने के स्थान हैं । इस मामले को कूटनीतिक चैनलों के जरिए रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के साथ उठाया गया है । सीमा पर सुरक्षा भी सुदृढ की गई है ।

पूर्वोत्तर स्टडी ग्रुप का गठन:

3.129 मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्री की सहमति से पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति की निरंतर निगरानी करने तथा गृह मंत्रालय को उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक सलाहकार ग्रुप का गठन किया है। तदनुसार, एन.ई.एस.जी. ने विद्रोह को काबू करने तथा जनोन्मुखी विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्येां के शासन, विकास तथा सांस्कृतिक एकता के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है । गृह मंत्रालय ने एन.एस.ई.जी. की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयेां/विभागों से उनकी टिप्पणियां जानने के लिए इन्हें उनके साथ उठाया है ।

वामपंथी उग्रवादी हिंसा

3.130 9 राज्यों के 53 जिलों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा गंभीर चिन्ता का विषय बनी रही। वर्ष 2002 के दौरान, नक्सलवादी हिंसा में पिछले वर्ष की तुलना में (2001 में हुई 1208 घटनाओं)/564 मौतों की तुलना में इस वर्ष 1465 घटनाएं/482 मौतें हुई) बढ़ोत्तरी हुई है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से हैं।

वामपंथी उग्रवाद की राज्य-वार स्थिति निम्न सारणी में दी गई है:-

राज्य का नाम	2000	2001	2002
आन्ध्र प्रदेश	425(113)	461(180)	346(96)
बिहार	278(170)	169(111)	239(117)
छत्तीसगढ़	79(48)	105(37)	304(55)
झारखंड	318(193)	355(200)	353(157)
मध्य प्रदेश	7(4)	21(2)	17(3)
महाराष्ट्र	35(11)	34(7)	83(29)
उड़ीसा	15(3)	30(11)	68(11)
उत्तर प्रदेश	4(4)	22(12)	20(6)
पश्चिम बंगाल	4(2)	9(4)	17(7)
अन्य राज्य	14(2)	2(-)	18(1)
कुल	1179(550)	1208(564)	1465(482)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मौतों को दर्शाते हैं)

3.131 माओवादी कम्यूनिस्ट सेंटर और कम्यूनिस्ट पार्टी - मार्क्सवादी लेनिनवादी - पीपुल्स वार ग्रुप (सी.पी.एम.एल. - पी.डब्ल्यू.) अपने प्रभाव और आपरेशन क्षेत्रों में वृद्धि करने, अपने संगठनात्मक कार्यों को सुव्यवस्थित करने तथा अपने भूमिगत साधनों को सुदृढ़ करने और उनका सैन्यीकरण करने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रहे हैं तथा वे 85.9% नक्सलवादी हिंसा और उनके परिणामस्वरुप हुई मौतों के लिए जिम्मेवार हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (माओवादी), सी.पी.एन. (एम.) दोनों का मिलकर प्राथमिक उद्देश्य, नेपाल से बिहार और आन्ध्र प्रदेश के दण्डकारण्य क्षेत्रों में एक काम्पेक्ट रिवोल्यूशनरी जोन (सी. आर.जैड़) बनाने के लिए नए क्षेत्रों में अपने पैर पसारना है।

3.132 राज्य सरकरों द्वारा पुलिस कार्रवाई करने के परिणामस्वरुप वर्ष 2002 के दौरान 121 उग्रवादी मारे गए और 537 शस्त्र बरामद किए गए। इस अवधि के दौरान, पुलिस द्वारा 2523 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए और 691 उग्रवादियों ने जिला/पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

3.133 इन राज्यों में, वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों के समग्र आयाम को ध्यान में रखते हुए वामपंथी गतिविधियों को रोकने, प्रत्येक राज्य के संबंध में कार्य योजना का प्रबोधन करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की पुनरीक्षा करने और उनका समन्वय करने के लिए और विकास और समस्या के सुरक्षा पहलुओं, दोनों के बारे में,

सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय केन्द्र गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव है और गंभीर रुप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उसके सदस्य हैं। इस समन्वय केन्द्र ने अभी तक 11 बैठकें की हैं, पिछली बैठक 8.11.2002 को रांची, झारखंड में हुई थी।

3.134 राज्यों द्वारा अधिक कारगर कार्रवाई करने में उनकी सहायता के लिए, सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति स्कीम कार्यान्वित की है, जिसके तहत वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की 50% प्रतिपूर्ति की जाती है ओर इसके तहत अप्रैल, 1996 से मार्च 2001 (जिसे मार्च 2006 तक बढ़ाया गया है) तक की अवधि को कवर किया गया है। 50% प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत कवर की गई व्यय की मदों में, वाहनों को बुलेट प्रुफिंग करना, इंडिया रिजर्ब बटालियनें खड़ी करना (100%), अर्ध स्वचालित और स्वचालित हथियारों का प्रापण, जिप्सी इत्यादि जैसे वाहन खरीदना, वाहनों को अधुनातन संचार उपकरणों से लैस करना, राज्यों द्वारा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों/सेना की तैनाती के लिए आवश्यक व्यवस्था करने पर किया गया व्यय, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान और मुफ्त राहत तथा उग्रवाद विरोधी कार्यो के लिए राज्य पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देना शामिल है। अभी तक, प्रभावित राज्यों को 96.70 करोड़ रु0 की प्रतिपूर्ति की गई है।

3.135 8.2.2003 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, कुछेक राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में इस समस्या से निपटने के लिए द्वि-आयामी रणनीति अपनाने पर सहमति हुई। एक तरफ आसूचना संग्रहण उसके आदान-प्रदान की सभी खामियों को दूर करने और एक पदनामित समन्वयक के अन्तर्गत संबंधित राज्यों के विशेष कार्य बल द्वारा सुसमन्वित नक्सलवाद विरोधी अभियान चलाने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ प्रभावित जिलों में भौतिक और सामाजिक संरचना के त्वरित विकास पर राज्यों द्वारा अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि उग्रवाद की बुराईयों का एक मूल कारण कुशल प्रशासन की कमी भी है। इसलिए प्रशासनिक मशीनरी को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवदेनशील बनाने की आवश्यकता है। एक प्रभावी लोक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने और प्रभावित जिलों में स्थिर कार्यकाल के साथ, प्रतिबद्ध और ईमानदार अधिकारियों को तैनात करने पर भी सहमति हुई।

3.136 अपनी तरफ से केन्द्र सरकार ने योजना आयोग से अपनी नई स्कीमों "पिछड़े जिलों के लिए पहलें" में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को शामिल करने का अनुरोध किया है जिसके तहत अगले तीन वर्षों के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष अतिरिक्त 15 करोड़ रु0 दिए जाते हैं ताकि चुनिन्दा जिलों में भौतिक और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण अन्तर को दूर करने में राज्य समर्थ हो सके। इस बात को ध्यान में रखंते हुए कि नेपाल में माओवादी हिंसा का देश के आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य पर कुछ असर हो सकता है, विशेष रुप सी.पी.एम.एल. - पी. डब्ल्यू. और एम.सी.सी. के साथ सी.पी.एन (माओवादी) के सम्पर्कों को ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित राज्यों और उन राज्यों, जिनकी सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं, से माओवादी तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में गश्त गहन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न राज्यों में विशेष रुप से नेपाल की सीमा से लगे राज्यों में समय-समय पर सी.पी.एन. (माओवादी) उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गयाहै। नेपाल और भारत, दोनों देशों ने, अपने-अपने क्षेत्रों का प्रयोग, एक-दूसरे के हितों के विरुद्व या प्रतिकूल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न होने देने का संकल्प लिया है।

3.137 विशेष सेवा ब्यूरो (एस.एस.बी.) को सीमावर्ती राज्य उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है जिसमें उत्तरांचल के पिथौरागढ़, चम्पावत, उधमसिंह नगर जिले, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के कुछ भाग और बिहार के पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, पिपराकोटी, किशनगंज, सीतामढ़ी, सोपोल और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला आता है।

3.138 अखिल भारत नेपाली एकता समाज, (ए.बी.एन.ई.एस.),

जो सी.पी.एन. (माओवादी) का अग्रणी संगठन है, को पोटा 2002 के तहत आतंकवादी संगठन अधिसूचित किया गया है।

आतंकवाद और आई.एस. आई. गतिविधियां

3.139 पाकिस्तान ने आतंकवाद और प्रच्छन्न कार्रवाई का इस्तेमाल लगातार भारत के विरुद्ध अपनी सरकारी नीति के एक साधन के रुप में इस्तेमाल किया है। इसने आतंकवादियों को भर्ती करने, प्रशिक्षित करने, वित्तपोषित करने एवं शस्त्र प्रदान करने के कार्य किए हैं तथा भारत में उनकी घुसपैठ करवाई है। साथ ही इसने ज्ञात भारत-विरोधी तत्वों को आश्रय दियाहै और भारत में कानूनी दृष्टि से फरार घोषित व्यक्तियों को शरण दी है, इसने भारत में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से भारतीय जनता में राज्य के प्रति नफरत बढ़ाने का भी काम किया है।

3.140 आई.एस. आई. की रणनीति की मुख्य विशेषता आतंकवादियों को धन, प्रशिक्षण, हथियार इत्यादि देकर और जम्मू और कश्मीर से पूर्वोत्तर राज्यों तक एक व्यापक क्षेत्र में छद्म युद्ध के कार्यों में वृद्धि करना और घुसपैठ बढ़ाना है। उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए नेपाल और बांग्लादेश को प्रमुख संचालन अड्डों के रुप में बदलने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। आई.एस. आई. अपनी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए पूर्वोत्तर में विद्रोही ग्रुपों जैसे उल्फा और के.एल. ओ., नेपाल और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवादियों और माओवादियों के बीच गठजोड़ कराने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

3.141 आई.एस. आई. एजेन्टों की गतिविधियों को निष्क्रिय करने और आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं :-

(i) मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

3.142 देश में व्याप्त सुरक्षा परिदृश्य और अप्रैल 2000 में कारगिल पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की, इसकी समग्रता में, पुनरीक्षा करने के लिए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल करके मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया था। मंत्रियों के ग्रुप ने, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आसूचना तंत्र और रक्षा प्रबंधन पर 4 कार्य बल गठित किए थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्टें मंत्रियों के ग्रुप को प्रस्तुत कर दी है। मंत्रियों के ग्रुप ने कार्य बलों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अनेक सिफारिशें तैयार की हैं। मंत्रियों के ग्रुप की कार्रवाई योग्य सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई सरकार ने, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, पहले ही शुरु कर दी है। प्रगति का प्रबोधन सरकार द्वारा नियमित रुप से किया जा रहा है। आन्तरिक सुरक्षा पर कार्रवाई योग्य 94 सिफारिशें में से अभी तक 61 सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं। कार्यान्वित की गई प्रमुख सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को सुदृढ़ करना और उनका आधुनिकीकरण करना, सीमा प्रबंधन और आपदा के लिए पृथक प्रभाग का सृजन करना तथा मंत्रालय में आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग को सुदृढ़ करना शामिल है।

(ii) आसूचना को सुदृढ़ करना

3.143 आसूचना प्रयासों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, आसूचना ब्यूरो को आतंकवाद विरोधी और प्रति-आसूचना के लिए नोडल एजेन्सी के रुप में पदनामित किया गया है। इष्टतम आसूचना के आदान-प्रदान और बहुउद्देशीय एजेन्सियों के बीच समन्वय के लिए दिल्ली में आसूचना ब्यूरो में एक बहु एजेन्सी केन्द्र (एम.ए.सी.) का गठन किया गया है, जिसकी सहायता, आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में सभी केन्द्रीय एजेन्सियों और राज्य पुलिस बलों के आसूचना प्रयासों को सहक्रियाशील करने के लिए श्रीनगर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई और हैदराबाद स्थित सहायक बहु-एजेन्सियों द्वारा की जाती है। राज्य पुलिस बलों की विशेष शाखाओं के कौशल को बढ़ाने और केन्द्रीय पुलिस संगठनों ओर राज्य पुलिस बलों के आसूचना एककों के प्रयासों का समन्वय करने के लिए एक संयुक्त आसूचना कार्य बल गठित किया गया है। इसके आसूचना संग्रहण और विश्लेषण के लिए सभी पहलुओं के आनुषंगिक बहु एजेन्सी/बहु साधन दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसूचना प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं, जरुरतों,

प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्धारण और कौशल का उन्नयन करना शामिल है। जे.टी.एफ. आई. की सहायता, एक से अधिक राज्यों से संबंधित आन्तरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बनाई गई अन्त-र्राज्यीय आसूचना सहायता टीमों (आई.एस. आई.एस.टी.) द्वारा की जाती है।

3.144 केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा एजेन्सियों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरुप, पिछले तीन वर्षों (2000-2002) के दौरान विभिन्न राज्यों में 110 आई.एस. आई. समर्थित मोडयूल और 71 पाक जासूसी मोडयूल निष्फल किए गए हैं।

(iii) सीमा प्रबंध को सुदृढ़ करना

3.145 अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का उचित प्रबंध, विशेष रुप से भारत-बांग्लादेश, भारत-नेपाल और भारत-पाकिस्तान सीमाओं से होने वाली घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आतंकवादियों की घुसपैठ और शस्त्रों, गोलाबारुद की तस्करी, नशीली दवाओं के व्यापार और सीमा पार से अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार, रणनीति के एक हिस्से के रुप में, सरकार ने भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाने ओर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम शुरु किया है। सरकार ने गुजरात सेक्टर के संकरी खाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा को को सुदृढ़ किया है। भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए एस.एस.बी. को सीमा चौकसी बल के रुप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र, सीमा पर उच्च-तकनीक इलेक्ट्रोनिक निगरानी उपकरण लगाना, प्रमुख सीमा चौकसी बल को, उस सीमा के लिए अग्रणी एजेन्सी के रुप में पदनामित करना और सीमाओं के प्रबंधन के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की अन्य पहलें की है।

(iv) विधायी उपाय

3.146 सरकार ने आतंकवाद के वित्त पोषण सहित आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा, आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा) अधिनियमित किया है। पोटा के तहत 32 संगठनों को आतंकवादी संगठन अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए संगठित अपराध से अवैध धन आने से रोकने के लिए मनी-लाऊन्डरिंग अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है।

(v) राज्य सरकारों को सुग्राही बनाना

3.147 आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य में उभरते हुए खतरों के प्रति राज्य सरकारों को सुग्राही बनाने और आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष दो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। एक मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का और दूसरा मुख्यमंत्रियों का। हाल ही में 8.2.2003 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय निम्न प्रकार से हैं :-

(क) राज्य, अपने पुलिस बलों की विशेष शाखाओं को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करेंगे और आसूचना तंत्र (बहु-एजेन्सी केन्द्र और आसूचना पर संयुक्त कार्य बल) का पूरा लाभ उठाएंगे। आगे यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि राज्य, आई.एस. आई. प्रायोजित मोडयूलों/ आतंकवादी एककों/आंतकवादी घटनाओं से कारगरता से निपटने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों और अधुनातन हथियारों से सुसज्जित एक विशेष कार्य बल गठित करेंगे।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आंतकवाद का खतरा और पाक आई.एस. आई. की गतिविधियों का विस्तार जम्मू और कश्मीर के अलावा देश के अन्य भागों में न हो जाए, राज्य, आतंकवाद की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्थानीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने और प्रशिक्षित कार्मिकों और अधुनातन हथियारों से सुसज्जित विशेष कार्य बल गठित करने पर सहमत हुए।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रुप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, में भौतिक और सामाजिक ढांचे के विकास और कुशल प्रशासन पर भी जोर दिया गया।

(घ) राज्यों से, सुरक्षा तंत्रों को सुदृढ़ करने और नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में सीमा चौकसी बलों के साथ मिलकर पुलिस गश्त को गहन करने का अनुरोध किया गया है। अवैध विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने ओर उन्हें उनके देश वापस भेजने तथा अवैध शस्त्रों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया है।

(vi) राज्य पुलिस बलों का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण

3.148 आन्तरिक सुरक्षा के लिए विभिन्न खतरों से प्रभावी रुप से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को मानते हुए, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। हालांकि स्कीम के परिव्यय को पर्याप्त रुप से बढ़ाकर प्रति वर्ष 1000 करोड़ रु0 कर दिया गया है, स्कीम के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग में काफी सुधार करने की जरुरत है। इसलिए राज्यों से इस स्कीम के तहत लिए गए धन का पूर्ण और उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने के लिए कहा गया है।

(vii) राजनयिक पहलें

3.149 सीमा पार आतंकवाद, अपराध और अन्य गंभीर अपराध जैसे नशीली दवाओं का व्यापार, मनी लाऊन्डरिंग, जाली मुद्रा इत्यादि से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संधि और आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य ग्रुप के रुप में कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:-

(क)आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य ग्रुप:

3.150 संयुक्त कार्य ग्रुप, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, आतंकवाद विरोधी, आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग, नशीली दवाओं के व्यापार, आतंकवादी ग्रुपों के बारे में आसूचना का आदान-प्रदान तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विचारों का आदान-प्रदान करता है। भारत ने, 14 देशों नामत: अमेरिका, इग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इसराईल, यूरोपियन यूनियन, चीन, कजाखस्तान, सिंगापुर, ट्यूनिशिया, रुस और थाईलैंड के साथ पहले ही आतंकवाद/अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य ग्रुप स्थापित कर लिए हैं।

(ख) आपराधिक मामलों में द्विपक्षीय कानूनी सहायता संधि:

3.151 भारत ने 14 देशों नामत: तुर्की, स्विटजरलैंड, रुस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इग्लैंड, कजाखस्तान, मंगोलिया, ताजिकस्तान, उजबेकिस्तान और यूक्रेन के साथ आपराधिक मामलों में द्विपक्षीय कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.152 आस्ट्रेलिया, मिश्र, श्रीलंका, तुर्कीमिस्तान, बुलगेरिया, फिलीपाईन, अजरबेजान, इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ, नशीली दवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार को रोकने, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध पर संधि/समझौते पर बातचीत की जा रही है।

(ग) प्रत्यर्पण संधि:

3.153 भारत ने, बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, नेपाल, नीदरलैंड, रुस, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमिरात, फ्रांस और अमेरिका, मंगोलिया, ट्यूनिशिया, तुर्की, यूक्रेन और उजबेकिस्तान के साथ पत्यर्पण संधि पर हस्ताखर किए हैं।

3.154 संक्षेप में, सरकार, भारी कठिनाईयों के बावजूद, विदेशी और देशी उग्रवाद और अतिवाद, आतंकवाद की ताकतों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास यह रहा है कि देश में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति के उभरते खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाओं और रणनीतियों की निरन्तर समीक्षा की जाए।

अध्याय

IV

नई चुनौतियां और पहलें

आपदा प्रबन्धन

प्रस्तावना

4.1 भौगोलिक-जलवायु स्थितियों के कारण, भारत में परम्परागत रुप से प्राकृतिक आपदाओं की संभावना रहती है। वर्ष 1999 में उड़ीसा में महाचक्रवात और वर्ष 2001 में भुज, गुजरात में विनाशकारी भूकंप ने देश की अति संवेदशीलता के साथ ही साथ ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकताओं को उजागर किया है। 11 सितम्बर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमले ने मानवकृत आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकताओं पर भी बल दिया है।

4.2 आंतरिक सुरक्षा पर मंत्रियों के ग्रुप ने स्थिति की समीक्षा की और सिफारिश की कि आपदा प्रबंधन विषय कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए जो मानवनिर्मित आपदाओं सहित आपदा प्रबंधन (सूखे को जोकि कृषि मंत्रालय के पास है और अन्य मंत्रालयों/विभागों को आबंटित विशिष्ट आपदाओं को छोड़कर) के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेवार होगा। तद्नुसार, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961, 23 फरवरी, 2002 को संशोधित किए गए और प्राकृतिक आपदाएं (सूखे या महामारी को छोड़कर) तथा मानवनिर्मित आपदाएं (अन्य मंत्रालयों/विभागों को आबंटित विशिष्ट मदों को छोड़कर) आने पर राहत उपायों के समन्वय की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई।

4.3 गृह मंत्रालय में उपलब्ध तंत्र/क्षमताओं तथा उन तंत्र/क्षमताओं जिन्हें अभी स्थापित किया जाना है, के संबंध में भी व्यापक समीक्षा की गई। आपदा के बाद न्यूनीकरण और तैयारी की कार्रवाई की नीति में परिवर्तन किया गया है। जबकि प्राकृतिक जोखिमों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है फिर भी इन जोखिमों को उपयुक्त न्यूनीकरण उपाय करके, आपदा में बदलने से रोका जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया है कि न्यूनीकरण उपायों को विकास रणनीति/परियोजनाओं में ही शामिल कर दिया जाए। प्रत्येक आपदा, दुर्लभ जनसंसाधनों के निवेश के बाद दशकों से हासिल की की गई प्रगति को समाप्त कर देती है और यदि हुए नुकसान-प्रगति को हुई हानि को राहत और पुनर्वास कार्यों में खर्च की गई धनराशि के हिसाब से देखा जाए तो नुकसान को कम करने में किया गया निवेश, अन्य निवेशों की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है। यह भी नोट किया गया है कि तैयारी और क्षमता निर्माण में निवेश करने की आवश्यकता है जिसके लिए तलाशी और बचाव कार्य में विशिष्ट क्षमताओं के निर्माण, उपयुक्त तकनीकी-विधायी शासन स्थापित करने, जागरुकता पैदा करने और पहले-पहल कार्रवाई करने वालों को प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण देने की जरुरत होती है। गृह मंत्रालय ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक रुपरेखा/कार्ययोजना तैयार की है और इस रुपरेखा के अनुसार कार्य कर रहा है। निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) आई.एम.डी. और सी.डब्ल्यू.सी. से प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की समीक्षा करने तथा आवश्यकतानुसार प्रणालियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु एक परियोजना तैयार करने को कहा गया है।

(ii) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की 12 कंपनियां उद्दिष्ट की गई हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा जटिल आपदाओं में तलाश और बचाव कार्य के लिए तैयार रहने हेतु सुसज्जित किया गया है।

(iii) चार कंपनियों उद्दिष्ट की गईं हैं और उन्हें एन.बी.सी. संबंधी आपदाओं/आपात स्थितियों से निपटने के लिए

प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है।

(iv) विश्वभर में सभी आपदाओं में तलाश और बचाव तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए अग्निशमन सेवाओं का प्रयोग किया जाता है जबकि हमारे देश में अग्निशमन सेवाएं परम्परागत रुप से केवल अग्नि संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। इसे बदला जा रहा है। सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षित और सुसज्जित करने हेतु एक परियोजना तैयार की गई है - वास्तव में उन्हें सभी आपदाओं में कार्रवाई करने वाली ईकाईयों में परिवर्तित किया जा रहा है।

(v) सभी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपदा से निपटने/तलाश और बचाव से संबंधित कार्य शामिल किया जा रहा है - यह उनकी भर्ती के बाद के बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवाकालीन पुनश्चर्या प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग होगा। उन्हें जहां-कहीं भी आवश्यकता होगी, आपदा से निपटने में सहायता हेतु बुलाया जा सकता है।

(vi) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के क्षेत्रीय केन्द्रों में उपकरणों का भंडारण करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें जहाँ-कहीं आवश्यक हो आपदा से निपटने हेतु इस्तेमाल किया जा सके।

(vii) तलाश और बचाव/आपदा से निपटने संबंधी कार्य सभी राज्य पुलिस कांस्टेबलों के बुनियादी प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग होगा तथा सी.टी.सी. में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तदनुसार संशोधित किया जाएगा। पी.टी.सी. (पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज) में उप निरीक्षकों और उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आपदा से निपटने और प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल करने के लिए उन्हें संशोधित किया जाएगा।

(viii) बहु-आपदा बहुल जिलों के गांवों से स्वयं सेवक लेकर बनाई गई ग्रामीण स्तरीय आपदा प्रबंधन दलों के गठन हेतु यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक परियोजना शुरु की गई है। इससे ग्रामीण आपदा के खतरे से अवगत होंगे और बचाव, राहत तथा प्रथम उपचार इत्यादि हेतु स्वयंसेवकों के दल का गठन करने में समर्थ होंगे। इस परियोजना से जिला प्रशासन/राज्य प्रशासन को कार्रवाई योजनाएं बनाने में भी मदद मिलेगी। परियोजना के प्रथम चरण पर कार्य चल रहा है।

(ix) एक भूकंप न्यूनीकरण परियोजना बनाई गई है। इसमें भूकम्पीय जोन V और IV में आने वाले राज्य शामिल होंगे। इस परियोजना से उपुयक्त प्रौद्योगिकी - विधि शासन स्थापित करने और भूकम्प के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए मानकों के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य बनाने के लिए नगरपालिका उप नियम और क्षेत्रीय नियमों को बदलने, भूकम्प-रोधी निर्माण डिजाइनों को प्रकाश में लाते हुए व्यापक जागरुकता कार्यक्रम चलाने, राज्य लोक निर्माण विभागों के इंजीनियरों के साथ-साथ नगरपालिका निकायों में विनियंत्रकों को प्रशिक्षण देने, राज-मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन इकाईयां स्थापित करने और कुछेक आवश्यक सुविधाओं जैसे अस्पतालों आदि में अपेक्षित परिवर्तनों के अनुसार सुधार किया जा सकेगा।

(x) एक चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना तैयार की जा रही है।

(xi) सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विकास योजनाओं में, आपदा न्यूनीकरण हेतु योजनाओं/परियोजनाओं को वरीयता दी जानी चाहिए और सभी परियोजनाओं में आवश्यक विचारार्थ विषय के रुप में आपदा न्यूनीकरण होना चाहिए।

(xii) आई.ए.वाई. और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीमों के अंतर्गत निर्माण हेतु दिशानिर्देशों में उपयुक्त निर्माण मानक शामिल करने और इन निधियों को न्यूनीकरण संबंधी परियोजना पर खर्च करने की अनुमति देने के लिए भी ग्रामीण विकास विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

(xiii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अंडर-ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स में आपदा न्यूनीकरण

प्रौद्योगिकियों को आवश्यक घटक के रुप में शामिल करने की सलाह दी गई है।

(xiv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं के स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम के हिस्से के रुप में आपदा जागरुकता/सभी प्रकार की आपदाओं के मामले में साधारण, क्या करें और क्या न करें संबंधी अनुदेश शामिल करने का अनुरोध किया गया है। मसौदा अध्याय शामिल करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को भेज दिए गए हैं।

(xv) 24 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन हेतु संकाय खोल दिए गए हैं।

(xvi) मंत्रालय, मानव संसाधन विकास/ प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने के लिए एक मानव संसाधन विकास योजना तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण और तैयारी में प्रशिक्षण को ग्रामीण स्तरीय अधिकारियों, कामगारों/पंचायत सेवकों इत्यादि की इंडक्शन ट्रेनिंग का आवश्यक अंग बनाना है।

(xvii) पूर्व वित्त आयोग के विचारणीय विषय केवल राहत व्यय के वित्त पोषण तक ही सीमित थे। 12वें वित्त आयोग के विचारणीय विषय का विस्तार किया गया है ताकि इसमें आपदा प्रबंधन (जिसमें न्यूनीकरण और इससे निपटने के लिए तैयारी शामिल है) का वित्त पोषण शामिल किया जा सके।

(xviii) राज्य सरकारों को अपने राहत और पुनर्वास विभागों को आपदा प्रबंधन विभाग में बदलने की सलाह दी गई है ताकि वे केवल आपदा और राहत संबंधी काम देखने की बजाय आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण और उसके लिए तैयारी करने सहित) के सभी पहलुओं पर ध्यान दे सकें।

(xix) राज्य सरकारों को हरेक जिले के लिए विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने की भी सलाह दी गई है।

(xx) एक आपदा संसाधन तंत्र का प्रारुप तैयार किया जा रहा है।

4.4 यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार एक व्यापक मोर्चा तैयार करने की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य न्यूनीकरण और तैयारी के साथ-साथ क्षमता निर्माण के प्रयासों पर ध्यान देना है ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

4.5 आपदा प्रभाव को कम करने की क्षमताओं में वृद्धि करने, उसके लिए तैयारी करने और उसके न्यूनीकरण के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन पर एक सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम 1993 से कार्यान्वित की जा रही है। मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, मामले का अध्ययन, परामर्श सेवाओं, डाटा-बेस और सूचना सेवाओं का विकास, प्रलेखन और आपदा प्रबंधन में संस्थानों की नेटवर्किंग से संबंधित गतिविधियां चलाने हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किया गया है।

4.6 आपदा प्रबंधन पर संकाय के सृजन और संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्यों में 24 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इन संस्थानों का उद्देश्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना है ताकि आपदा से निपटने की तैयारी तथा न्यूनीकरण से संबंधित पहलुओं का सब डिविजनल/ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक प्रचार और प्रसारण किया जा सके।

4.7 आपदा से निपटने, न्यूनीकरण और मानव संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने और लोगों मे जागरुकता पैदा करने के लिए दिल्ली और विभिन्न राज्य सरकारों में 29 अक्तूबर, 2002 को आपदा न्यूनीकरण राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।

कार्रवाई और राहत

दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, राज्यों में बाढ़ की स्थिति - 2002

4.8 13 राज्यों, नामतः, असम, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल ने भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने के कारण भिन्न-भिन्न कोटि के नुकसान

की सूचना दी थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 115 जिलों में 17176 गांवों में 841 मानव जानें गईं, 3729 पशु मारे गए और 4,85,048 घर क्षतिग्रस्त हुए। दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2002 के दौरान चक्रवात, भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण हुए नुकसान के संबंध में राज्यवार सूचना अनुलग्नक-II पर है।

4.9 प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय कार्रवाई का समन्वय किया।

राज्यों को वित्तीय सहायता

4.10 बचाव और राहत कार्य करने के साथ-साथ आपदाओं से संबंधित तैयारी तथा न्यूनीकरण उपायों के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक रुप से संबंधित राज्य सरकार जिम्मेवार है। भारत सरकार वित्तीय तथा संभारिकी मदद देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। राहत व्यय का वित्त पोषण करने की वर्तमान योजना ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो वर्ष 2004-05 तक लागू रहेगी। चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओला-वृष्टि के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में आपदा राहत कोष (सी. आर.एफ.) बनाया गया है। केन्द्रीय आपदा राहत कोष संग्रह में राज्यों का 25% अंशदान तथा केन्द्र सरकार का 75% अंशदान होता है। पांच वर्ष की अवधि के लिए आपदा राहत कोष की कुल राशि 11007.59 करोड़ रु0 है। आपदा राहत कोष संग्रह के अलावा, गंभीर स्वरुप की प्राकृतिक आपदा आने पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए एन.सी.सी.एफ. से राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। एन.सी.सी.एफ. का सृजन बजट स्त्रोतों से वित्त पोषित 500 करोड़ रुपये के शुरुआती संग्रह के साथ किया गया था। इस संग्रह को कतिपय केन्द्रीय करों पर अधिभार लगा कर परिपूर्ण और निर्मित किया जाना है। एन.सी.सी.एफ. से सहायता उप प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को लेकर बनी एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा मंजूर की जाती है।

4.11 वर्ष 2002-2003(20 फरवरी, 2003तक) के दौरान विभिन्न राज्यों के आपदा राहत कोष में केन्द्रीय हिस्से के रुप में 1755.56 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई है। इसके अलावा, 2002-2003 (20 फरवरी, 2003तक) के दौरान एन.सी.सी.एफ. से विभिन्न राज्यों को 1116.98करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आपदा राहत कोष और एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्यवार बयोरे क्रमशः अनुलग्नक III और अनुलग्नक IV पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

4.12 भारत, एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर (ए.डी. आर.सी.), कोबे, जापान का सदस्य है और न्यासियों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) तथा एशियन डिजास्टर प्रीपेअर्डनेस सेंटर (ए.डी.पी.सी.) बैंकाक की परामर्शदात्री समिति का भी सदस्य है। बड़ी आपदाओं के आने पर आपातिक स्थिति से निपटने हेतु तलाशी और बचाव दल की तैनाती के लिए स्विटजरलैंड और रुस सहित कुछेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते विचाराधीन हैं।

4.13 समुदायों और स्थानीय स्वशासन की भागीदारी के माध्यम से समुदाय आधारित आपदा न्यूनीकरण और पुनरुद्धार पर एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) सितम्बर, 2002 में शुरु किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य, प्राकृतिक आपदाओं से विकास के फायदों को होने वाले नुकसान को निम्नतम और संवदेनशीलता को कम करने की दिशा में राज्य सरकारों को समर्थ बनाने में योगदान देना है। इस परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य भारत के चुनिंदा राज्यों में कुछेक अत्यधिक खतरे वाले जिलों में प्राकृतिक आपदा जोखिमों में लगातार कमी करना शामिल है। इस परियोजना को दो चरणों में बांटा गया है और यह छह वर्षों की अवधि में पूरी होगी। पहले चरण में (2002-2004), यह परियोजना गृह मंत्रालय को दो मिलियन अमेरिकन डालर के वित्तीय आबंटन के साथ तीन राज्यों अर्थात उड़ीसा, गुजरात और बिहार में 28 अत्यधिक आपदा बहुल जिलों में गतिविधियां चलाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दूसरे चरण में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, सिक्किम, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और मेघालय राज्यों में 97 जिले तथा चरण-I के अंतर्गत कुछ और जिले कवर किए जा सकते हैं।

4.14 अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (यूनाईटिड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (यू.एस.ए. आई.डी.) के अंतर्गत आपातिक कार्रवाई में वृद्धि के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम (ए रीजनल प्रोग्राम फॉर एनहांस्मेंट ऑफ इमरजेंसी रेसपोंस (पी.ई.ई. आर.) 1998 से देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर जारी रखने योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रथम कार्रवाई एजेंसियों के निष्पादन में सुधार करना है। इसमें मेडिकल फर्स्ट रेसपोन्डर्स, ढह गए ढांचों की तलाश और बचाव कार्य, अनुदेशकों का प्रशिक्षण और हॉस्पिटल प्रीपेअर्डनेस फॉर इमरजेंसी (एच.ओ.पी.ई.) कोर्स शामिल हैं।

सीमा प्रबन्धन

4.15 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उचित प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । सभी सीमाओं के लिए एक जैसी समस्याओं के अतिरिक्त हर सीमा पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समुचित और विशिष्ट रूप से समाधान किया जाना जरूरी है । इन समस्याओं में हाल ही में पाकिस्तान की सीमा पार के आतंकवाद की नीति तथा सीमावर्ती जनसंख्या को गुमराह करने तथा इसका विश्वास जीतने के लिए शत्रुतापूर्ण भारत-विरोधी प्रचार के कारण वृद्धि हुई है। सीमाओं के प्रबंधन में बहुत सी चुनौती भरी समस्याएं हैं क्योंकि अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अपने बेहतर हितों को साधने के लिए इसमें राजनैतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, विधिक, नियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई शामिल होती है ।

4.16 मंत्रियों के दल ने, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली से संबंधित अपनी रिपोर्ट (सीमा प्रबंधन संबंधी अध्याय) में हवाई मार्ग सहित भू और तटीय सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें सीमा पार की अवैध गतिविधियों की प्रभावी निगरानी एवं चौकसी जैसे विविध मुद्दे, सीमावर्ती चौकसी बलों की तैनाती और उनका पुनर्गठन, सीमावर्ती क्षेत्रों का चहुँमुखी विकास, सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध आप्रवासन तथा विध्वंसक गतिविधियों से संबंधित विषय शामिल हैं । सरकार ने मंत्रियों के दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय के अनुसरण में मंत्रालय में सीमा प्रबंधन पर एक पृथक प्रभाग पहले ही सृजित किया गया है ताकि सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके ।

4.17 सरकार भू और तटीय सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत है। भारत-बांग्लादेश, भारत-नेपाल, भारत-पाकिस्तान, भारत-म्यांमार, भारत-चीन और भारत-भूटान सीमाओं से संबंधित सीमावर्ती विशिष्ट मुद्दों पर अब ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सतर्कता

भारत-पाक सीमा

4.18 भारत-पाक सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ, और हथियार, गोलाबारुद की तस्करी और अन्य देश द्रोही प्रवृत्तियों को रोकने की रणनीति के एक भाग के रूप में सरकार ने इस सीमा पर बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य हाथ में लिया है । पंजाब के कुछ नदी तटीय क्षेत्रों के बीच के इलाकों और राजस्थान में रेत के खिसकते हुए टीले वाले इलाकों को छोड़कर समग्र पंजाब और राजस्थान सैक्टर में बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य को पहले ही पूरा कर लिया गया है ।

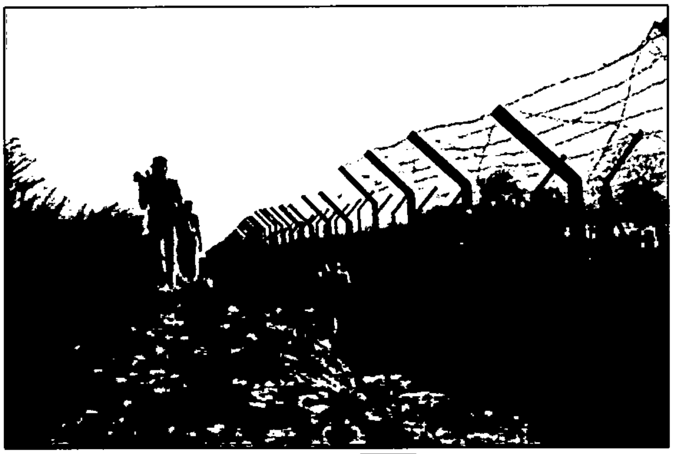

सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर गश्त लगाते हुए

4.19 पंजाब और राजस्थान की सीमाओं को सील कर दिये जाने के कारण, आतंकवादी/तस्कर हथियारों की आपूर्ति एवं

आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए गुजरात सीमा का प्रयोग एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं । इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने गुजरात में बाड़ करने, ऊंचे तट-बन्धों पर तेज रोशनी की व्यवस्था, सम्पर्क मार्गों, सीमा चौकियों और सीमा मार्गों के निर्माण कार्य का एक व्यापक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । कार्य प्रगति पर है और समग्र योजना को वर्ष 2004-2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

4.20 सरकार ने जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रमश: 180 कि.मी. और 195.8 कि.मी. में बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य भी हाथ में लिया है। बाड़ लगाने का कार्य वर्ष 2000 के अंत में शुरू किया गया था । बाड़ लगाने के कार्य और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य में विघ्न पैदा करने हेतु पाकिस्तान सीमा पर नियमित रूप से गोलीबारी का सहारा लेता आया है । चूंकि बाड़ लगाने के कार्य को पाकिस्तानी गोलाबारी की सीधी रेंज में किया जा रहा है अत: मजदूरों की रक्षा के लिए बाड़ के आगे 12 फीट ऊंचे सुरक्षा बाँध का निर्माण करने का फैसला किया गया है ।

4.21 भारत पाक सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य में हुई प्रगति की स्थिति निम्न प्रकार है:-

बाड़

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई (कि.मी. में)	सीमा की कुल लंबाई जहां पर बाड़ लगानी है (कि.मी. में)	सीमा की लंबाई जिस पर अभी तक बाड़ लगाई गई (कि.मी. में)	सीमा की शेष लंबाई जिस पर बाड़ लगाई जानी है (कि.मी. में)	पूर्ण करने की तारीख
पंजाब	554	452	452	-	कार्य पूरा कर लिया गया।
राजस्थान	1035	1035	1048.27*	-	कार्य पूरा कर लिया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	210	180	30	150	2005
गुजरात	408	310	54	256	2005

(* भौगोलिक स्थिति/बाड़ के रेखांकन के कारण लंबाई अधिक है ।)

तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई (कि.मी. में)	सीमा की कुल लंबाई जहां पर तेज रोशनी की व्यवस्था की जानी है (कि.मी. में)	सीमा की लंबाई जिस पर तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है (कि.मी. में)	सीमा की शेष लंबाई जिस पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है (कि.मी. में)	कार्य पूरा करने का वर्ष
पंजाब	554	460	460	-	कार्य पूरा कर लिया गया।
राजस्थान	1035	1022.80	1022.80	-	कार्य पूरा कर लिया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	210	195.80	15	180.80	2005
गुजरात	408	310	10	300	2005

भारत-बांग्लादेश सीमा

4.22 बांग्लादेश सीमा पार से तस्करी और घुसपैठ को राकने के लिए, भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा गश्त को सुकर बनाने के लिए दो चरणों में सीमा सड़कों और बाड़ लगाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। चरण-I के अन्तर्गत कार्य समाप्त होने के कगार पर है । 857.37 कि.मी. के अनुमोदित लक्ष्य की तुलना में 854.354 कि.मी. में बाड़ लगा दी गई है । इसी तरह 2866.38 कि.मी. की स्वीकृत सड़क की तुलना में 2572.525 कि.मी. सड़क निर्माण किया जा चुका है । चरण-II में सरकार ने अतिरिक्त कार्य मदें स्वीकृत की हैं, जिसमें 797 कि.मी. सड़क और 2429.5 कि.मी. की अतिरिक्त बाड़ लगाने का कार्य भी शामिल है, जिसकी कुल लागत 1334 करोड़ रू0 होगी । इस पूरे कार्य को वर्ष 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

4.23 बाड़ लगाने और सड़क निर्माण के कार्य की प्रगति धीमी रही क्योंकि सीमा सुरक्षा बल को पश्चिम बंगाल सेक्टर के निचले इलाकों में बाड़ लगाने के वर्तमान डिजाइन को लेकर कुछेक प्रचालन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ क्षेत्र वर्ष के ज्यादातर समय में पानी में डूबा रहता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक पुनरीक्षा समिति ने इन मुद्दों की जांच की और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाड़ लगाने के लिए एक संशोधित

डिजाइन की सिफारिश की है । त्रिपुरा सैक्टर में सीमा से दूरी होने के कारण सड़क पंक्तिबन्धन, प्रचालन मुश्किलें पैदा कर रहा था । यह निर्णय लिया गया है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा पहचाने गए भारत-बांग्लादेश सीमा सड़कों को, जो त्रिपुरा सैक्टर में सीमा गश्त के लिए उपयोगी नहीं है, बाड़ अनेक सम्पर्क सड़कों के निर्माण के साथ बाड़ लगाकर जोड़ा जाएगा और इन इलाकों में बाड़ के साथ-साथ गश्त मार्ग की व्यवस्था भी की जाएगी ।

4.24 राज्य-वार और चरण-वार, बाड़ लगाने, सड़क और पुल निर्माण की प्रगति की स्थिति निम्न प्रकार है:-

खुली सीमा का दुरूपयोग पाकिस्तानी-आई.एस. आई. द्वारा भारत के खिलाफ विध्वंसात्मक कार्रवाई करने के लिए किया जाता रहा है । नेपाल में माओवादियों का उभरना और भारत के वामपंथी आतंकवादी गुटों के साथ इनके संबंधों के कारण इस सीमा से हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे में बढ़ोत्तरी हुई है ।

4.26 भारत-नेपाल सीमा पर देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस सीमा पर सीमा निगरानी बल के तौर पर विशेष सेवा ब्यूरो को तैनात करने का निर्णय लिया गया है । एस.एस.बी. बटालियनों की तैनाती का कार्य चल रहा है ।

चरण-I

(बाड़ और सड़क कि.मी. में, पुल मीटर में)

राज्यों के नाम	परियोजना अन्तर्वस्तु का परिमाण	आज तक हुई प्रगति
पश्चिम बंगाल		
सड़क	1770	1565
पुल	12562	14129
बाड़	507	507
असम		
सड़क	186.33	176.065
पुल	4683.00	4497.400
बाड़	152.31	149.294
मेघालय		
सड़क	211.29	211.29
पुल	1479.73	1479.73
बाड़	198.06	198.06
त्रिपुरा		
सड़क	545.37	467.40
पुल	1914.23	1458.33
मिजोरम		
सड़क	153.40	152.77
पुल	1078.64	876.64
कुल		
सड़क	2866.39 किमी0	2572.525 किमी0
पुल	21939.26 मीटर	22441.10 मीटर
बाड़	857.37 किमी0	854.354 किमी0

चरण-II

(बाड़ और सड़क कि.मी. में, पुल मीटर में)

राज्यों के नाम	परियोजना अन्तर्वस्तु का परिमाण	आज तक हुई प्रगति
पश्चिम बंगाल		
बाड़	1021	67.10
असम		
सड़क	77.50	12.93
पुल	300.00	-
बाड़	71.50	-
मेघालय		
सड़क	204	10.38
पुल	2027	-
बाड़	201	1.66
त्रिपुरा		
सड़क	269	-
पुल	200	-
बाड़	736	9.53
मिजोरम		
सड़क	246.50	4.12
पुल	1535	210.60
बाड़	400	-
कुल		
सड़क	797.00 किमी0	27.43 किमी0
पुल	4062.00 मीटर	210.60 मीटर
बाड़	2429.50 किमी0	78.29 किमी0

भारत-नेपाल सीमा

4.25 1751 कि.मी. लम्बी भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति और व्यवस्था का संचालन द्विपक्षीय समझौतों द्वारा किया जाता है। भारत-नेपाल शांति और मित्रता समझौता, 1950 में खुली सीमा, भारतीय और नेपाली नागरिकों की सीमा पार बेरोकटोक आवाजाही, और दोनों राष्ट्रों के नागरिकों को रोजगार, निवास, जायदाद का स्वामित्व और उद्योग एवं व्यवसाय में भागीदारी की व्यवस्था है । इस

भारत-भूटान सीमा

4.27 भारत-भूटान सीमा 699 कि.मी. लम्बी है और वह अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य से गुजरती है । इस सीमा से भारतीय और भूटानी नागरिकों की आबाध आवाजाही होती है । यह इलाका पहाड़ी घनी वनस्पतियों और आड़े-तिरछे झरनों के कारण दुर्गम है । सीमा के दोनों ओर मूलभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं। पर्याप्त सड़कों के अभाव में इस क्षेत्र की संचार व्यवस्था कमजोर

है । सीमा-पार भूटान का इलाका भारतीय उग्रवादी गुटों, खासकर यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) के लिए शरणस्थली बन गया है जिन्होंने भूटानी क्षेत्र में अपने शिविर स्थापित किये हैं ।

4.28 भारत के उग्रवादी गुट जो भूटान में रक्षण लेते हैं, द्वारा इस सीमा के दुर्गम भू-क्षेत्र का शोषण किया जाता है। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि भारतीय उग्रवादी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां करने के बाद भूटानी क्षेत्र में शरण प्राप्त करने के लिए कैम्पों का उपयोग करते हैं ।

4.29 भारतीय उग्रवादी गुटों के आंदोलन को कुचलने के लिए जो भूटान में अड्डा/शरणगाहों का उपयोग कर रहे हैं, यह फैसला किया गया कि इस सीमा पर सैद्धांतिक तौर पर एक सीमा रक्षक बल की तैनाती की जाए ।

गुजरात सैक्टर के संकरी खाड़ी इलाकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना

4.30 गुजरात क्षेत्र के संकरी खाड़ी इलाकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की योजना को निर्णीत रूप दे दिया गया है। कार्य योजना में अधिक बटालियनों का गठन, सीमा सुरक्षा बल की वायु विंग को सुदृढ़ करना, भुज स्थित केन्द्रीय कार्रवाई कक्ष को चालू करना, पीर सिनाई संकरी खाड़ी के मुख पर निगरानी चौकी टावर एवम लाईट हाऊस का निर्माण, सर संकरी खाड़ी क्षेत्र का जल सर्वेक्षकीय सर्वेक्षण, इत्यादि शामिल है । क्षेत्र में गश्त करने के लिए और सीमा पार से घुसपैठ और तस्करी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्पीड बोट समेत छह तैरती सीमा चौकियों को तैनात करने का प्रस्ताव है। तीन सीमा चौकियों का प्रथम सेट के दिसम्बर, 2002 के अंत तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

सीमा पर उच्च-तकनीक इलैक्ट्रानिक निगरानी साधनों की तैनाती

4.31 मंत्रियों के समूह ने सीमा पार चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च तकनीक प्रणाली और उपकरणों का और अधिक उपयोग करने पर जोर दिया है । देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार के उपयुक्त मिश्रित एवं विभिन्न प्रकार के निगरानी उपकरणों को तैनात करने का प्रस्ताव है जो प्रभावी सीमा प्रबंधन के कार्य में, बहुमुखी बल के रूप में कार्य करेगा । उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों की तकनीकी योग्यता की जांच के लिए गठित एक उच्च स्तरीय दल ने अपनी रिपोर्ट को आखिरी स्वरूप दे दिया है । प्रभावी संचार एवं कमान्ड और नियंत्रण प्रणालियों द्वारा समर्थित विभिन्न प्रकार के निगरानी उपकरणों जैसे कि नाईट विजन डिवाइस, हैण्ड हैल्ड थर्मल इमेजर्स, सेन्सर्स इत्यादि के मिले जुले उपकरणों को लगाने का प्रस्ताव है जिससे सीमा निगरानी प्रणाली में अधिक सुदृढ़ता आएगी।

सीमा प्रवंधन समन्वय

तटीय राज्यों समेत सीमावर्ती राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय स्थाई समिति और संयुक्त कार्य दल का गठन

4.32 मंत्रियों के ग्रुप ने, सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण समेत सीमा प्रबंधन से सम्बन्धित मुद्दों और कार्यों में समन्वय लाने के लिए हर एक राज्य में जिनकी भू-सीमा और समुद्र तट सीमा से लगती है, राज्य स्तरीय स्टैन्डिंग समिति और संयुक्त कार्य दलों के गठन की सिफारिश की है। इस सिफारिश के अनुसरण में गोवा, नागालैण्ड, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, उड़ीसा, सिक्किम और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को छोड़कर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सभी आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर संयुक्त कार्य दलों और स्टैन्डिंग समितियों का गठन किया है । सीमा पार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कुचलने के लिए यह प्रणाली विभिन्न सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय मुहैया करायेंगी।

शीर्ष आसूचना एजेंसियां

4.33 सीमा क्षेत्रों में कार्यरत आसूचना एजेंसियों की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों के ग्रुप ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में अपनी

रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सीमा पर तैनात प्रमुख सीमा निगरानी बल पर आसूचना विंग ही उस सीमा के लिए शीर्ष आसूचना एजेन्सी होगी । एल आई ए सीमा के सीमा क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय के लिए और संबंधित एजेंसियों के साथ कार्रवाई योग्य आसूचना का आदान प्रदान के लिए जिम्मेवार होगी ।

धार्मिक कट्टरता को नियंत्रित करने के उपाय

4.34 मंत्रियों के ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर धार्मिक पूजास्थलों और संस्थानों में हो रही अंधाधुंध बढ़ोतरी और कट्टरवादी और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए उनके दुरूपयोग की समस्या को उजागर किया है । इस बात के प्रमाण है कि ऐसा केवल धार्मिक जूनून के कारण ही नहीं किया जा रहा है बल्कि हमारी सीमाओं को सुभेद्य बनाने और सीमावर्ती जनसंख्या को उलटने-पलटने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है । धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग रोकने और सतर्कता बरतने के लिए, सभी राज्य सरकारें, जिनकी जमीनी या तटीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त धार्मिक स्थलों की पहचान करने के लिए आसूचना समन्वय करने की सलाह दी गई है। केन्द्र सरकार भी धार्मिक स्थलों और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों के विनियमन के लिए एक केन्द्रीय विधायन बनाने पर विचार कर रही है । इसके अलावा राज्य सरकारों को उन धार्मिक संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी गई है जिनकी गतिविधियां धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं ।

तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना

4.35 भारत की तटीय सीमा 5422 कि.मी. लम्बी है जो 9 राज्यों और 4 संघ क्षेत्रों को छूती है। भारत की 1197 द्वीपों की कुल 2094 कि.मी. की अतिरिक्त तटीय रेखा है । 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अंतर्गत (यू एन सी एल ओ एस), के तहत अधिनियमित महासागरों की नई शासन प्रणाली के कारण पूर्णत: आर्थिक स्रोत (ई ई जेड) और उपमहाद्वीपीय शेल्फ की अवधारणा से तटीय देश के रूप में भारत के क्षेत्राधिकार में काफी बढ़ोतरी हुई है । इसलिए हमारी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में तटीय सुरक्षा का मामला प्राथमिकता अर्जित करता है। मंत्रियों के ग्रुप ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि विगत वर्षों में भारत के विशाल तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए या कार्रवाई करने पर या समझने में बहुत कम काम किया गया है । बड़े पैमाने पर शिकार चोरों के विरूद्ध अभियान चलाने के अलावा देश की तटीय सीमा अवैध प्रवासियों, तस्करी, नशीले पदार्थों और हथियार और गोलाबारूद, विस्फोटकों, इत्यादि जैसी निषिद्ध वस्तुओं की आवाजाही के लिए संवेदनशील है ।

4.36 बराबर की सुरक्षा प्रणाली की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में दृष्टिकोण में समानता के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा एवं निगरानी को मजबूत बनाने के लिए भावी कार्य योजना बनाने की सलाह दी गई है:-

(i) तटीय क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था एवं गश्त के लिए वर्तमान मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना ।

(ii) तटीय क्षेत्रों के संवेदनशील हिस्सों की उनकी असली भेद्यता की दृष्टि से पहचान करना और उन हिस्सों में पुलिस थाने/चौकियों की स्थापना करना । इन पुलिस थानों/पुलिस चौकियों को वाहन, नावों, संचार उपकरणों और हथियारों से उपयुक्त रूप से लैस किया जाए ।

(iii) समुद्र/पानी में आवाजाही के कार्य में कुशलता दलों का विकास करके तटीय पुलिस स्टेशनों में मरीन पुलिस सैल/विंग का गठन करना ।

(iv) तटीय सुरक्षा जैसे कि तस्करी, निषिद्ध वस्तुओं को उतारने, अवैध आप्रवासन अज्ञात पोतों/व्यक्तियों का प्रवेश, विध्वंसात्मक गतिविधियां, इत्यादि के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए तटीय पुलिस थानों में अलग से आसूचना क्षमताओं का सृजन ।

4.37 इसके अलावा, तट रक्षक दल से तटीय सुरक्षा पर मॉडल मैनुअल तैयार करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा, तटीय जल में उनके क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए तट रक्षक से, तटीय गश्त के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नावों और उपकरणों के नमूनों के मानकीकरण के लिए कार्य करने का अनुरोध किया गया है ।

मानवाधिकार

4.38 मानवाधिकार की अवधारणा उन कोटि-कोटि सामान्य जनों के लिए आशा की किरण बन कर उभरी है जिसे वे उन पर हो रहे अन्याय को उजागर करने के एक साधन तथा उपयुक्त मंचों पर अपनी शिकायतों के निराकरण के रास्ते के रुप में देखते हैं। इसके परिणामस्वरुप सुस्वीकृत मानवाधिकार मूल्यों के मद्देनजर अपने संस्थानों तथा कार्यों को पुनराभिमुख करने की दिशा में विश्वभर में सरकारों के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर आया है। मानवाधिकार को अब अच्छे प्रशासन के एक उपाय के रुप में देखा जाता है। भारत सरकार ने इस पुनीत उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में अनेक पहलें की हैं।

मानवाधिकार शिक्षा

4.39 मानवाधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना एक व्यापक दस्तावेज है जिसे भारत सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे शैक्षिक संस्थानों, नौकरशाही, पुलिस, मीडिया आदि के कार्यान्वयन हेतु अपनाया है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का प्रसार करना है ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति और जागरुक हों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में अपना योगदान कर सकें। इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न एजेन्सियों जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), पुलिस तथा सिविल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों आदि द्वारा किया जाना है। गैर सरकारी संगठनों से भी उपयुक्त कार्यक्रम में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि देश के कोने-कोने में मानवाधिकार शिक्षा का संदेश प्रसारित करने के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न एजेन्सियों से बातचीत की जा सके।

मानवाधिकारों के प्रति पारदर्शिता तथा वचनबद्धता

4.40 सरकार, मानवाधिकार मामलों पर अपनी नीति के मामले में एकदम पारदर्शी है तथा इसने देश में मानवाधिकारों का दर्जा बढ़ाने हेतु सभी क्षेत्रों से सुझावों का स्वागत किया है। सरकार ने विदेशी राष्ट्रिकों को जम्मू और कश्मीर का दौरा करने हेतु भी प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2002 (जनवरी से सितम्बर) के दौरान लगभग 20,000 घरेलू तथा लगभग 6800 विदेशी पर्यटकों ने काश्मीर घाटी और लद्दाख का दौरा किया। अनेक कूटनीतिज्ञों तथा पत्रकारों ने बिना किसी बाधा के जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्य करने वाली अनेक मानवाधिकार एजेन्सियों के साथ सरकार ने पूर्ण सहयोग किया है तथा संयुक्त राष्ट्र के तहत विभिन्न मंचों से प्राप्त मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई करता रहा है। सरकार भी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के तहत देश की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के विभिन्न रैपरटियरों से प्राप्त विशिष्ट प्रश्नों के बारे में जानकारी और उत्तर भेजती रही है। मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के आरोपों के बारे में शीघ्रता से भेजे गए उत्तरों से सरकार की स्थिति मजबूत हुई है तथा इसमें निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण प्रचार का प्रतिरोध हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के साथ समझौता ज्ञापन

4.41 अपनी पारदर्शिता की नीति को जारी रखते हुए भारत सरकार ने जून, 1995 में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें आई.सी. आर.सी. के शिष्टमंडलों द्वारा ऐसे नजरबंदी केन्द्रों का दौरा करने की व्यवस्था है जहां जम्मू और कश्मीर में मौजूदा हालात के संबंध में गिरफ्तार किए गए अथवा नजरबंद किए गए लोगों को रखा जाता है। यह व्यवस्था विशुद्ध रुप से मानवीय आधार पर की गई है। समझौता ज्ञापन के तहत इस व्यवस्था को लागू करने के बाद से अब तक अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास

समिति के प्रतिनिधि मंडल ने 53 नजरबंदी केन्द्रों का दौरा किया है तथा अक्तूबर 2002 तक 7777 से अधिक नजरबंद दर्ज किए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

4.42 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नवें वर्ष में प्रवेश कर गया है और इसने मानवीय गरिमा की रक्षा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे तथा इस प्रकार देश की जनता के मानवाधिकारों की रक्षा की। आयोग मानवाधिकारों से संबंधित अनेक मुद्दों पर विभिन्न राज्य सरकारों को सुग्राही बनाने के प्रयास कर रहा है जिसके लिए आयोग उनके साथ कार्य कर रहा है। इन मुद्दों में अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, क्षतिपूर्ति के भुगतान/अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में आयोग के निदेशों का अनुपालन, जेल में भीड़-भाड़, हिरासत में मौतें तथा बलात्कार जैसे मामलों सहित जेल में मानवाधिकारों की स्थिति, सिर पर मैला ढोने, अनधिसूचित तथा यायावर जनजातियों की समस्याएं शामिल हैं। इस आयोग ने बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन तथा महिलाओं का अवैध व्यापार, महिलाओं का संरक्षण, मानसिक रोगियों के अधिकार आदि जैसे अन्य मानवाधिकार मुद्दों में गहरी रुचि ली है।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें

4.43 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकरण ने आम जनता में विश्वास जगाया है जिसके कारण आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अप्रैल से सितम्बर, 2002 तक की अवधि के दौरान आयोग को 36,386 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें से, आयोग ने 20,473 शिकायतों पर विचार किया तथा उन पर उपयुक्त कार्रवाई की।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार

4.44 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 से 13 नवम्बर, 2002 तक एशिया पैसीफिक फॉरम ऑफ नेशनल ह्युमन राइट्स इस्टीट्यूशन्स की 7वीं वार्षिक बैठक आयोजित की। बैठक का उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सर्वसम्मति से मंच(फोरम) का अध्यक्ष चुना गया। मलेशिया, कोरिया गणतंत्र तथा थाइलैंड के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन्स (पेरिस सिद्धांत) से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण सदस्य के रुप में शामिल किया गया, इस प्रकार फोरम की संख्या बढ़कर बारह हो गई। फोरम ने अवैध व्यापार तथा अशक्तता के मुद्दों तथा अवैध व्यापार के मुद्दे पर एडवाइजरी काउन्सिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स की रिपोर्ट तथा अनुशंसा पर विचार किया।

अनुसंधान परियोजनाएं

4.45 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यापक महत्व की 50 परियोजनाओं/कार्यक्रमों का प्रबोधन करता है।कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और उनकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:-

(क) **अभिरक्षा न्याय प्रबंधन:**
आयोग, इस विषय पर आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन का नियमित रुप से प्रबोधन करता रहा है।

(ख) **महत्वपूर्ण विधेयकों/अध्यादेशों की संरचना तथा उनका प्रभाव:**
आयोग ने अनेक विधायी विधेयकों/अधिनियमों की पुनरीक्षा की है जो सामान्य रुप से लोगों तथा विशेष रुप से समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।

(ग) **महिलाओं और बच्चों के अधिकार:**
आयोग, बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, बाल-श्रम, बाल-दुरुपयोग महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार तथा कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की पुनरीक्षा से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करता रहा है। आयोग ने यूनिफेम के सहयोग से महिलाओं के अनैतिक व्यापार विषय पर एक कार्रवाई अनुसंधान परियोजना हाथ में ली है।

(घ) **हाशिए पर ला खड़े किए गए वर्गों के अधिकार:** आयोग ने आबादी के हाशिए पर ला खड़े किए गए वर्गों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रति विशेष चिंता दिखाई है तथा यह मेगा परियोजनाओं के द्वारा सिर पर मैला ढोने का उन्मूलन करने, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करने, वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, शरणार्थी प्रवासियों के अधिकारों तथा मानसिक रुप से अशक्त लोगों के अधिकारों की दिशा में सक्रियता से प्रयास कर रहा है। आयोग ने दलित एवं जनजातियों के मामलों तथा अनधिसूचित तथा यायावर जनजातियों की समस्याओं को भी हाथ में लिया है।

(ङ) **प्राकृतिक आपदाएं तथा मानव निर्मित त्रासदियां:** आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे उड़ीसा में सुपर साइक्लोन, गुजरात में भूकंप से उत्पन्न मानवाधिकार पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने में पहल की है।

(च) **स्वास्थ्य एवं विकलांगता संबंधी मामले:** आयोग ने स्वास्थ्य एवं विकलांगता संबंधी मामलों जैसे जन स्वास्थ्य तथा एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोगों के अधिकारों, मानसिक रुप से बीमार लोगों के उपचार मैटरनल एनिमिया और विकलांगता से संबंधित मामलों पर पहल की है।

आयोग ने विकलांगों की चिन्ता करते हुए विकलांगता संबंधी सभी मामलों को उसे रिपोर्ट करने हेतु एक विशेष रैपरटियर नियुक्त किया है।

नई पहलें

4.46 गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव(एच.आर.) को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ-साथ संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस संगठनों में मानवाधिकारों का प्रबोधन करने तथा उनका उल्लंघन रोकने के लिए "मानवाधिकार आयुक्त" नियुक्त किया गया है।

जेलों का दौरा

4.47 गृह मंत्रालय के मानवाधिकार प्रभाग के अधिकारियों ने जेलों में मानवाधिकारों के उल्लघंन के मामलों के प्रबोधन की कार्ययोजना के एक भाग के रूप में झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जेलों का दौरा किया और इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त सुझाव दिए हैं। जेलों का दौरा नियमित रूप से करते रहने का प्रस्ताव है ताकि अधिक से अधिक राज्यों को कवर किया जा सके।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना

4.48 सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और इस रजिस्टर के आधार पर 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम एन आई सी) जारी करने पर विचार कर रही है । बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय वैयक्तिक पहचान प्रणाली प्रदान करना और इस बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्रों का प्रयोग साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक फायदों और सरकार में और सरकार से बाहर लेनदेन के लिए और अवैध प्रवासियों की तुरंत पहचान और उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए तंत्र उपलब्ध कराना है । इससे भविष्य में अवैध आप्रवासन पर भी रोक लगेगी । इस प्रणाली में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रीय पहचान संख्या देने की ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि इस रजिस्टर को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़कर इस रजिस्टर को अद्यतन करने और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों का पुन: नवीन पंजीकरण किए जाने की व्यवस्था भी है । इस प्रणाली में उप-जिला, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टरों को जोड़ने और इसे पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत करने की भी व्यवस्था है ।

पाइलट प्रोजेक्ट शुरू करना

4.49 बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना की जटिलताओं

को ध्यान में रखते हुए, पाइलट परियोजना के जरिए राष्ट्रीय रजिस्टरों को तैयार करने, उन्हें अद्यतन करने, पहचान पत्रों को जारी करने इत्यादि कार्य का साथ-साथ पूर्ण अभ्यास करना जरूरी समझा गया । इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान तेरह राज्य नामत: जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, उत्तरांचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, पांडिचेरी और दिल्ली राज्य हैं, के विभिन्न जिलों में कुछ चुने हुए उप-जिलों में बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए इस पाइलट परियोजना को कार्यान्वित किया जाय । पाइलट परियोजना के अन्तर्गत कवर की जानेवाली प्रस्तावित जनसंख्या लगभग 29 लाख होगी ।

4.50 पाइलट प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने की विहित क्रिया पद्धति को संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही शुरू किया जाएगा । यह परियोजना प्रयोगात्मक रूप की है और कार्यान्वयन में प्रगति के साथ-साथ आवश्यक समझी जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और तकनीकी विकल्पों का उपयोग करने पर विचार किया जाएगा । इस पाइलट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभवों को ध्यान में लेने के बाद मुख्य योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

दांडिक न्याय प्रणाली का प्रशासन

4.51 देश में दांडिक न्याय प्रणाली के सुधार पर विचार करने और उपाय सुझाने के लिए कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डा. (न्यायमूर्ति) वी.एस. मलीमठ, की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति पहली बार संपूर्ण दांडिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने में लगी है।

4.52 समिति ने प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं, पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं, आम जनता, राज्य सरकारों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और दांडिक न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों को प्रक्रियात्मक तथा दांडिक कानूनों में आशोधन या संशोधन पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए लगभग 2500 प्रश्नावलियां जारी की हैं जिससे (i) उन्हें समय की मांग के अनुसार तथा भारत के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरुप बनाया जा सके; तथा (ii) दांडिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों को आसान बनाना जिससे आम आदमी को शीघ्रता से, स्पष्ट तथा सस्ता न्याय मिल सके।

4.54 समिति ने देश में दांडिक न्याय प्रणाली के मामलों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचार मांगे हैं और इसके लिए वह प्रमुख शहरों में अनेक संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से दांडिक न्याय प्रणाली में सुधारों के क्षेत्र में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार, पुलिस, सरकारी अभियोजकों, उच्च न्यायालयों और विधि विशेषज्ञों के साथ परस्पर विचार-विमर्श का आयोजन करती रही है।

4.54 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाया गया है।

❑

अध्याय V

केन्द्र राज्य संबंध

अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय

5.1 अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी । परिषद को सौंपे गए कार्यों में उन विषयों की जांच एवं विचार विमर्श शामिल है, जिनमें कुछ या सभी राज्यों या संघ और एक या एक से अधिक राज्यों का सांझा हित हो । उपरिलिखित राष्ट्रपति के आदेश में की गई व्यवस्था के अनुसार अन्तर्राज्यीय परिषद में प्रधान मंत्री, सभी राज्यों के मुख्य मंत्री, विधान सभा वाले सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री और उन संघ शासित प्रदेशों, जहां विधान सभाएं नहीं हैं, के प्रशासक और राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए गए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के छः मंत्री तथा प्रधान मंत्री द्वारा स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के दो मंत्री शामिल है ।

5.2 इस परिषद ने 10 अक्तूबर, 1990 को आयोजित अपनी प्रथम बैठक में केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया था । अंतर्ग्रस्त मुद्दों की पेचीदगियों और उनकी व्यापक उलझनों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने यह निर्णय लिया था कि सिफारिशों की पहले परिषद की उप-समिति द्वारा जांच की जाएगी और उसके बाद उन पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। उप-समिति, जिसका गठन परिषद के निर्णय के अनुसरण में किया गया था, की 1991-93 की अवधि के बीच छः बैठकें हो चुकी हैं और उसने 247 सिफारिशों में से 179 पर अपने मतों को अन्तिम रूप दे दिया है ।

5.3 परिषद ने 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी दूसरी बैठक में, सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों जिन्हें उप-समिति ने अन्तिम रूप दे दिया था, का समर्थन किया । इसी बैठक में अन्तर्राज्यीय परिषद ने सभी मामलों पर निरन्तर विचार-विमर्श करने और उन्हें अन्तर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ प्रोसेस करने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का भी निर्णय लिया था । तदनुसार दिनांक 5 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना के तहत स्थायी समिति का गठन किया गया । यह निर्णय भी लिया गया कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में शामिल सभी सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचारों सहित स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा । केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, पांच केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों तथा आठ मुख्य मंत्रियों को इसके सदस्य बनाकर स्थायी समिति का पुनर्गठन पिछली बार दिनांक 27 सितंबर, 2002 की अधिसूचना के तहत किया गया । स्थायी समिति की अब तक कुल आठ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं ।

5.4 सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें हैं जो 19 अध्यायों में है । 16.11.2001 तक हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की सात बैठकों में 230 सिफारिशों पर निर्णय ले लिए गए हैं । अनुच्छेद 356 में संशोधन, केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती तथा प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256, 257 और 365) से संबंधित शेष 17 सिफारिशों पर उप समिति की स्थायी समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और यह सिफारिशें अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति को तथा उसके बाद अन्तर्राज्यीय परिषद को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार हैं ।

5.5 परिषद द्वारा अपनी सात बैठकों में की गई कुछ मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) परिषद ने केन्द्रीय करों में से राज्यों को हिस्से का अन्तरण करने की वैकल्पिक योजना का भी अनुमोदन कर दिया है। 1.4.1996 से इस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक, संविधान (80वां) संशोधन विधेयक के रूप में पारित किया गया ।

(ख) परिषद ने यह निर्णय लिया कि अन्य संबंधित मंत्रालयों की सहायता से विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय को संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत अपेक्षित शक्तियाँ सौंपने तथा केन्द्र-राज्यों के आपसी संबंधों पर नियमों को ठीक-ठाक करने के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सिफारिश कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ग) अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में नाबार्ड के निदेशक मंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर दो से चार कर दिया गया है ।

(घ) कराधान मामलों सहित विधायन की सभी अवशिष्ट शक्तियों को केन्द्र सूची से संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में अंतरित किया जाए ।

(ङ) समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर विधायन के लिए आपात मामलों के अलावा राज्य सरकारों से पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए।

(च) राज्य सरकार के किसी मंत्री के आचरण की जांच करने के लिए आयोग गठित करते समय जांच आयोग अधिनियम, 1952 में, केन्द्र सरकार द्वारा शक्ति के संभावित दुरूपयोग के विरूद्ध, उपयुक्त रक्षोपाय शामिल किए जाने चाहिए।

(छ) केन्द्र सरकार की औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रकृति की संपत्तियों पर करों की अदायगी और सेवा प्रभार के संबंध में एक व्यापक केन्द्रीय कानून लाया जाना चाहिए।

(ज) किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के संबंध में संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह को आवश्यक बनाया जाना चाहिए।

(झ) राज्यपाल को दूसरी पारी के लिए मान्य किया जाए बशर्ते कि वे पद त्यागने के बाद सक्रिय राजनीति में वापिस न आए। तथापि, वे भारत के राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के पदों पर चुने जाने के पात्र होंगे।

5.6 सरकारिया आयोग की 230 सिफारिशों में से 200 सिफारिशों को परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 1.10.02 तक 139 सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी है तथा 19 सिफारिशों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अस्वीकृत किया गया है तथा 42 जांचाधीन/ कार्यान्वयनाधीन है ।

5.7 सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनटिरिंग गहराई से अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा की जा रही है।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

5.8 संख्या में पांच क्षेत्रीय परिषदें, सांविधिक निकाय हैं जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया गया हैं । ये उच्च स्तरीय परामर्शदात्री निकाय हैं जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं और सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं । इन परिषदों का गठन अन्तर्राज्यीय समस्याओं को हल करने, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और केन्द्र -राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु प्रत्येक जोन में सांझा बैठक आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है ।

5.9. वर्ष 2002-2003 के दौरान दिनांक 12.9.2002 को भुवनेश्वर में पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई जिसमें "पर्यटन को बढावा" नशीली दवाओं के उपयोग की

रोकथाम, बाढ़ प्रबंधन तथा जल निकासी की समस्याओं प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं खनिजों की रायल्टी आदि पर विचार-विमर्श किया गया। संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सियों को उपर्युक्त मामलों के संबंध में स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है ।

नए राज्यों का सृजन

5.10 मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा बिहार राज्यों का पुनर्गठन करके सन् 2000 में नए राज्यों छत्तीसगढ़ उत्तरांचल तथा झारखंड के सृजन के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 अधिनियमित किए गए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा बिहार और उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कंपनियों/कारपोरेशन आदि की संपतियों एवं दायित्वों का विभाजन चल रहा है । यदि राज्यों का संविभाजन होने पर उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य परिसंपतियों एवं दायित्वों के संविभाजन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और उनमें से कोई भी राज्य इसका उल्लेख करता है तो परिसंपतियों एवं दायित्वों के अंतिम संविभाजन के संबंध में केन्द्र सरकार आदेश/निदेश जारी करती है । नवगठित तीनों राज्य उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड विगत दो वर्षों से सुचारू रूप से कार्य कर रहे है ।

जेल

5.11 "जेल" राज्य का विषय है । इस प्रकार जेलों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्त आयोग के निर्णयों के द्वारा तथा जेल प्रशासन की आधुनिकीकरण नामक केन्द्रीय योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपनी जेलों का आधारभूत ढांचा मजबूत कर सकें । वर्ष 2001-2002 जो कि जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए प्लान योजना का टर्मिनल वर्ष था, के दौरान राज्यों को 690 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

5.12 केन्द्र सरकार ने भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों के निर्माण, मौजूदा जेलों की मरम्मत और सुधार, स्वच्छता और जल सप्लाई में सुधार तथा जेल स्टाफ के लिए आवास हेतु एक नई गैर-प्लान स्कीम अनुमोदित की है जो पांच वर्ष की अवधि में 1800 करोड़ रू0 के परिव्यय से 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारिता के आधार पर कार्यान्वित की जानी है अर्थात इसमें केन्द्र सरकार की भागीदारिता 75% तथा राज्य सरकार की भागीदारिता 25% होगी ।

5.13 केन्द्र सरकार समय-समय पर जेलों और कैदियों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से जेल प्रबंधन और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को आदर्श जेल मैनुअल बनाने का कार्य सौंपा गया है।

5.14 केन्द्र सरकार जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए चंडीगढ़ में एक सुधारात्मक प्रशासन संस्थान चला रही है। वेल्लौर, तमिलनाडु में भी एक क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान चल रहा है जिसको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस संस्थान को विकासात्मक गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना

5.15 गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए उनके प्रयासों में मदद करने के लिए 1969-70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । स्कीम में वाहनों, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, अंगुली छाप ब्यूरो, हल्के हथियार/भीड़ नियंत्रण/यातायात नियंत्रण/अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा और जांच पड़ताल के लिए वैज्ञानिक उपकरण

खरीदने के लिए राज्य सरकारों को 50% ऋण तथा 50% अनुदान के आधार पर सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारों को उसी राशि के बराबर अंशदान उपलब्ध कराना होता है। 1969-70 से 1999-2000 तक विभिन्न राज्य सरकारों को 536,74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। 5 अगस्त, 2000 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सन् 2000-01 से आगे के 10 वर्षों के लिए वार्षिक आवंटन को पर्याप्त रुप से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के पास 2000.00 करोड़ रुपये वार्षिक (1000 करोड़ रुपये का केन्द्रीय भाग जमा 1000 करोड़ रुपया का राज्य का भाग) है। वार्षिक आवंटन में इस भारी वृद्धि से राज्य पुलिस बलों की प्रचालन क्षमता में स्पष्ट सुधार दृष्टिगोचर होगा। योजना को अधिक आवश्यकता आधारित तथा प्रभावी बनाने हेतु 2000-01 से पुलिस स्टेशन/चौकी/इमारत/लाइन्स और उनकी सुरक्षा और महिला पुलिस, नियंत्रण कक्षों की सुविधाएं, पुलिस आवास, सुरक्षा/संचार/निगरानी उपकरण, गतिशीलता, हथियार, एफ एस एल/एफ पी बी आदि मदें और शामिल की गई हैं।

5.16 वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान, प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को ज़ारी की गई।

5.17 केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए रुपरेखा तैयार की है कि आधुनिकीकरण के लिए दी गई राशि को यथोचित फोकस और दूरदर्शिता के साथ सुनियोजित ढंग से खर्च किया जाय। गृह मंत्रालय आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करके योजना के कार्यान्वयन का नियमित रुप से प्रबोधन करता है। राज्य सरकारों ने वर्ष 2000-01 के दौरान अनुमोदित योजनाओं के संदर्भ में राशि के लगभग 71 प्रतिशत का प्रयोग तथा वर्ष 2001-02 के दौरान अनुमोदित योजनाओं के संदर्भ में राशि के लगभग 43 प्रतिशत भाग के प्रयोग किए जाने की सूचना दी है। राज्यों के बीच राशि के उपयोग में भी भारी अंतर है। तथापि, योजना ने सभी राज्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है और पुलिस आधुनिकीकरण को अपेक्षित सहायता तथा प्रोत्साहन मिला है। उदाहरणत: अपेक्षित सुविधाओं सहित पुलिस स्टेशन/चौकियों के लिए भवन निर्माण से पुलिस की छवि बेहतर बनी है। पुलिस कार्मिकों के लिए आवासों के निर्माण तथा आधुनिक शस्त्रों की व्यवस्था से उनके मनोबल में वृद्धि हुई है, विशेष रुप से उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में। पुलिस विभागों में कम्प्यूटीकरण से पुलिस कार्यकरण की क्षमता में वृद्धि होगी। पुलिस के लिए अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता से उनकी गतिशीलता बढ़ी है जो कानून एवं व्यवस्था/अपराध की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक है।

5.18 सुधार के लिए पहचाने गए कुछ क्षेत्रों के विषय में मुख्य राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट से स्थिति को सही रुप मिलेगा। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनेक पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए एक बढ़ी कार्रवाई शुरु की है। उन्होंने पुलिस विभाग में प्रमुख कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया है और ई-कॉप्स परियोजना शुरू की है। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने आई. एस. ओ. 9002 प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि उभरती स्थिति के प्रति तेजी से कार्रवाई करने की पुलिस की क्षमता के कारण उग्रवादी हिंसा, 2000 की तुलना में 2001 में 10 प्रतिशत घट गई है जो पुलिस विभाग को अधिक वाहन और आधुनिक संचार उपकरण उपलब्ध कराने के कारण सुकर हुआ। असम राज्य सरकार ने 50 पुलिस स्टेशनों, लगभग 600 पुलिस क्वार्टरों और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रमुख भवनों का निर्माण भी शुरू किया है। गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिक वाहनों और संचार उपकरणों की उपलब्धता के कारण राज्य में अपराध दर वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 में कमी आई है। हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार और यहां तक कि नवगठित राज्य झारखंड भी योजना को पूरे मन से कार्यान्वित कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने पिछले दो सालों में पुलिस कार्मिकों को 5,000 से अधिक मकान और 200 से अधिक पुलिस स्टेशनों और चौकियों का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने भी अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने के लिए स्कीम के तहत

प्रमुख कार्यक्रम किए हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुलिस कार्मिकों के लिए लगभग 7,000 मकानों का निर्माण किया है और अपने अंगुली छाप ब्यूरो में ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम शुरू किया है।

राज्य विधायन

5.19 भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि निम्नलिखित श्रेणियों के राज्य सरकरों के विधायी प्रस्ताव लागू करने से पूर्व केन्द्र सरकार से अनुमोदित होने चाहिए अथवा भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृत होने चाहिए:-

(i) संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन विधेयक;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड-I के परन्तुक के अधीन अध्यादेश;

(iii) संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के परन्तुक के अधीन पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक; और

(iv) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विनियमन (संविधान की पांचवीं अनुसूची)

5.20 इसके अलावा, ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित होता है, राज्य विधान मण्डल में पेश करने से पहले, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कई बार केन्द्र सरकार को भेजे जाते हैं। हालांकि, यह संवैधानिक जरुरत नहीं है, लेकिन इससे राज्य विधान मण्डल को इस बात के अलावा कि इन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने में समय नष्ट न हो, केन्द्र सरकार की नीति को ध्यान में रखने में भी मदद मिलती है।

5.21 विधायी प्रस्तावों की जांच भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके की जाती है। केन्द्र सरकार इन विधायी प्रस्तावों को जल्दी अनुमोदित करने के पक्ष में है और तद्नुसार ही, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनकी जांच करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हाल ही की समीक्षा में यह पाया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा की गई अभ्युक्तियों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों पर स्मरण करवाने के बावजूद राज्य सरकरों की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। तद्नुसार, राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अपने उत्तर शीघ्र भेजने के लिए गृह सचिव द्वारा अर्ध-शासकीय पत्र लिखे हैं।

प्राप्त और निपटाए गए प्रस्ताव

5.22 वर्ष 2002 के दौरान (अप्रैल 1, 2002 से 31 अक्तूबर, 2002 तक) भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए भारत सरकार को 54 प्रस्ताव प्राप्त हुए ।

5.23 1 अप्रैल, 2002 से 31 अक्तूबर, 2002 तक की अवधि के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या निम्न प्रकार है:-

	विवरण	संख्या
(क)	राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक	25
(ख)	विधेयक जिन पर राष्ट्रपति को स्वीकृति रोक दी गई है	8
(ग)	राष्ट्रपति के संदेश के साथ लौटाए गए विधेयक	6
(घ)	स्वीकृति हेतु प्राप्त विधेयक जिन्हें राज्य सरकार ने वापिस ले लिया है	1
(ङ)	राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विनियमन	1
(च)	राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिए अध्यादेश	5
(छ)	वंद किए गए अध्यादेश	7
(ज)	राष्ट्रपति को पूर्व संस्वीकृति	3
(झ)	वंद की गई पूर्व संस्वीकृति	1
(ञ)	प्रशासनिक अनुमोदन के लिए विधेयक	9
(ट)	प्रशासनिक अनुमोदन हेतु वंद किए गए विधेयक	15
	कुल	81

विधि आयोग की रिपोर्टें

5.24 गृह मंत्रालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विधायी पहलुओं से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता, 1860 में व्यापक संशोधनों की सिफारिश करते हुए विधि आयोग की 154वीं, 156वीं और

172वीं रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनकी टिप्पणियों/विचारों हेतु भेजी गई क्योंकि दंड प्रक्रिया तथा दांडिक कानून भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की टिप्पणियों/विचारों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने अपने मत नहीं भेजे हैं उनसे समय-समय पर इसे शीघ्र भेजने का अनुरोध किया जा रहा है।

संघ राज्य क्षेत्र

5.25 संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में राज्यों तथा भाग "घ" में राज्य क्षेत्रों के स्थान पर ऽसंघ राज्य क्षेत्ररुप्रतिस्थापित किया गया है, जो प्रथम अनुसूची (यथा संशोधित) के भाग-II के तहत संख्या में तब छः थे । अधिनियम के अनुवर्ती संशोधन के बाद अब सात संघ राज्य क्षेत्र हैं, अर्थात्:-

(1) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
(2) चण्डीगढ़
(3) दादरा और नागर हवेली
(4) दमण एवं दीव
(5) लक्षद्वीप
(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(7) पांडिचेरी

5.26 संघ राज्य क्षेत्र, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 तक के उपबंधों के अनुसार प्रशासित होते हैं। इन सात संघ राज्य क्षेत्रों में से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पांडिचेरी में विधान मंडल एवं मंत्रिपरिषद तथा समेकित निधि है। शेष संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल रहित है ।

5.27 2001 की जनगणना के अनुसार सातों संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या 1,64,53,194 थी तथा इनका कुल क्षेत्रफल 10,973 वर्ग कि0मी0 है । प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या इस अध्याय के अनुलग्नक-V में दी गई है ।

5.28 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007 के लिए संघ राज्य क्षेत्र का कुल परिव्यय 29,375.49 करोड़ रू0 है। दसवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना के लिए अलग-अलग संघ राज्य क्षेत्रों के योजनागत परिव्यय इस अध्याय के अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं । वार्षिक योजना 2002-2003 में संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) मलीन बस्ती विकास, सड़कें और पुल, राष्ट्रीय सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम (एन एस ए वी) तथा संघ शासित क्षेत्र के लिए अन्नपूर्णा के लिए किया गया केन्द्रीय सहायता प्रावधान इस अध्याय के अनुलग्नक-VII में दर्शाया गया हे ।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

5.29 572 द्वीपों/उप द्वीपों और चट्टानों वाला अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तर अक्षांश और 92 डिग्री और 94 डिग्री रखांश के बीच स्थित हे । इसका कुल क्षेत्रफल 8249 वर्ग कि0मी0 जिसका 87% अर्थात 7,171 वर्ग. कि. क्षेत्र वनाच्छादित है । 2001 की जनगणना के अनुसार 38 द्वीप आबाद हैं जिनकी कुल जनसंख्या 356,265 है ।

5.30 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक संघ राज्य क्षेत्र है जिसकी कोई विधानसभा नहीं है । संपूर्ण क्षेत्र को दो जिलों अर्थात् अंडमान और निकोबार जिले में विभाजित किया गया है । इसमें चार उप-प्रभाग, पांच सामुदायिक खंड और सात तहसीलें हैं । पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्र का एकमात्र शहरी क्षेत्र है जहां नगर परिषद है । इस संघ राज्य क्षेत्र में एक जिला परिषद, सात पंचायत समितियां और 67 ग्राम पंचायतें है।

कृषि

5.31 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कृषि के लिए कुल 50,000 है । भूमि उपलब्ध है अर्थात द्वीप के भौगोलिक क्षेत्र का 6% भाग । मौजूदा पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण और अधिक भूमि रिलीज नहीं की जा रही है। मृदा और जल संरक्षण हेतु अत्यधिक सावधानी पूर्वक बहुविध एवं सघन फसल प्रणाली अपनाकर प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं । फलों और मसालों की फसलों

के पौधारोपण को बढावा देकर खाली पहाड़ी भूमि का प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ी भूमि का प्रयोग नारियल, सुपारी आम, अनानास, अमरूद, कटहल, सपोटा, साइट्रस फल तथा मसाले की खेती/ पौधारोपण के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रेड आयल पाम रबड़, काजू की भी खेती की जाती है ।

5.32 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनेक विकासात्मक योजनाएं लागू कर रहा है जैसे बहुविध फसल प्रणाली, विकास, पौधारोपण में सुधार एवं बहुविधीकरण, मसाले और बागवानी फसलें, यंत्रीकृत फार्मिन्ग, कार्यशालाओं की अनुरक्षा, मृदा संरक्षण, कृषि के लिए लवण प्रभावित भूमि का पुनरूद्धार, मृदा एवं पौधा स्वास्थ्य क्लिनिक।

सड़कें और पुल

5.33 पोर्ट ब्लेयर में वर्ष के दौरान 10 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों, जन जातीय क्षेत्रों में 3 कि0मी0 पगडंडियों के निर्माण, 25 कि0मी0 ए0टी0आर0 तथा 15 कि0मी0 अन्य ग्रामीण सड़कों में सुधार, पोर्ट ब्लेयर में 12 कि0मी0 सड़क में सुधार तथा उसे चौड़ा करने का प्रस्ताव है ।

5.34 ऑस्टिन स्ट्रेट में आर सी सी ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । ए टी आर पर हम्फ्री स्ट्रेट तथा मिडल स्ट्रेट में प्रस्तावित पुलों के संबंध में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की जांच तथा तैयारी इस वर्ष पूरी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त मध्य अंडमान में हैवलॉक में मित्ता नाले ड्यूरातांग नाले, थोराक तांग नाले तथा गोविन्दापुर नाले पर पुलों के निर्माण का कार्य भी इस वर्ष हाथ में लिया जाना है ।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

5.35 इस वर्ष के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत दस गांवों को जल आपूर्ति में वृद्धि तथा पी एम जी वाई के तहत आंशिक रूप से कवर किए गए, (पी.सी.) 10 गांवों को पूरा किया जाएगा । इंदिरा नाला जल आपूर्ति परियोजना तथा चोलधारी जल आपूर्ति परियोजना पर काम चल रहा है । इंदिरा नाला परियोजना से पोर्ट ब्लेयर के उप नगरीय क्षेत्रों को प्रतिदिन 1.80 मिलियन लिटर जल मिल सकेगा तथा चौलीधारी परियोजना प्रति दिन चार मिलियन लिटर जल प्रदान करेगी जिसका एक भाग चौलधारी क्षेत्र में जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए उपलब्ध रहेगा । इससे कैटलगंज, तशनाबाद तथा ओगराब्रांज क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार होगा ।

5.36 पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल सीमा में जल आपूर्ति के लिए बड़ी ट्रंक लाइनें बिछाने का कार्य पूरा होने वाला हे । धानीखारी बांध की ऊंचाई बढाने के लिए तकनीकी आर्थिक जांच एन0एस0पी0सी0 कर रहा है ताकि पोर्ट ब्लेयर और उसके उपनगरीय क्षेत्र में जल आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। गुप्तापाड़ा तथा लोअर धानीखारी में भूजल की रिचार्जिंग पर योजनाओं का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है तथा लॉंग आईलैंड तथा लाल पहाड़ क्षेत्रों में यही कार्य चल रहा है ।

आवास

5.37 वर्ष के दौरान पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य द्वीपों में 210 क्वार्टरों का निर्माण 97 क्वार्टरों की मरम्मत का काम पूरा करने, 35 नए क्वार्टरों का निर्माण प्रारंभ करने और विभिन्न टाइप के 50 क्वार्टरों की मरम्मत करने का प्रस्ताव है।भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत प्रशासन के 181 आवासीय यूनिटों के लक्ष्य में भी उनकी मदद की जाएगी । इनमें से 121 आवासीय यूनिटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तथा 60 आवासीय यूनिटें निम्न आय ग्रुप के लिए रहेंगी । प्रशासन ने इस वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 121 आवास यूनिटों के निर्माण का कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए ऋण हुडको द्वारा दिया जाएगा तथा हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए एनिडको नोडल एजेन्सी होगी ।

नागर विमानन

5.38 सरकार ने सितम्बर 1995 में पोर्ट ब्लेयर में रनवे की मौजूदा लंबाई 6000 फुट से 11,000 फुट करने संबंधी रनवे विस्तार परियोजना को मंजूरी दी थी । ताकि इसे एयर बस जैसे चौड़े आकार वाले वायुयानों के उतरने लायक बनाया जा सके । 98.80% विस्तार कार्य पूरा कर लिया गया है । कारी हिल की ऊंचाई कम करके इसे फनल क्षेत्र के स्तर तक नीचे लाने संबंधी 38% कार्य चल रहा है । कार्य पूर्ण होने पर पोर्ट ब्लेयर में विस्तारित रनवे बन जाने पर एयर बस 300 आकार के बड़े वायुयान भी सुरक्षित रूप से उतर सकेंगे । इससे इन द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय

उड़ानें भी बरास्ता पोर्ट ब्लेयर व्यवहार्य हो सकती है ।

शिक्षा

5.39 प्रशासन सरकारी, निजी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों सहित 378 विद्यालयों के जरिए 3.5 लाख जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है । 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में संघ प्रशासन 1.5 कि0 के दायरे में 150 या अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है । दूर-दराज की ऐसी बस्तियों जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहां गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र बनाए गए है । द्वीपों में इस समय 68 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 2001 की जनगणना के अनुसार संघ क्षेत्र की साक्षरता दर 80.18% (अनन्तिम) है ।

5.40 निकोबार जिले में जनजातीय शिक्षा के लिए 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 10 माध्यमिक विद्यालय 10 मिडल स्कूल, 38 प्राथमिक विद्यालय 1 पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्रदान किए गए हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, द्वीप में उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम जारी रखने के लिए 81 जन शिक्षण निलायम खोले गए हैं । निजी क्षेत्र की भागीदारी से चुनिंदा विद्यालयों में श्रेणी-VI से आगे कम्प्यूटर शिक्षा देने की एक योजना प्रारंभ की गई है । शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए उठाए गए बड़े कदमों में से एक विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा है ।

मात्स्यिकी

5.41 वर्ष के दौरान कैम्पबेल में बुनियादी ढ़ांचे के विकास की योजना के तहत एक नया 10-टन आइस प्लान्ट तथा एक 15 टन कोल्ड स्टोरेज चालू किया गया । नए प्लान्ट के प्रारंभ होने के बाद सरकारी क्षेत्र में आइस और कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढाकर क्रमशः 35 टन और 55 टन हो गई । मछली सुखाने के प्लेटफार्म के विकास के लिए डिग्लीपुर में भूमि भी आवंटित की गई । जंगलीघाट में फिश लैन्डिग सेन्टर के विकास के लिए सर्वेक्षण तथा जांच कार्य हाथ में लिया गया ।

5.42 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की गुंजाइश पर विचार करते हुए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 7 जहाजों को अनुमति दी गई । उन्होंने 23.28 टन गहरे समुद्र के लोबस्टर तथा 30.16 टन गहरे समुद्र के प्रान पकड़े । 57 मछुआरों को शार्क फिशिंग के लाइसेंस प्रदान किए गए । केन्द्रीय प्रायोजित योजना "मछली पकड़ने के पारंपरिक जलयानों को मोटर सज्जित करना" के तहत 74 मछुआरों जिनके पास मोटर सज्जित-मछली पकड़ने के जलयान नहीं थे उन्हें इन बोर्ड इन्जन की खरीद तथा मोटराइजेशन के लिए फिशिंग गीयर उपकरणों के लिए प्रति मछुआरा 18000/- रू0 की वित्तीय सहायता दी गई । मछुआरों को 50% इमदाद पर वितरण हेतु 26.22 लाख रूपये की मछली पकड़ने की सामग्री जैसे नायलॅन ट्विन, वबिंग, कोलटार, नमक प्लासटिक लाइन हुक्स आदि प्राप्त किए गए है । मछली परिवहन वाहन के प्रापण, मछली के भंडारण के लिए डीप फ्रीजर की खरीद फिश कल्चर के लिए तालाबों के नवीकरण आदि के लिए इमदाद/ वित्तीय सहायता भी दी गई । मछली के उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के लिए एक निजी फर्म को कल्चर और जिन्दा मछलियों (सी बास, ग्रुपर्स) के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसी प्रकार मुख्य भूमि पर स्थित एक कंपनी को जीवित ग्रुपर्स, कैब्स तथा लोब्सटर आदि पकड़ने और निर्यात करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।

वानिकी तथा वन्य जीव

5.43 वन विभाग परम्परागत वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष-अच्छादित क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने और किसानों द्वारा अपनी तथा सामुदायिक भूमि पर जलाने की लकड़ी चारे तथा फल देने वाले वृक्षों के पौधारोपण को बढ़ावा देकर जनता को पर्यावरण वन के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए भी योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष के दौरान जनता में वितरण के लिए 1,04,884 पौध उगाई गई । बड़े पैमाने पर सड़कों के किनारे, तटीय पट्टी, ऊसर व प्रयोग में नहीं लाए जा रहे अन्य क्षेत्र पर पेड़ लगाने का कार्य हाथ में लिया गया है। सितम्बर, 2002 तक 223 है0 भूमि पर बेंत और बांस का पौधारोपण किया गया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के सहयोग से औषधीय पौधों के बगीचे स्थापित करने का कार्यक्रम है।

5.44 दो सरकारी आरा मिल हैं जो मुख्यत: स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए चिरी हुई इमारती लकड़ी सप्लाई करती है। उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों को मद्देनजर सभी आरा मिलों तथा लकड़ी आधारित उद्योगों के लाइसेंसो का नवीकरण 31.3.2003 के बाद नहीं किया जाएगा परन्तु उन्हें 31.3.2003 तक इमारती लकड़ी का मौजूदा स्टॉक समाप्त करने की अनुमति दी गई है।

5.45 विशेष तौर पर जैविक विविधता को बचाने और संरक्षित रखने के लिए 1608 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में नौ राष्ट्रीय पार्कों तथा 96 वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना की है। चिड़िया टापू में 40 है0 भूमि पर एक आधुनिक जैविक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहां पाए जाने वाले अधिकांश प्राणियों की जातियों को खतरे में पड़ी वन्य जीव (संरक्षण)अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

5.46 इन द्वीपों में लोगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने हेतु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य देख भाल प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है तथा विभिन्न स्तरों पर उसमें सुधार किया जा रहा है । स्वास्थ्य की देख-भाल स्वास्थ्य अवसंरचना ढ़ांचे, जिसमें 147 स्वास्थ्य संस्थान हैं, के माध्यम की जाती है । इसमें एक रेफरल अस्पताल, 2 जिला हस्पताल, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 109 उप केन्द्र 8 होम्यो औषधालय तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय शामिल है । वर्ष के दौरान जी.बी. पन्त हस्पताल में कुल 20 छात्रों के साथ एक नर्सिंग विद्यालय, एक आयुर्वेदिक औषधालय होप टाऊन (अण्डमान जिला) और एन्गाली निकोबार (जिला) में तथा दो उप-केन्द्रो ने काम करना शुरू कर दिया है । वर्ष के दौरान कैम्पबेल बे स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया जाएगा । तथा किशोरीनगर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरा कर लिया जाएगा ।

5.47 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिनमें राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टी.बी. नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं ।

पंचायती राज संस्थान

5.48 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है जिसमें 67 ग्राम पंचायतें, 7 पंचायत समितियां तथा एक जिला परिषद है । उन पंचायती राज संस्थानों के पास बाजार किराए, पशु, तालाबआदि अल्प आय के साधन हैं । जल आपूर्ति, स्वच्छता ग्रामीण सड़कों, प्रकाश, फुटपाथ, पुलिया आदि के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य हाथ में लेने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समय-समय पर पंचायती राज संस्थानों को अनुदान सहायता और मैचिंग ग्रान्ट्स रिलीज करता है ।

विद्युत

5.49 द्वीप समूह में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 350 के डब्ल्यू एच की राष्ट्रीय औसत खपत के मुकाबले 250 के डब्ल्यू एच वार्षिक है । इस समय 30.6.02 की स्थिति के अनुसार विभिन्न द्वीपों में 38.8 मेगावाट की कुल क्षमता के 34 डीजल जनरेटर पावर हाउस फैले हुए हैं । उन स्टेशनों की स्थापित क्षमता 6 कि0वा0 से लेकर 12500 कि0वा0 तक भिन्न-भिन्न है । दिगलीपुर, उत्तरी अंडमान में 5.25 मेगावाट क्षमता वाला एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी स्थापित और कमीशन किया गया है । विद्युत की कमी पूरी करने के लिए 3 मे0वा0 क्षमता वाला डी जी किराया आधार पर लिया गया है ।

5.50 दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, लांग आइलैंड, नील आईलैंड हैबलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कचल, कमोरटा तथा कैम्पबेल बे के द्वीपों के लोगों में से 92.5% को डीजल जनरेटिंग सेटों के जरिए रात-दिन विद्युत सप्लाई की जाती है । अन्य स्थानों पर छोटे डी जी पावर हाउसों तथा सोलर पी वी पावर प्लान्टों के जरिए प्रतिदिन 5 से 16 घंटों तक पावर सप्लाई की जाती है । 547 गांवों में से 479 गांवों में बिजली के कनेक्शन हैं ।

नौवहन सेवाएं

5.51 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास 75 जहाजों का एक

बेड़ा है जिनमें यात्रियों तथा माल आदि को लाने ले जाने के लिए 5 मुख्य भूमि-द्वीप समूह पोत, 4 अन्तर-द्वीप पोत, 16 हार्बर फेरीज, 9 फोरशोर फेरीज, 11 वेहिकल फेरीज, 6 कार्गो पोत, 12 मोटर लांचेज, 5 टूरिन्ग/वी आई पी पोत, 2 हीव अप मूरिन्ग बोट्स, 3 वाटर बार्जेज, एक तेल टैंकर एक बी पी टग शामिल हैं ।

5.52 इस समय द्वीपों के दक्षिणी समूह को यात्रियों ओर माल को लाने-ले जाने के लिए एम वी चोवरा, एम वी सेन्टीनल, टी एस एस येरवा तथा एम वी डेरिन्ना को तैनात करके अन्तरद्वीप सेवाएं चलाई जा रही है । इसके अतिरिक्त चार यात्री एवं मालवाहक जहाज तथा 6 कार्गो जहाज इस सेक्टर में चलाए जा रहे हैं । इन 11 वेहीकल फेरियों के अलावा इस सेक्टर में एक ऑयल टैंकर भी चलाया जा रहा है । भीड भाड़ के समय के दौरान ट्रैफिक की मांग को पूरा करने के लिए मुख्य भूमि के जहाज भी काम में लिए जाते हैं ।

5.53 दस 100 पैक्स पोत, दो 75 पैक्स कम-50-टी कार्गो पोत विभिन्न शिप यार्डों में निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । आदेश दिए गए 12 जहाजों में से 8 जहाज चालू वित्त वर्ष में ही सौंप दिए जाने की आशा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 22 पोत खरीदने का प्रस्ताव है ।

जनजातीय कल्याण

5.54 छः आदिम जनजातियां हैं जिनके नाम अंडमानी, ओंगे, जारावा, सेंटीनेलोज निकोबारी, तथा शोम्पेन है । 1991 की जनगणना के अनुसार जारावा तथा सेन्टीनैलीज को छोड़कर इन जनजातियों की कुल आबादी 26,770 है। 1991 की जनगणना के दौरान जाराव तथा सेंटीनैलीज की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि वे सभ्यता के घेरे से दूर रहते हैं । एक स्वायत्त निकाय, अंडमान आदिम जाति विकास समिति (ए ए जे वी एस) जिसके अध्यक्ष उप राज्यपाल हैं इन आदिम जनजातियों का कल्याण कार्य देखती हैं । इन जन जातियों के कल्याण और विकास के लिए एक पृथक जन जातिय उप योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए धन राशि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होती है ।

चंडीगढ़

5.55 संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ एक ऐसे अनुपम शहरी कॉस्मोपालीटन स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जहां सभी धर्मों के लोग पारस्परिक विश्वास तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के माहौल में रहते हैं । इसका कुल क्षेत्रफल 114 वर्ग कि0मी0 है जिसमें से 78 वर्ग कि0मी0 शहरी क्षेत्र तथा 36 वर्ग कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्र है । 2001 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ की आबादी 9,00,914 है । इस संघ राज्य क्षेत्र की साक्षरता दर 81.76% है । चंडीगढ में एक जिला और एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है । इसमें दो महत्वपूर्ण निगम बोर्ड हैं अर्थात चंडीगढ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम (सिटको) जो उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य देख रहा है तथा चंडीगढ़ आवास बोर्ड (सी एच बी) जो लागों की आवास आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

5.56 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विविध प्रकार की विशेषताओं से युक्त 500 बिस्तरों वाले एक सिविल अस्पताल, एक 50 बिस्तरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो पॉलीक्लीनिक और 38 एलोपैथिक होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधालयों के माध्यम से जनता की जरूरतों को पूरी कर रहा है ।

सामाजिक कल्याण

5.57 समाज कल्याण विभाग इस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं विकलांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है । इन योजनाओं में से कुछ योजनाएं अनुसूचित जाति समुदाय की विधवाओं/निराश्रय की पुत्रियों के विवाह, अत्याचारों के शिकारों को आर्थिक सहायता/पुनर्वास वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवाओं ओर निराश्रय महिलाओं को पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय परिवार लाभकारी योजना हैं।

शिक्षा

5.58 चंडीगढ़ प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं के केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आया है । शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न का अनुसरण

किया जा रहा है । सभी सरकारी विद्यालय सी बी एस ई के साथ तथा कालेज पंजाब विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध हैं । क्षेत्र में 104 सरकारी विद्यालय, 7 निजी (सहायता प्राप्त) तथा 88 निजी (गैर सहायता प्राप्त) विद्यालय हैं । 5 मॉडल मिडिल स्कूल तथा 7 साधारण मिडिल स्कूलों का दर्जा बढाकर हाई स्कूल तथा एक हाई स्कूल का दर्जा बढाकर सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल के स्तर का कर दिया गया है ।

5.59 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार तथा विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी लाने के लिए अनेक प्रोत्साहन, यथा, लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिभा छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को निशुल्क लेखन सामग्री तथा वर्दी, अनुसूचित जाति के छात्रों को अतिरिक्त कोचिन्ग, दोपहर का भोजन प्रदान किया जा रहा है ।

5.60 चंडीगढ़ के 17 सरकारी सीनीयर सेकेन्ड्री स्कूलों में 21 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संघ क्षेत्र प्रशासन 87 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है जिनमें वर्ष के दौरान 3,633 शिक्षाथियों के नाम दर्ज किए गए है। इन केन्द्रों में पढने वाले सभी विद्यार्थी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के है ।

उद्योग

5.61 संघ राज्य क्षेत्र में विगत वर्षों में निरन्तर औद्योगिक वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप 15 बड़े/मध्यम दर्जे के उद्योग तथा लगभग 3100 छोटे दर्जे की औद्योगिक यूनिटें स्थापित हुई हैं जिनमें 29700 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं तथा लगभग 600 करोड़ रू0 का वार्षिक उत्पादन होता है । ये यूनिटें मुख्यत: आनुषंगिक यूनिटें हैं जो औद्योगिक फास्टनर्स, स्टील और लकड़ी का फर्नीचर मशीन टूल्स, साबुन और डिटर्जेंट, दवाइयां इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रोनिक मदें, सैनिट्री फिटिन्स खेल-कूद का समान, प्लास्टिक का सामना बुनाई की सलाइयां आदि के उत्पादन में लगी हैं । चंडीगढ में 20 बडी निर्यात यूनिटें हैं जो वर्ष में लगभग 50 करोड़ रू0 का निर्यात करती हैं ।

पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

5.62 पर्यावरण विभाग ने शहर का वातावरण प्रदूषण मुक्त रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । 20 माइक्रोन से नीचे के पोलीथीन बैगों का निर्माण प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा रिसाइकल्ड पोलीथीन बैगों में खाने की सामग्री पैक करना प्रतिबंधित कर दिया गया है । इसके कार्यान्वयन को प्रभावी रूप देने के लिए नगर निगम ने इस संबंध में उप नियम अधिसूचित किया है । समाचार पत्रों और होर्डिंग आदि के जरिए जागरूकता अभियान प्लास्टिक का इस्तेमाल बन्द करने, सम्पत्तियों को जलाना बंद करने आदि चलाए जा रहे हैं ।

5.63 नगर के ठोस कूड़े को उपयुक्त और कुशल प्रबंधन के लिए पर्यावरण विभाग ने चंडीगढ़ पशु कल्याण और पर्यावरण विकास सोसाइटी (सी.ए.डब्ल्यू.ई.डी.एस.) के साथ मिलकर संस्थानों और रिहायशी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत कूड़ा-कचरा पृथक्करण तथा अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

दादरा और नागर हवेली

5.64 दादरा और नागर हवेली बिना विधान मण्डल वाला संघ राज्य क्षेत्र है । इसमें एक जिला, 72 गांवों का एक तालुका और सिलवासा एवं अमली दो शहर हैं । इस संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग कि0मी0 है और आबादी 2,20456 है । गांवों को 11 खण्डों में बांटा गया है । हर खण्ड में चुने हुए सदस्यों को लेकर ग्राम पंचायत समूह होता है । यहां एक जिला पंचायत है जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि होते हैं । इस संघ राज्य क्षेत्र में लोक सभा की एक सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

शिक्षा

5.65 यहां 195 प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाएं और 19 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार यहां साक्षरता प्रतिशत 1991 के 40.71% से बढ़ कर 60% हो गया है । इसके अतिरिक्त, आदिवासियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशासन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास

और भोजन, वर्दियां, दोपहर का भोजन, पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान कर रहा है । 2001-2002 में दर्ज विद्यार्थियों की 40833 की संख्या 2002-203 में बढकर 43858 हो गई है ।

5.66 तीन विषयों अर्थात सिविल, इलैक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सरकारी पोलिटेक्निक कालेज के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है । उद्योगों में कुशल कार्मिकों की मांग को पूरा करने के लिए यहां एक आई टी आई है जो स्थानीय युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण देता है ।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

5.67 इस संघ राज्य क्षेत्र की जनता की चिकित्सा जरूरत को पूरा करने के लिए 75 बिस्तरों का एक अस्पताल, एक समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र, तीन औषधालय, छह सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक सचल औषधालय तथा 36 उप केन्द्र हैं । राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम समेकित प्रयासों से जारी रखा गया । सेन्टीनल निगरानी सर्वेक्षण, स्वैच्छिक जांच तथा काउन्सलिन्ग केन्द्र, परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां वर्ष के दौरान जारी रखी गई ।

नागरिक आपूर्ति

5.68 संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में चावल, गेहूं, खाद्य तेल और चीनी जैसी अनिवार्य वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 78 उचित दर की दुकानों से किया जाता है। संघ राज्य में (i) अन्त्योदय अन्न योजना तथा (ii) अन्नपूर्णा योजना नामक दो नयी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनके अंतर्गत क्रमश: 2800 और 380 परिवारों को लाभान्वित किया गया है ।

सड़क और परिवहन

5.69 उद्योगों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में तीव्र विकास के कारण परिवहन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि परिवहन व्यवस्था योजना तैयार करवाई गई है । इस समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 580.00 कि0मी0 है जिसमें से 545.45 कि0मी0 सड़कें पक्की हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में सिल्वासा नगर तथा आस पास के क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

विद्युत

5.70 इस संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत उत्पादन नहीं होता है , नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आदि से बिजली की खरीद की जाती है तथा इसे गुजरात विद्युत बोर्ड नेटवर्क के जरिए 66 के वी की लाइन प्रेषित किया जाता है । संघ राज्य क्षेत्र की वर्तमान विद्युत खपत 207 मेगावाट की है जिसकी चालू वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ कर 255 मेगावाट हो जाने की संभावना है । बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन ने कई विद्युत परियोजनाएं हाथ में ली हैं । खरड़पाड़ा में 220/66 किलोवाट एवं 2x100 एम.वी.ए. क्षमता का उप स्टेशन पूरा कर लिया गया है ।

पर्यटन

5.71 पर्यटन की दृष्टि से रूचिपूर्ण प्रसिद्ध स्थान ताड़केश्वर शिव मन्दिर, बिन्दराबिन हिरण पार्क, खानवेल, वनगंगा झील तथा द्वीप गार्डन, दादरा, वनविहार उद्यान, मिनी चिड़ियाघर, बाल उद्यान, जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय तथा सिलवासा में हिरवावन गार्डन तथा दुधानी में जल क्रीडा है । लुहारी में खान्डीव वन का विकास कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा । खानवेल व चौउडा गार्डनों में कुटी तथा दुधानी में टेन्ट आवास पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं । वसोना स्थित लायन सफारी पार्क के लिए टूरिस्ट काम्पलेक्स का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

5.72 2 पाइप लाइन वाली जल आपूर्ति योजनाओं और एक कुंआ तैयार कर लिया गया है जिससे 11 बस्तियों को तथा 1200 लोगों को लाभ हुआ है । मोटा रांधा में पाइपों के जरिए जल प्रदान करने की एक योजना पूरी कर ली गई है। सिलवासा जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत स्थानीय जनता को पेय भू जल उपलब्ध कराने के लिए 2,520 मीटर पाइप लाइन बिछाई गई है । इसके अतिरिक्त, सिल्वासा तथा टोकरखाडा में स्थित सरकारी कर्मचारी कालोनी में 3 कि0मी0 लंबी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है तथा 2 ओवरहैड टैंकों का निर्माण किया जा रहा है ।

दमण और दीव

5.73 दमण और दीव बिना विधान सभा का एक संघ राज्य क्षेत्र है इसमें दमण ओर दीव दो पृथक भूखंड है, प्रत्येक भूखंड में पृथक जिला, तालुका तथा समुदाय विकास खण्ड है । दमण जिला गुजरात राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित है । यह मुम्बई से 193 कि0मी0 की दूरी पर है और इसकी तट रेखा अरब सागर में 12 कि0मी0 है । दमण जिले का कुल क्षेत्रफल 72 वर्ग कि0मी0 है । दीव जिला, जूनागढ के तट से दूर एक द्वीप है तथा यह दमण से लगभग 763 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । यह द्वीप तीन ओर से अरब सागर से तथा उत्तर में चाईस नदी से घिरा हे । इसकी तटरेखा 21 कि0म0 है तथा क्षेत्रफल 38.8 वर्ग कि0मी0 है । दो नगर, दस ग्राम पंचायतें, 23 राजस्व गांव हैं । संघ राज्य क्षेत्र के दोनों गांवों में नगर परिषद है । 2001 की जनगणना के अनुसार इस संघ राज्य क्षेत्र की कुल आबादी 1,58,059 है ।

शिक्षा

5.74 शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के अभिभावकों को नकद प्रोत्साहन राशि देना जारी रखा । लगभग 3,616 जनजातीय छात्रों को पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दियां प्रदान की गई । 180 छात्र कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित हुए । जन जातीय क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता और सफाई के स्तर को सुधारने के लिए चालू वर्ष से एक नई योजना प्रारंभ की गई है ।

इस क्षेत्र के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने ग्रामीण और शहरी युवकों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित किए ।

स्वास्थ्य सेवाएं

5.75 स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रम जैसे विशेष विद्यालय स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन कार्यक्रम रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, शैक्षिक कार्यक्रम एड्स के निवारण और नियंत्रण पर शिक्षा कार्यक्रम और प्रदर्शनी कुष्ठ उन्मूलन अभियान स्वास्थ्य जांच शिविर, आदि आयोजित किए । वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक स्वैच्छिक जांच एवं परामर्श शिविर शुरू किया गया ।

सामाजिक कल्याण

5.76 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे न रहे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता रहा । महिलाओं के समग्र विकास के लिए स्वयं सिद्ध नामक एक योजना, जो जिला पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जाती है, लागू की गई है । सभी वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है । जिला पुनर्वास केन्द्र, विरार के सहयोग से दमण जिले में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जनजातीय लोगों को उपयोगी परिसंपत्तियां प्रदान करके उन्हें पृथक जनजातीय उप योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती रही है ।

मात्स्यिकी

5.77 3345 मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाने के लिए पहचान पत्र जारी किए गए । सीमा शुल्क विभाग ने मछली पकड़ने के लिए क्रीक पास प्राप्त करने के लिए मछली पकड़ने वाली नावों के 316 स्वामियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं । 299 व्यक्तियों के डीजल कार्डों का नवीकरण किया गया । 299 नाव स्वामियों को फिशरीज कॉपरेटिव सोसाइटी से बिक्री कर मुक्त डीज़ल आयल प्राप्त करने के लिए मछली पकड़ने के जाल उपलब्ध कराए गए । नाबार्ड, अहमदाबाद के सहयोग से मात्स्यिकी कार्यकलापों पर विशेष जोर देते हुए एक प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । सेन्ट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर के सहयोग से दीव जिले के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में सी वीड कल्चर पर एक परियोजना प्रारंभ की गई है । दीव में मछली पकड़ने की छोटी बन्दरगाह के निर्माण के लिए सर्वेक्षण और जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य चल रहा है ।

विद्युत

5.78 मगरवाड़ा, दमण में भेल का सौंपा गया 3X50 एम वी.ए., 220/66 के.वी. उप स्टेशनों के निर्माण का कार्य वातानुकूल

को छोड़कर पूरा हो गया है । 250 एम.वी.ए. मगरवाड़ा उप स्टेशन 15.7.2002 को चालू हो गया है । 2 जुलाई 2002 को भिलाड में 220 के वी बेज के दो उप स्टेशन चालू कर दिए गए हैं तथा शेष चार बे परीक्षण के लिए तैयार हैं। 220 के वी भिलाड-मगरवाड लाइन पर कार्य चल रहा है , सभी 81 टावर स्थापित कर दिए गए है तथा 20 कि0मी0 में से 5 कि0मी0 लाइन कंडक्टर के साथ लगा दी गई है ।

जल आपूर्ति

5.79 वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रशासन ने जल आपूर्ति सुधारने हेतु अनेक योजनाएं शुरू की है जिनमें देवका, धोलर, मगरवाड़ा तथा परियारी गांवों में भूजल की आपूर्ति के लिए ओवरहैड टैंकों का निर्माण, दुनेठा दमनवाड़ा में मौजूदा तालाबों का विकास, मगरवाडा में भीम तलाब जल शोधन संयंत्र का निर्माण, जल शोधन संयंत्र के लिए भूमि का विकास, फुदाम से नगोआ पंप हाऊस तक मुख्य ए सी प्रैसर पाइप लाइन विछाना शामिल है ।

पर्यटन

5.80 दमन व दीव प्रशासन ने वर्ष के दौरान पूरी करने हेतु कुछ योजनाओं जैसे देवका ओर जमपोट बीच का विकास, फ्लड लाइटिंग के द्वारा किले की दीवारों को प्रकाशित करने, ध्वनि और प्रकाश शो आयोजित करने, मछली घर आदि के निर्माण आदि को प्राथमिकता दी है। प्रशासन ने झीलों, बागों, टूरिस्ट रिजोर्टों के रूप में पर्यटन अवसंरचना का विकास किया है तथा इन्हें निजी उद्योगपतियों को लीज पर दिया हे । जमपोर बीच में पैरासेलिंग का साहसिक खेल प्रारंभ किया गया है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है ।

सड़कें और पुल

5.81 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दमन जिले से होकर गुजरने वाले लगभग 7 कि0मी0 तटीय राजमार्ग के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा नानी दमण में दभेल जल आपूर्ति शोधन संयंत्र से सड़क के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा दमण दभेल मुख्य सड़क से दभेल जल आपूर्ति शोधन संयंत्र तक सड़क निर्माण के कार्य हाथ में लिए हैं ।

लक्षद्वीप

5.82 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में अरब सागर में छितरे 36 द्वीप हैं जो 71 डिग्री तथा 74 डिग्री पूर्व रेखांश और 8 डिग्री तथा 12.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा मुख्य भूमि से 200 से लेकर 400 कि0मी0 तक की दूरी पर स्थित है । केवल 10 द्वीपों में ही आबादी हैं । ये द्वीप अफ्रीका, अरेबिया तथा मालाबार के सीधे व्यापार मार्ग पर स्थित हैं । संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग कि0मी0 है । भूमि का यह छोटा टुकड़ा 4200 वर्ग कि0मी0 साफ फीरोजी नीले जल के अद्भुत लगूनों से घिरा है । दोहन के लिए उपलब्ध अनन्य आर्थिक क्षेत्र 4 लाख वर्ग कि0मी0 में फैला हुआ है । इस क्षेत्र की कुल आबादी 60,695 है जिसमें से 94% अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत की गई है । समस्त संघ राज्य क्षेत्र एक जिला है जिसे चार तहसीलों तथा नौ उप मंडलों में बांटा गया है ।

कृषि

5.83 लगभग समस्त कृषि योग्य क्षेत्र नारियल के पेड़ों से आच्छादित है । इस वर्ष के अंत तक नारियल का उत्पादन 55 मिलियन नट्स से अधिक होने की आशा है । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बेहतर उत्पादन के लिए बागबानी के विकास, ओलेरिकल्चरल तथा एग्रोनोमिक प्रैक्टिसिस, आपरेशनल फार्मिंग कार्यक्रम, कृषि विस्तार तथा टेक्नोलोजी अन्तरण, अनुसंधान एवं विकास, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण व विपणन, कृषि इंजीनियरी, मृदा एवं जल संरक्षण आदि कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है । नारियल के पौधों के बीच का स्थान, सब्जियों फल, ट्यूबर, फसलों, केला, सपोटा, अमरूद, ब्रेडफ्रूट, पपीता की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है ।

सहकारिता और नागरिक आपूर्ति

5.84 संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की 53 सहकारी समितियां कार्य कर रही है, जिनमें एक राज्य स्तरीय फेड्रेशन अर्थात लक्षद्वीप कॉपरेटिव मार्केटिंग फेड्रेशन (एल.सी.एम.एफ.) सहित, दस प्राथमिक सहकारी समितियां छः सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर तथा कैन्टीन, नौ सेवा सहकारी समितिया पांच लेबर कांट्रेक्टर सहकारी समितियां, छः मछुआरा सहकारी समितियां, 15 औद्योगिक सहकारी समितियां

तथा एक लक्षद्वीप जल परिवहन सहकारी समिति शामिल है । ये सहकारी तथा विपणन समितियां 55 रिटेल आउटलेट चला रही है जिनमें से 35 लोक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों के रूप में कार्य कर रहे है । चूंकि लक्षद्वीप एक जनजाति क्षेत्र है अत: इसकी समस्त जनता को 8.80 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर पर विशेष इमदादी कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न दिए जाते है । प्रदान किए जा रहे अनाज की मात्रा प्रति वयस्क 12 कि0ग्रा0 चावल तथा प्रति बच्चा 6 कि0ग्रा0 चावल है । अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 58 निर्धनतम परिवारेां को मुफ्त चावल दिया जा रहा है । अन्त्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले 400 परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 885 परिवारों को 2 रू0 प्रति कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 3 रू0 प्रति कि0ग्रा0 चावल सप्लाई किया जाता है ।

शिक्षा

5.85 इस क्षेत्र की साक्षरता दर 87.52% है । इस समय, इस संघ राज्य क्षेत्र में चार सी0सै0 स्कूल, नौ हाई स्कूल, चार सीनियर बेसिक स्कूल, 20 जूनियर बेसिक स्कूल, नौ नर्सरी स्कूल, एक नवोदय विद्यलाय, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। मुख्य भूमि में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है। अन्ड्रोत और कदमत दोनों ही में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रवास सुविधाएं उपलब्ध है । मिनिकॉय स्थित नवोदय विद्यालय में भी बोर्डिन्ग सुविधा है ।

बिजली

5.86 अगाट्टी, कदमत, अन्द्रोत तथा कावाराती प्रत्येक में एक-एक 100 के डब्ल्यू पी ग्रिड इन्टरएक्टिव सोलर फोटोवोल्टेयिक (एस वी पी) पावर प्लान्ट स्थापित और चालू कर दिए गए हैं । कालपेनी में एक 100 के डब्ल्यू पी ग्रिड इन्टरएक्टिव एस पी वी पावर प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है । चालू वित्त वर्ष के दौरान दो ओर 100 के डब्ल्यू पी ग्रिड इन्टरएक्टिव एस पी वी पावर प्लान्ट अमीनी और चेटलट प्रत्येक में एक, स्थापित करने का प्रस्ताव है । बनग्राम तथा बितरा में मौजूदा एस पी वी पावर प्लान्ट की क्षमता बढाकर 50 के डब्ल्यू पी करने का कार्य चल रहा है तथा इसके फरवरी, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है । 3.5 कि0मी0 लोटेन्शन (एल टी) भूमिगत केबल के लक्ष्य के मुकाबले तीन कि0मी0 का कार्य पूरा कर लिया गया है , अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2002 के बीच 279 घरेलू कनेक्शन, 8 औद्योगिक कनेक्शन तथा 48 स्ट्रीट लाइटें प्रदान की गई हैं । चालू वित्त वर्ष के दौरान एक कि0मी0 हाई टेंशन लाइन तथा चार पावर ट्रांसफोर्मर्स और शामिल किए जाएंगे । कावारात्ती में प्रयोगिक आधार पर 250 के डब्ल्यू क्षमता वाला बायोमास गैसीफायर प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है तथा इसके चालू वर्ष के दौरान पूरा और चालू कर दिए जाने की आशा है ।

मात्स्यिकी

5.87 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मछुआरों को पोल एवं लाइन तकनीक द्वारा टूना मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देकर उन्हें मछली पकड़ने के आधुनिक तरीके अपनाने में सहायता दे रहा है । मछुआरों को किराया-खरीद आधार पर मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नावें तथा इंजिन सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है । मछुआरों की सहकारी समितियो को बढ़ावा दिया गया है। मछुआरों को वार्षिक 15 करोड़ रू0 तक की विपणन सहायता प्रदान की जानी है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने हेतु मदर वेसल का प्रापण करने हेतु प्रयास किए जा रहे है । कावारात्ती में एक समुद्री एक्वेरियम तथा संग्रहालय है जो पर्यटकों, अनुसंधानकर्त्ताओं तथा छात्रों को आकर्षित करता है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

5.88 द्वीप की जनता की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताहेतु दो हसताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 उप केन्द्र, एक प्राथमिक उपचार केन्द्र, दो आयुर्वेदिक औषधालय, एक होम्योपैथिक औषधालय, एक दन्त इकाई है । विशेष रूप से आयोजित शिविरों में परामर्श देने/विशेष चिकित्सा उपचार के लिए मुख्य भूमि के ख्यातिप्राप्त अस्पतालों से विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं। मुख्यभूमि से परामर्श लेने के लिए कावाराती स्थित हस्ताल में एक टेलीमेडिसिन केन्द्र स्थापित किया गया है । आपातकालीन स्थिति में मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक एम्बुलैंस हैलीकॉप्टर चलाया जाता है ।

पंचायती राज संस्थान

5.89 क्षेत्र में एक द्विस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें एक जिला पंचायत तथा 10 ग्राम (द्वीप) पंचायत हैं । प्रशासन ने 800 कर्मचारियों के साथ 76 उप योजनाओं सहित 25 बड़ी योजनाएं जिला पंचायत को तथा 259 कर्मचारियों के साथ 100 उप-योजनाओं सहित 24 बड़ी योजनाएं ग्राम (द्वीप) पंचायतों (वी डी पी) को स्थानांतरित की है।

पर्यटन

5.90 द्वीप में स्थानीय संस्कृति की रक्षा करते हुए तथा भंगुर परिस्थितिकी-प्रणाली को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को विकसित किया जा रहा है । स्कूबा डायविन्ग, विन्ड सर्फिन्ग, पैरा-सेलिन्ग, कायाकिन्ग, स्नोरकेलिन्ग, याचिन्ग, ग्लास बॉटम बोट्स आदि जैसी जल क्रीडाएं बड़े आकर्षण हैं । एक स्वायत्तशासी सोसायटी, सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ रिक्रिएशनल ट्ररिज्म (स्पोर्टस) खान-पान, आतिथ्य तथा सामूहिक पयर्टन यात्राएं आयोजित करता है । मुख्य भूमि से भी समुद्री यात्राएं आयोजित की जाती है । रिजोर्ट्स, फेमिली हट्स तथा प्राइवेट हट्स के रूप में विभिन्न द्वीपों में इस समय 180 बिस्तरों का आवास उपलब्ध है ।

पांडिचेरी

5.91 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यनम नाम के चार क्षेत्र हैं जो भौगोलिक तौर पर एक दूसरे से अलग हैं । चेन्नै के दक्षिण में करीब 162 कि0मी0 पूर्वी तट पर स्थित पंडिचेरी क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों में बड़ा है । यह 12 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है और तमिलनाडु के विल्लुपुरम और कुडालोर जिलों के इलाकों तक फैला हुआ है । कराइकल क्षेत्र पांडिचेरी के दक्षिण में करीब 160 कि0मी0 तक हैं और तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले से घिरा हुआ है । यनम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के निकट पांडिचेरी के पूर्वोत्तर में करीब 840 कि0मी0 तक स्थित है । माहे क्षेत्र केरल में तेलीचेरी के निकट पश्चिमी किनारे पर 653 कि0मी0 दूर पांडिचेरी के लगभग समान्तर क्षेत्र में फैला हुआ है ।

5.92 इस संघ राज्य क्षेत्र में एक ही जिला है जिसमें 264 जनगणना गांव, 129 राजस्व गांव, 2 ताल्लुक और 4 उप-ताल्लुक हैं। इसमें 5 नगरपालिकाएं हैं और 10 समुदाय पंचायतें हैं। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का क्षेत्रफल 480 वर्ग कि0मी0 है और 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 9,73,829 है ।

कृषि

5.93 संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि है तथा इससे अधिकांश ग्रामीण आबादी को रोजगार मिलता है । चावल, बाजरा, दालें, तिलहन कपास गन्ना और मूंगफली इस संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं । बागवानी के अन्तर्गत सब्जियां और फूल मुख्य फसलें हैं । परियोजना "औषधीय पौधों में सुधार और संरक्षण" के तहत मडगाडीयेर में मेडिसिनल प्लान्ट इंटरप्रटेशन सेन्टर में दुर्लभ औषधीय पौधों को संरक्षित रखा जाता है ।

5.94 किसानों के लाभ के लिए स्थापित बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तथा इस वर्ष बीज प्रमाणीकरण के अधीन 180 है0 भूमि में पैडी पंजीकृत की गई है। फार्म मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रारंभ की गई समूह बीमा योजना से 780 मृत कृषि मजदूरों के नामित लाभान्वित हुए हैं । नई ग्रुप बीमा योजना "जनश्री बीमा योजना" के तहत मृत फार्म मजदूरों के 370 नामितों को बीमा राशि प्रदान की गई ।

पशुपालन

5.95 शहरीकरण के कारण विगत वर्षों में पशुधन की जनसंख्या घटती रही है । सरकार, संकरण (क्रॉस ब्रीडिंग) कार्यक्रम के जरिए पशुधन की संख्या बढाने हेतु समन्वित प्रयास कर रही है । बढिया खाद्य पदार्थ तथा प्रबंधन और फ्रोजन सीमन टेक्नोलोजी का प्रयोग करके संकरण के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है जो कि बढ़कर 16959 मी.ट. हो गया है। पांडिचेरी कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्सार्स यूनियन लि. पांडिचेरी के 30 कि.मी. के दायरे में स्थित 89 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सोसायटियों से दूध एकत्र करती है। पांडिचेरी क्षेत्र में 89 प्राथमिक तथा एक शीर्ष मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन है।

सहकारिता

5.96 संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में 482 सहकारी समितियां हैं जिनमें से 131 क्रेडिट सैक्टर में हैं तथा 351 गैर-क्रेडिट सैक्टर में है । पांडिचेरी स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि0 (पी एस सी वी) अपनी 20 शाखाओं सहित ऋण व अग्रिम राशि प्रदान करता है । पांडिचेरी कॉपरेटिव अर्बन बैंक लि0 जनता को तथा जमाकर्ताओं को समस्त बैकिन्ग सेवाएं प्रदान करता है । पांडिचेरी कॉपरेटिव सेन्ट्रल लैन्ड डेव्लपमेंट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विकास और संबद्ध गतिवधियों में कृषकों/कामगारों को दीर्घकालीन निवेश सुविधाएं प्रदान करता है ।

विद्युत

5.97 संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी की विद्युत की आवश्यकता दक्षिणी क्षेत्र में स्थित विभिन्न केन्द्रीय जेनरेटिन्ग स्टेशनों से भागेदारी करके पूरी की जाती है । इस समय संघ राज्य क्षेत्र में 13 सब-स्टेशन तथा एक पावर जेनेरेटिन्ग प्लान्ट है । सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है ।

5.98 पांडिचेरी पावर कारपोरेशन द्वारा स्थापित एक पावर जेनरेशन प्लान्ट ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । इसकी स्थापित क्षमता 32.50 मेगावाट है । कराईकल स्थित गैस पावर प्लान्ट की विद्युत जेनरेटिन्ग क्षमता 32.5 मेगावाट से बढ़ाकर 132.50 मेगावाट करने का प्रस्ताव है कराईकल क्षेत्र में पावर सप्लाई स्थिर बनाए रखने के लिए पी पी सी एल द्वारा उत्पन्न की गई समस्त बिजली विद्युत विभाग कराईकल द्वारा ले ली जाती है ।

उद्योग

5.99 कुल 49 बड़े उद्योग, 131 मझौले उद्योग तथा 6642 लघु उद्योग हैं जिनमें 78242 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है । बड़े, मझौले और छोटे उद्योगों के निर्यात का मूल्य क्रमशः 66.58 करोड़ रू0 102.69 करोड़ रू0 तथा 116.54 करोड़ रू0 था । रसायन, रबड, प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उद्योगों के विकास के साथ ही प्रौद्योगिक ढांचे का क्रमिक रूप से वैविध्यीकरण हो रहा है । संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्र में ख्याति प्राप्त अनेक औद्योगिक घरानों तथा अनेक प्रख्यात बहुराष्ट्रीय निगमों का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ रहा है ।

स्वास्थ्य

5.100 संघ राज्य क्षेत्र में 8 हस्पतालों, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 75 उप केन्द्रों तथा 13 ई एस आई औषधालयों के जरिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है । चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध तथा होम्योपैथी पद्धतियां प्रोन्नत करने के लिए एक पृथक आई एस एम एंड एच निदेशालय की स्थापना की गई ।

5.101 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने पांडिचेरी को नवजात, प्रीस्कूल बच्चों स्कूली बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के पूर्ण प्रतिरक्षण (इम्यूनाइजेशन) के मामले में प्रथम स्थान दिया है । परिवार कल्याण जागृति अभियान के कारण एस टी डी अटैन्डेन्टस में एच आई वी पोजिटिविटी 4.1% से घट कर 2% तथा गर्भवती महिलाओं में एच आई वी पोजिटिविटी 0.25% हो गई है । रक्तदाताओं में एच.आई.वी. मौजूदगी 5.75 से घटकर 4.06 हो गई है । पांडिचेरी ने कुष्ठ रोग के सभी मामलों की पूर्ण चिकित्सा का लक्ष्य प्रापत कर लिया है । मलेरिया मामलों को प्रभावी ढंग से 137 से 106 पर नीचे ले आया गया है तथा फिलेरिया का प्रतिशत 1.03% से घटकर 0.91% रह गया है। संघ क्षेत्र प्रशासन ने ऐसे गरीबों को जिन्हें चिकित्सा/ऑपरेशन की आवश्यकता है, के लिए चिकित्सा सहायता की योजना प्रारंभ की है।

आवास

5.102 मलिन बस्तियों का दर्जा बढाने के कार्यक्रम के तहत पांडिचेरी में कन्न डाक्टर थट्टन तथा बूमियान पेट में 288 आवासों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें मलिन बस्ती के लोगों को आबंटित किया गया । 520 लाख आवास कार्यक्रमरु के तहत कमजोर वर्गों तथा अल्प आय वर्गों के लिए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु पांडीचेरी हाउसिन्ग बोर्ड को 50 लाख रू0 की राशि रिलीज की गई । बाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना के तहत वर्ष के दौरान मलिन बस्तियों में 170 मकानों के निर्माण के लिए स्लम क्लियरेंस बोर्ड द्वारा संचालित योजना लेखे में केन्द्रीय भाग के रूप में 33.50

लाख रू0 तथा संघ राज्य क्षेत्र के भाग के रूप में 38.75 लाख रू0 जमा किए गए । आदि द्रविडर आवास योजना के तहत 507 गृहविहीन अनुसूचित जाति के लोगों को कम लागत के घर बनाने के लिए 20,000/- रू0 की दर से राशि प्रदान की गई । अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आवास भूमि खरीदों, विकसित करो, और वितरित करो योजना के तहत 148 लोग लाभान्वित हुए । इन्दिरा आवास योजना के ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत 40.83 लाख रू0 की लागत पर 253 मकानों का निर्माण किया गया । प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 26.80 लाख रू0 की लागत पर 117 मकानों का निर्माण किया गया ।

समाज कल्याण

5.103 पूर्णतः अशक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 200/- रू0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 250/- रू0 प्रति माह कर दी गई है तथा 3056 व्यक्तियों को इसका भुगतान किया गया है । आशक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए कम्प्यूटर, इलैक्ट्रोनिक्स, मेकेनिज्म आदि व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया । स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना के तहत 21 स्वयंसेवी संगठनों को 29.77 लाख रू0 की सहायता दी गई । 4 संस्थानों को 4.00 लाख रू0 तक सहायता अनुदान दिया गया । 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चप्पल व कंबल प्रदान किए गए । मादक पदार्थों की बुराइयों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मादक पदार्थों और शराब खोरी की रोकथाम के लिए कार्यशाला आयोजित की गई ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

5.104 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपनी विधानसभा और समेकित निधि है । दिल्ली विधान सभा को संविधान के प्रावधानों के तहत, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए मामलों में, जहां तक वह संघ राज्य क्षेत्र पर लागू हो, सिवाय उन मामलों के जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 तथा उक्त सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 जहां तक वे प्रविष्टि 1,2 व 18 से संबंधित हो, के संबंध में समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं । उन मामलों को छोड़ कर जिनमें उप राज्यपाल से किसी कानून के द्वारा या तहत अपने विवेकाधिकार से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद से मामलों में जिनमें उन्हें कानून बनाने का अधिकार है, उप राज्यपाल की सहायता करती है और उन्हें परामर्श देती है ।

5.105 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1483 वर्ग कि0 में फैली हुई है तथा 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 1,37,82,976 है । देश के विभिन्न भागों से आप्रवासन के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है । जनसंख्या का घनत्व भी तेजी से बढ रहा है । तेजी से शहरीकरण तथा आप्रवासन के कारण मूलभूत ढांचे, नागरिक सुविधाओं तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अभुतपूर्व दवाब पड़ रहा है । प्रदूषण, भीड़भाड़ की समस्या, पानी, बिजली, आवास और स्वच्छता की कमी तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के लिए मुख्य समस्याएं बन गई हैं ।

विद्युत

5.106 वर्ष 2002 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विद्युत के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाना है । दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी वी वी) का पांच उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात एक जेनरेशन कंपनी (जेन को), एक ट्रांसमिशन कंपनी (ट्रान्स्को) तथा तीन वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) का सृजन करके पुनर्गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त, डी वी बी की समस्त देयताओं का भार उठा लेने का ग्रहण तथा उत्तरवर्ती कंपनियों को केवल सर्विसेबल जिम्मेदारिया सौंपने के लिए होलडिन्ग कंपनियां बनाई गई हैं।

समाज कल्याण

5.107 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बच्चों के लिए पच्चीस गृह (क्षमता 2640), महिलाओं के चार गृह क्षमता (350), विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन गृह (क्षमता 200), भिखारियों के लिए 12 गृह (क्षमता 2860), वृद्धों के लिए 2 गृह (क्षमता 55) का रख रखाव किया जा रहा है । वर्ष के दौरान इस विभाग ने भागीदारी

कार्यक्रम के तहत नौ जिलों में भिक्षा के विरूद्ध एक बड़ा मीडिया जागरूकता अभियान तथा 332 स्त्री शक्ति शिविर आयोजित किए हैं।

परिवहन

5.108 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2002 तक डीजल बसों को हटाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्तर्राज्यीय प्रचालन के लिए एक हजार नई सी एन जी बसें तथा 310 डीजल बसें परिवहन बेड़े में शामिल किए जाने की आशा है । अस्थायी परमिट जारी करने, पर्यटक वाहनों के प्राधिकरण

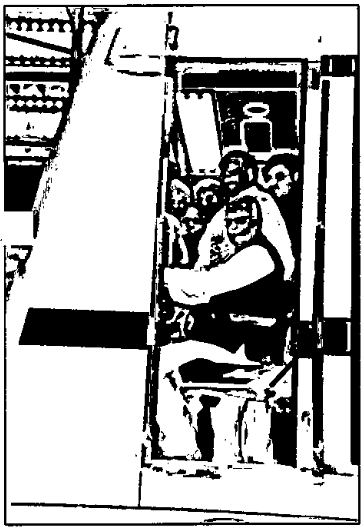

उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी 17 सितम्बर 2002 (मंगलवार) को दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन को परीक्षण करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

और अन्य राज्यों के वाहनों के परमिटों को प्रति-हस्ताक्षरण करने के काम का कम्प्यूटरी करण किया गया । प्रदूषण जांच, प्रदूषण देने वाले वाहनों की ट्यूनिन्ग तथा प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र (पी यू सी सी) जारी करने की सुविधाएं और बढाई गई । सी एन जी फिलिन्ग आउटलेटों की संख्या 1998 में 9 से बढाकर 2020 में 94 कर दी गई । शाहदरा से सीलमपुर सेक्टर में दिल्ली मेट्रों का निर्माण कार्य समय-सूची के अनुसार पूरा कर लिया गया तथा 24.12.2002 को भारत के प्रधान मंत्री ने इसका उद्घाटन किया ।

पर्यावरण और वन

5.109 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वन क्षेत्र 1997 में 26 वर्ग कि0मी0 से बढाकर 2002 में 88 वर्ग कि0 हो गया है । हौजरानी और अलीपुर में नगर वन विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सामुदायिक स्तर पर बायोडिग्रेडेबल तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल कूड़े कचरे के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत ज्कम प्रयोग करें तथा पुन: प्रयोग करेंट की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है । जल संरक्षण, वर्षा-जल की हार्वेस्टिंग तथा संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है

शहरी विकास

5.110 शहरी विकास विभाग ने अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे नैशनल इन्फोर्मेक्टिस सेंटर (एन आई सी) के सहयोग से डिजिटल मैपिन्ग परियोजना तथा लक्ष्मीनगर में दिल्ली राज्य उद्योग विकास निगम (डी एस आई डी सी) के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक काम्पलेक्स के निर्माण की परियोजना का कार्य हाथ में लिया हुआ है । यह विभाग वाटर मिशन की स्थापना करने तथा जल के संरक्षण, हार्वेस्टिंग ओर रिसाइक्लिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने के लिए एक प्लान योजना कार्यान्वित कर रहा है ।

दिल्ली पुलिस

5.111 दिल्ली में अपराध ग्राफ जो वर्ष 1998 तक निरन्तर बढ़ता जा रहा था, वर्ष 1999 से गिरना प्रारंभ हो गया है। गिरावट का यह क्रम 2002 में भी जारी रहा । विगत वर्ष के 54384 के मुकाबले 2002 में 49137 भा0दं0सं0 मामले दर्ज किए गए इस प्रकार 9.6% की कमी दर्ज की गई । विगत वर्ष के 2316 जघन्य अपराधों के मुकाबले इस वर्ष ऐसे 2094 अपराध दर्ज किए गए जो 9.6% कम थे। इसी प्रकार 2001 में 54068 गैर जघन्य अपराधों के मुकाबले 2002 में 47043 गैर जघन्य मामले घटित हुए ।

5.112 अपराध दर में गिरावट और नियंत्रण, अपराधों के ठीक-ठीक विश्लेषण तथा सूक्ष्म प्रबोधन के कारण हुई है। ऐसे पुलिस थानों को जहां अपराध ज्यादा होते थे अतिरिक्त पुलिस जन तथा गश्त के लिए अतिरिक्त मोटर साइकिलें प्रदान की गईं । इसके अतिरिक्त, सभी पुलिस थानों से अपने क्षेत्र में चोटी के दस अपराधियों की पहचान करने को कहा गया तथा उनके ऊपर निगरानी रखने तथा उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत मुकदमे दर्ज किए

गए या उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया । दिल्ली पुलिस ने विगत दो वर्षों में विभिन्न आतंकवादी संगठनों, अन्तर्राज्यीय अपराधियों तथा दिल्ली में मुंबई के अपराध जगत के अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में उल्लेखनीय सफलता पाई है । वर्ष 2002 के दौरान दिल्ली पुलिस ने लश्करे तैय्यबा, हिज्ब-ए-इस्लामी, खालिस्तान कमांडो फोर्स, पी एल ए, सिमी तथा कश्मीरी गुटों से संबंधित 42 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया अथवा मार गिराया । मुंबई अपराध जगत की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई तथा अपराध जगत के अनेक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए । इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्तर्राज्यीय गिरोहों के 66 ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया जो दिल्ली तथा अन्यत्र अनेक जघन्य अपराधों में संलिप्त रहे थे ।

5.113 दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने जांच अधिकारियों को अपराध स्थल पर ही वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 9 मोबाइल क्राइम टीमों के गठन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 135 पद सृजित करना, उपकरणों, कुत्तों तथा वाहनों की खरीद करना सन्निहित था । ये मोबाइल टीमें तीन-शिफ्ट आधार पर कार्य करेगी तथा जांच अधिकारियों को विधि विज्ञान तथा वैज्ञानिक सहायता पहुंचाने के लिए अल्प सूचना पर अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगी । आतंकवादियों के विरूद्ध आसूचना एकत्र करने के लिए अधुनातन तकनीकी गजटों (उपकरण) के प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ की कार्यकारी पक्ष के 15 पद तकनीकी/कंप्यूटर संवर्ग पदों में बदल दिए गए हैं । दिल्ली पुलिस ने हाल ही में यात्रा समय और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने तथा यातायात प्रवाह परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर 47 ट्रैफिक प्वाइन्ट्स पर (स्टेट ऑफ आर्ट) अधुनातन "एरिया ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम" की स्थापना की ताकि ईंधन में बचत और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। ❑

अध्याय

VI

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

6.1 भारतीय पुलिस सेवा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। यह सेवा स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान विद्यमान भारतीय पुलिस (आई पी) के स्थान पर बनाई गई है । ये सेवाएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1946 में आयोजित सर्वप्रथम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरुप बनाई गई हैं। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, राज्यों और भारत सरकार दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान कराते हैं। इस सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप होने के कारण सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों में विशेष समस्याओं को हल करने के मामले में अद्वितीय अवसर मिलते हैं।

6.2 गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य देखता है। यह भर्ती, प्रशिक्षण, संवर्ग का आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती, अनुशासनात्मक मामलों इत्यादि सहित सेवा से सम्बन्धित सभी नीतिगत निर्णयों का काम देखता है।

6.3 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को, भर्ती के बाद भिन्न-भिन्न संवर्ग आबंटित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार के लिए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों का कोई पृथक संवर्ग नहीं है। केन्द्र सरकार या केन्द्रीय पुलिस बल/ केन्द्रीय पुलिस संगठनों में पदों को भरने के लिए अधिकारियों को आवश्यकता के आधार पर विभिन्न राज्य संवर्गों से लिया जाता है।

6.4 भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती से लिए जाने वाले अधिकारियों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या का निर्धारण करती है। राज्य पुलिस अधिकारियों को भी पदोन्नति देकर भारतीय पुलिस सेवा में लिया जाता है। प्रत्येक संवर्ग में इस प्रकार से पदोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए प्रत्येक संवर्ग में वरिष्ठ स्तर के पदों+केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व+राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व+ट्रेनिंग रिजर्व का 33 1/3 प्रतिशत कोटा है।

6.5 1 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा की कुल प्राधिकृत संख्या और अधिकारियों की वास्तविक संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

राज्य	प्राधिकृत संख्या (1.1.2003 की स्थिति के अनुसार)	वास्तविक संख्या (1.1.2003 की स्थिति के अनुसार)
आन्ध्र प्रदेश	194	193
असम-मेघालय	153	127
बिहार	163	151
छत्तीसगढ़	59	54
गुजरात	149	128
हरियाणा	125	115
हिमाचल प्रदेश	72	72
जम्मू और कश्मीर	120	104
झारखंड	87	82
कर्नाटक	156	133
केरल	139	101
मध्य प्रदेश	219	205
महाराष्ट्र	205	201
मणिपुर-त्रिपुरा	120	105
नागालैंड	58	40
उड़ीसा	159	117
पंजाब	144	135
राजस्थान	167	145
सिक्किम	32	26
तमिलनाडु	214	171
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित क्षेत्र	162	148
उत्तरांचल	42	38
उत्तर प्रदेश	375	341
पश्चिम बंगाल	259	236
कुल	3573	3168

6.6 सीधी भर्ती से आए अधिकारियों को उनकी नियुक्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में प्रारम्भिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होता है। उसके बाद वे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुलिस व्यवस्था में प्रारम्भिक प्रशिक्षण लेते हैं। राज्य पुलिस सेवा अधिकारी भी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी में 6 सप्ताह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को भारत और विदेश में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

6.7 सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश में प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। 1948 में स्थापित इस अकादमी ने स्वयं को एक सर्वोत्तम संस्थान के रुप में स्थापित किया है।

6.8 केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रसिद्ध शिक्षाविदों को इसके सदस्य के रुप में लेकर बना एक सलाहकार बोर्ड, तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस अकादमी में, आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के स्वरुप, इसके पाठ्य विवरण और प्रशिक्षण प्रणाली की सावधिक पुनरीक्षा करता है। यह अकादमी को, स्तरों में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाता है।

6.9 यह अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम और सेवाकालीन प्रबंधन पाठ्यक्रम दोनों ही आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए, भा.पु.से. में उनकी पदोन्नति पर, प्रवेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करती है। अकादमी, राज्य पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों/अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाती है। अकादमी में आयोजित किए जाने वाले कुछेक पाठ्यक्रम भा.पु.सेवा, आई. आर.एस., आई.ए.एंड ए.एस., भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के अलावा न्यायिक, परिवीक्षा एवं जेल विभागों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों के लिए भी खुले हैं। विशेषतया पुलिस से संबंधित व्यावसायिक विषयों पर अल्पकालिक स्पेशलाइज्ड थेमेटिक कोर्स, सेमीनार और कार्यशालाएं बड़ी लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।

भारतीय पुलिस सेवा-अधिकारियों का प्रशिक्षण-चांदमारी कार्यक्रम

6.10 वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारित और इस दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुलग्नक VIII पर दर्शाए गए हैं।

6.11 अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस अकादमी ने अनुशासन, सत्यनिष्ठा, चरित्र, व्यावसायिक नीति शास्त्र और सेवा के मूल्यों पर अधिक जोर दिया है। इसने, मोडयूल्स में नए विषयों जैसे कम्प्यूटर, विद्रोह एवं आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, युद्ध कौशल एवं युक्तियां, जांच-पड़ताल में सिम्यूलेशन एक्सरसाईज, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था इत्यादि, भी प्रारम्भ किए हैं, जो आज की फील्ड/स्थितियों में अधिक संगत हैं।

6.12 1993 में शुरु की गई पुलिस फैलोशिप स्कीम दो और वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है और फैलोशिप राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह अकादमी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं भी हाथ में लेती हैं।

केन्द्रीय पुलिस बल

6.13 केन्द्र सरकार के अधीन सात केन्द्रीय पुलिस बल हैं ये हैं - असम राइफल्स(ए.आर.), सीमा सुरक्षा बल(बी.एस.एफ.), भारत तिब्बत

सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल(सी.आर.पी.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), विशेष सेवा ब्यूरो(एस.एस.बी.) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद(एन.एस.जी.) । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों को सहायता प्रदान करने वाला एक मुख्य बल है । त्वरित कार्य बल (आर.ए.एफ.)केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक विशेष विंग है जो दंगों से निपटता है, विशेषतया साम्प्रदायिक और इसी प्रकार के दंगों से । असम राइफल्स भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मुख्यत: सीमा पर चौकसी और विद्रोह विरोधी कार्यों के लिए बनाई गई है । असम राइफल्स का आपरेशन नियंत्रण सेना के पास है । सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सेवा ब्यूरो मुख्यत: सीमा की चौकसी के लिए जिम्मेदार हैं । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी भवनों को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करता है । विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य को भी इसके अधिकार क्षेत्र में लाया गया है । राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला और विमान अपहरण विरोधी अभियानों के लिए गठित एक विशेष बल है ।

6.14 विशेष सेवा ब्यूरो जिसे सीमा चौकसी बलों (बी.जी.एफ.) की श्रेणी में हाल ही में जोड़ा गया है, के लिए एक आधुनिकीकरण योजना, विचाराधीन है ।

असम राइफल्स (ए.आर.)

6.15 "पर्वतीय लोगों का मित्र" के रूप में ज्ञात असम राइफल्स को सर्वप्रथम 1835 में कछार लेवी के रूप में खड़ा किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्द्धसैनिक बल है । इसका एक महानिरीक्षालय, 7 रैंजें, 38 बटालियन, एक प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल, 3 अनुरक्षण ग्रुप, 3 कार्यशालाएं, 1 सिगनल यूनिट, 1 निर्माण यूनिट और कुछ सहायक यूनिटें हैं । जनजातीय क्षेत्रों में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने और पूर्वोत्तर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी की अपनी मुख्य भूमिका के अलावा बल ने सेना के साथ जम्मू और कश्मीर और श्रीलंका में भी कार्य किया । 2002 (नवम्बर, 2002 तक) की अवधि के दौरान बल ने भारी मात्रा में शस्त्र व गोला-बारूद पकड़ा, इसके अतिरिक्त 29 विद्रोहियों को मार गिराया और 382 को गिरफ्तार किया । बल के 16 बहादुर जवानों ने कार्रवाईयों में अपने जीवन का बलिदान दिया ।

सिक्किम में अत्यधिक ऊँचाई पर तैनात असम राइफल्स के जवान

6.16 इसका आधुनिकीकरण करने और इसकी आपरेशनल क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास में, बल अधुनातन हथियारों जैसे 5.56 एम.एम.आई.एन.एस.ए.एस. राइफल्स और हल्की मशीनगनें और आधुनिक संचार उपकरणों का प्रयोग शुरू कर रहा है ।

सीमा सुरक्षा वल (बी.एस.एफ.)

6.17 सीमा सुरक्षा बल को 1965 में 25.5 बटालियनों के साथ खड़ा किया गया था । सीमा सुरक्षा बल को खड़ा करने के साथ पड़ोसी देशों के साथ लगी भारतीय सीमा की चौकसी करने के लिए राज्य बलों की बहुविधता समाप्त हो गई । इन वर्षों के दौरान, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय इसकी 157 बटालियनें, 20 आर्टिलरी बटालियनें, 3 प्रशिक्षण संस्थान, 9 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र,

सीमाओं की चौकसी

2 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, वाटर विंग, एयर विंग और सिगनल रेजीमेंट हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 9 फ्रंटियर मुख्यालय और 33 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। इसकी आपरेशनल जिम्मेदारी भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश से लगी हुई 6433.7 कि.मी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में फैली हुई है। सीमा सुरक्षा बल को सेना के आपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जाता है। भारत म्यांमार सीमा के एक छोटे से भाग की चौकसी परम्परागत रूप से सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। आने वाले वर्षों में असम राइफल्स इसके स्थान पर लगाई जायेगी।

6.18 चालू वर्ष (30 नवम्बर,2002तक) के दौरान, बल के कार्मिकों ने 302 उग्रवादी मारे और 274 उग्रवादी गिरफ्तार किए, इसके अलावा 330 ए.के. श्रेणी की राइफलें, 366 मिले-जुले शस्त्र, 34,687 ए.के. श्रेणी का गोला-बारुद, 11,284 मिला-जुला गोला बारुद और बड़ी मात्रा में हथगोले, बम, राकेट लांचर इत्यादि बरामद किए। सीमा पार से होने वाले अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में बल ने 93.1 करोड़ रुपये मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं जब्त कीं और 11610 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया और 180 सीमा पार के अपराधियों को मार गिराया। इस अवधि के दौरान बल के 110 कार्मिकों ने सक्रिय कार्रवाई में अपने जीवन का बलिदान दिया।

6.19 शस्त्रागार, निगरानी उपकरण, सुरक्षा उपकरण, नाइट विजन यंत्र, संचार उपकरण, चिकित्सा उपकरण और प्रशिक्षण उपकरणों के उन्नयन के लिए 2300.85 करोड़ रुपये के लागत से एक आधुनिकीकरण योजना को इस वर्ष से प्रारम्भ किया गया है, जो 5 वर्षों में पूरी होगी।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)

6.20 सर्वप्रथम "द क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस" के नाम से नीमच (मध्य प्रदेश) में 27 जुलाई, 1939 को खड़े किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद, बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.बल) रखा गया। तब से बल ने संख्या और व्यावसायिकता में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। 154 बटालियनों, 31 ग्रुप केन्द्रों, 8 प्रशिक्षण संस्थानों, 3 बेस अस्पतालों, 1 कंपोजिट अस्पताल, 7 शस्त्र कार्यशालाएं और 1 केन्द्रीय शस्त्र भंडार के साथ बल इस समय कानून

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला टुकड़ी

और व्यवस्था, उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों जैसी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां कर रहा है। बल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और उग्रवादी ग्रुपों की विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह एकमात्र ऐसा बल है जिसमें दो महिला बटालियनों में गठित महिला टुकड़ियां हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई बल (के.रि.पु. बल) की 10 बटालियनें हैं जो साम्प्रदायिक दंगों और उसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए है।

6.21 के.रि.पु. बल के कार्मिक विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी बरत रहे हैं। वे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे तीर्थ स्थलों/मन्दिरों जैसे जम्मू में माता वैष्णो देवी और रघुनाथ मन्दिर, अयोध्या में राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद, वाराणासी में काशी विश्वनाथ मन्दिर/ ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि/शाही ईदगाह मस्जिद में लगातार चौकसी पर है।

6.22 वर्ष 2002 के दौरान अपने विभिन्न अभियानों में उन्होंने 238 अतिवादियों का सफाया किया और 1508 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया इसके अलावा 713 शस्त्र और 20,904 राउण्ड गोला-बारूद जब्त किया। इन अभियानों के दौरान बल के 64 कार्मिक शहीद हुए और 135 जख्मी हुए।

6.23 पांच वर्षों में, बल में आधुनिक शस्त्र और गोलाबारूद और अन्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए 542.75 करोड़ रूपये की लागत से एक आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई है।

त्वरित कार्य बल

6.24 वर्ष 1992 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुर्नगठन किया गया और उन्हें प्रत्येक को त्वरित कार्य बल की 4 कम्पनियों की 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था । उन्हें साम्प्रदायिक दंगों तथा इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है । ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील 10 स्थानों पर अवस्थित हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं होने पर ये तुरन्त कार्रवाई कर सकें। त्वरित कार्य बल को प्राकृतिक विपत्ति और आपदा के दौरान व्यापक तौर पर तैनात किया गया।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी. आई.एस.एफ.)

6.25 1969 में खड़ी की गई केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आज 269 सार्वजनिक उपक्रमों को सुरक्षा और 75 संस्थानों को अग्नि सुरक्षा कवच प्रदान करता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा कवच के अन्तर्गत अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा संस्थान, बन्दरगाह, हवाई अड्डे, कोयला खान, इस्पात सयंत्र, थर्मल और जल विद्युत सयंत्र, तेल और पैट्रोरसायन, भारी उद्योग, रक्षा संस्थान सिक्योरिटी प्रेस, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान आते हैं । इस बल को ताज महल की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है।

6.26 हवाई अड्डों की सुरक्षा के विशेषज्ञता कार्य को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया है । बल ने अभी तक 45 हवाई-अड्डों की सुरक्षा का कार्य ग्रहण किया है, जिसमें मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं । इसके अलावा इसने 45 सरकारी इमारतों की सुरक्षा का कार्य भी अपने हाथ में लिया है जिसमें अन्यों के साथ नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक और सी.जी. ओ. काम्पलेक्स शामिल हैं ।

विकसित तकनीकों से सुरक्षा सुनिश्चित करना

6.27 आधुनिक शस्त्र और उपकरण प्राप्त करके और प्रशिक्षण देकर कार्मिकों के कौशल को बढ़ाकर और नवीन तक्नीक प्रारम्भ करके बल का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई.टी.बी.पी.)

6.28 भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को 1962 में चीन द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप खड़ा किया गया था । प्रारम्भ में 04 सेवा बटालियनों के साथ खड़े किए गए इस बल में अब 25 बटालियनें हैं, जिसकी सहायता 4 विशेषज्ञ बटालियनों द्वारा की जाती है । इसे भारत-चीन सीमा के उत्तर-पश्चिम छोर से भारत, चीन और नेपाल के

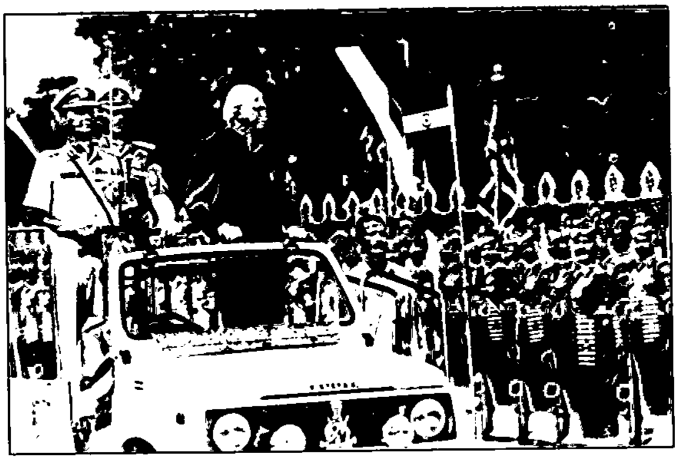

उप-प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी 24 अक्तूबर, 2002 (वृहस्पतिवार) को नई दिल्ली में भारत तिब्वत सीमा पुलिस के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर सलामी गारद का निरीक्षण करते हुए

संगम स्थल तक 2115 कि.मी. पर्वतीय भाग में तैनात किया गया है । 38 अतिरिक्त सेवा कम्पनियों की स्वीकृति के साथ ही इसकी संख्या बढ़कर 34,657 कार्मिकों की हो गई है । भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सीमा तैनाती में 96 सीमा चौकियां आती हैं जिसमें से केवल 39 चौकियां ही सड़क से जुड़ी हैं । 7 सीमा चौकियों का रखरखाव जहाजों के माध्यम से किया जाता है ।

6.29 भारत तिब्बत सीमा पुलिस वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा केन्द्रीय और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए यह एक नोडल एजेन्सी भी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को जम्मू व कश्मीर और गुजरात विधान सभा चुनाव में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी तैनात किया गया था।

6.30 बल को अधुनातन हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए 187.78 करोड़ रुपये की लागत से एक पांच वर्षीय आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

6.31 वर्ष के दौरान नवम्बर, 2002 तक विभिन्न अभियानों में, बल कार्मिकों ने 13 उग्रवादियों को मारा और 3 को गिरफ्तार किया। इन अभियानों के दौरान 6 बल कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 15 कार्मिक जख्मी हुए।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.)

6.32 1984 में गठित, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद इंगलैंड के एस.ए.एस. और जर्मनी के जी.एस.जी-9 के ढांचे के अनुरुप बनाया गया है। यह कार्य विशेष के लिए गठित बल है और इसमें दो पूरक घटक हैं, एक विशेष कार्य ग्रुप (एस.ए.जी.) जिसमें सेना के कार्मिक हैं और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप (एस.ए.जी.) जिसमें केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों/राज्य पुलिस बलों से लिए गए कार्मिक हैं। सुरक्षा गारद के कार्मिक अत्यधिक खतरे, विमान अपहरण विरोधी और आतंकवाद-विरोधी अभियान में प्रशिक्षित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद कमाण्डो को अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का काम भी सौंपा गया है।

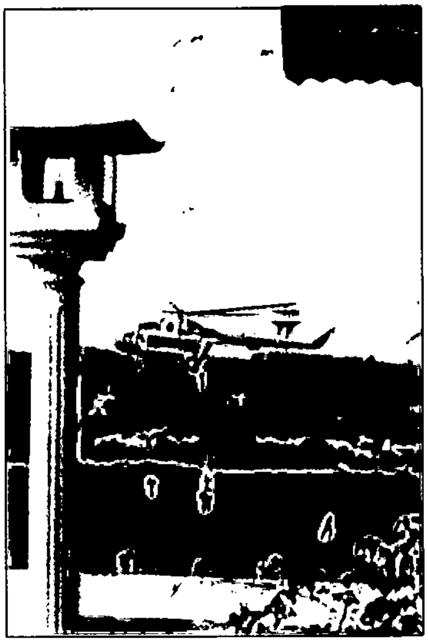

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमान्डो हैलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए

6.33 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमाण्डो ने सितम्बर, 2002 में, अक्षरधाम मंदिर, अहमदाबाद (गुजरात) में एक आतंकवादी विरोधी कार्रवाई की । वे आतंकवादियों का सफाया करने में सफलता प्राप्त की जिन्होंने मंदिर में शरण ले रखी थी। एक कमाण्डो शहीद हुआ। दिसम्बर, 2002 में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के एक बम निष्क्रिय दल ने गोटकोपाड़, मुम्बई में समय रहते एक शक्तिशाली बम को निष्क्रिय किया, जिससे अनेक बहुमूल्य जानें बची।

6.34 82.49 करोड़ रुपये की एक आधुनिकीकरण योजना शुरु की गई जिसके अंतर्गत शस्त्र और गोलाबारुद,लड़ाई, संचार, रात में निगरानी और बम निष्क्रिय उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

विशेष सेवा ब्यूरो (एस.एस.बी.)

6.35 विशेष सेवा ब्यूरो का गठन 1963 के प्रारम्भ में 1962 में भारत-चीन के संघर्ष के पश्चात सीमा पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़-फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में मनोबल बनाने और उनमें मुकाबले की भावना पैदा करने के लिए किया गया था। तथापि, विशेष सेवा ब्यूरो के कार्यों में संशोधन किया गया है और इसे भारत-नेपाल सीमा पर सीमा चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

6.36 विशेष सेवा ब्यूरो अब भारत-नेपाल सीमा पर 20 जिलों में फैली 1,751 कि.मी. लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे 5 सीमा राज्यों में कार्य कर रहा है। विशेष सेवा ब्यूरो के पटना और लखनऊ में 2 फ्रंटियर मुख्यालय, रानीखेत, बहराइच, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया और रानीडंगा में 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। भारत-नेपाल सीमा पर पुन: निर्धारित किए जाने वाले 24 विशेष सेवा ब्यूरो क्षेत्रों में से 16 का पहले ही पुन: निर्धारण कर लिया गया है और इन्होंने कार्य प्रारम्भ कर

दिया है। 08 और क्षेत्रों के पुन: निर्धारण के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

6.37 भारत-नेपाल सीमा पर इसकी तैनाती किए जाने के पश्चात 3.5 करोड़ रुपये की निषिद्ध वस्तुएं, 56.72 लाख रुपये के स्वापक पदार्थ, 65,000/- रुपये की भारतीय जाली मुद्रा, कुछ अवैध भारतीय मुद्रा और छोटे शस्त्र और सक्रिय कारतूस बरामद किए गए। 18 संदेहास्पद नेपाली उग्रवादियों, 103 तस्कर और 16 राष्ट्र विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, तस्करों के 37 कूरियर, 4 जालीमुद्रा गिरोहों, 5 संदेहास्पद पाक आई.एस. आई. एजेन्टों और 81 माओवादी, जो नेपाल के धारचूला और बैतड़ी (पिथौरागढ़-जिला उत्तरांचल के सामने) सीमावर्ती जिलों में सक्रिय थे और विघटनकारी गतिविधियों में संलिप्त संदेहास्द 28 मदरसों की पहचान की गई।

6.38 यह संगठन सीमा चौकसी बल की अपनी नयी भूमिका के लिए कमर कस रहा है। 189.16 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक हथियार और उपकरणों से बल को सुसज्जित करने हेतु एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना बनायी जा रही है।

केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती

6.39 केन्द्रीय पुलिस बल, देश में आंतरिक सुरक्षा स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्पन्न सुरक्षा परिदृश्य, जो सीमा पार से आतंकवाद के कारण और खराब हुई, ने केन्द्रीय पुलिस बलों के सामने अत्यधिक चुनौती पैदा कर दी है, विशेष रुप से उग्रवाद एवं आतंकवाद के खतरों से निपटने में उनकी भूमिका के क्षेत्र में। आन्तरिक सुरक्षा डयूटियों के अलावा, केन्द्रीय पुलिस बलों को जम्मू कश्मीर, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान तैनात किया गया। गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमले से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद कमाण्डो द्वारा किए गए अभियान और जम्मू में रघुनाथ मंदिर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आतंकवादियों को निष्क्रिय करना ऐसे उदाहरण हैं कि इन बलों को उत्तरोत्तर चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जा रहा है।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में मानवशक्ति में वृद्धि

6.40 वर्ष 1988 से सितम्बर, 2002 की अवधि के दौरान केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में मानव शक्ति में हुई वृद्धि को निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :-

वर्ष	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	भारत-तिब्वत सीमा पुलिस	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वल	सीमा सुरक्षा वल	असम राइफल्स	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा वल	विशेष सेवा व्यूरो	कुल
1988	7563	23419	120979	135544	52067	66102	23244	428918
1989	7563	25482	121235	149568	52460	71818	27649	455775
1990	7563	29488	131260	171168	52460	74334	30785	497058
1991	7563	29504	156131	171363	52460	79620	31039	527680
1992	7512	29504	158747	171501	52482	84611	33094	537451
1993	7512	29504	158918	171735	52504	88965	33099	542237
1994	7360	30297	165250	171735	52504	90813	33099	551058
1995	7360	30293	165408	181269	52223	93050	33099	562702
1996	7360	30369	167346	181403	52223	96502	33099	568302
1997	7360	29275	167322	182675	52269	96892	33099	568892
1998	7360	30367	167331	182732	52223	94743	33099	567855
1999	7357	30367	167367	183790	51985	94665	33099	568630
2000	7357	30356	181136	181839	51056	95992	32141	579877
2001	7357	32992	184538	185590	58373	95515	31750	597492
2002 (सितम्बर तक)	7357	34657	204531	204885	55689	94609	31625	640063

केन्द्रीय पुलिस बलों की भावी आवश्यकता : अधिक बटालियनें खड़ी करना

6.41 इस मंत्रालय ने केन्द्रीय पुलिस बलों की भावी आवश्यकताओं का आकलन किया है और उनकी क्षमता और मारक शाक्ति को बढ़ाने के लिए बलों को अधुनातन तकनीक से सुसज्जित करने के साथ-साथ उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुनर्गठन, प्रत्येक बटालियन में 7 कम्पनियों के ढांचे के आधार पर किया जाना है जबकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल को 6 कम्पनियों की बटालियन के ढांचे के आधार पर बढ़ाया जा रहा है।असम राइफल की 5 अतिरिक्त बटालियनों को, असम राइफल की वर्तमान 31 बटानियनों में कमी करके, खड़ा किया जाना। वर्ष 2005 तक इन बलों की संख्या में निम्न प्रकार से वृद्धि हो जायेगी।

बल	नई बटालियनें खड़ी करने से पहले अर्थात 1999-2000 में नफरी	अनुमोदित नई बटालियनें	नई बटालियनें खड़ी करने के बाद 2004-2005 में नफरी
सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा बल	157 बटालियनें (942 कम्पनियां)	157 कम्पनियां	157 बटालियन (1099 कम्पनियां)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	121 बटालियन (726 कम्पनियां)	64 बटालियनें और 121 कम्पनियां	185 बटालियनें (1295 कम्पनियां)
असम राइफल	31 बटालियन (186 कम्पनियां)	10 बटालियन	46 बटालियन *
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	29 बटालियन (112 कम्पनियां)	38 कम्पनियां (या 9 बटालियनें)	38 बटालियन
इंडिया रिजर्व	35 बटालियन	50 बटालियन	85 बटालियन
राष्ट्रीय राइफल	36 बटालियन	30 बटालियन	66 बटालियन
कुल		209 बटालियन	

*वर्तमान 31 बटालियनों, जिनमें प्रति बटालियन में अधिक संख्या है, में से कार्मिकों को हटाकर 5 अतिरिक्त बटालियनें खड़ी की जा रही

6.42 आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और देश की सीमाओं पर चौकसी के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों की उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण और अत्यधिक जोखिम की भूमिका को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय पुलिस बलों के वास्तविक व्यय में तदनुरुप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है :

केन्द्रीय पुलिस बलों पर वास्तविक व्यय

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	सीमा सुरक्षा बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	असम राइफल्स	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	विशेष सेवा ब्यूरो	कुल
1988-89	435.94	321.82	119.55	76.90	139.59	26.15	73.12	1193.09
1989-90	506.56	334.07	142.00	91.66	165.01	37.19	92.22	1368.71
1990-91	649.35	437.64	171.96	101.57	179.11	52.74	97.02	1689.39
1991-92	717.81	594.94	206.84	127.07	197.86	45.59	111.34	2001.45
1992-93	803.16	625.24	252.32	151.92	230.07	56.82	123.43	2242.96
1993-94	729.72	724.75	300.07	166.68	266.42	52.58	142.35	2382.57
1994-95	992.92	808.90	333.60	178.39	295.55	48.54	154.61	2812.51
1995-96	1110.12	932.86	382.19	219.59	317.18	56.18	174.11	3192.23
1996-97	1257.96	1056.90	444.60	258.47	340.15	67.76	199.81	3625.65
1997-98	1542.17	1261.58	578.28	289.82	476.68	70.51	240.82	4459.86
1998-99	1784.39	1383.29	664.28	327.51	531.84	79.05	281.43	5051.79
1999-00	2021.72	1528.72	740.54	394.59	584.81	89.16	317.51	5677.05
2000-01	2157.78	1653.25	802.30	416.06	635.32	70.23	322.28	6057.22
2001-02	2403.58	1894.42	818.13	417.08	776.25	82.79	327.03	6719.28
2002-03(सितम्बर तक)	1288.41	961.13	465.33	191.70	377.39	49.53	143.14	3476.63
कुल	18401.60	14519.51	6421.99	3409.01	5513.23	884.82	2800.23	51950.39

केन्द्रीय पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

6.43 बलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में सरकार का मुख्य ध्यान केन्द्रीय पुलिस बलों की प्रचालन क्षमता में निरन्तर बढ़ोतरी करने पर है। बढ़ी हुई उग्रवादी तथा आतंकवादी गतिविधियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर देते हुए शस्त्रों, मशीनरी, परिवहन, संचार, निगरानी और नाईट विजन तथा प्रशिक्षण उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए एक पांच वर्षीय भावी योजना तैयार की गई है। पांच वर्षों की अवधि

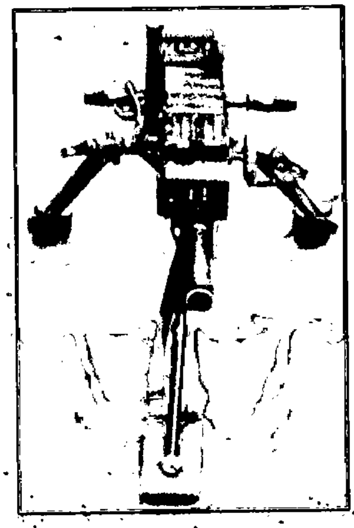

अधुनातन हथियार

के लिए वित्तीय परिव्यय 3741 करोड़ रुपये का है। वर्ष-वार क्रमावस्था के साथ आधुनिकीकरण योजना के वित्तीय खाके का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए अनुमोदित आधुनिकीकरण योजना

(करोड़ रूपये में)

बल का नाम	वर्ष-I	वर्ष-II	वर्ष-III	वर्ष-IV	वर्ष-V	पांच वर्षों का योग
असम राइफल्स	76.36	82.92	115.17	104.53	105.77	484.75
सीमा सुरक्षा बल	353.25	438.39	514.31	514.89	510.01	2330.84
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा	23.54	24.60	25.23	20.62	18.11	112.10
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	103.49	119.31	104.56	110.18	105.21	542.75
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	55.12	46.55	27.85	27.38	30.88	187.78
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	30.81	20.20	15.37	9.30	6.81	82.49
योग	642.57	731.96	802.49	786.90	776.79	3740.71

केन्द्रीय पुलिस बल के कार्मिकों का कल्याण

6.44 ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले या अक्षम हो जाने वाले कार्मिकों के परिवारों की सहायता के लिए सभी केन्द्रीय पुलिस बलों ने अपनी-अपनी अंशदायी कल्याण स्कीमें बनाई हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए अनेक फण्ड जैसे कल्याणकारी फण्ड, राहत फण्ड, बीमा फण्ड और शिक्षा फण्ड बनाए गए हैं। सरकार ने भी अपने बल कार्मिकों के कल्याण के लिए पर्याप्त फण्ड स्वीकृत किए हैं।

पुरस्कार एवं पदक

6.45 वर्ष 2002 के दौरान, बलों के अधिकारियों और सदस्यों को निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए :

क्रम सं.	बल	सेवा पदक		वीरता पदक	
		विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	वीरता के लिए पुलिस पदक
(क)	असम राइफल	-	4	-	1
(ख)	सीमा सुरक्षा बल	5	74	8	30
(ग)	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	4	36	6	11
(घ)	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	5	39	-	-
(ङ)	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	6	14	3	1
(च)	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	-	6	-	-
(छ)	विशेष सेवा ब्यूरो	2	13	-	-

6.46 हाल में पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक नामक एक नया पदक शुरू किया गया है। यह पदक देश के कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा अभियानों के दौरान विद्रोह-विरोधी कार्यों में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल/ पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के मान्यता

स्वरूप प्रदान किया जाता है । वर्ष 2001-2002 के दौरान 15,671 आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक प्रदान किए गए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति अभियान

6.47 2002 के दौरान, कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति मिशन में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के 266 भारतीय सिविल पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया । इसके अतिरिक्त त्वरित कार्य बल और के.रि.पु. बल की 2 कम्पनियों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति मिशन के रूप में कोसोवो में तैनात किया गया ।

अन्य पुलिस संगठन

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

6.48 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का सृजन, अपराध एवं अपराध आकड़ों पर विस्तृत और अद्यतन जानकारी प्रदान करके तथा राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और आपराधिक आंकड़ों से संबंधित सूचना जैसे कार्यप्रणाली, वैयक्तिक डाटा, अंगुली छाप, फोटोग्राफ, आपराधिक पृष्ठभूमि तथा सम्पत्ति का ब्यौरा जो अपराध की विषय वस्तु हो सकती है के बारे में सूचना की पुन: प्राप्ति करके जांच एजेन्सियों की सहायता करने के लिए 1986 में किया गया था और यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्रगामी संस्थान है ।

अपराध अपराधी सूचना प्रणाली परियोजना

6.49 अपराध अपराधी सूचना प्रणाली परियोजना 32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और 738 पुलिस जिलों में कार्यरत है। नये सृजित 3 राज्यों नामत: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड और 21 नए जिलों के लिए कम्प्यूटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है ताकि अपराध अपराधी सूचना प्रणाली की पूर्ण उपयोगिता प्राप्त हो सके । ब्यूरो ने अपराध अपराधी सूचना प्रणाली एम एल 01 (बहुभाषायी) का हिन्दी/अंग्रेजी रूपान्तर सितम्बर, 2002 में जारी किया है । एकीकृत जांच-पड़ताल प्रपत्र (आई आई एफ) अपराध अपराधी सूचना प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है और इसका सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने राज्य/जिला स्तर पर पहले से ही 343 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और पूरे देश में 12962 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

6.50 ब्यूरो ने मोटर वाहन समन्वय प्रणाली, तलाश सूचना प्रणाली और पुलिस स्टेशन प्रबन्धन प्रणाली को एम.एस. एक्सेस से एम.एस. एस क्यू एल में परिवर्तन करना पहले ही शुरू कर दिया है ताकि उन्हें सी.सी.आई.एस. के जैसे एक ही मंच पर लाया जा सके ।

6.51 ब्यूरो ने इस्तेमाल करने वाली एजेन्सियों की आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखत सॉफ्टवेयर प्रणालियों को भी विकसित किया है ।

(क) पुलिस स्टेशन प्रबन्धन प्रणाली
(ख) जेल सांख्यिकीय
(ग) जेल प्रबंधन प्रणाली
(घ) अभियोजन शाखा प्रणाली
(ङ) राष्ट्रीय बम दस्ता प्रणाली और विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रणाली

6.52 संगठित अपराध आसूचना प्रणाली, राष्ट्रीय अग्नि शस्त्र प्रणाली, जाली मुद्रा और कल्चर प्रोपर्टी प्रणाली का विकास जारी है और शीघ्र ही सभी राज्यों को रिलीज कर दी जाएगी ।

मोटर वाहन सूचना काऊन्टर

6.53 चुराए गए/जब्त किए गए वाहनों के बारे में सूचना आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में 05 जनवरी, 2001 को पहला मोटर वाहन सूचना काऊन्टर खोला गया । अक्टूबर, 2002 तक ब्यूरो ने 29282 जाँच की जिसके परिणामस्वरूप चुराए गए 1358 वाहन बरामद किए गए जिससे 2,85,780 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ । गृह मंत्रालय ने प्रथम चरण में 20 साईट अनुमोदित किये । अम्बाला, बंगलौर, भोपाल, चंडीगढ, चैन्ने, गुवाहाटी कोलकाता, जम्मू, पांडिचेरी, शिलांग, मथुरा और गुडगांव में पहले ही मोटर वाहन सूचना काऊन्टर खोल दिए हैं ।

6.54 माधोपुर (पंजाब), नौतनवा (उत्तर प्रदेश) और बारोवीसा (पश्चिम बंगाल) से गुजरने वाले चुराए गए वाहनों को पकड़ने के लिए इन स्थानों पर मोटर वाहन काऊन्टर जांच चौकी खोलने के लिए कम्प्यूटर खरीदे गए हैं।

अग्नि-शस्त्र सूचना काऊन्टर

6.55 वाहन सूचना काऊन्टर के नमूने पर ब्यूरो ने 11जून, 2002 को दिल्ली में अपने मुख्यालय में आम जनता के प्रयोग लिए अग्नि शस्त्र काऊन्टर प्रारम्भ किया है ।

प्रतिरूप निर्माण प्रणाली

6.56 विन्डो आधारित एक नई प्रतिरूप निर्माण प्रणाली वर्शन 2 के. 1 का विकास किया गया है और सभी राज्यों और जिलों को जारी किया गया । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा राज्य स्तर पर इस प्रणाली के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जिला स्तर पर प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में अगस्त से अक्टूबर, 2002 के दौरान पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

6.57 विन्डो आधारित प्रतिरूप निर्माण प्रणाली का अगला वर्शन 3.1 जिसमें विभिन्न रंगीन विशेशताएं शामिल हैं, का परीक्षण धर्मसिन्हा देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नाडीयाड, गुजरात में चल रहा है और इसे शीघ्र ही जारी किया जायेगा।

6.58 ब्यूरो ने नवम्बर, 2002 तक तिमाही राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो गजट के अलावा निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए।

क.	जेल आंकड़े 2000	- अप्रैल, 2002 में
ख.	भारत में अपराध 2000	- जून, 2002 में
ग.	सी.एफ.पी.वी. मैन्युअल*	- अगस्त, 2001 में
घ.	भारत में अंगुली छाप का वार्षिक प्रकाशन, 2001	

6.59 राज्य सरकारों और फील्ड अधिकारियों द्वारा इन प्रकाशनों का प्रयोग रूझानों के विश्लेषण और नीति तैयार करने के लिए विकल्पों के रूप में व्यापक रूप से किया जा रहा है ।

6.60 भारत में दुर्घटनाओं से हुई मौतों और आत्महत्याएं-2000 नामक रिपोर्ट को संकलित किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा है ।

केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (सी.एफ.पी.बी.)

6.61 केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (सी एफ पी बी) संदिग्धों/ अपराधियों की पहचान करने में कानून प्रर्वतन और जांच एजेन्सियों की सहायता करता है । संस्थापित अधिकारियों से अभी तक 3,61,562 जांच पड़ताल रिपोर्टें प्राप्त हुई और व्यक्तिगत पहचान के आधार पर 1811 संदिग्धों की पहचान की गई ।

प्रशिक्षण

6.62 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कानून तथा प्रवर्तन एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने वाला एक अग्रणी संगठन है। राष्ट्रीय अपराध रिकर्ड ब्यूरो में वर्ष 2002-2003 में निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए गये :-

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	पाठ्यक्रमों की संख्या
क.	वर्टिकल इन्टरएक्शन प्रोग्राम (वी पी आर एंड डी द्वारा प्रायोजित)	6 दिन	
ख.	कम्प्यूटर वैसिक्स एंड आफिस आटोमेशन	2 सप्ताह	4
ग.	कम्प्यूटर व एम आई एस पर एडवांस कोर्स	2 सप्ताह	2
घ.	सी सी आई एस एंड अदर पुलिस एपलिकेशन साफ्टवेयर	1 सप्ताह	
ङ	कम्प्यूटर सेन्टर मेनजमैन्ट	1 सप्ताह	2
च.	प्रोग्रामिंग इन विजवल वेसिक	3 सप्ताह	2
छ.	विंडोज 2000 एंड एस क्यू एल सर्वर	2 सप्ताह	2
ज.	उन्नत अंगुली छाप विज्ञान व कम्प्यूटर	1 सप्ताह	4
झ.	अंगुली छाप विज्ञान (दक्षता पाठ्यक्रम)	1 साल	1
	विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए		
क.	कानून प्रवंतन में सूचना तकनीक	12 सप्ताह	1
ख.	उन्नत अंगुली छाप विज्ञान* कम्प्यूटर	12 सप्ताह	1

6.63 अभी तक ब्यूरो ने, विदेश मंत्रालय की आई.टी.ई.सी./ एस.सी.ए.ए.पी./ आई.ए. छात्रवृत्ति स्कीमों और वित्त मंत्रालय के कोलम्बो प्लान के टी.सी.एस. के अन्तर्गत 16 ऐसे पाठ्क्रम आयोजित किए और विकासशील देशों के 235 विदेशी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है । उपर्युक्त ऐसे दो पाठ्यक्रम 7 जनवरी से 28 मार्च, 2002

के बीच आयोजित किए गए । 21 देशों के 40 विदेशी पुलिस अधिकारियों ने उपर्युक्त उल्लिखित पाठ्यक्रमों में भाग लिया । अगला पाठ्यक्रम 6 जनवरी, 2003 से 28 मार्च, 2003 तक चलाया जायेगा।

विशेष पाठ्यक्रम

6.64 उपर्युक्त नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, ब्यूरो ने अफगानिस्तान के 21 पुलिस अधिकारियों के लिए 29 जुलाई से 16 अगस्त, 2002 तक अपराध विश्लेषण और अंगुली छाप विज्ञान पर एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया ।

6.65 15 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार आयोजित किए कुल पाठ्यक्रमों और अभी तक प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या नीचे दर्शायी गई है:

	केन्द्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में	पुलिस कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में	राज्यों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए	कुल
अब तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	471	518	234	1223
भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या	8263	10511	6850	25624
2002-2003 के दौरान अब तक आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	20	28	।	48
भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या	426	572	।	998

नई पहलें

6.66 उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित नई पहल की गई है:-

(क) संगठन का साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य सृजन ।

(ख) नीति-निर्माण में गृह मंत्रालय की सहायता करने वाले संगठनों के रूप में सभी कर्मियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना ।

(ग) देश भर में पुलिस संगठनों में आई टी क्रान्ति को तेज करने के उद्देश्य से "आई टी फॉर पुलिस" पर एक अवधारणा दस्तावेज तैयार किया गया है ।

(घ) वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का पुर्न-अभियांत्रिकीकरण का प्रस्ताव ।

(ङ) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसिस (ई.डी.पी.) कैडर को पुन: सक्रिय बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है ।

(च.) एनालेटीकल टूल्स और जी. आई.एस. साफ्टवेयर के एकीकरण के लिए प्लानिंग वेल्यू एडीशन टू द साफ्टवेयर द्वारा, संगठित अपराध आसूचना प्रणाली (ओ.सी. आई.एस.) पर परियोजना के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए हैं जो सरकारी और पुलिस संगठनों के लिए उपयोगी होंगे । बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों का समावेश करके ओ.सी. आई.एस. पर एक मसौदा तैयार किया गया है। ओ.सी. आई.एस. पर एक कार्यशाला आयोजित की गई और साफ्टवेयर के बीटा बरसन को परीक्षण के लिए राज्यों और केन्द्रीय संगठनों को भेजा गया है।

(छ.) राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी की रणनीति को नया रूप देने हेतु क्षेत्रीय पुलिस कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अधीन एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

(ज.) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के लिए आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान

6.67 वर्ष 1972 में स्थापित राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, गृह मंत्रालय अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान दोनों तथा इन क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान में दाण्डिक न्याय प्रणाली के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु देश के एक मात्र नोडल संस्थान के रुप में कार्य करता रहा है। यह संस्थान गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सम्बद्ध कार्यालय के रुप में कार्य करता है और इसके प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक रैंक के निदेशक होते हैं।

6.68 यह संस्थान 1990 से, सेक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली-85 स्थित अपने 5 एकड़ परिसर में अवस्थित है। संस्थान में, अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान के दो अलग-अलग संकाय हैं जिनके प्रमुख क्रमश: प्रोफेसर (अपराध शास्त्र) और अपर निदेशक (विधि विज्ञान) हैं। 30

नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 16 राजपत्रित अधिकारियों सहित 86 है।

6.69 रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात 2002-2003 के दौरान इस संस्थान की गतिविधियां निम्न प्रकार थी:

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम

अभी तक 68 पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें कुल 1,812 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ii) विदेशी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण

मारीशस से 01 अधिकारी ने दस्तावेज परीक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग लिया । मारीशस से एक अन्य अधिकारी पुलिस व अपराध विज्ञान फोटोग्राफी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कर रहा है । चालू वर्ष में अफगानिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए अपराध शास्त्र और अपराध विज्ञान में दो विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और इन दो पाठ्यक्रमों में 50 अधिकारियों ने भाग लिया ।

(iii) अनुसंधान

भारतीय जेलों में महिला कैदियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजना पूरी की गई। अपराध विज्ञान संकाय ने द्वारा प्रारम्भ, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित एक अनुसंधान परियोजना "भारत में विभिन्न विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी: कारण और समाधान" को भी पूरा किया गया। यह संस्थान देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थानों जैसे, भारतीय रसायन प्रयोगशाला संस्थान, हैदराबाद, औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ, डी.एन.ए. अंगुलीछाप और निदान शास्त्र केन्द्र, हैदराबाद, रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली इत्यादि के साथ मिलकर विधि विज्ञान वैज्ञानिकों/कर्मचारियों के लिए 7 सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान भंडार को विधि विज्ञान के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सके । इनमें हमेशा ही आवेदकों की भीड़ रहती है ।

(iv) दसवीं पंचवर्षीय योजना स्कीम

राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान को दसवीं पंचवर्षीय प्लान अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 8 करोड़ रूपये का कुल योजना परिव्यय आवंटित किया गया । "विधि विज्ञान में जागरूकता बढ़ाने और अपराधों की जांच में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग" नामक परियोजना के तहत भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के परामर्श/सहायता से संस्थान में एक विधि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डी.सी.पी.डब्ल्यू.)

6.70 राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस दूरसंचार व्यवस्था के लिए समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार एक नोडल समन्वय एजेन्सी है जिसकी जिम्मेवारियों में अन्तर्राष्ट्रीय संचार उपलब्ध कराना, पुलिस रेडियो कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, पुलिस संचार नेटवर्क में क्राईपटोग्राफी कवर उपलब्ध कराना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी का समन्वय करना और पुलिस संचार का आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय पुलिस संचार नेटवर्क को डिजायन करने और कार्यान्वयन करने में एक नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य करना तथा राज्य और केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा पुलिस संचार के क्षेत्र में शुरु की गई विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए परामर्शी निकाय के रुप में कार्य करना और पुलिस बलों में नए और अधुनातन उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ करने के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है।

6.71 उपग्रह आधारित राष्ट्रीय पुलिस संचार नेटवर्क (पोलनेट) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसके अगले दो वर्षों में पूरे देश में प्रचालन में आ जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

6.72 केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली के लिए अलग से एक केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। यह, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, सतर्कता, राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, न्यायिक न्यायालयों और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए अपराध मामलों को निपटाता है। यह प्रयोगशाला, अपराध मामलों में स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ मत और अपराध स्थल पर मौके के सुरागों का पता लगाने में वैज्ञानिक सहायता सेवा प्रदान करता है। यह प्रयोगशाला, विधि विज्ञान में अनुसंधान

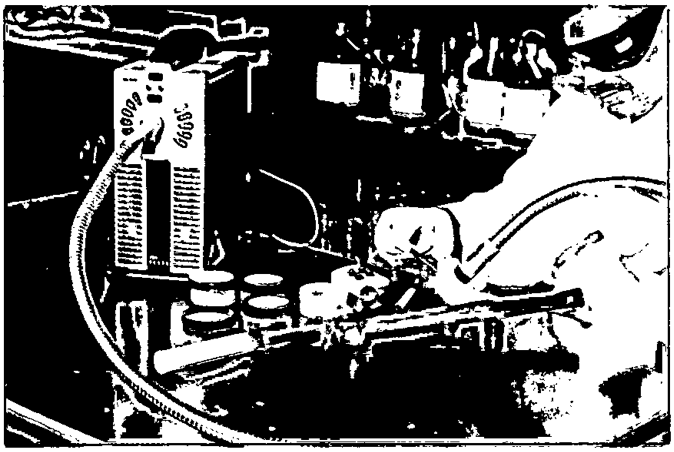

अपराध की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल

और विकास कार्य भी करती है और मामलों की जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वैज्ञानिक सहायता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक तिमाही विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

6.73 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो अपने उद्देश्यों की पूर्णतया कार्यान्वित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है :-

अनुसंधान और विकास प्रभाग

6.74 अनुसंधान प्रभाग महिलाओं के प्रति अपराध और दिल्ली तथा हरियाणा के राज्यों में भा.द.सं. की धारा 498-क की भूमिका का अध्ययन - आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की कमी, कारण और समाधान, एन.आई.सी.एफ.एस., नई दिल्ली और लोक व्यवस्था बनाए रखने में कार्यात्मक वास्तविक पुलिस राजनीतिज्ञ अन्तर संबंधों का सृजन - एक अनुसंधान अध्ययन - एस.वी.पी, एन.पी.ए. हैदराबाद इत्यादि जैसी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

6.75 विकास प्रभाग राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के पुलिस बलों के प्रयोग हेतु 7.62 एम.एम. ए.के. हथियारों को देश में ही विकसित करने के लिए छोटे हथियारों की फैक्ट्री, कानपुर के साथ मिलकर काम कर रहा है, और एयर गनों/एयर पिस्तौल की घातकता को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रयोग के लिए उनके लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में और आर्डनेन्स फैक्ट्री द्वारा निर्मित 0.22 रु पिस्टल/राइफल का प्रयोग नागरिकों द्वारा करने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय को सलाह देता है।

प्रशिक्षण प्रभाग

6.76 प्रशिक्षण प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में वर्टिकल इंटरएक्शन कोर्स (वी आई सी) चलाता है । इस वर्ष किए जाने वाले ऐसे 22 पाठ्यक्रमों में से 12 पाठ्यक्रम चलाए गए जिसमें 275 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया । शेष पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। यह पुलिस अधिकारियों के लिए विशेषीकृत विषयक पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

6.77 प्रशिक्षण प्रभाग पुलिस अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने हेतु गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करता है । विदेशों में आयोजित होने वाले 22 पाठ्यक्रमों में से, अभी तक 10 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 54 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

6.78 प्रशिक्षण प्रभाग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के तहत मित्र देशों जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान इत्यादि के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

6.79 डी एफ आई डी (अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग) परियोजना के अन्तर्गत, 20 पुलिस अधिकारियों को, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने में प्रशिक्षित किया गया । 17 अधिकारियों को टी एन ए आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया । आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 11 पुलिस लीडरों के एक दल ने लीडरशिप मोडयूल के भारतीय चरण का प्रशिक्षण लिया और श्रेष्ठ अभ्यासों को देखने के लिए जनवरी, 2003 में यू.के. का दौरा किया।

उत्कृष्ट केन्द्र

6.80 राज्यों और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लिए 12 विशिष्ट पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के दस संस्थानों की पहचान की गई है । पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा करने का काम दिया गया है । इन उत्कृष्ट केन्द्रों के निम्नलिखित 10 पाठ्यक्रमों के टी.एन.ए. पूरे किए गए हैं जिनकी जांच हो रही है और अन्य दो पर काम चल रहा है।

(i) एन टी सी डी, सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर में डॉग हैंडलर पाठ्यक्रम
(ii) टी सी एंड एस, सीमा सुरक्षा बल, हजारीबाग में विद्रोह विरोधी/आतंकवाद विरोधी पाठ्यक्रम
(iii) टी सी एंड एस, सीमा सुरक्षा बल, हजारीबाग में विस्फोटकों की पहचान और उन पर कार्रवाई करने का पाठ्यक्रम
(iv) सी एस एम टी, टेकनपुर में मोटर यातायात और रख रखाव पाठ्यक्रम
(v) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर में विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा पाठ्यक्रम
(vi) सी एस डब्ल्यू टी, इन्दौर में हथियार और सहायक हथियार पाठ्यक्रम
(vii) सी एस डब्ल्यू टी इन्दौर में हथियार और सहायक हथियार (लघु युक्तियां) पाठ्यक्रम
(viii) टेक्टीकल विंग, सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर में कमांडो पाठ्यक्रम
(ix) ए.एस.पी.सी.एस.दीमापुर में जंगल वारफेयर पाठ्यक्रम
(x) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आन्तरिक सुरक्षा अकादमी, मांउट आबू में आन्तरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम

प्रशिक्षण सामग्री का विकास

6.81 पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो ने होस्टेज नेगोशियेशन पर सी डी आधारित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की है। यह आतंकवाद विरोधी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलबध कराए गए प्रशिक्षण सामग्री के आधार पर है ।

केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल

6.82 वैज्ञानिक तरीके से जांच-पड़ताल करने में क्षेत्र के फंक्शनल स्तर के पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्यूरो के कोलकाता, हैदराबाद और चंडीगढ अवस्थित तीन केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल (सी डी टी एस) हैं । चालू वर्ष के दौरान 45 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और 660 अधिकारियों ने इनमें भाग लिया ।

सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग

6.83 यह प्रभाग अन्य बातों के साथ-साथ भारत में जेल प्रशासन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न जिम्मेदारियों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा राज्यों सरकारों और गृह मंत्रालय के परामर्श से पहचाने गए प्राथमिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का कार्य भी कर रहा है ।

विधि विज्ञान सेवा प्रभाग

6.84 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की विधि विज्ञान सेवा जो कि औपचारिक रूप से वर्ष 1983 में अस्तित्व में आई, विधि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत है जैसे विधि विज्ञान भौतिकी विज्ञान, विधि विज्ञान रसायानिक विज्ञान, विधि विज्ञान जैविक विज्ञान और विधि विज्ञान दस्तावेज विज्ञान ।पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से कार्य को विभाजित करने के बाद 31 दिसम्बर, 2002 के संकल्प के द्वारा एक पृथक विधि विज्ञान निदेशालय सृजित किया गया है। इसके नियंत्रण में केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और प्रश्नगत दस्तावेजों का सरकारी परीक्षण होगा।

अनुसंधान एवं विकास

6.85 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अन्तर्गत, सी.एफ.एस.एल. और जी.ई.क्यू.डी का प्राथमिक उद्देश्य विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान विकास करना है । उन्हें 1998 में निम्न प्रकार से पुर्नगठित किया गया था:-

(क) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता-विधि विज्ञान जैविक विज्ञान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र।
(ख) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ-विधि विज्ञान भौतिक विज्ञान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र ।
(ग) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद-विधि विज्ञान रसायनिक विज्ञान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र।

दसवीं पांच-वर्षीय योजना की अनुसंधान एवं विकास योजनाओं को तैयार करना

6.86 दसवीं पांच वर्ष योजना के लिए योजना आवंटन 28 करोड़ रूपये का है और वर्ष 2002-03 के लिए सी.एफ.एस.एल. के लिए 4.02 करोड़ रूपये और जी ई क्यू डी के लिए 45 लाख रूपये का आवंटन, 23 महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, किया गया है । कुछ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे परमाणु और रसायनिक युद्ध, साइबर विधि विज्ञान, सीकर आईडेन्टीफिकेशन, गुप्त जीरोक्स पेपरों का विकास करना, राष्ट्रीय बम डाटा केन्द्र, आग्नेयास्त्रों और पैण्टस पर डाटा बैंक, में हैं ।

अध्याय

VII

अन्य विषय

नागरिक सुरक्षा

7.1 नागरिक सुरक्षा हमारी रक्षा तैयारी का एक अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य शत्रुओं द्वारा हमला करने पर लोगों की जान बचाना, संपत्ति को होने वाली क्षति को कम से कम करना और औद्योगिक उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना है।

7.2 हालांकि, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 पूरे देश में लागू होता है लेकिन यह संगठन केवल उन्ही क्षेत्रों और जोनों में खड़ा किया जाता है जो सामरिक दृष्टि से दुश्मन के हमले के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल नागरिक सुरक्षा गतिविधियां 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में फैले 225 वर्गीकृत शहरों तक सीमित हैं। थोड़े से वेतनभोगी स्टाफ और स्थापना, जिसे आपातकाल के दौरान बढ़ा दिया जाता है, को छोड़कर नागरिक सुरक्षा मुख्यत: स्वैच्छिक आधार पर संगठित की जाती है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का वर्तमान लक्ष्य 12.49 लाख का है, जिसमें से 6.0 लाख पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और 4.8 लाख को प्रशिक्षित कर दिया गया है। इन स्वयंसेवकों को 68 उप नियंत्रकों, 17 चिकित्सा अधिकारियों और 503 नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षकों, जो सभी पूर्णकालिक वैतनिक पद हैं, के द्वारा प्रशासित और प्रशिक्षित किया जाता है।

7.3 दुश्मन का हमला होने पर द्रुतगामी चेतावनी संचार व्यवस्था की जरुरत को पूरा करने के लिए टेलीफोन लाइनों और रेडियो/बेतार, दोनों पर, एक विश्वसनीय और लचीला नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई गई है और अधिकांश वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा नगरों में इसे स्थापित किया गया है। 165 नगों के लक्ष्य के मुकाबले मंत्रालय ने पहले ही पूरे के पूरे वी.एच.एफ. सेटों की व्यवस्था कर दी है। इसके अतिरिक्त, 288 नगों के लक्ष्य के मुकाबले नवीनतम आधुनिक एच.एफ. रेडियो सेटों की पहले की व्यवस्था कर दी गई है। शेष 24 एच.एफ. सेटों की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति किए जाने के सभावना है। कमान और नियंत्रण, समन्वय और संपर्क और आपसी सहायता और सहयोग के उद्देश्य से अधिकांश वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों में संचार सुविधाएं टेलीफोन लाइनों व रेडियो पर भी स्थापित की गई हैं। इसके लिए सामान्य लाइनों और रेडियो के अतिरिक्त, वर्गीकृत शहरों में सभी नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों के लिए फैक्स मशीन पहले ही प्राधिकृत पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, समकालिक प्रसारण सुविधाएं (एस.बी.एफ.) और सेंटर्स कंट्रोल ऑफ सायरन्स (सी.सी.एस.) के लिए इलैक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट ए.पी.पी. एक्विपमेंट भी आई.टी. आई., बंगलौर के सहयोग से विकसित किए गए हैं।

7.4 शांति काल के दौरान नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित करने के अलावा, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात और सूखे इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की सहायता करने सहित विभिन्न रचनात्मक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में स्वेच्छा के आधार पर तैनात किए जाते हैं।

प्रशिक्षण

7.5 देश में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण, त्रिस्तरीय अवधारणा पर अर्थात स्थानीय/शहरी स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, जो इस मंत्रालय का अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थान है, नागरिक सुरक्षा और आपदा राहत प्रबंधन पर विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2002 के दौरान, कॉलेज में 25 पाठ्यक्रम चलाने की योजना थी। 1957 में कालेज के प्रारम्भ होने से अब तक इस महाविद्यालय से 35,606 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जिनमें से 8 विदेशी छात्र हैं।

राडयाएक्टव कटामिनशन क लिए सवक्षण

वित्तीय सहायता

7.6 नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता केवल वर्गीकृत शहरों तक ही सीमित है। वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यों को 5.50 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई। वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए आबंटित 6.00 करोड़ रु. के बजट प्रावधान का पूरी तरह उपयोग कर लिए जाने की संभावना है।

7.7 सरकार ने नागरिक सुरक्षा की तैयारी की स्थिति की पुनरीक्षा करने तथा इसे सुदृढ़ करने और इसमें सुधार करने के उपायों की सिफारिश करने हेतु पुनरीक्षा समिति गठित की है। पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

होमगार्ड्स

7.8 होमगार्ड्स एक स्वैच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना सामाजिक अव्यवस्था और साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए भारत में पहले-पहल दिसम्बर, 1946 में की गई थी। बाद में स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अनेक राज्यों में अपना लिया। 1962 में चीनी हमले के कारण केन्द्र ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड्स नामक एक स्वैच्छिक बल में मिला लें। होमगार्ड्स का कार्य, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस के सहायक बल के रुप में मदद करना, किसी भी प्रकार की संकट कालीन अवस्थाओं जैसे हवाई हमला, आग, चक्रवात, भूकम्प, महामारी आदि में समाज की सेवा करना, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में मदद करना, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों की संरक्षा में प्रशासन की मदद करना, सामाजिक-आर्थिक एवं कयाणकारी गतिविधियों में भाग लेना और नागरिक सुरक्षा की ड्यूटी निभाना है। होमगार्ड्स मुख्य रुप से शहरों और ग्रामीण, दो प्रकार के हैं। सीमावर्ती राज्यों में, बोर्डर विंग होमगार्ड बटालियनें भी खड़ी की गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रुप में कार्य करती हैं। देश में होमर्गाड्स की कुल संख्या 5,73,793 है और इसकी तुलना में 4,86,401 कार्यरत हैं। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है।

7.9 अंतर्राष्ट्रीय सीमा/तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए बाहरी आक्रमण के समय अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में वी.ए./वी.पी. और संचार लाइनों की चौकसी के लिए सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रुप में अठारह बोर्डर विंग होमगार्ड्स बटालियनें (बी.डब्ल्यू.एच.जी.) खड़ी की गई हैं। इस समय मंजूर की गई बोर्डर विंग होमगार्ड्स की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है :-

राज्य	बोर्डर विंग होमगार्ड बटालियनों की संख्या
पंजाब	6
राजस्थान	4
गुजरात	4
असम	1
मेघालय	1
त्रिपुरा	1
पश्चिम बंगाल	1
कुल	18

7.10 होमगार्ड्स का गठन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के होमगार्ड्स अधिनियमों और नियमों के अधीन किया जाता है। इन्हें डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि और औद्योगिक कामगारों इत्यादि जैसे विभिन्न वर्ग के

लोगों से भर्ती किया जाता है जो अपना फालतू समय समाज की सेवा के लिए इस संगठन को देते हैं। 18-50 के आयु वर्ग वाले भारत के सभी नागरिक, होमगार्ड्स के सदस्य बनने के पात्र हैं। इसकी सदस्यता का सामान्य कार्यकाल 3 से 5 साल तक का है। होमगार्डों को दी जाने वाली सुख सुविधाओं में शामिल है - मुफ्त वर्दी और धुलाई भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त आवास और खाना, वीरता तथा विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए नकद पुरस्कार और पदक इत्यादि। जब कभी किसी होमगार्ड को ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो उसे जेब खर्च के लिए निर्धारित दरों पर ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है। तीन वर्ष की सेवा वाले होमगार्ड्स के सदस्यों को पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपनाध को रोकने, डकैती-निरोधी उपायों, सीमा गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत अग्निशमन, चुनाव ड्यूटियों और सामाजिक कल्याण गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकालीन के समय नागरिक सुरक्षा कार्य का कुछ हिस्सा होमगार्ड्स को भी सौंपा जाता है।

7.11 गृह मंत्रालय, होमगार्ड्स संगठन की भूमिका, लक्ष्य, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में नीति तैयार करता है। होमगार्ड्स पर होने वाला व्यय मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बांट लिया जाता है।

अग्शिमन सेवाएं

7.12 अग्नि रोकथाम और अग्निशमन सेवाएं, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आयोजित की जाती हैं। गृह मंत्रालय अग्नि से बचाव, रोकथाम और अग्नि शमन विधायन के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

7.13 राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं के उन्नयन हेतु अग्नि शमन उपकरणों की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग) के माध्यम से सरल जी. आई.सी. ऋणों की व्यवस्था करता है। राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं के विकास के लिए गृह मंत्रालय ने 1980-81 से आज तक की अवधि के दौरान कुल 313.30 करोड़ रुपए की जी. आई.सी. ऋणों की व्यवस्था की है। 1995-2000 तक की अविध के दौरान राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए दसवें वित्त आयोग ने भी सहायता अनुदान के रुप में 80 करोड़ रुपए आबंटित किए थे। 2000-2005 अवधि योजना के दौरान, ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के उचित विकास हेतु, विशेष रुप से सभी जिला मुख्यालय नगरों और उन शहरों, जिनकी जनसंख्या 50,000 तथा इससे ज्यादा है, के लिए 201 करोड़ रु. आबंटित किए।

प्रशिक्षण

7.14 कनिष्ठ स्तर के अग्नि शमन कार्मिकों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्य अग्नि शमन प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे 14 राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण विद्यालय चल रहे हैं। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को 1956 में मंत्रालय के एक अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थान के रुप में नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता है। कैलेण्डर वर्ष 2002 के दौरान, राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कॉलेज ने 18 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए, इनमें अभियांत्रिकी स्नातक (अग्नि) के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं। 1956 में इसकी स्थापना से लेकर अभी तक यह कॉलेज 12 देशों से 71 विदेशी प्रशिक्षणार्थियों समेत कुल 12355 अग्नि शमन अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुका है।

नव दिशामान

7.15 विश्व भर में अग्निशमन सेवाओं का प्रयोग बहु-जोखिम कार्रवाई यूनिटों के रुप में किया जाता है। भारत में, अग्निशमन सेवाओं का प्रयोग आग से संबंधित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ही किया जाता रहा है। इस धारणा को बदलने और अग्निशमन सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार बहु-जोखिम कार्रवाई यूनिटों में बदलने का निर्णय लिया गया है। यह काम कुछ अतिरिक्त उपकरणों को शामिल करके और प्रशिक्षण के माध्यम से किफायतीतौर पर किया जा सकता है। इस विषय पर राज्यों के साथ परामर्श किया जा चुका है और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण करने हेतु एक परियोजना तैयार की गई है।

राष्ट्रीय एकता

7.16 वर्ष के दौरान विधि प्रवर्तन एजेन्सियों ने देश में साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की

गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी।

7.17 वर्ष 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा दीनदार अंजुमन तथा स्टुडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण)अधिनियम, 1967 के तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने के निर्णय को उक्त अधिनियम के तहत स्थापित किए गए संबंधित न्यायाधिकरणों ने उचित ठहराया।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान

7.18 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान (एन एफ सी एच), साम्प्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1992 में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह प्रतिष्ठान उन बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था जिनके परिवारों में जीविकोपार्जन करने वाले माता-पिता की जान साम्प्रदायिक, जातीय, वंशीय अथवा आतंकवादी हिंसा में चली गई हो । प्रतिष्ठान ने अपनी स्थापना के समय से 27.11.2002 तक 2676 बच्चों को सहायता प्रदान की है और 5.95 करोड़ रु0 की कुल धनराशि रिलीज की है ।

साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार

7.19 साम्प्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एन एफ सी एच द्वारा वर्ष 1996 के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार की शुरूआत की गई थी । ये पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों में पृथक-पृथक, उसको प्रदान किया जाता है जिसने साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में क्रमशः कम से कम 10 वर्षों और 5 वर्षों तक उल्लेखनीय योगदान किया हो तथा इनकी घोषणा प्रति वर्ष 26 जनवरी को की जाती है। पुरस्कार के लिए चयन भारत के उप-राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक जूरी द्वारा किया जाता है । (28 नवम्बर, 2002 से इस पुरस्कार में व्यक्ति की श्रेणी में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रु0 नकद और संगठन की श्रेणी में 5 लाख रु0 की राशि दी जाती है।)

कबीर पुरस्कार

7.20 राष्ट्रीय पुरस्कार कबीर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1990 में साम्प्रदायिक दंगों, जातिगत या वंशीय संघर्षों के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों के जानमाल की रक्षा करने में प्रदर्शित शारीरिक/ नैतिक साहस एवं मानवीयता को मान्यता प्रदान करने हेतु साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए की गई थी तथा इस की घोषणा प्रति वर्ष 2 अक्तूबर को की जाती है ।

संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

7.21 "संकल्प दिवस" 31 अक्तूबर को तथा "कौमी एकता सप्ताह" 19 से 25 नवम्बर, 2002 तक मनाया गया था ।

सहायता अनुदान

7.22 केन्द्रीय सरकार स्वंयसेवी संगठनों को राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना के निमित्त राष्ट्रीय दिवसों और त्यौहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं, सहभागिता, अंतर्क्षेत्रीय शिविर, एक दूसरे के क्षेत्रों के दौरे, जन सभाएं, प्रदर्शनियां इत्यादि जैसी गतिविधियां अंतर समुदाय समारोहों में आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अंशदान सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान 1.02 लाख रु0 की राशि 3 गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई है । राज्य संघ शासित क्षेत्र सरकारें गृह मंत्रालय की पहल पर वर्ष 1998-99 से राज्य स्तर पर कालेज/ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और जिला स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना से संबंधित विषयों पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं । चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए तीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को 1,49,574 लाख रुपए की राशि जारी की गई है ।

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

7.23 सितम्बर 2002 में, पी.आई. ओ. कार्ड जारी करने की एक संशोधित योजना अधिसूचित की गई। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति (पी. आई. ओ.) कार्ड धारक को अन्य बातों के साथ-साथ वीजा के बगैर भारत की यात्रा करने और आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाएं मिलेगीं। पंद्रह वर्ष के लिए मान्य पी. आई. ओ.कार्ड की लागत इस समय 15,000रु0 (या इसके समतुल्य विदेशी मुद्रा) है। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए इसकी लागत 7,500रु0 (या इसके समतुल्य

विदेशी मुद्रा) है।

7.24 कतिपय देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा, 9 जनवरी, 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस के उदघाटन के दौरान की गई थी।

7.25 वर्ष 2000 में 26,60,962 की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान भारत में 26,13,664 विदेशी आये और 47,298(1.77%) की कमी दर्ज की गई।

7.26 रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2000 में 3,46,306 की तुलना में 31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 3,15,714 पंजीकृत विदेशी, पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को छोड़कर, ठहरे हुए थे। इनमें से, 1,98,163 विदेशी शरणार्थियों के रुप में पंजीकृत किए गए थे।

7.27 वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 2002 तक) 260 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं/विचार-गोष्ठियां और 82 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

7.28 वर्ष 2002 के दौरान 1026 विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।

7.29 वर्ष 2002-03 (दिसम्बर, 03) तक विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत 1380 गैर-सरकारी संगठन पंजीकृत किए गए और 422 संगठनों को पूर्व अनुमति प्रदान की गई तथा सरकारी अधिकारियों इत्यादि को विदेशी आतिथ्य -सत्कार प्रदान करने के 1317 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

जनगणना और जन्म-मृत्यु आंकड़े

7.30 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है :-

- जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना (संशोधन) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत दशकीय जनसंख्या की जनगणना कराना
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कार्य का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और जन्मों तथा मृत्युओं के आंकड़ों का संकलन करना
- सुस्थापित सैम्पल पद्धति यथा सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजननता और मृत्यु दरों के अनुमान लगाना।

जनगणना 2001 के मुख्य परिणाम

7.31 जनगणना 2001 के अनन्तिम परिणामों के अनुसार भारत की लगभग 1027 मिलियन की कुल जनसंख्या में से लगभग 742 मिलियन (72.2 प्रतिशत) जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा 285 मिलियन (27.8 प्रतिशत) जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। वर्ष 1991-2001 के दौरान कुल जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता में 2.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। देश में क्रमश: 3799 सांविधिक नगर और 1362 गैर-सांविधिक नगर हैं। 27 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 27 मिलियन से अधिक है तथा सबसे बड़ा सांविधिक शहर बृहत्तर मुम्बई है जिसकी जनसंख्या11.9 मिलियन है।

7.32 1991-2001 की अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कर्मियों (आर्थिक रुप से सक्रिय जनसंख्या) की संख्या में 27.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान महिला कर्मियों में हुई प्रतिशत वृद्धि 40.4 प्रतिशत जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर्मियों की कुल संख्या 403 मिलियन थी (जिसमें 276 मिलियन पुरुष कर्मी हैं और 127 मिलियन महिला कर्मी हैं)। काम में भागीदारी की दर (आर्थिक रुप से सक्रिय जनसंख्या की प्रतिशतता) पुरुषों की 51.9 और महिलाओं की 25.7 है। इस अवधि के दौरान कर्मियों का कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण रुप से क्षेत्रीय बदलाव हुआ, कर्मियों की कुल संख्या में से कृषि के क्षेत्र में लगी जनसंख्या का अनुपात लगभग 67 प्रतिशत से घटकर 59 प्रतिशत रह गया है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का कार्यान्वयन

7.33 देश में जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण का कार्य

राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किया जाता है। राज्यों में जन्मों और मृत्युओं के मुख्य रजिस्ट्रार सम्पूर्ण रुप से कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं। राज्य सरकारों के साथ प्रभावी तौर पर समन्वय बनाए रखने तथा राज्यों में रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कार्यकलापों का एक मानक सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 13 जून, 2002 से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे जनगणना कार्य निदेशकों को संयुक्त महारजिस्ट्रार तथा संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों को सहायक महारजिस्ट्रार के रुप में नियुक्त किया ।

7.34 जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा उठाए गए कदमों में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के कार्यकरण की विस्तृत समीक्षा करना, अगरतला, त्रिपुरा में संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करना शामिल है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक राज्य में प्रणाली की कार्यपद्धति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली में जन्मों और मृत्युओं के मुख्य रजिस्ट्रारों का राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

7.35 भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकारों तथा जन्मों और मृत्युओं के मुख्य रजिस्ट्रारों से राज्यों में रजिस्ट्रीकरण तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गई ताकि जन्मों और मृत्युओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण किया जा सके जोकि भारतीय नागरिकों के प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर को नियमित तौर पर अद्यतन बनाए रखने की एक पूर्व आवश्यकता है।

शिशु मृत्यु पर राष्ट्रीय कार्यशाला

7.36 शिशु मृत्यु दर को प्रायः समाज के विकास के समग्र स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों में लगभग 70 होने का अनुमान है अर्थात प्रति एक हजार शिशुओं में से लगभग 70 बच्चों की एक वर्ष पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य वर्ष 2010 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति हजार जीवित बच्चों पर 30 किए जाने का है। यद्यपि गत तीन दशकों में शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है, मृत्यु दर में कमी की दर 1990 के दशक में महत्वपूर्ण रुप से धीमी रही है। इस पृष्ठभूमि में, 11-12 अप्रैल, 2002 को शिशु मृत्यु दर के स्तरों, प्रवृत्तियों और मृत्यु दर पर रोक लगाने की नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए "शिशु मृत्यु दर संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया गया।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सै.र.प्र.)

7.37 निम्नलिखित आंकड़े वर्ष 2000 के लिए सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से जारी किए गए डाटा पर आधारित हैं।

विवरण 1.
अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर, 2000

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	25.8	27.6	20.7	8.5	9.3	6.3	17.3	18.3	14.4	68	74	44
वड़े राज्य												
1. आन्ध्र प्रदेश	21.3	21.7	20.1	8.2	9.0	5.8	13.1	12.7	14.3	65	74	36
2. असम	26.9	27.9	18.6	9.6	10.0	6.1	17.4	17.9	12.5	75	78	35
3. बिहार	31.9	32.8	25.6	8.8	9.1	7.1	23.1	23.7	18.5	62	63	53
4. गुजरात	25.2	26.8	21.9	7.5	8.3	5.8	17.7	18.4	16.1	62	69	45
5. हरियाणा	26.9	28.0	23.1	7.5	7.9	6.2	19.4	20.1	16.9	67	69	57
6. कर्नाटक	22.0	23.3	19.1	7.8	8.6	5.8	14.3	14.7	13.3	57	68	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. केरल	17.9	18.0	17.5	6.4	6.5	6.2	11.5	11.6	11.4	14	14	14
8. मध्य प्रदेश	31.4	33.4	23.5	10.3	11.1	7.5	21.1	22.4	16.1	87	93	54
9. महाराष्ट्र	21.0	21.4	20.4	7.5	8.6	5.8	13.5	12.8	14.7	48	56	33
10. उड़ीसा	24.3	24.9	20.1	10.5	11.0	7.0	13.8	13.9	13.1	95	99	66
11. पंजाब	21.6	22.7	18.6	7.4	7.9	5.9	14.2	14.8	12.6	52	56	38
12. राजस्थान	31.4	32.8	25.1	8.5	8.9	6.6	23.0	23.9	18.5	79	82	58
13. तमिलनाडु	19.3	20.0	18.1	7.9	8.7	6.5	11.4	11.3	11.6	51	56	38
14. उत्तर प्रदेश	32.8	34.0	27.2	10.3	10.8	8.0	22.5	23.2	19.1	83	87	65
15. पश्चिम बंगाल	20.7	23.0	14.1	7.0	7.2	6.7	13.6	15.8	7.4	51	54	37
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	22.3	23.1	13.9	6.0	6.3	2.5	16.3	16.8	11.4	44	45	11
2. छत्तीसगढ़	26.7	29.2	22.8	9.6	11.2	7.1	17.1	18.0	15.7	79	95	49
3. गोवा	14.3	14.3	14.2	7.4	7.9	6.7	6.8	6.4	7.5	23	24	21
4. झारखंड	26.5	28.8	19.4	9.0	9.8	6.5	17.6	19.0	13.0	70	74	48
5. हिमाचल प्रदेश	22.1	22.5	16.9	7.2	7.3	5.5	14.9	15.2	11.4	60	62	37
6. जम्मू और कश्मीर	19.7	20.5	16.5	6.2	6.3	5.9	13.5	14.2	10.6	50	51	45
7. मणिपुर	18.3	19.1	16.2	5.6	5.4	6.0	12.7	13.6	10.2	23	23	25
8. मेघालय	28.5	31.0	15.3	9.2	10.1	4.6	19.3	20.9	10.7	58	61	32
9. मिजोरम	16.0	19.2	12.2	5.2	6.2	3.9	10.9	12.9	8.3	21	23	17
10. नागालैंड	अनु.	अनु.	12.2	अनु.	अनु.	3.0	अनु.	अनु.	9.2	अनु.	अनु.	23
11. सिक्किम	21.8	22.1	14.8	5.7	5.7	4.0	16.2	16.4	10.7	49	49	36
12. त्रिपुरा	16.5	17.0	14.0	5.4	5.3	5.6	11.1	11.6	8.4	41	42	32
13. उत्तरांचल	20.2	24.6	17.1	6.9	10.3	4.5	13.3	14.3	12.6	50	73	26
संघ राज्य क्षेत्र												
1. अ.और नि. द्वीप समूह	19.1	19.0	19.3	5.1	5.7	3.4	14.0	13.3	15.9	23	27	10
2. चंडीगढ़	17.5	18.9	17.3	3.9	3.8	3.9	13.6	15.1	13.4	28	38	26
3. दा. और ना. हवेली	34.9	35.9	24.0	7.8	8.2	3.5	27.0	27.7	20.4	58	62	14
4. दमन और दीव	23.7	21.8	25.4	6.6	7.1	6.2	17.1	14.7	19.2	48	38	57
5. दिल्ली	20.3	21.4	20.1	5.1	5.0	5.1	15.1	16.4	15.0	32	32	32
6. लक्षद्वीप	26.1	27.6	24.6	6.0	7.1	4.9	20.1	20.5	19.7	27	25	29
7. पांडिचेरी	17.8	18.4	17.4	6.5	7.2	6.0	11.3	11.2	11.3	23	33	15

टिप्पणी: अनु. विवरणियों के अंशत: प्राप्त होने के कारण अनुपलब्ध ।

7.38 छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित शिशु मृत्यु दरें 1998-2000 की तीन वर्षों की अवधि पर आधारित हैं।

7.39 अखिल भारत स्तर पर जन्म दर (प्रति 1000 की जनसंख्या) में 1999 में 26.1 की तुलना में 2000 के दौरान 25.8 की थोड़ी कमी आयी है। ग्रमीण क्षेत्रों में जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है जोकि 27.6 है जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 20.7 है। बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर केरल में (17.9) और अधिकतम उत्तर प्रदेश (32.8) में दर्ज की गई। अखिल भारत स्तर पर मृत्यु दर (प्रति 1000 की जनसख्या) ग्रामीण में 8.5 - 9.3 और नगरीय क्षेत्रों में 6.3 है। वर्ष 2000 के दौरान मृत्यु दर में 1999 के 8.7 से 0.2 प्वाइंटों की कमी हुई है। बड़े राज्यों में सबसे कम और सबसे अधिक दरें क्रमश: केरल और उड़ीसा राज्य में दर्ज की गईं। शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम की मृत्युएं) 70 से 2 प्वाइंटों की कमी हुई है जिसमें ग्रमीण-नगरीय दरें क्रमश: 74 और 44 हैं। सबसे कम शिशु मृत्यु दर 14 केरल में भी दर्ज की गई।

प्रकाशित प्रकाशनों की सूची

7.40 वर्ष 2002-2003 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए।

1. सै.र.प्र. बुलेटिन, अक्तूबर 2001 और अप्रैल 2002
2. "सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट 1999" वार्षिक रिपोर्ट
3. "मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण (ग्रामीण) 1998" वार्षिक रिपोर्ट

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण

7.41 मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण का लक्ष्य मृत्यु दरों से संबंधित आंकड़ों का एक विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है - जो जन्म-मृत्यु सांख्यिकी की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। जनसंख्या में चल रही स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों की निगरानी करने के लिए आयु-लिंग कारण विशिष्ट मृत्यु दरों के मुख्य सूचक हैं। मृत्यु के कारण से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्रों में दी गई जानकारी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रभावी तौर पर निर्धारण करने तथा बेहतर स्वास्थ्य योजना एवं प्रबंधन हेतु प्राथमिकता तय करने के लिए एक बहुमूल्य यंत्र है। इस प्रयोजनार्थ, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय "मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण" स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर एक वार्षिक प्रकाशन को प्रकाशित करता है। 1997 की रिपोर्ट में कुल 4,19,353 मृत्युएं चिकित्सीय रुप से प्रमाणित की गई जिसमें 2,60,409 पुरुष एवं 1,58,944 स्त्रियां थीं। छ: मुख्य कारण समूह हैं जिसमें 80% प्रमाणित मृत्युओं के कारण हैं (i) परिसंचरण तंत्र की बीमारियां (22.2 प्रतिशत); (ii) संक्रमण एवं परजीवी बीमारियां (15.7 प्रतिशत); (iii) लक्षण, चिन्ह एवं गलत परिभाषित स्थितियां (14.2 प्रतिशत); (iv) चोट एवं विषाक्तता (12.1 प्रतिशत); (v) पेरीनेटल अवधि में उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियां (8.8 प्रतिशत); और (vi) श्वसन तंत्र की बीमारियां (7.1 प्रतिशत)।

आंकड़ा प्रसार-जनगणना जी. आई.एस., भारत 2001 जारी करना

7.42 आंकड़ा प्रसार जनगणना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि प्रत्येक दस वर्ष में महंगी जनगणना प्रक्रिया के माध्यम से एकत्रित जनसंख्या संबंधी जानकारी उपयुक्त फारमेट में और समय पर आंकड़े प्रयोक्ताओं को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो इस विशाल प्रक्रिया का महत्व ही समाप्त हो जाता है। जनगणना आंकड़ों के आधार पर अनेक सारणियां तैयार की जाती हैं और इन्हें सरकार, स्वयंसेवी संगठनों, योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, वाणिज्यिक और निजी उद्यमों, विश्वविद्यालयों और शोधकर्त्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। 1991 में जनगणना आंकड़ों को मुद्रित रुप तथा सी.डी. में जारी किया गया था और बाद में इसे सीमित आधार पर इन्टरनेट पर भी उपलब्ध कराया गया। पर्सनल कम्प्यूटर और इन्टरनेट की प्रसिद्धि ने जनगणना आंकड़ों को सॉफ्ट कापी में भी उपलब्ध कराने की मांग को काफी बढ़ा दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनगणना 2001 के आंकड़ा प्रसार की एक नई रणनीति तैयार की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विषयों की जनगणना सारणियों को किताबों, आंकड़े शीट, पैम्फलेट आदि सहित मुद्रित रुप में और सी.डी. पर उपलब्ध कराया जाए। इन्टरनेट पर भारत की जनगणना की वेबसाइट की विषय सूची को भी संशोधित किया गया है और अब जनगणना आंकड़े जनगणना वेबसाइट (at *http://www.censusindia.net*) पर भी उपलब्ध हैं।

7.43 भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने अपने इन्टरनेट साइट के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर प्रयोक्ता अनुकूल भौगोलिक सूचना प्रणाली जी. आई.एस. की सुविधा प्रदान की, जिसने स्थानिक संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण की क्षमता को काफी बढ़ा दिया है।

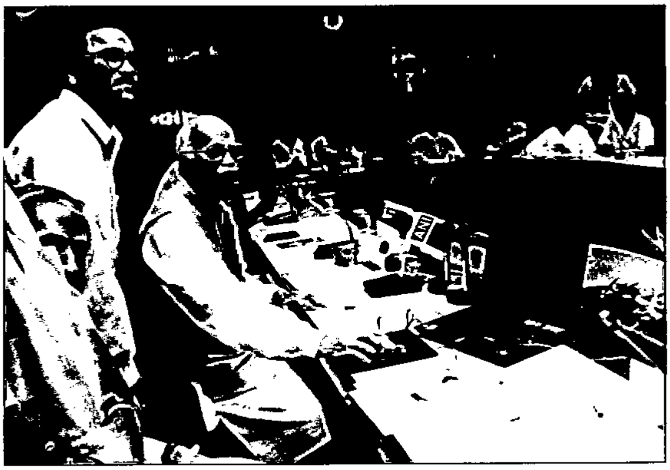

उप प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी 5 सितम्बर 2002 (गुरुवार) को नई दिल्ली में भारत के महारजिस्ट्रार और भारतीय जनगणना आयुक्त की वेवसाइट सेन्सस जी आई एस का उद्घाटन करने के लिए माउस क्लिक करते हुए।

भारत के माननीय उप प्रधानमंत्री श्री एल.के. आडवाणी ने 5 सितम्बर, 2002 को इस सुविधा को देश को समर्पित किया। अत: अब आंकड़े प्रयोक्ताओं को महंगे जी. आई.एस. साफ्टवेयर खरीदने और थिमैटिक मानचित्र तैयार करने के लिए विशेष कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब जनगणना आंकड़ों के आधार पर थिमैटिक मानचित्र तैयार करना और इस प्रकार तैयार मानचित्रों को बिना किसी लागत के रिपोर्टों और प्रस्तुतीकरण में प्रयोग करना संभव होगा।

7.44 जनगणना जी. आई.एस. भारत साफ्टवेयर का प्रयोग करके तैयार किए गए दो मानचित्र नीचे दर्शाए गए हैं:-

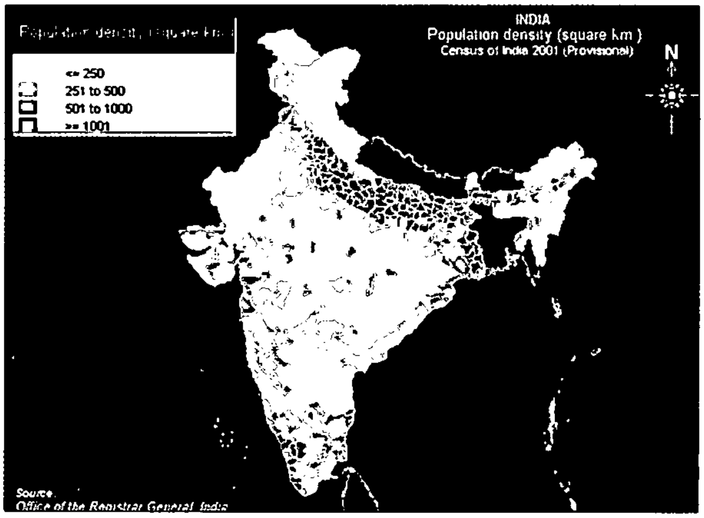

चित्र 1. जिला स्तर जनसंख्या प्रति किलोमीटर घनत्व

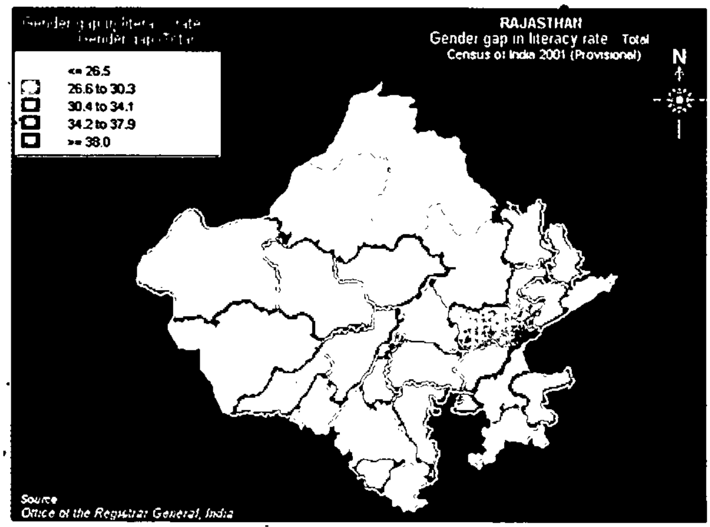

चित्र 2. साक्षरता दर में महिला-पुरुष के वीच अंतर-राजस्थान 2001

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

7.45 भारत सरकार ने अभी तक 1,64,589 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की है और 2 अगस्त, 1980 को शुरु की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (एस.एस.एस.पी.) योजना के अंतर्गत उनके पात्र आश्रित लाभान्वित हुए हैं। इन 1,64,589 स्वतंत्रता सेनानियों के राज्य-वार ब्योरे निम्न प्रकार हैं :-

स्वतंत्रता सेनानियों के राज्यवार ब्योरे

क्र0सं0	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई पेंशनों की संख्या (30.09.2002 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,260
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,436
4.	बिहार	24,842
5.	गोवा	911
6.	गुजरात	3,588
7.	हरियाणा	1,680
8.	हिमाचल प्रदेश	607
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1,806
10.	कर्नाटक	10,021
11.	केरल	2,981
12.	मध्य प्रदेश	3,367
13.	महाराष्ट्र	16,554
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	04
17.	नागालैंड	03
18.	उड़ीसा	4,185
19.	पंजाब	6,998
20.	राजस्थान	800
21.	तमिलनाडु	4,093
22.	त्रिपुरा	887
23.	उत्तर प्रदेश	17,983
24.	पश्चिम बंगाल	22,452
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
26.	चण्डीगढ़	89
27.	दादरा और नागर हवेली	83
28.	दमन और दीव	33
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,041
30.	पाण्डिचेरी	316
31.	आजाद हिन्द फौज (आई0एन0ए0)	22,466
	कुल	**1,64,637**

पेंशन की राशि

7.46 स्वतंत्रता सेनानियों की विभिन्न श्रेणियों और उनके आश्रितों को देय पेंशन और महंगाई राहत निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.		श्रेणी	मासिक पेंशन की दर (रू0)	1.8.2002 से देय मासिक पेंशन के 34% (अर्थात 28%+4%) की दर से महंगाई राहत
(क)	(i)	पूर्व-अण्डमान राजनैतिक कैदी	4,000/-	1360/-
	(ii)	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के बाहर यातना भोगी (आजाद हिंद फौज (आई एन ए को छोड़कर)	3,500/-	1190/-
(ख)		आज़ाद हिंद फौज (आई.एन.ए.) समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानी	3,000/-	1020/-
(ग)		उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	3,000/-	1020/-
(घ)		अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियाँ		
		(क) सबसे बड़ी पुत्री		
		(ख) अन्य दो पुत्रियाँ	600/- प्रत्येक को 350/-	204/- प्रत्येक को 119/-
(ङ)		माता और पिता	प्रत्येक को 1,000/-	प्रत्येक को 340/-

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

7.47 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं:-

(i) स्वतंत्रता सेनानी अथवा एक परिचर समेत उनकी विधवा के लिए आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए0सी0 2 टायर स्लीपर) ।

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राईज के अधीन चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं । स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी0जी0एच0एस0 की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं ।

(iii) यदि व्यवहार्य हो, तो पंजीकरण और स्थापित करने के प्रभार के बिना और किराए की आधी राशि के भुगतान पर टेलीफोन की सुविधा ।

(iv) राष्ट्रीय हित में स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में जनरल पूल का रिहायशी आवास । स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा छह माह तक इस आवास को रख सकती है ।

(v) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास ।

(vi) पैट्रोलियम उत्पादों की 2% डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन, डीलर सैलेक्शन बोर्ड के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित है ।

(vii) उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, पूर्व-अण्डमान राजनैतिक कैदी और उनकी विधवाएं निम्नलिखित सुविधाओं की भी पात्र हैं:-

(क) वर्ष में एक बार एक साथी सहित पोर्ट ब्लेयर की नि:शुल्क समुद्री यात्रा सुविधा ।

(ख) वर्ष में एक बार एक साथी समेत चेन्नै/कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर की नि:शुल्क हवाई यात्रा सुविधा ।

(ग) एक साथी समेत शताब्दी/राजधानी एक्सप्रैस में यात्रा की सुविधा ।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

7.48 वर्ष 2001-2002 के दौरान, पेंशन और मुफ्त रेलवे पास पर क्रमश: 192.87 करोड़ रू0 और 44.30 करोड़ रू0 की राशि खर्च की जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को, वित्तीय कठिनाईयों से उबारने के लिए राहत प्रदान करने हेतु गृह मंत्री के विवेकानुदान से 4.25 लाख रू0 भी खर्च किए गए थे। वर्ष 2002-2003 के लिए सम्मान पेंशन के लिए 200.00 करोड़ रू0 और मुफ्त रेलवे पास के लिए 55 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान किया गया।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

श्रीलंका के शरणार्थी

7.49 श्रीलंका के शरणार्थियों के आगमन में हालांकि भारी कमी आई लेकिन यह अभी भी जारी है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :-

चरण	अवधि	शरणार्थियों की संख्या
प्रथम	1983-89	1,34,053
द्वितीय	1989-91	1,22,078
तृतीय	1996-2002	22,407*

*जनवरी, 2003 तक

7.50 तटीय गश्त को गहन करने, अग्रिम आसूचना का संग्रहण और मिलान तथा तमिलनाडु में नौसना की टुकड़ियों को सुदृढ़ करने के कार्य से शरणार्थियों की संख्या में कमी लाने में प्रमुख भूमिका है। वर्ष 1999 में 4977, वर्ष 2000 में 1620 और वर्ष 2001 में 505 की तुलना में वर्ष 2002 में केवल 84 श्रीलंकाई शरणार्थी आए।

7.51 शरणार्थियों के आगमन को निरुत्साहित करने के सरकार के दृष्टिकोण के बावजूद, नये आने वाले शरणार्थियों को, जब तक कि उनके शीघ्र प्रत्यावर्तन के प्रबंध पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें मानवीय आधार पर राहत कैम्पों में ठहराया जा रहा है तथा राहत प्रदान की जा रही है। मार्च, 1995 तक 98,649 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यार्पित किए जा चुके हैं। तत्पश्चात, आगे कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ क्योंकि मुख्य रुप से श्रीलंका में निरंतर बिगड़ रहे हालातों की दृष्टि से बहुत कम संख्या में शरणार्थी प्रत्यावर्तन के इच्छुक थे। इस समय, 63,000 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 104 शरणार्थी कैम्पों में और उड़ीसा में 1 शरणार्थी कैम्प में रह रहे हैं। भारत सरकार श्रीलंकाई शरणार्थियों को श्रीलंका को शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए प्रबंध करने हेतु श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है।

7.52 भारत में शरणार्थियों को निरंतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिसमें शिविरों में आश्रय, नकद दान, वस्त्र, रियायती दरों पर राशन, बर्तन और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। प्रत्येक श्रीलंकाई शरणार्थी परिवार को प्रतिमाह 922/-रु0 (लगभग) की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें मुफ्त आवास, चिकित्सा और शैक्षणिक सहायता शामिल नहीं है। राज्य सरकार द्वारा श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर किए गए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। जुलाई 1983 से अक्तूबर, 2002 तक की अवधि के दौरान, इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने पर भारत सरकार द्वारा 278 करोड़ रु0 (लगभग) की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान इन सुविधाओं को चालू रखने के लिए क्रमशः 25 करोड़ रु0 और 27 करोड़ रु0 की राशि निर्धारित की गई है।

श्रीलंका से आए प्रत्यावासी

7.53 नवम्बर 2002 तक भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों और उनकी स्वाभाविक वृद्धि में से, जिनके श्रीलंका से भारत को प्रत्यावर्तन को विभिन्न भारत-श्रीलंका समझौतों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, 3.35 लाख व्यक्ति और उनकी कुल 1.26 लाख की स्वाभाविक वृद्धि जो मिलाकर 1,16,145 बनते हैं, भारत पहुंचे और उन्हें पुनर्वास सहायता उपलबध कराई गई। श्रीलंका में खराब हालात के कारण 1984 के बाद कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ। भारत में अपने आप आने वाले प्रत्यावर्तियों का तमिलनाडु में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास किया जा रहा है।

पुनर्वास बागान लि. (आर.पी.एल.), पुनालूर, केरल

7.54 आर पी एल भारत सरकार तथा केरल सरकार दोनों का संयुक्त उपक्रम है। इस कंपनी का निगमन 5 मई 1976 को 2000 एकड़ क्षेत्र में रबड़ के बागान लगाने के कार्य में श्रीलंका से आए 675 प्रत्यावासी परिवारों को श्रमिक के रुप में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2002 को कंपनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 350 लाख रु0 तथा 339.27 लाख रु0 थी। प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार तथा केरल सरकार का अंशदान क्रमशः 133.42 लाख रु0 तथा 205.85 लाख रु0 है। तथापि कंपनी केरल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। गृह मंत्रालय के दो अधिकारी कम्पनी के निदेशक बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

7.55 कंपनी ने न केवल प्रत्यावासी परिवारों को बसाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है वरन् 700 प्रत्यावासी परिवारों को भी बसा दिया है। 2000 हैक्टेयर के लक्षित क्षेत्र के स्थान पर कंपनी ने 2070 हैक्टेयर क्षेत्र पर रबड़ के पेड़ लगाए हैं।

7.56 मंदी के हालात के बावजूद वर्ष 2001-02 में कंपनी के कुल व्यापार में 254.29 लाख रु. कर पश्चात लाभ दर्शाया गया है। कंपनी ने लेखा वर्ष 2001-2002 के लिए कराधान के पश्चात शुद्ध लाभ पर 20% की दर से लाभांश घोषित किया। कंपनी ने सरकारर खज़ाने, पूनालूर के पास 2264 लाख रु. का आवधिक जमा किया है। इसके निगमन के पश्चात से कंपनी ने राज्य और केन्द्रीय राजकोष में लाभांष के रुप में आयकर और कृषि आयकर के रुप में क्रमश: 6.89 करोड़ रु0, 6.92 करोड़ रु. और 28 करोड़ रु. का अंशदान किया है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लि.(रेपको) चैन्ने

7.57 प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लि. (रेपको) चैन्ने का पंजीकरण मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत सितम्बर, 1969 में किया गया। अब बैंक कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत संचालित होता है। इसके प्रचालन क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका तथा म्यांमार से आए प्रत्यावासियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। बैंक की प्राधिकृत पूंजी 510 लाख रु. है। 2001-2002 की समाप्ति पर बैंक की प्रदत्त पूंजी 3.95 करोड़ रु. थी जिसमें से भारत सरकार का अंशदान 1.96 करोड़ रु. है। शेष पूंजी तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल "क" श्रेणी के वैयक्तिक प्रत्यावासियों, संस्थानों तथा सोसायटियों तथा "ख" श्रेणी सदस्यों द्वारा अभिदत्त की गई है।

7.58 वर्ष 2001-02 के दौरान बैंक ने 3.28 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तथा अग्रिम, जमा. वसूली में बैंक का कार्य बैंकिंग उद्योग के औसत के मुकाबले काफी अच्छा रहा। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार बैंक की 31 शाखाएं थीं। बैंक की सभी शाखाओं का कम्प्यूटीकरण कर दिया गया है। इन्टरनेट कनेक्टिविटी के जरिए 30 शाखाओं को प्रधान कार्यालय से जोड़ दिया गया है जिससे कम लागत पर त्वरित संचार सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं।

7.59 बैंक ने चालू वर्ष के लिए अधिकतम अनुमेय 15% लाभांश का भुगतान किया है। भारत सरकार को इसकी प्रदत्त अंश पूंजी पर दिया गया लाभांश 29.40 लाख रु. बैठता है।

तिब्बती शरणार्थी

7.60 1959 में महामहिम दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने तथा अस्थायी तौर पर बसने के लिए सहायता देने के अतिरिक्त उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण रखने का ध्यान रखा।

7.61 भारत में तिब्बत शरणार्थियों की मौजूदा जनसंख्या (महामहिम दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा जून, 1998 में किए गए भौगोलिक सर्वेक्षण पर आधारित लगभग 1,08,414 है। इनमें से अधिकांश शरणार्थियों ने अपने आपको भारत के विभिन्न राज्यों में या तो स्वरोजगार के जरिए अथवा कृषि तथा हस्तकाला योजनाओं के तहत सरकारी सहायता से बसा लिया है। तिब्बती शरणार्थियों का बड़ा जमावड़ा कर्नाटक (35,002) हिमाचल प्रदेश (19,593), अरुणाचल प्रदेश(6,858), उत्तर प्रदेश (6,300) तथा जम्मू और कश्मीर (6,242) में है। भारत सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के बसाने पर 31 मार्च, 2002 तक 18.17 (लगभग) करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसमें वह राशि शामिल नहीं है जो मानव संसाधन मंत्रालय ने तिब्बती बच्चों की शिक्षा पर व्यय की है।

7.62 उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में कुछ अवशिष्ट आवास योजनाओं को छोड़कर तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा कर लिया गया है।

बंदोबस्त विंग

7.63 बंदोबस्त विंग, गृह मंत्रालय के स्वंतत्रता सेनानी पुनर्वास प्रभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रुप में कार्य करता है जो विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट मामलों को देखता है। यह विंग भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित और उनकी विधवाओं को अनुग्रह पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।

7.64 बंदोबस्त विंग, भंग कर दी गई दण्डकारण्य (डी.एन.के.) परियोजना के शेष कार्य को भी देखता है। सेवा संबंधी विविध मामलों के अलावा, यह विंग इस समय 1986 से पूर्व/1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्तियों की पेंशन और भूतपूर्व डी.एन.के. परियोजना के पूर्व अध्यापकों के वेतन संशोधन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के मामलों को देख रहा है।

7.65 विंग 1947 से आगे की अवधि की और मुख्यत: भूतपूर्व प. पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के दावों से संबंधित दस लाख से अधिक फाइलों को संभालने के लिए भी उत्तरदायी रहा है।

7.66 बंदोबस्त विंग को समाप्त करने की प्रक्रिया के भाग के रुप में अनेक कार्य मदें विगत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत एल एंड डी ओ तथा दिल्ली नगर निगम को अंतरित कर दी गई हैं। अब विंग में 1998 के 20 के मुकाबले केवल 5 कर्मचारी हैं।

महिला सशक्तिकरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

7.67 लिंग-भेद न्याय (जेंडर जस्टिस) विषय पर जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का संबंध है, भारत के विधि आयोग ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में "बलात्कार कानूनों" की समीक्षा की है और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 और 376 में अपराध के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए इसमें परिवर्तनों की सिफारिश की है ताकि इसे लिंग-निष्पक्ष बनाया जा सके। इसी प्रकार से, भारत के विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 पर उनकी क्रमश: 154वीं और 156वीं रिपोर्टों में महिलाओं से संबंधित उपबंधों के बारे में सिफारिशें की हैं ताकि उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जा सकें। महिलाओं से संबंधित 156वीं रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(i) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध (बलात्कार) पर, जहां तक संभव हो, महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा ;

(ii) जहां गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो, शरीर की जांच केवल पंजीकृत महिला चिकित्सक द्वारा या उसकी देख-रेख में की जाएगी ;

(iii) बलात्कार के अपराध के संबंध में, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल केवल पीड़ित महिला के निवास पर ही की जाएगी;

(iv) बाल बलात्कार के अपराध की जांच-पड़ताल, पुलिस स्टेशन में पहले पहल दर्ज करायी गई सूचना की तारीख से 3 महीनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी ;

(v) बलात्कार से संबंधित विचारण के मामलों में निर्णय, जहां तक संभव हो, विचारण के आरम्भ से दो महीनों के अवधि के भीतर दे दिया जाएगा ;

(vi) किसी महिला पर हमला करने के लिए धारा 354 में की गई दण्ड व्यवस्था, मौजूदा दो वर्ष की कारावास की सजा को बढ़ाकर पांच वर्ष के कारावास की सजा कर दी जाए ;

(vii) धारा 509 के अंतर्गत महिला स्तीत्व का अपमान करने के लिए की गई दण्ड व्यवस्था की अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष की सजा कर दी जाए ;

(viii) व्यभिचार के अपराध के मुकाबले विवाहों में स्त्री-पुरुष के बीच समानता की संकल्पना लाने के लिए व्यभिचार से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है।

7.68 चूंकि दांण्डिक विधि और दांण्डिक पद्धति भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इसलिए विधि आयोग की रिपोर्टों पर राज्य सरकारों से परामर्श करके इस मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है।

7.69 उपर्युक्त के अलावा, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में पेश किए गए दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है :-

(i) असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी महिला सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी ; और

(ii) हिरासत में महिला के साथ बलात्कार के मामले में अनिवार्य रुप से न्यायिक जांच आयोजित की जाएगी।

जनगणना 2001 में लिंग भेद से संबंधित मुद्दे

7.70 भारत की जनगणना 2001 की मुख्य विशेषताओं में से एक लिंग भेद संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना रहा है। जनगणना 2001 में योजना बनाने की अवस्था से ही लिंग भेद सुग्राहीकरण के प्रति सचेतन दृष्टिकोण अपनाया गया था और यह जनसंख्या की वास्तविक गणना तक जारी रहा। प्रथमत: यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था कि महिलाएं/बालिकाएं गणना में छूट न जाए और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को पर्याप्त रुप से ग्रहण किया जाए। इस प्रयास के अच्छे परिणाम निकले जो जनगणना के परिणामों से स्पष्ट हो जाते हैं। यह मुख्यत: गणनाकारों सहित समग्र जनगणना अधिकारियों को लिंग भेद के प्रति सुग्राही बनाकर, गणनाकारों को दी गई अनुदेश नियमावली में लिंग भेद संबंधी मुद्दों पर अधिक बल देकर और प्रचार अभियान के माध्यम से हासिल किया गया।

7.71 यह प्रयास जनगणना के बाद भी जारी रहा जब जनगणना 2001 की प्रथम जनगणना रिपोर्ट में, देश के कुछेक भागों में बालिकाओं का अत्यंत नकारात्मक अनुपात उजागर हुआ। यह स्पष्ट रुप से लिंग का चयन करके भ्रूण हत्या का संकेत है, जो अपना जाल देश के कुछेक भागों में फैलता जा रहा है। इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने का जनगणना संगठन का प्रयास अभी भी जारी है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से विभिन्न राज्यों में जन्म के लिंग अनुपात का निरंतर प्रबोधन करके इस व्यवस्था को संस्थागत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस डाटा का राज्य स्तर के उच्च स्तर पर निरंतर संकलन और प्रबोधन किया जएगा ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके।

पुलिस सेवाओं में महिलाएं

7.72 भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं की भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 128 महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। महिला पुलिस अधिकारियों ने अपने पुरुष सहयोगियों के बराबर ही काम कर दिखाया है। उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिए गए हैं।

7.73 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में दो महिला बटालियनें हैं और वे हर प्रकार की आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियाँ निभा रही हैं। सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स में महिला अधिकारी और स्टाफ, अधिकतर चिकित्सा और मंत्रालयीय श्रेणी में हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को भी महिलाओं को स्काई मार्शल आदि जैसी कुछ किस्म की ड्यूटियों पर लगाने की अनुमति दी गई है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

7.74 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 में जीवित स्वतंत्रता सेनानी, और, उनकी मृत्यु पर उनके पात्र आश्रितों को पेशन प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना में बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के साथ-साथ महिला स्वतंत्रता सेनानियों को भी पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था है।

7.75 पेशन प्रदान करने के लिए, इस योजना में कम से कम छ: माह की अवधि की जेल/भूमिगत रहने की यातना जो कि स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की हुई है।

तथापि, इस योजना में न्यूनतम छः महीने की यातना में तीन महीने की छूट देकर महिला स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

7.76 इस योजना के अधीन परिवारिक पेंशन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ पात्र आश्रितों की परिधि में मृत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं, अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियों को शामिल किया गया है। एक साथ ऐसी तीन पुत्रियों तक पेंशन मिल सकती है। इस प्रावधान के पीछे, मृतक की विधवा और युवा पुत्रियों की प्राकृतिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की भावना थी।

7.77 मृतक स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें इस योजना के अधीन पेंशन स्वीकृत की गई थी, को दी गई सभी मुख्य सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी दी जाती हैं। इन सुविधाओं में मुफ्त रेलवे पास, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा, निर्धारित शर्तों के अनुसार टेलीफोन कनैक्शन और संबंधित स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद छः महीने तक आवास रखने की सुविधाएं शामिल हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दूर करना

7.78 गृह मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, यदि मंत्रालय की किसी संतप्त महिला कर्मचारी द्वारा की गई है तो, दूर करने के लिए एक पांच सदस्यीय शिकायत समिति गठित की है। इस समिति में, अध्यक्ष और एक गैर सरकारी संगठन, वाई.डब्ल्यू.सी.ए. से सदस्य सहित चार महिला सदस्य हैं। वर्ष के दौरान इस समित को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

महिलाओं के प्रति अपराध

7.79 कुछ वर्षों से महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोत्तरी का रुझान देखा गया है। वर्ष 2000 के दौरान महिलाओं के प्रति 69.4% अपराध उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हुए।

7.80 अपराध का पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और उसकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों को महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देती रही है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों पर सभी जिलों में केवल महिलाओं वाले ही पुलिस स्टेशन स्थापित करने, बलात्कार के मामलों की सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाले न्यायालयों द्वारा करने, बलात्कार के मामले की जांच-पड़ताल शिकार महिला के घर पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा और यदि बलात्कार की शिकार महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उसके माता-पिता और/या रिश्तेदारों की उपस्थिति में ही करने, बलात्कार की शिकार महिला की चिकित्सा जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही किए जाने, दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस बलों में महिलाओं की व्यापक भर्ती, विशेष महिला न्यायालय स्थापित करने, सभी स्तरों पर पुलिस को, महिलाओं के साथ अपराध के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में आवश्यक परितर्वन करने; महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों की समीक्षा करने के लिए सभी जिलों में एक समिति स्थापित करने, सरकारी/अर्ध सरकारी/प्राइवेट संगठनों में यौन उत्पीड़न रोकने और मौजूदा विधायन के प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करने के प्रति सुग्राही बनाने, जांच-पड़ताल और अनुवर्ती अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने और पीड़ित महिला के कल्याण और पुर्नवास के लिए बनाई गई योजनाओं की कारगरता में सुधार लाने पर जोर दिया है। मई, 2002 में, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पुनः महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया।

❑

अध्याय

VIII

विविध

पुरस्कार और अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

8.1 नागरिक सम्मान का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए की गई विशिष्ट सेवा तथा उच्चकोटि की लोक सेवा के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। वर्ष 2002 में कोई भारत रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया ।

पद्म पुरस्कार

8.2 पद्म पुरस्कार अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं समेत क्रमश: विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा/उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा तथा किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं । पद्म पुरस्कार के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों आदि से प्राप्त हुई सिफारिशों पर पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है । पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर पद्म पुरस्कार, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं । राष्ट्रपति भवन में 23 और 27 मार्च, 2002 को आयोजित अलंकरण समारोह में, राष्ट्रपति ने 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार, 25 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 65 व्यक्तियों को पद्म श्री प्रदान किए ।

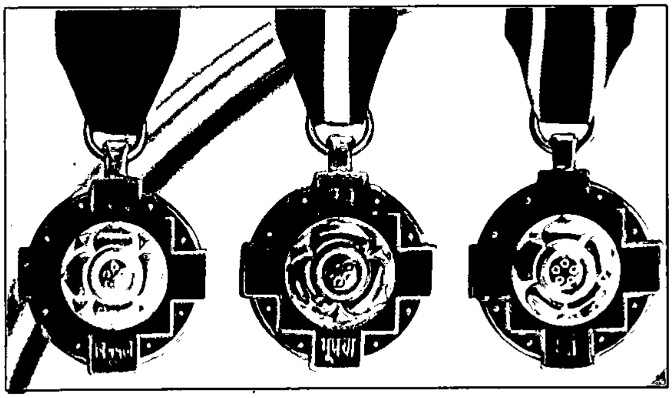

वीरता पुरस्कार

8.3 अशोक चक्र श्रृंखला के पुरस्कार सिविलियनों को भी दिए जाते हैं । सिविलियनों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सिफारिशें, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोसेस की जाती हैं और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय सम्मान और पुरस्कार समिति को विचारार्थ भेजी जाती हैं। ये पुरस्कार अर्द्ध-वार्षिक हैं तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस, 2002 के अवसर पर शौर्य चक्र के लिए दो सिविलियनों के नामों का अनुमोदन किया । शौर्य चक्र प्रदान करने के लिए 29 अक्तूबर, 2002 को समारोह का आयोजन किया गया।

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार

8.4 जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार नामत:, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने, आग से बचाने, खदानों में बचाव कार्यों आदि में, मानवीय प्रकृति के किसी कार्य या कार्यों में, रक्षक द्वारा अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियों में प्रदर्शित किए गए साहस एवं तत्परता या शारीरिक क्षति के लिए प्रदान किए जाते हैं। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कारों के लिए सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की जाती हैं । पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति ने वर्ष 2001-2002 के लिए 5 व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक अनुमोदित किए ।

इस वर्ष कोई भी सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार घोषित नहीं किया गया है ।

सतर्कता तंत्र

8.5 गृह मंत्रालय में एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ की प्रशासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अनुशासन सुनिश्चित करने की एक मूलभूत भूमिका है। यह संयुक्त सचिव (प्रशासन और लोक शिकायत), जिन्हें इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी पदनामित किया गया है, के अधीन कार्य करता है। मंत्रालय में सतर्कता प्रकोष्ठ अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों आदि में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है ।

8.6 निवारक सतर्कता के काम को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) संवेदनशील अनुभागों/डेस्कों में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आवधिक रूप से एक विशेष सुरक्षा प्रश्नावली भरवाई जाती है तथा उनके मामले में आसूचना ब्यूरो द्वारा पुनरीक्षण कराया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय में ऐसे स्थानों पर केवल सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को ही तैनात किया जाए यह एक प्रभावी हथियार के रूप में कार्य करता है ।

(ख) जिन प्रभागों को संवेदनशील वर्गीकृत किया गया है उनके प्रमुखों के साथ संपर्क रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे प्रभागों में कार्य कर रहे कार्मिकों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखी जा सके ।

(ग) मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानी, विदेशी और विदेशी अभिदाय, प्रोक्योरमेंट और पुनर्वास इत्यादि जैसे कुछ प्रभाग ऐसे हैं जो जनता के संपर्क में काफी आते हैं अत: इन प्रभागों पर गहन नज़र रखी जाती है और इन प्रभागों में समय-समय पर अचानक निरीक्षण किया जाता है।

(घ) सतर्कता से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से निकट संपर्क रखता है ।

(ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो प्रशासनिक सतर्कता के लिए एक नोडल एजेंसी है, द्वारा जारी वार्षिक कार्य योजना को मंत्रालय के साथ-साथ इसके सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाता है।

(च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित सभी आवधिक रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारियों को समय पर भेजी जाती हैं ।

(छ) प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सतर्कता प्रभाग और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्रभाग-प्रमुखों और बीच के स्तर के अधिकारियों के साथ बैठकें की जाती हैं ।

(ज) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की एक सूची बनाई जाती है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है ।

(झ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई रोटेशनल स्थानांतरण नीति के अनुसार निहित स्वार्थों की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से मंत्रालय में स्टाफ की विभिन्न प्रभागों के बीच अदला-बदली की जाती है ।

(ञ) सतर्कता जागरुकता सप्ताह वर्ष में एक बार मनाया जाता है जिसके दौरान शपथ ग्रहण, व्याख्यान, वक्तृता प्रतियोगिताएं इत्यादि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

8.7 सतर्कता के लंबित मामलों को निपटाने के लिए गृह

मंत्रालय संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लंबित पड़े मामलों सहित विभिन्न अवस्थाओं में लंबित मामलों पर निकट से नजर रखता है। इन मामलों/जांचों को शीघ्रता से निपटाने के लिए संगठनों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के स्तर पर आवधिक रूप से स्मरण कराया जाता है।

8.8 2002-2003 (अक्तूबर, 2002 तक) के दौरान गृह मंत्रालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निपटाए गए सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों के बारे में आंकड़े संलग्न हैं (अनुलग्नक-IX)।

राजभाषा

8.9 गृह मंत्रालय (मुख्य) और इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों और हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रशासनिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय (मुख्य) में एक राजभाषा सेल कार्य कर रहा है।

हिन्दी सलाहकार समिति

8.10 गृह मंत्री (अब उप प्रधान मंत्री) जी की अध्यक्षता में दिनांक 28 मई, 2002 को हिन्दी सलाहकार समिति की 37वीं बैठक हुई।

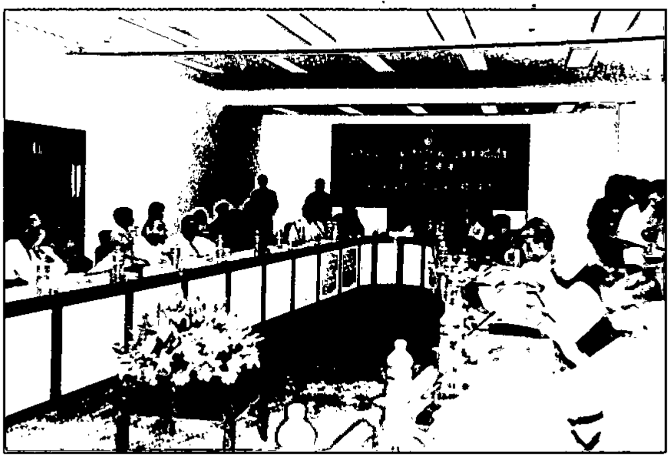

श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री (अब उप-प्रधानमंत्री) गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

प्रभाग स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

8.11 गृह मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के बाद संबंधित प्रभागों के संयुक्त सचिवों की अध्यक्षता में प्रभाग स्तर पर सत्रह राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का पुनर्गठन किया गया हैं। प्रभागों में कार्य कर रहे सभी अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक अपने-अपने प्रभाग की समिति के सदस्य हैं। इन समितियों की बैठकों में अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त हिन्दी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है तथा कमियों को दूर करने के लिए उपचारी उपाय किए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

8.12 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं। "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनुभागों/डेस्कों के निरीक्षण और संबंधित प्रभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के माध्यम से इस कार्य की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

8.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिल्ली में और दिल्ली से बाहर स्थित मंत्रालय के 08 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा से संबंधित निरीक्षण किए गए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के 8 अनुभागों/डेस्कों का भी निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने भी मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जिनमें निदेशक (राजभाषा) ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया:-

1. प्रिंसीपल, केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोयम्बटूर
2. आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, माउंट आबू

3. महानिरीक्षक, फ्रंटियर मुख्यालय (राजस्थान और गुजरात), सीमा सुरक्षा बल, जोधपुर

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

8.14 मंत्रालय में 16 से 30 सितम्बर, 2002 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस अवसर पर गृह सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ायें । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर 184 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया । इस संबंध में विशेष रूप से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिए गए । इसके अतिरिक्त, पखवाड़े के दौरान **"भारत की आंतरिक सुरक्षा में सशस्त्र बलों की भूमिका"** विषय पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक डा0 त्रिनाथ मिश्र का विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया ।

हिन्दी भाषा प्रशिक्षण

8.15 वर्ष के दौरान हिन्दी भाषा सीखने के लिए 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया था ।

हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

8.16 हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए 10-10 कर्मचारियों को नामित किया गया ।

हिन्दी कार्यशाला

8.17 अधिक-से-अधिक कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवम्बर माह में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 18 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

राजभाषा शील्ड योजना

8.18 मंत्रालय में ठराजभाषा शील्ड योजनाड के नाम से एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को शील्ड प्रदान की जाती है । शील्ड योजना के लिए वर्ष 2001-2002 की प्रविष्टियां प्राप्त हो गई हैं और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रोत्साहन योजना

8.19 वर्ष में अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी मंत्रालय में लागू है । इस योजना के तहत हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लिखने वाले 10 कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिया जाता है । वर्ष 2001-2002 के पुरस्कारों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है ।

गृह मंत्रालय के अधीन लेखा संगठन

8.20 गृह मंत्रालय का अलग से एक प्रधान लेखा कार्यालय और लेखा कार्यालय है। लेखा संगठन लेखा परीक्षा और लेखा के द्विभाजन के फलस्वरुप अस्तित्व में आया । यह संगठन इस मंत्रालय का अभिन्न अंग है और विवेकपूर्ण तथा अर्थपूर्ण वित्तीय निर्णयों के लिए वित्तीय सूचना प्रदान करता है। इस मंत्रालय का सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी है और वह वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है।

8.21 बुनियादी तौर पर, लेखा संगठन को रिसीट बजट तैयार करने, व्यक्तिगत दावों अर्थात पेंशन, भविष्यनिधि इत्यादि का तेजी से निपटान करने तथा मंत्रालय/विभाग के व्यय के प्रबोधन की जिम्मेवारी सौंपी गई है । प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली और अन्यत्र स्थित सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों तथा क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों का निष्पादन करता है ।

वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य के ब्यौरे

क्र सं.	कार्य का विवरण	कुल सं.
(क)	पूर्व-जांच हेतु प्राप्त विधेयक	149381
(ख)	उत्तर-जांच हेतु सी.डी.डी. ओ. से प्राप्त वाउचर	163708
(ग)	प्राप्त और निपटाए गए पेंशन मामले	5099
(घ)	निपटाई गई सामान्य भविष्यनिधि अंतिम अदायगी	3051
(ङ)	रखे जा रहे सामान्य भविष्यनिधि खातों की संख्या	158289
(च)	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	298
(छ)	लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	1986

8.22 मुख्य लेखा नियंत्रक(एच) संगठन लेखापरीक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का अध्यक्ष लेखा नियंत्रक है और ये सात फील्ड पार्टियां हैं जिसमें 4 पार्टियां मुख्यालय में तथा कोलकाता, चेन्नै एवं शिलांग हरेक में एक-एक मुख्य लेखा नियंत्रक(गृह) इस मंत्रालय के बजट और योजना प्रभागों और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का मुख्य समन्वयकर्त्ता है।

8.23 उन्नत प्रौद्योगिकी और तत्काल सूचना जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य लेखा नियंत्रक(एच) संगठन का काम संपूर्ण और व्यापक कंप्यूटर आधारित वित्तीय सूचना प्रणाली प्रदान करना है। भुगतान और लेखा कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरे जोर-शोर पर है और पी.ए. ओ-2000 (कोम्पेक्ट) ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पी.ए. ओ.(सचिवालय), पी.ए. ओ.(पी.एंड एम.), पी.ए. ओ.(एन.एस.जी.), पी.ए. ओ.(सी. आई.एस.एफ.) और आर.पी.ए. ओ.(सी. आई.एस.एफ.), गृह मंत्रालय चेन्नै में स्थापित किया गया है। शेष भुगतान एवं लेखा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण अगले वित्त वर्ष के मध्य तक कर दिया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियां/पैरा

8.24 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ शासित क्षेत्र (विधानमंडल के साथ और उसके बगैर), भारत के महारजिस्ट्रार इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं, शामिल हैं। जबकि केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों और अन्य सभी यूनिटों की आंतरिक लेखा-परीक्षा मुख्य लेखा-नियंत्रक के अधीन गृह मंत्रालय की आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन और संबंधित बलों के आंतरिक वित्तीय सलाहकार के अधीन बलों के आंतरिक लेखा परीक्षा दलों द्वारा की जाती है, सांविधिक लेखा परीक्षा संबंधित महालेखाकारों के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

8.25 व्यय की लेखा-परीक्षा करने के पश्चात, लेखा परीक्षा की अभ्युक्तियों को दर्शाते हुए निरीक्षण रिपोर्टें, प्रारम्भ में संबंधित इकाई/संगठनों को उपलबध कराई जाती हैं और इन इकाईयों/संगठनों द्वारा इन अभ्युक्तियों को निपटाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आवधिक बैठकों के माध्यम से समाधान हेतु तदर्थ समितियां भी गठित की गई हैं, जहाँ संबंधित महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। 1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में लंबित टिप्पणियों/पैराओं की संख्या 4113 थी। जनवरी से दिसम्बर, 2002 तक की अवधि के दौरान निपटाई गई और प्राप्त लेखा परीक्षा आपत्तियों/पैराओं की संख्या क्रमशः 1824 और 1624 थी। इस प्रकार 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार लंबित टिप्पणियों/पैराओं की संख्या 3913 थी। प्रत्येक संगठन के संबंध में ब्योरे संलग्न हैं (अनुलग्नक-X)।

8.26 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संसद को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैरा बनाते हैं जिन पर गृह मंत्रालय को की गई कार्रवाई के नोट्स तैयार करने होते हैं। जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार लंबित लेखा परीक्षा पैरों की संख्या 37 थी। जनवरी-दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान, 16 पैरा पर की गई कार्रवाई के नोट्स का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के साथ परामर्श करके समाधान किया गया था तथा 15 पैरा और प्राप्त हुए। अतः, 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार 36 पैरा लंबित थे। ❑

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

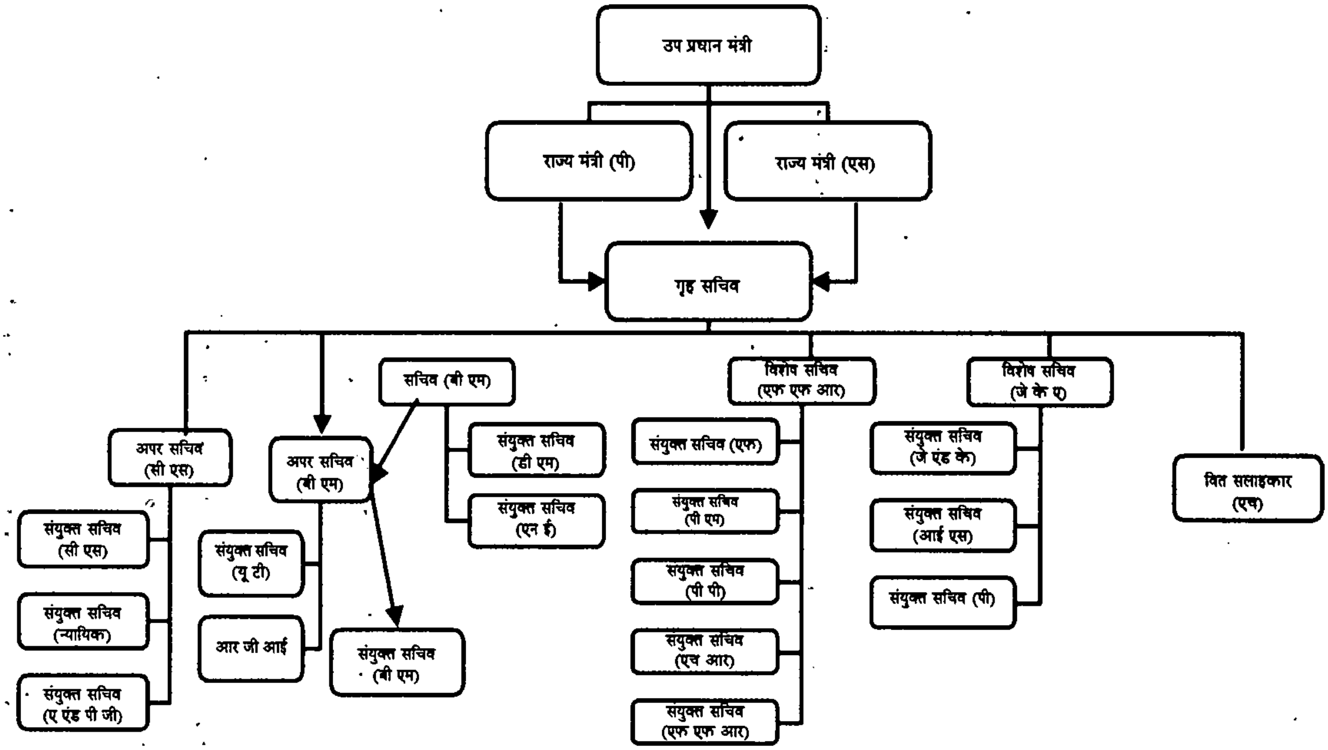

(अध्याय-IIपैरा 2.8 देखें)

प्रमुख अधिकारी

उप प्रधान मंत्री- श्री लाल कृष्ण आडवाणी
गृह राज्य मंत्री (पी)-श्री हरिन पाठक
गृह राज्य मंत्री (एस)-श्री आई डी स्वामी
गृह सचिव-श्री एन0 गोपालास्वामी
सचिव (सीमा प्रबन्धन)-श्री आर0सी0ए0 जैन
विशेष सचिव (जम्मू और कश्मीर)- श्री ए0के0 भंडारी
विशेष सचिव (स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास)- श्री आर0के0शर्मा
अपर सचिव (केन्द्र राज्य)- श्री देव स्वरूप
अपर सचिव (सीमा प्रबंधन)- श्री के0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव (जम्मू और कश्मीर)- डा0 राकेश हूजा
संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा)- श्री एल0सी0 गोयल
संयुक्त सचिव (पुलिस) -श्री अखिल कुमार जैन
संयुक्त सचिव (केन्द्र राज्य) -श्री शारदा प्रसाद
संयुक्त सचिव (न्यायिक) -श्री डी0डी0गुप्ता
संयुक्त सचिव (प्रशासन और लोक शिकायत) श्री यशवन्त राज
संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र) -श्री पी0के0 जलाली
संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) -श्री आर0के0 सिंह
संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण)-श्री एच आर सिंह
संयुक्त सचिव (नीति नियोजन) -श्री एस0के0 चट्टोपाध्याय
संयुक्त सचिव (मानवाधिकार)- श्री अरूण के0 जैन
संयुक्त सचिव (स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास)- श्री ए0के0 श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर)- श्री राजीव अग्रवाल
संयुक्त सचिव (विदेशी)- श्री पी0 श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार (गृह)- श्री एन0ए0 विश्वनाथन
भारत के महारजिस्ट्रार -श्री जे0के0बंथिया

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2002 के दौरान तूफान, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुआ नुकसान

(अनंतिम, 23-09-2002 की स्थिति के अनुसार)

				प्रभावित					नुकसान							
क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आपदा	कुल जिले (सं.)	जिला (सं.)	तालुक/ ब्लाक/ एम पी एल एस	गांव	कुल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	जनसंख्या (लाख में)	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	फसल की अनुमानित कीमत (रु. करोड़ में)	घर (सं.)	घरों की अनुमानित कीमत (रु. करोड़ों में)	सार्वजनिक संपत्ति की अनुमानित कीमत (रु. करोड़ों में)	मानव (सं.)	पशु (सं.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	एच आर	एन आर	3	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	800	एन आर	एन आर	7		
2.	अरुणाचल प्रदेश	एफ एफ/एल	15	14	एन आर	75	0.20	एन आर	0.1	0.65	7	0.06	34.66	11	20	
3.	असम	एच आर/एल	23	22	एन आर	6560	57.08	8.37	3.3	एन आर	19827	एन आर	एन आर	41	482	
4.	बिहार	एच आर	38	25	205	8208	18.45	158.18	8.10	467.44	396096	451.98	296.21	434	1380	
5.	गुजरात	एच आर	25	10	23	134	6.5	एन आर	एन आर	एन आर	2753	13.57	27.71	134	1152	
6.	हिमाचल प्रदेश	एच आर/एल	12	1	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	3 लापता
7.	केरल	एच आर/एफ/एल	14	14	एन आर	776	0.23	एन आर	एन आर	1.57	2335	1.09	0.01	21	एन आर	8 लापता
8.	मध्य प्रदेश	एच आर	45	1	एन आर	2	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	4	एन आर	7 लापता
9.	मणिपुर	एच आर/एफ	एन आर	4	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	0.49	एन आर	30024	एन आर	एन आर	2	एन आर	
10.	महाराष्ट्र	एच आर/एल	35	8	एन आर	311	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	13466	एन आर	149.23	138	593	
11.	उत्तर प्रदेश	एच आर	70	8	एन आर	443	1.07	2.58	0.33	एन आर	1615	एन आर	एन आर	6	15	
12.	उत्तरांचल	एचआर/एल	13	2	2	50	0.03	नेग	नेग	एन आर	541	एन आर	एन आर	33	87	
13.	पश्चिम बंगाल	एचआर/एल	एन आर	3	22	617	3.07	एन आर	0.26	27.62	17584	2.31	25.64	4	एन आर	
	कुल			**115**		**17176**					**485048**			**841**	**3729**	

नोट: एफ-बाढ़, एफ एफ- तेज बाढ़, एल-भूस्खलन, एच आर - भारी वर्षा, सी- तूफान, एन.आर. - सूचित नहीं किए गए, नेग - नगण्य ।

(अध्याय-IV, पैरा 4.8 देखें)

अनुलग्नक-III

आपदा राहत कोष 2002-2003

(लाख रुपये में)

क्रम.सं.	राज्य	केन्द्र का अंशदान	राज्य का अंशदान	कुल	2002-2003 के दौरान जारी किया गया केन्द्र का अंशदान (16 दिसम्बर, 2002 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16377	5459	21836	12283.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	994	331	1325	994.00
3.	असम	8392	2797	11189	8392.00
4.	बिहार	5537	1845	7382	8173.50
5.	छत्तीसगढ़	2272	757	3029	2272.00
6.	गोवा	103	34	137	196.00
7.	गुजरात	13346	4449	17795	
8.	हरियाणा	6723	2241	8964	6723.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3596	1199	4795	3596.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2886	962	3848	5634.00
11.	झारखंड	4688	1563	6251	
12.	कर्नाटक	6166	2055	8221	6166.00
13.	केरल	5560	1853	7413	5560.00
14.	मध्य प्रदेश	5178	1726	6904	5178.00
15.	महाराष्ट्र	12999	4333	17332	12999.00
16.	मणिपुर	237	79	316	403.50
17.	मेघालय	326	109	435	
18.	मिजोरम	246	82	328	468.50
19.	नागालैंड	162	54	216	81.00
20.	उड़ीसा	9052	3017	12069	9052.00
21.	पंजाब	10147	3382	13529	10147.00
22.	राजस्थान	17116	5705	22821	17116.00
23.	सिक्किम	571	190	761	557.50
24.	तमिलनाडु	8487	2829	11316	8487.00
25.	त्रिपुरा	430	143	573	215.00
26.	उत्तर प्रदेश	12095	4032	16127	17854.50
27.	उत्तरांचल	2676	892	3568	2612.50
28..	पश्चिम बंगाल	8360	2787	11147	8161.00
	कुल	**164722**	**54905**	**219627**	**153322.00**

(अध्याय-IV, पैरा 4.11 देखें)

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2002-03 में एन.सी.सी.एफ. से सहायता जारी करना

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	आपदा	2002-03 में जारी सहायता (16 दिसम्बर, 2002 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	वर्षा/बाढ़	
		वर्षा/बाढ़	
2.	अरुणाचल प्रदेश	तेज बाढ़	
3.	बिहार	वर्षा/बाढ़	
4.	छत्तीसगढ़	सूखा	
		सूखा	
		बाढ़	
		सूखा	45.85
5.	गुजरात	सूखा	
		सूखा	
		भूकंप	
6.	जम्मू और कश्मीर	सूखा	
7.	हिमाचल प्रदेश	तेज बाढ़	
		तेज बाढ़	
		वर्षा/बाढ़	
		सूखा	
		सूखा	9.80
8.	कर्नाटक	सूखा	171.28
9.	मध्य प्रदेश	सूखा	
		सूखा	
		सूखा-2001-02	34.62
		सूखा	95.03
10.	महाराष्ट्र	सूखा	20.00
11.	मेघालय	चक्रवाती हवाएं	
12.	उड़ीसा	सूखा	
		सूखा	
		बाढ़	
		2001* की बाढ़ हेतु अतिरिक्त सहायता	16.41
13.	राजस्थान	सूखा	
		सूखा	
		सूखा	
		गौशालाओं के लिए	11.66
14.	तमिलनाडु	सूखा	109.70
15.	उत्तर प्रदेश	सूखा	237.65
16.	पश्चिम बंगाल	वर्षा/बाढ़	
	कुल		752.00

* विमान भाड़े के रुप में रक्षा मंत्रालय को अदायगी हेतु

(अध्याय-IV, पैरा 4.11 देखें)

अनुलग्नक-V

संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	जनसंख्या (1991 जनगणना) (अनंतिम)	जनसंख्या (2001 जनगणना) (अनंतिम)
(i)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	2,80,661	3,56,265
(ii)	चंडीगढ़	114	6,42,015	9,00,914
(iii)	दादरा और नगर हवेली	491	1,38,477	2,20,456
(iv)	दमण और दीव	112	1,01,586	1,58,059
(v)	लक्षद्वीप	32	51,707	60,695
(vi)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	94,20,644	1,37,82,976
(vii)	पंडिचेरी	492	8,07,785	9,73,829
	योग	**10,973**	**1,14,42,875**	**1,64,53,194**

(अध्याय-V, पैरा 5.27 देखें)

अनुलग्नक-VI

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) और वार्षिक योजना (2002-2003) के लिए संघ शासित क्षेत्रों का योजना परिव्यय

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007	वार्षिक योजना 2002-2003
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2483.00	402.06
2.	चंडीगढ़	1000.00	165.42
3.	दादरा और नगर हवेली	304.00	56.50
4.	दमण और दीव	245.00	44.92
5.	लक्षद्वीप	437.00	92.81
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23000.00	4703.16
7.	पंडिचेरी	1906.49	400.00
	योग	29375.49	5864.87

(अध्याय-V, पैरा 5.28 देखें)

अनुलग्नक-VII

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) मलिन बस्ती विकास, सड़कें और पुल तथा अन्य योजनाएं के लिए प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	मलिन बस्ती विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	सड़कों व पुलों के लिए केन्द्रीय सहायता	अन्य मदों के लिए केन्द्रीय सहायता	एन एस ए पी तथा अन्नपूर्णा के लिए केन्द्रीय सहायता
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.02	1.00	1.83	4.00*	0.21
2.	चंडीगढ़	4.42	1.00	-	-	-
3.	दादरा और नगर हवेली	1.28	1.00	1.07	-	0.15
4.	दमण और दीव	1.11	1.00	0.76	-	0.05
5.	लक्षद्वीप	1.72	1.00	0.05	-	0.04
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.78	17.94	27.05	131.12#	2.73
7.	पंडिचेरी	5.34	1.00	2.19	16.79$	-
	योग	**34.67**	**23.94**	**32.95**	**151.91**	**3.18**

(अध्याय-V, पैरा 5.28 देखें)

*अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

#त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता (105.51 करोड़ रू0); शहरी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की पहल के लिए केन्द्रीय सहायता (22.45 करोड़ रू0) राम कृष्ण मिशन, नई दिल्ली के माध्यम से मूल्य अभिमुख शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के लिए-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (2.00 करोड़ रुपये) तथा गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं व किशोरियों के लिए खाद्यान्न हेतु केन्द्रीय सहायता (1.16 करोड़ रू0) ।

$संघ राज्य क्षेत्र की प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहातया (12.00 करोड़ रू0) तथा बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता ।

अनुलग्नक-VIII

सं0	पाठ्यक्रम का नाम	कालावधि	अवधि
1.	भ्रष्टाचार-रोधी मामलों की जांच पड़ताल	1 सप्ताह	01.04.02-05.04.02
2.	रियूनियन सेमिनार: 1967 आर आर	2 दिन	11.04.02-12.04.02
3.	साक्षात्कार और छानबीन तकनीक	5 दिन	15.04.02-19.04.02
4.	एस.ओ.सी. : स्तर-I-नेतृत्व विकास कार्यक्रम	3 सप्ताह	15.04.02-03.05.02
5.	आसूचना संग्रहण और अपराध निषेध - सी. आई.टी.ई.एस. टाइगर प्रवर्तन कार्य बल	2 सप्ताह	13.05.02-24.05.02
6.	मैरीन पुलिसिंग	3 दिन	27.05.02-29.05.02
7.	सेमिनार: राष्ट्रीय सुरक्षा	1 सप्ताह	03.06.02-07.06.02
8.	कार्यशाला: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	3 दिन	26.06.02-28.06.02
9.	एस.पी.एस. अधिकारियों के लिए 10वां भा.पु.से. इंडक्शन कोर्स	6 सप्ताह	01.07.02-09.08.02
10.	वी.आई.सी. : आपदा प्रबंधन और पुलिस भूमिका	1 सप्ताह	22.07.02-27.07.02
11.	सेमिनार: पुलिस में अच्छी परम्पराएं	3 दिन	12.08.02-14.08.02
12.	साक्ष्य प्राप्त करने पर अफगानिस्तान के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण	2 सप्ताह	05.08.02-17.08.02
13.	यू.एन. आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम	2 सप्ताह	18.08.02-30.08.02
14.	एस.ओ.सी.: स्तर-II- प्रबंधन विकास कार्यक्रम	2 सप्ताह	19.08.02-30.08.02
15.	कोर्स: साइबर क्राइम	1 सप्ताह	02.09.02-06.09.02
16.	कार्यशाला: पुलिस-मीडिया इंटरफेस	1 सप्ताह	09.09.02-13.09.02
17.	कोर्स: साइबर क्राइम	3 सप्ताह	16.09.02-04.10.02
18.	सेमिनार: आर्थिक अपराधों में हाल की प्रवृत्तियां	1 सप्ताह	07.10.02-11.10.02
19.	एस.ओ.सी.: स्तर-III-रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम	1 सप्ताह	21.10.02-25.10.02
20.	एस.पी.एस. अधिकारियों के लिए 11वां भा.पु.से. इंडक्शन कोर्स	6 सप्ताह	07.11.02.-13.12.02
21.	नेतृत्व कार्यक्रम	2 सप्ताह	07.11.02-22.11.02
22.	कोर्स: होस्टेज नेगोशिएशन	10 दिन	07.11.02-16.11.02
23.	सुरक्षा और बचाव प्रबंधन	1 सप्ताह	25.11.02-29.11.02
24.	रियूनियन सेमिनार: 1972 आर आर	2 दिन	28.11.02-29.11.02
25.	ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स कोर्स	2 सप्ताह	02.12.02-12.12.02
26.	इंटलीजेंस गेदरिंग एंड क्राइम प्रीवेनशन विद स्पेशल रेफ्रेन्स टू वाइल्डलाइफ	1 सप्ताह	16.12..02-20.12.02
27.	रियूनियन सेमिनार:1977 आर आर	2 दिन	19.12.02-20.12.02
28.	औषधि कानूनों का प्रवर्तन	1 सप्ताह	30.12.02-04.01.03
29.	पुलिस कार्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1 सप्ताह	06.01.03-10.01.03
30.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	5 सप्ताह	14.01.03-14.02.03
31.	इंटलीजेंस गेदरिंग एंड क्राइम प्रीवेनशन विद स्पेशल रेफ्रेन्स टू वाइल्डलाइफ	1 सप्ताह	27.01.03-31.01.03
32.	कोर्स: साइबर क्राइम्स	1 सप्ताह	17.02.03-21.02.03
33.	प्रशिक्षण का प्रबंधन	2 सप्ताह	24.02.03-07.03.03
34.	सेमिनार: लिंग संबंधी मुद्दे	1 सप्ताह	10.03.03-14.03.03

(अध्याय-VI, पैरा 6.10 देखें)

अनुलग्नक-IX

गृह मंत्रालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों के ब्यौरे

क्र0 सं0	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	01.01.2002 की स्थिति के अनुसार लंबित सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	249	267	677	702
2.	01.01.2002 से 30.11.2002 के दौरान शुरू किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	52	56	1302	1349
3.	30.10.2002 तक के दौरान निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	83	86	1310	1341
4.	01.11.2002 की स्थिति के अनुसार लंबित सतर्कता/अनुशासनिक मामले	218	237	669	710
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों में की गई कार्रवाई: (क्र0 3 के संदर्भ में)				
	(क) बर्खास्तगी	5	5	239	242
	(ख) हटाया जाना	2	2	108	111
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	2	2	28	28
	(घ) रैंक/वेतन में कमी, इत्यादि	11	11	76	82
	(ङ) वेतन वृद्धि रोक लेना	8	8	192	194
	(च) पदोन्नति रोक लेना	2	2	1	1
	(छ) वेतन से वसूली के आदेश	-	-	50	51
	(ज) परिनिन्दा	9	11	243	246
	(झ) चेतावनी	1	1	127	129
	(ञ) नाराजगी	4	4	-	-
	(ट) दोषमुक्ति	14	15	40	44
	(ठ) मामलों का अन्तरण	01	01	5	5
	(ड) कार्रवाई बंद की गई	15	15	26	26
	(ढ) पेंशन में कटौती	7	7	10	10
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	1	1	10	10
	(त) यूनिट में कैद	-	-	39	42
	(थ) क्वाटर गार्ड में कैद	-	-	112	116
	(द) स्थानांतरित किए गए	1	1	-	-
	(ध) प्रास्थगित रखे गए	-	-	4	4
	(न) संस्थान क्षेत्र से हटाना	-	-	-	-
	कुल (कॉलम-5)	83	86	1310	1341

(अध्याय-VIII, पैरा 8.8 देखें)

अनुलग्नक-X

लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों का ब्योरा

क्रमांक	संगठन का नाम	31.12.2001 की स्थिति के अनुसार लंवित आपत्तियां	01.01.2002 से 31.12.2002 तक के दौरान प्राप्त हुई आपत्तियां	01.01.2002 से 31.12.2002 तक के दौरान समाशोधित आपत्तियां	31.12.2002 की समाप्ति पर लंबित आपत्तियां
1.	गृह मंत्रालय(मुख्य)	010	043	019	034
2.	राजभाषा विभाग	057	027	038	046
3.	भारत के महापंजीयक	053	051	009	095
4.	सीमा सुरक्षा बल	229	427	315	341
5.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	242	205	188	259
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	026	039	018	047
7.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	180	084	095	169
8.	आसूचना ब्यूरो	034	056	025	065
9.	एस.वी.पी., राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद	041	021	048	014
10.	असम राइफल्स	056	026	038	044
11.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	057	071	074	054
12.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	011	010	008	013
13.	राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान	019	007	019	007
14.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	017	025	023	019
15.	लक्षद्वीप	324	036	172	188
16.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	626	303	244	685
17.	दमन एवं दीव	088	017	049	056
18.	दादरा और नागर हवेली	139	036	017	158
19.	चण्डीगढ़	1904	140	425	1619
	कुल	**4113**	**1624**	**1824**	**3913**

(अध्याय-VIII, पैरा 8.25 देखें)